जंग-ए-मुक़द्दस

लेखक
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

नाम पुस्तक	:	जंग-ए-मुक़द्दस
लेखक	:	हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम
अनुवादक	:	डाक्टर अन्सार अहमद, एम.ए., एम.फिल, पी एच,डी पी.जी.डी.टी., आनर्स इन अरबिक
टाइप, सैटिंग	:	महवश नाज़
संस्करण	:	प्रथम संस्करण (हिन्दी) अप्रैल 2019 ई०
संख्या	:	1000
प्रकाशक	:	नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
मुद्रक	:	फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)

Name of book	:	Jang-e-Muqaddas
Author	:	Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Mou'ud W Mahdi Mahood Alaihissalam
Translator	:	Docter Ansar Ahmad, M.A., M.Phil, Ph.D P.G.D.T., Hons in Arabic
Type Setting	:	Mahwash Naaz
Edition	:	1st Edition (Hindi) April 2019
Quantity	:	1000
Publisher	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at	:	Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

टाइटल द्वितीय प्रकाशन उर्दू का अनुवाद

जंग-ए-मुक़द्दस

अर्थात
सत्य के अन्वेषण के लिए मुसलमानों और अमृतसर के ईसाइयों में
अमृतसर के स्थान पर
मुबाहसा
22 मई 1893 ई आरम्भ होकर 5 जून 1893 ई को समाप्त हुआ
मुसलमानों की ओर से हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
बहस के लिए क़ादियान से अमृतसर पधारे और ईसाई साहिबान की ओर
से डिप्टी अब्दुल्ला आथम साहिब पेंशनर नियुक्त होकर जलसा मुबाहसा
में प्रस्तुत हुए। लिपिक को हस्ताक्षरित लेख छापकर प्रकाशित करने की
जलसा बहस में दोनों पक्षों की ओर से अनुमति दी गई
जो
प्रतिदिन की दोनों पक्षों की ओर से सत्यापित बहस के अनुसार हर्फ़ ब
हर्फ़ छपकर प्रकाशित हुआ, और वे समस्त प्रतियाँ बिक गईं। अब दूसरी
बार उसी हैसियत से अभिलाशियों के लिए छापी गईं।

लिपिक
शेख़ नूर अहमद मालिक व प्रबंधक रियाज़ हिन्द प्रेस, अमृतसर
(पंजाब)।

प्रकाशक की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है और तत्पश्चात मुकर्रम शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), मुकर्रम फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), मुकर्रम अली हसन एम. ए., मुकर्रम नसीरुल हक़ आचार्य, मुकर्रम मोहियुद्दीन फ़रीद एम्. ए. और मुकर्रम इब्नुल मेहदी लईक़ एम्. ए. ने इसकी प्रूफ़ रीडिंग और रीवियु आदि किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत

हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़

नाज़िर नश्र व इशाअत क़ादियान

वृतांत
जलसा 22 मई 1893 ई०

22 मई 1893 को सोमवार के दिन डॉ हेनरी मार्टन क्लार्क साहिब की कोठी पर जलसा मुबाहसा आयोजित हुआ। 6:15 बजे कार्यवाही आरंभ हुई मुसलमानों की ओर से मुंशी गुलाम कादिर साहिब फसीह वाइस प्रेसिडेंट मुंसिपल कमेटी स्यालकोट सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए और ईसाइयों की ओर से डॉक्टर हेनरी मार्टन क्लार्क साहिब सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। मिर्ज़ा साहिब के सहायक मौलवी नूरुद्दीन साहिब हकीम, सैयद मोहम्मद हसन साहिब और शेख अलाह दिया साहिब नियुक्त हुए। और डिप्टी अब्दुल्ला आथम साहिब के सहायक पादरी जे एल ठाकुर दास और पादरी अब्दुल्ला साहिब और पादरी टॉमस हावेल साहिब नियुक्त हुए। क्योंकि पादरी जे एल ठाकुर दास साहिब आज नहीं आ सके इसलिए आज के दिन उनके स्थान पर पादरी एहसानुल्लाह साहिब सहायक नियुक्त किए गए। 6:15 बजे मिर्ज़ा साहिब ने प्रश्न लिखाना आरंभ किया और 7:15 बजे समाप्त किया और उनकी आवाज़ से जलसे को सुनाया गया। फिर डिप्टी अब्दुल्लाह आथम ने अपना ऐतराज़ प्रस्तुत करने में केवल 5 मिनट लगाए। फिर मिर्ज़ा साहिब ने प्रत्युत्तर लिखाया परंतु इस पर यह आरोप प्रस्तुत किया गया कि मिर्ज़ा साहिब ने जो प्रश्न लिखाया है वह शर्तों की तरतीब के अनुसार नहीं अर्थात प्रथम सवाल उलूहियते मसीह के बारे में होना चाहिए। इस पर शर्तों की ओर देखा गया अंग्रेज़ी मूल शर्तों और अनुवाद का मुकाबला किया गया और मालूम हुआ कि मिर्ज़ा साहिब के पास जो अनुवाद है उसमें गलती है तत्पश्चात इस बात पर सहमति की गई कि उलूहियते मसीह पर प्रश्न आरंभ किया जाए और जो कुछ इससे पहले लिखाया गया है अपने अवसर पर प्रस्तुत हो।

8 बजकर 26 मिनट पर मिर्ज़ा साहिब ने उलूहियते मसीह पर प्रश्न लिखाना आरम्भ किया 9 बजकर 15 मिनट पर समाप्त किया और ऊंची आवाज़ से सुनाया

गया। मिस्टर अब्दुल्ला आथम साहिब ने 9 बजकर 30 मिनट पर उत्तर लिखाना आरंभ किया और उनका उत्तर समाप्त न हुआ था कि उनका समय समाप्त हो गया। इस पर मिर्ज़ा साहिब और मजलिस के अध्यक्ष की ओर से अनुमति दी गई कि मिस्टर अब्दुल्ला आथम साहिब अपना उत्तर समाप्त कर लें और 5 मिनट के अधिक समय में उत्तर समाप्त किया। इसके बाद दोनों पक्षों के लेखों पर सभा अध्यक्षों के हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षरित लेख एक-दूसरे पक्ष को दिए गए और जलसा समाप्त हुआ।

भाषण हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

तत्पश्चात स्पष्ट हो कि आज का दिन जो 22 मई 1893 ई. है उस मुबाहसे और मुनाज़रे का दिन है जो मुझ में और डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब में तय पाया है। इस मुबाहसे का उद्देश्य और आशय यह है कि सत्य के अभिलाषियों पर यह प्रकट हो जाए कि इस्लाम और ईसाई धर्म में से कौन सा धर्म सच्चा और जीवित, पूर्ण तथा ख़ुदा की ओर से है। इसके अतिरिक्त मोक्ष (निजात) किस धर्म के द्वारा मिल सकता है। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि पहले एक व्यापक नियम के तौर पर इसी मामले में जो मुनाज़रे का मूल कारण है इंजील शरीफ़ और पवित्र क़ुर्आन का मुकाबला तथा तुलना की जाए। परन्तु यह बात स्मरण रहे कि इस मुकाबले और तुलना में किसी पक्ष को कदापि यह अधिकार नहीं होगा कि अपनी पवित्र पुस्तक से बाहर जाए या अपनी ओर से कोई बात मुंह पर लाए अपितु अनिवार्य एवं आवश्यक होगा कि जो दावा करें वह दावा उस इल्हामी पुस्तक के हवाले (सन्दर्भ) से किया जाए जो इल्हामी ठहराई गयी है और जो सबूत प्रस्तुत करें वह सबूत भी उसी पुस्तक के हवाले से हो, क्योंकि यह बात सर्वथा सच्ची और कामिल किताब की शान से दूर है कि उसकी वकालत अपने सम्पूर्ण किए-कराए से कोई अन्य व्यक्ति करे और वह पुस्तक पूर्णतया खामोश और मौन हो।

अब स्पष्ट हो कि पवित्र क़ुर्आन ने इस्लाम के बारे में जिसे वह प्रस्तुत करता है यह फ़रमाया है-

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ ۟ (सूरः आले इमरान-20)

وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُ ۚ وَھُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۸۶﴾ (सूरः आले इमरान-86)

अनुवाद- अर्थात् सच्चा और पूर्ण धर्म अल्लाह तआला के नज़दीक इस्लाम

है और जो कोई इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को चाहेगा तो कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह आख़िरत में घाटा पाने वालों में से होगा।

फिर फ़रमाता है -

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ (सूरः अल माइदः-4)

अर्थात् आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूर्ण कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसन्द कर लिया।

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَہٗ بِالۡہُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیۡدًا ﴿ؕ۲۹﴾ (सूरः अल फ़तह-29)

वह ख़ुदा जिस ने अपने रसूल को हिदायत के साथ और सच्चे धर्म के साथ भेजा ताकि वह इस धर्म को समस्त धर्मों पर विजयी करे फिर अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन की प्रशंसा में कुछ आयतें जो इस्लाम धर्म को प्रस्तुत करता है। फ़रमाता है- चूंकि पवित्र क़ुर्आन की प्रशंसा वस्तुतः इस्लाम धर्म की प्रशंसा है, इसलिए वे आयतें भी नीचे लिखी जाती हैं-

وَ لَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِیۡ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنِ مِنۡ کُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰۤی اَکۡثَرُ النَّاسِ اِلَّا کُفُوۡرًا ﴿۹۰﴾ (सूरः बनी इस्राईल-90)

और यद्यपि हमें इस क़ुर्आन में लोगों के लिए प्रत्येक प्रकार के उदाहरण ख़ूब फेर-फेर कर वर्णन किए हैं परन्तु अधिकतर लोगों ने कुफ्र करते हुए इन्कार कर दिया। अर्थात् हमने हर प्रकार से सबूत और तर्क के साथ क़ुर्आन को पूरा किया परन्तु फिर भी लोग इन्कार करने से नहीं रुके।

قُلِ اللّٰہُ یَہۡدِیۡ لِلۡحَقِّ ؕ (सूरः यूनुस-36)

اَللّٰہُ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ وَ الۡمِیۡزَانَ ؕ (सूरः अश्शूरा-18)

अर्थात् ख़ुदा वह है जिस ने किताब अर्थात् पवित्र क़ुर्आन को सच्चाई और तराज़ू के साथ उतारा अर्थात् वह ऐसी किताब है जो सत्य और असत्य के परखने के लिए बतौर तराज़ू के है।

(सूर: अर्रअद-18) اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتۡ اَوۡدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا

अनुवाद- आकाश से पानी उतारा। अत: प्रत्येक घाटी अपनी क्षमता के अनुसार बह निकली।

(सूर: बनी इस्राईल-10) اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ يَهۡدِىۡ لِلَّتِىۡ هِىَ اَقۡوَمُ

यह क़ुर्आन उस शिक्षा की हिदायत देता है जो बहुत सीधी और बहुत परिपूर्ण है।

قُلۡ لَّـئِنِ اجۡتَمَعَتِ الۡاِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلٰٓى اَنۡ يَّاۡتُوۡا بِمِثۡلِ هٰذَا الۡقُرۡاٰنِ
(सूर: बनी इस्राईल-88) لَا يَاۡتُوۡنَ بِمِثۡلِهٖ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ ظَهِيۡرًا ۝٨٩

कि इन्सान और जिन्न सब इस बात पर सहमत हों कि यदि और किताब जो क़ुर्आन की ख़ूबियों का मुकाबला कर सके प्रस्तुत कर सकें तो नहीं कर सकेंगे यद्यपि वे एक-दूसरे की सहायता भी करें।

फिर एक अन्य स्थान पर फ़रमाता है-

(सूर: अल अनआम-39) مَا فَرَّطۡنَا فِى الۡكِتٰبِ مِنۡ شَىۡءٍ

अर्थात् आवश्यक शिक्षाओं में से कोई चीज़ क़ुर्आन से बाहर नहीं रही और क़ुर्आन एक पूर्ण किताब है जिसे किसी अन्य पूर्ण किताब का प्रतीक्षक नहीं बनाया।

(सूर: अत्तारिक-14) اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ۝١٤

(सूर: अल क़मर-6) حِكۡمَةٌۢ بَالِغَةٌ

क़ुर्आन निर्णायक वाणी है जो प्रत्येक बात में सच्चा निर्णय देता है और श्रेष्ठतम श्रेणी की तत्त्वपूर्ण बातें हैं।

فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِ ۝٧٦ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عَظِيۡمٌ ۝٧٧

(सूर: अल वाकिअ: - 76,77)

اِنَّهٗ لَقُرۡاٰنٌ كَرِيۡمٌ ۝٧٨ فِىۡ كِتٰبٍ مَّكۡنُوۡنٍ ۝٧٩ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الۡمُطَهَّرُوۡنَ ۝٨٠

(सूर: अल वाकिअ: - 78 से 80)

अर्थात् मैं क़सम खाता हूं सितारों के उदय होने के स्थानों और दृश्यों की। और यह क़सम एक बड़ी क़सम है। यदि तुम्हें वास्तविकता मालूम हो कि यह

क़ुर्आन एक प्रतिष्ठित और अति महान किताब है और इसे वही लोग छूते हैं जो पाक दिल हैं तथा इस स्थान पर इस क़सम की अनुकूलता यह है कि क़ुर्आन की यह प्रशंसा की गयी है कि वह करीम है अर्थात् रूहानी बुज़ुर्गियों पर आधारित है और बहुत बुलन्द और उच्चतम बारीकियों एवं सच्चाइयों के कारण कुछ अदूरदर्शी लोगों की दृष्टि में इसी कारण से छोटा मालूम होता है जिस कारण से सितारे छोटे तथा बिन्दुओं से प्रतीत होते हैं तथा यह बात नहीं कि वास्तव में वे बिन्दुओं के समान हैं अपितु चूंकि उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ एवं बहुत ऊँचा है इसलिए कि दृष्टियाँ असमर्थ हैं। उनकी वास्तविक मोटाई को ज्ञात नहीं कर सकतीं।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٤﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ
أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥﴾ (सूर: अददुख़ान-4,5)

हमने क़ुर्आन को एक ऐसी बरकत वाली रात में उतारा है जिसमें प्रत्येक बात तत्त्वपूर्ण विवरण के साथ वर्णन की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे एक रात बड़े अन्धकार के साथ आई थी उसके सामने इस किताब में महान प्रकाश रखे गए हैं जो हर प्रकार के सन्देह एवं आशंका के अन्धकार को दूर करते हैं और हर एक बात का फ़ैसला करते हैं और हर प्रकार की युक्ति की शिक्षा देते हैं-

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ

(सूर: अलबक़रह - 258)

अल्लाह उन लोगों का मित्र है जो ईमान लाए और उन्हें अंधकारों से प्रकाश की ओर निकालता है।

(सूर: अल्हाक्का: - 49) وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

(सूर: अल वाक़िया - 96) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٦﴾

(सूर: अत तकवीर - 25) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٥﴾

अर्थात् क़ुर्आन संयमियों को वे सारी बातें स्मरण कराता है जो उसकी प्रकृति (फ़ितरत) में छुपी और गुप्त थीं और यह सच मात्र है जो इन्सान को

विश्वास तक पहुंचाता है और यह ग़ैब (परोक्ष) के देने में कंजूस नहीं हैं अर्थात् कंजूसों की भांति उसका यह कार्य नहीं कि केवल स्वयं ही ग़ैब वर्णन करे और दूसरे को ग़ैब की शक्ति न दे सके अपितु स्वयं ही ग़ैब पर आधारित है और अनुकरण करने वाले पर भी ग़ैब वरदान करता है। यहां क़ुर्आन का दावा है जिसे वह अपनी **शिक्षा** के बारे में स्वयं वर्णन करता है और फिर आगे चलकर इसका सबूत भी स्वयं ही देगा। चूंकि अब समय कम है इसलिए वह उत्तर के उत्तर में लिखा जाएगा। अभी डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब की सेवा में यह निवेदन है कि उन बातों की पाबंदी के साथ जो हम पहले लिख चुके हैं इंजील शरीफ़ का दावा भी इसी प्रकार और शान का प्रस्तुत करें क्योंकि प्रत्येक न्यायकर्ता जानता है कि ऐसा तो कदापि हो नहीं सकता कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। विशेष तौर पर महा प्रतापी अल्लाह तआला जो सुदृढ़, शक्तिशाली और उच्च श्रेणी के विशाल ज्ञान रखता है, किताब को हम उसकी ओर सम्बद्ध करें। वह किताब अपने आप की स्वयं क़ायम करने वाली चाहिए। मानवीय कमज़ोरियों से सर्वथा पवित्र और निर्दोष चाहिए। क्योंकि यदि वह अपने दावे सिद्ध करने में किसी दूसरे के सहारे की मुहताज है तो वह ख़ुदा का कलाम कदापि नहीं हो सकता और यह पुन: स्मरण रहे कि इस समय केवल उद्देश्य यह है कि जब पवित्र क़ुर्आन ने अपनी शिक्षा की व्यापकता तथा पूर्णता का दावा किया है। यही दावा इंजील का वह भाग भी करता है जो हज़रत मसीह की तरफ़ सम्बद्ध किया जाता है और कम से कम इतना तो हो कि हज़रत मसीह अपनी शिक्षा को अन्तिम ठहराते हों और किसी भावी समय के लिए प्रतीक्षा में न छोड़ते हों।

नोट-

यह प्रश्न इतना ही लिखा गया था कि दूसरे पक्ष ने इस बात पर आग्रह किया कि प्रश्न न. 2 बहस के किसी अन्य अवसर में प्रस्तुत हो। क्रियात्मक तौर पर मसीह के ख़ुदा होने के बारे में प्रश्न होना चाहिए। अत: उनके आग्रह के कारण यह प्रश्न जो अभी समाप्त नहीं हुआ इसी स्थान पर छोड़ा गया। बाद में इसका शेष प्रकाशित किया जाएगा।

मसीह की ख़ुदाई पर 22, मई 1893 ई.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ

तत्पश्चात स्पष्ट हो कि तय की हुई शर्तों के अनुसार पर्चा पृथक दिनांक 24, अप्रैल 1893 ई. प्रथम प्रश्न हमारी ओर से यह प्रस्तावित हुआ था कि हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ख़ुदाई के बारे में मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब से प्रश्न करेंगे। इसलिए उसी शर्त के अनुसार नीचे लिखा जाता है-

स्पष्ट हो कि इस बहस में यह अत्यावश्यक होगा कि हमारी ओर से जो प्रश्न हो या डिप्टी अब्दुल्लाह आथम की ओर से कोई उत्तर हो वह अपनी ओर से न हो अपितु अपनी-अपनी इल्हामी किताब के हवाले से हो जिसको दूसरा पक्ष हुज्जत समझता हो ओर ऐसा ही प्रत्येक तर्क और प्रत्येक दावा जो प्रस्तुत किया जाए वह भी उसी अनिवार्यता से हो। अतः कोई पक्ष अपनी ठोस किताब के बयान से बाहर न जाए जिसका बयान बतौर हुज्जत हो सकता है।

तत्पश्चात स्पष्ट हो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ख़ुदाई के बारे में पवित्र क़ुर्आन में उन सज्जनों के विचारों का खण्डन करने के उद्देश्य से जो हज़रत मसीह के बारे में **ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा** की आस्था रखते हैं ये आयतें मौजूद हैं-

مَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّیْقَةٌ ؕ كَانَا یَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْاٰیٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى یُؤْفَكُوْنَ ﴿۷۶﴾ (सूरः अलमाइदह - 76)

अर्थात् मसीह इब्ने मरयम में इस से अधिक कोई बात नहीं कि वह केवल एक रसूल है और उस से पहले भी रसूल ही आते रहे हैं और यह वाक्य कि इस से पहले भी रसूल ही आते रहे हैं यह क़ियास इस्तिक़राई✳ के तौर पर एक

✳ **क़ियास इस्तिक़राई -** गवेषणात्मक अनुमान- विभिन्न वस्तुओं के भागों के बारे में विवेचन

बारीक तर्क है, क्योंकि क़ियासों के समस्त प्रकारों में से इस्तिक़रा की श्रेणी वह श्रेष्ठ श्रेणी है कि यदि निश्चित और अटल श्रेणी से इसको उपेक्षित कर दिया जाए तो धर्म एवं दुनिया का सम्पूर्ण क्रम बिगड़ जाता है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो मालूम होगा कि दुनिया का अधिकतर भाग तथा पिछले युगों की घटनाओं का सबूत इसी इस्तिक़रा के द्वारा हुआ है। उदाहरणतया हम जो इस समय कहते हैं कि मनुष्य मुंह से खाता और आँखों से देखता और कानों से सुनता और नाक से सूँघता और जीभ से बोलता है। यदि कोई व्यक्ति कोई पवित्र किताब प्रस्तुत करे और उसमें यह लिखा हुआ हो कि ये घटनाएँ गुज़रे युग के बारे में नहीं हैं। अपितु पहले युग में इन्सान आँखों के साथ खाया करता था और कानों के द्वारा बोलता था और नाक के द्वारा देखता था और इसी प्रकार अन्य बातों को भी बदल दे या उदाहरणतया यह कहे कि किसी युग में इन्सान की आंखें दो नहीं होती थीं बल्कि बीस होती थीं। दस तो सामने चेहरे में और दस पीठ पर लगी हुई थीं। तो अब दर्शक सोच सकते हैं कि यदि कल्पना के तौर पर हम स्वीकार भी कर लें कि इन विचित्र लेखों का लिखने वाला कोई पुनीत एवं पवित्र और सच्चा व्यक्ति था, किन्तु हम इस निश्चित परिणाम से कहां और किधर भाग सकते हैं जो क़ियास इस्तिक़राई से पैदा हुआ है। मेरी राय में ऐसा बुज़ुर्ग न केवल एक बल्कि करोड़ से भी अधिक और क़ियास इस्तिक़राई से अटल और विश्वसनीय परिणामों को तोडना चाहें तो कदापि टूट नहीं सकेंगे बल्कि अगर हम न्यायवान हों और सत्यप्रियता हमारा आचरण हो तो इस अवस्था में कि हम उस बुज़ुर्ग को वास्तव में एक बुज़ुर्ग समझते हैं और उसके शब्दों में ऐसे-ऐसे वाक्य देखी और महसूस की हुई सच्चाइयों के विपरीत पाते हैं तो हम उसकी बुज़ुर्गी के लिए प्रत्यक्ष पर ध्यान नहीं देंगे और ऐसी प्रत्यक्ष से हटकर व्याख्या (तावील) करेंगे जिस से उस बुज़ुर्ग का सम्मान कायम रह जाए। अन्यथा यह तो कदापि नहीं होगा कि इस्तिक़रा को जो वास्तविकताएं निश्चित और अटल माध्यम से सिद्ध हो चुकी हैं वे एक रिवायत देख कर टाल दी जाएँ। यदि किसी का ऐसा विचार

करके कोई पैमाना या व्यापक नियम बनाना। (अनुवादक)

हो तो इसको सिद्ध करना उसकी गर्दन पर है कि वह प्रमाणित, निश्चित, अटल और मौजूद इस्तिक़रा के विपरीत उस रिवायत के समर्थन एवं सत्यापन में कोई और बात प्रस्तुत कर दे। उदाहरणतया जो व्यक्ति इस बात पर बहस करता और लड़ता-झगड़ता है कि साहिब पहले युग में लोग अवश्य जीभ के साथ देखते और नाक के साथ बातें किया करते थे तो इसका सबूत प्रस्तुत करे। और जब तक ऐसा सबूत प्रस्तुत न करे तब तक एक सभ्य बुद्धिमान की शान से बहुत दूर है कि उन लेखों पर भरोसा करके कि जिनके सही होने की अवस्था में बीस-बीस अर्थ हो सकते हैं। वह अर्थ अपनाएं जो प्रमाणित वास्तविकताओं के सर्वथा विपरीत और प्रतिकूल पड़े हुए हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर ही से इस बात की चर्चा हो कि संखिया और वह ज़हर जो कड़वे बादाम से तैयार किया जाता है और अधिक ये समस्त ज़हरें नहीं हैं और यदि उनको दो-दो सेर के बराबर भी इन्सान के बच्चों को खिलाया जाए तो कुछ हानि नहीं और इसका सबूत यह दे कि अमुक पवित्र किताब में ऐसा ही लिखा है तथा रिवायत करने वाला विश्वसनीय है। तो क्या वह डॉक्टर साहिब उस पवित्र किताब का ध्यान रखते हुए एक ऐसी बात को छोड़ देंगे जो इस्तिक़राई क़ियास (अनुमान) से सिद्ध हो चुकी है। अतः जबकि क़ियास इस्तिक़राई दुनिया की वास्तविकताएं सिद्ध करने के लिए प्रथम स्तर की प्रतिष्ठा रखता है तो इसी पहलू से अल्लाह तआला ने सर्वप्रथम क़ियास इस्तिक़राई को ही प्रस्तुत किया और फ़रमाया-

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط (सूरः अलमाइदह-76)

अर्थात् हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम निस्सन्देह नबी थे और अल्लाह तआला के प्यारे रसूल थे, परन्तु वह इन्सान थे। तुम नज़र उठा कर देखो कि जब से तब्लीग़ (प्रचार) और ख़ुदा की वाणी के उतारने का सिलसिला आरम्भहुआ है। हमेशा और सदैव से इन्सान ही रसूल होने का पद पाकर दुनिया में आते रहे हैं या कभी अल्लाह तआला का बेटा भी आया है और خَلَتْ (ख़लत) का शब्द इस ओर ध्यान दिलाता है कि जहां तक तुम्हारी दृष्टि ऐतिहासिक सिलसिले को देखने के लिए वफ़ा कर सकती है और पहले लोगों का हाल मालूम कर सकते

हो ख़ूब सोचो और समझो कि कभी यह सिलसिला टूटा भी है। क्या तुम ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो जिस से सिद्ध हो सके कि यह बात संभावनाओं में से है। पहले कभी-कभी होता ही आया है। अत: बुद्धिमान व्यक्ति इस जगह तनिक ठहर कर और अल्लाह तआला से डर कर दिल में सोचे कि दुर्घटनाओं का सिलसिला इस बात को चाहता है कि किसी युग में उसका उदाहरण भी पाया जाए।

हाँ यदि बाइबल के वे समस्त अंबिया एवं सदाचारी लोग जिनके संबंध में बाइबिल में भी शब्द मौजूद है कि वे ख़ुदा तआला के बेटे थे या ख़ुदा थे वास्तविक अर्थों में चरितार्थ कर लिए जाएँ तो निस्सन्देह इस अवस्था में हमें इक़रार करना पड़ेगा कि ख़ुदा तआला की आदत है कि वह बेटे भी भेजा करता है बल्कि बेटे क्या कभी-कभी बेटियाँ भी। प्रत्यक्षत: यह तर्क तो उत्तम प्रतीत होता है यदि ईसाई सज्जन इसे पसन्द करें और इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक-अवास्तविक की तो वहाँ कोई चर्चा ही नहीं अपितु कुछ को तो पहलोटा ही लिख दिया। हाँ इस अवस्था में बेटों का योग बहुत बढ़ जाएगा। अत: महा प्रतापी ख़ुदा ने सर्वप्रथम ख़ुदाई के खण्डन के लिए भी इस्तिक़राई तर्क प्रस्तुत किया है तत्पश्चात एक और तर्क प्रस्तुत करता है-

(सूरः अलमाइदह-76) وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ

अर्थात् हज़रत मसीह की माँ सत्यनिष्ठ थी। यह तो स्पष्ट है कि यदि हज़रत मसीह को अल्लाह तआला का वास्तविक बेटा मान लिया जाए तो फिर यह आवश्यक बात है कि वह दूसरों की तरह ऐसी मां के अपने पैदा होने में मुहताज न हो जो दोनों पक्षों की सहमति से इन्सान थी, क्योंकि यह बात अत्यन्त स्पष्ट और खुली-खुली है कि ख़ुदा तआला का प्रकृति का नियम इस प्रकार से है कि प्रत्येक प्राणी की सन्तान उसकी प्रक़ौम के अनुसार हुआ करती है। उदाहरणतया देखो कि जितने जानवर हैं जैसे इन्सान, घोड़ा, गधा और प्रत्येक पक्षी वे अपनी-अपनी प्रक़ौम की दृष्टि से अस्तित्व में आते हैं, ये तो नहीं होता कि इन्सान किसी पक्षी से पैदा हो जाए या पक्षी किसी इन्सान के पेट से निकले। फिर एक तीसरा

तर्क यह प्रस्तुत किया है-

(सूरः अलमाइदह-76) كَانَا يَأْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ

अर्थात् वे दोनों हज़रत मसीह और आपकी सत्यनिष्ठ मां खाना खाया करते थे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इन्सान क्यों खाना खाता है और क्यों खाना खाने का मुहताज है। इसमें असल भेद यह है कि हमेशा इन्सान के शरीर में घुलने अर्थात् क्षीणता का क्रम जारी है। यहां तक कि प्राचीन एवं नवीन अन्वेषणों से सिद्ध है कि कुछ वर्षों में पहला शरीर घुल कर समाप्त हो जाता है और दूसरा शरीर घुले हुए शरीर का बदल हो जाता है तथा हर प्रकार का भोजन जो खाया जाता है उसका भी रूह (आत्मा) पर प्रभाव (असर) होता है। क्योंकि यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि कभी रूह शरीर पर अपना प्रभाव डालती है और कभी शरीर रूह पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे यदि रूह को सहसा कोई ख़ुशी पहुंचती है तो उस ख़ुशी के लक्षण अर्थात् प्रफुल्लता और चमक चेहरे पर भी प्रकट होती है और कभी शरीर के हँसने-रोने के लक्षण रूह पर पड़ते हैं। अब जबकि यह हाल है तो ख़ुदाई के पद से यह कितना दूर होगा कि अपने अल्लाह का शरीर भी हमेशा उड़ता है तो तीन-चार वर्ष के बाद और शरीर आए, इसके अतिरिक्त खाने का मुहताज होगा इस अर्थ के सर्वथा विपरीत है जो ख़ुदा तआला के अस्तित्व में मान्य है। अतः स्पष्ट है कि हज़रत मसीह इन आवश्यकताओं से मुक्त नहीं थे जो समस्त इन्सानों को लगी हुई हैं। फिर यह एक उत्तम तर्क इस बात का है कि वह इन दर्दों और दुखों के बावजूद ख़ुदा ही थे या ख़ुदा के बेटे थे और दर्द हम ने इसलिए कहा कि भूख भी दर्द का एक प्रकार है और यदि अधिक हो जाए तो नौबत मौत तक पहुंचती है।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
इस्लाम की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब मसीही की ओर से उत्तर

यदि आपका यह कथन सही है कि हर बात की वास्तविकता अनुभव ही पर आधारित होती है अर्थात् जो अनुभव के विपरीत है वह झूठी है। तब तो हमें सृजन की विशेषता का भी इन्कार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अनुभव में कोई चीज़ पैदा नहीं होती और आदम का बिना मां-बाप के पैदा होने का भी इन्कार करना पड़ेगा। हम यह नहीं जानते कि ऐसा हम क्यों करें। क्योंकि बिल्कुल असंभव हम उसे कहते हैं कि कोई बात किसी रब्बानी (ख़ुदाई) विशेषता के विरुद्ध हो और ये चीज़ें जो हमारे अनुभव के बाहर हैं, उदाहरणतया सृजन का होना अर्थात् बिना सामान के नास्ति से आस्ति (अस्तित्व) में आना तथा आदम का वर्तमान सिलसिले के विपरीत पैदा होना हम ख़ुदा तआला की किसी पवित्र विशेषता के विरुद्ध नहीं देखते।

द्वितीय- आप के दूसरे मुकद्दमे के उत्तर में आप को विश्वास होना चाहिए कि हम उस दिखाई देने वाली चीज़ को जो खाने-पीने इत्यादि आवश्यकताओं के साथ है अल्लाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह की द्योतक कहते हैं और यह एक ऐसा मुकद्दमा है जैसा क़ुर्आन में उस आग के बारे में जो झाड़ी में दिखाई देती थी लिखा है कि हे मूसा अपने जूते दूर कर क्योंकि यह तुवा घाटी है और यह कि मैं तेरे बाप इब्राहीम, इस्हाक़ और याक़ूब का ख़ुदा हूं। मूसा ने उसे स्वीकार किया। अब बताइए दिखाई देने वाली चीज़ तो ख़ुदा नहीं हो सकती और देखना प्रत्यक्ष तौर पर था अत: हम उसे अल्लाह का द्योतक कहते हैं अल्लाह नहीं कहते। इसी प्रकार यसू मख़्लूक को हम अल्लाह नहीं कहते बल्कि अल्लाह का द्योतक कहते हैं। क्या यह स्तम्भ जो ईंट और मिट्टी का सामने दिखाई देता है उसमें से यदि ख़ुदा आवाज़ देकर कहना चाहे कि, कि मैं तुम्हारा ख़ुदा हूं और मेरी अमुक बात सुनो तो यद्यपि यह बात अनुभव के विरुद्ध है तो क्या संभावना के विपरीत है कि ख़ुदा ऐसा नहीं कर सकता (हमारे नज़दीक तो संभावना के

विपरीत नहीं)

तृतीय- हम ने अल्लाह के बेटे को शरीर नहीं माना। हम तो अल्लाह को रूह मानते हैं शरीर नहीं।

चतुर्थ- बात के बारे में हमारा निवेदन यह है कि निस्सन्देह तावील वाली बात की तावील (प्रत्यक्ष अर्थ से हटकर व्याख्या करना) करना चाहिए परन्तु वास्तविकता को चाहिए कि तावीलों को न बिगाड़े। यदि कोई वास्तविकता निश्चित बात के विपरीत है तो उस पर हमेशा असत्य का आदेश देना चाहिए न कि असत्य को मरोड कर सत्य बनाना।

पंचम- बात के बारे में आपकी सेवा में स्पष्ट हो कि शब्द बेटे और पलौठे का बाइबिल में दो प्रकार से वर्णन हुआ है अर्थात् एक तो यह वह एक तन ख़ुदा के साथ हो, द्वितीय यह कि एक मन ख़ुदा की इच्छा के साथ हो। (एक तन वह है जो गुण में एक हो और एक मन वह है जो गुण में भागीदार नहीं बल्कि इच्छा का भागीदार हो) किसी नबी या बुज़ुर्ग के बारे में बाइबल में यह लिखा है कि हे तलवार मेरे चरवाहे और तुल्य पर उठ (ज़कारिया अध्याय-13 आयत-7) और फिर किस के बारे में ऐसा लिखा है कि दाऊदी तख़्त पर यहूदा सिद्कनू आएगा (यरमियाह) और किस ने यह कहा कि मैं अल्फ़ा और मेगा एवं सर्वशक्तिमान ख़ुदा हूं तथा किस के बारे में यह लिखा गया कि मैं जो हिकमत हूं अनादि काल से ख़ुदा के साथ रहती थी और मेरे माध्यम से यह सारी सृष्टि हुई और यह कि जो कुछ सृष्टि का प्रकटन है उसी के माध्यम से है। ख़ुदा बाप को किसी ने नहीं देखा किन्तु इकलौते (ख़ुदा) ने उसे प्रकट कर दिया (यूहन्ना अध्याय-1 आयत-18)

अब इस पर इन्साफ कीजिए कि ये शब्द एक तन के संबंध में हैं या एक मन के तथा यह भी एक बात स्मरण रखने योग्य है। यसइयाह अध्याय-9, आयत 6 में कि वह बेटा जो हमें प्रदान किया जाता है और बेटा जन्म लेता है वह इन उपाधियों से सुशोभित है मुझे सामर्थ्यवान ख़ुदा अब अनश्वरता शाह सलामत, मुशीर, अजूबा, तख़्त दाऊदी पर आने वाला जिसके शासन का पतन

कभी नहीं होगा।

षष्ठम आपने जो क़ुर्आन से सिद्ध किया है मुझे अफ़सोस है कि मैं अब तक उसके इल्हामी होने को नहीं मानता। जब आप उसे इल्हामी सिद्ध करके निरुत्तर कर देंगे तो उसके प्रमाण स्वयं ही माने जाएँगे।

सप्तम- श्रीमान प्रकृति और सृजन ख़ुदा का कर्म है और इल्हाम ख़ुदा का कथन। कर्म और कथन में इतना विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि कोई कार्य संदिग्ध हो या सरसरी नज़र में कठिन प्रतीत हो तो हम उसकी प्रत्यक्ष से हटकर व्याख्या तर्क और विज्ञान द्वारा ही करेंगे अन्यथा कहां जाएँगे? इसलिए आप ने स्वयं ही कहा कि तावील वाली बातों की तावील अनिवार्य है और आप इससे भी अधिक कहते हैं कि अनुभव के विपरीत हम कुछ न लेंगे तो जैसे यह भी प्रकृति की तरफ़ लौटना है जिससे हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं।

अष्टम- आठवें उत्तर में इतना ही कहना है कि जहां बाइबल में वास्तविक और अवास्तविक बेटे का अन्तर न हो तो हमारी बुद्धि को रोक नहीं कि हम उसमें अन्तर न करें और दूसरों के साथ भी यदि यही विशेषताएं संलग्न हों जैसी मसीह के साथ हैं तो हम उनको भी मसीह जैसा मान लेंगे।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी अक्षरों में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी अक्षरों में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

दूसरा पर्चा

मुबाहसा 23 मई 1893 ई.

वृत्तान्त

आज फिर जल्सा आयोजित हुआ और आज पादरी जे. एल. ठाकुर दास साहिब भी जल्से में पधारे। यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ कि कोई लेख जो मुबाहसे में कोई व्यक्ति अपने तौर पर लिखे विश्वसनीय न समझा जाए, जब तक कि उस पर हर दो सदर मज्लिस साहिबों के हस्ताक्षर न हों।

इसके पश्चात 6 बज कर 30 मिनट ऊपर मिर्ज़ा साहिब ने अपना प्रश्न लिखाना आरम्भ किया और उनका उत्तर समाप्त न हुआ था कि उनका समय गुज़र गया और मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब और ईसाइयों के प्रेसीडेंट की ओर से अनुमति दी गई कि मिर्ज़ा साहिब अपना उत्तर पूरा कर लें। अत: 16 मिनट के अतिरिक्त समय में उत्तर समाप्त किया। तत्पश्चात यह तय हुआ कि निर्धारित समय के अतिरिक्त किसी को समय न दिया जाए। मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने आठ बज कर ग्यारह मिनट पर उत्तर लिखना शुरू किया। बीच में आयतों की लिस्ट पढ़े जाने से सम्बंधित विवाद में समय व्यय हुआ अर्थात् पांच मिनट मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब के समय में बढ़ाए गए और नौ बज कर सोलह मिनट पर उत्तर समाप्त हुआ।

मिर्ज़ा साहिब ने 9 बज कर 27 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 10 बज कर 27 मिनट पर समाप्त हो गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों के लेखों पर प्रेसीडेंट साहिबों के हस्ताक्षर किए गए और लेख दोनों पक्षों को दिए गए। और जल्सा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फसीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

कल 22 मई 1893 ई. को जो मैंने हज़रत मसीह की ख़ुदाई के बारे में डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब से प्रश्न किया था उसमें उत्तर देने योग्य नौ बातें थीं। सर्वप्रथम मैंने यह लिखा था कि दोनों सदस्यों पर अनिवार्य होगा कि अपनी-अपनी इल्हामी किताब के हवाले से प्रश्न और उत्तर लिखें। फिर इसके साथ ही यह भी लिखा गया था कि प्रत्येक तर्क अर्थात् बौद्धिक तर्क और दावा जिसके समर्थन में वह तर्क प्रस्तुत किया जाए अपनी-अपनी किताब के हवाले और वर्णन से दिया जाए। इसमें मेरा उद्देश्य यह था कि प्रत्येक किताब की इस तौर से परीक्षा हो जाए कि उनमें यह चमत्कारी शक्ति पाई जाती है या नहीं। क्योंकि इस युग में जो उदाहरणतया पवित्र क़ुर्आन पर लगभग तेरह सौ वर्ष गुज़र गए जब वह अवतरित हुआ था। इसी प्रकार इंजील पर लगभग उन्नीस सौ वर्ष गुज़रते हैं जब इंजील हवारियों के लेख के अनुसार प्रकाशित हुई। इस स्थिति में केवल उन पुस्तकीय बातों पर आधार रखना जो उन पुस्तकों में लिखी गई हैं उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगी जो उन पर ईमान लाता है तथा उनको सही समझता है और उनके जो अर्थ किए जाते हैं उन अर्थों पर भी कोई ऐतराज़ नहीं रखता, परन्तु यदि तर्कशास्त्रीय सिलसिला उसके साथ शामिल हो जाए तो उस सिलसिले के द्वारा बहुत शीघ्र समझ आ जाएगा कि ख़ुदा तआला का सच्चा, पवित्र, पूर्ण और जीवित कलाम कौन सा है। अतः मेरा यह उद्देश्य था कि जिस किताब के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह स्वयं में पूर्ण है और सबूत की सम्पूर्ण श्रेणियां भी स्वयं ही प्रस्तुत करती है तो फिर उसी किताब का कर्तव्य होगा कि अपने दावे को सिद्ध करने के लिए तर्कशास्त्रीय सबूत भी स्वयं ही प्रस्तुत करे न यह कि किताब प्रस्तुत करने से बिलकुल असमर्थ और मौन हो तथा कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर उसकी सहायता करे। प्रत्येक न्यायवान

बड़ी आसानी से समझ सकता है कि यदि इस पद्धति को दोनों सदस्य अनिवार्य तौर पर अपना लें तो सत्य की पुष्टि तथा असत्य का खण्डन बड़ी आसानी से हो सकता है। मैं आशा रखता था कि मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब जो पहले से यह दावा रखते हैं कि इंजील वास्तव में एक पूर्ण किताब है वह इस दावे के साथ इस बात को अवश्य मानते होंगे कि इंजील अपने दावों को बौद्धिक तौर पर स्वयं प्रस्तुत करती है। परन्तु महानुभाव के कल के उत्तर से मुझे बहुत आश्चर्य और अफ़सोस भी हुआ कि महानुभाव ने इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने उत्तर की संख्या छः में मुझे संबोधित करके फ़रमाते हैं कि "आप ने क़ुर्आन से जो तर्क दिया है मुझे अफ़सोस है कि मैं अब तक उसके इल्हामी होने को नहीं मानता। जब आप उसको इल्हामी सिद्ध करके स्वीकार करा लेंगे जो उसके प्रमाण स्वयं ही माने जाएँगे" अब प्रत्येक विचार करने वाला विचार कर सकता है कि मेरा यह उद्देश्य कब था कि वह पवित्र क़ुर्आन की प्रत्येक बात बिना जांच-पड़ताल स्वीकार कर लें। मैंने तो यह लिखा था अर्थात् मेरा यह उद्देश्य था कि बौद्धिक तर्क जो दोनों सदस्यों की ओर से प्रस्तुत हों वे अपने ही विचारों की योजनाओं से प्रस्तुत नहीं होने चाहिए। बल्कि चाहिए कि जिस किताब ने अपने पूर्ण होने का दावा किया है वह दावा भी व्याख्या सहित सिद्ध कर दिया जाए और फिर वही किताब उस दावे को सिद्ध करने के लिए तर्क शास्त्रीय सबूत प्रस्तुत करे और इस प्रकार की अनिवार्यता से जो किताब अन्त में विजयी सिद्ध होगी उसका यह चमत्कार सिद्ध होगा, क्योंकि पवित्र क़ुर्आन स्पष्ट तौर पर कहता है कि मैं पूर्ण किताब हूं जैसा कि फ़रमाता है-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

(सूरः अलमाइदह-4)

और जैसा कि दूसरे स्थान पर फ़रमाता है-

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ (सूरः बनी इस्राईल-10)

दोनों आयतों का अनुवाद यह है- कि आज मैंने तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए पूर्ण

किया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा किया और यह क़ुर्आन एक सीधे और पूर्ण मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है अर्थात् मार्ग दर्शन में पूर्ण है और मार्ग-दर्शन में जो संबधित वस्तुएँ होनी चाहिएं बौद्धिक तर्कों तथा आकाशीय बरकतों में से वे सब इसमें मौजूद हैं और ईसाई सज्जनों का यह विचार है कि इंजील पूर्ण किताब है और मार्गदर्शन से सम्पूर्ण सामान उसमें मौजूद हैं। फिर जब कि यह बात है तो अब देखना आवश्यक हुआ कि अपने दावे में सच्चा कौन है। इसी आधार पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ख़ुदाई के तर्क भी जो तर्क और बौद्धिक रूप पर हों इंजील से प्रस्तुत करने चाहिए थे। जैसा कि पवित्र क़ुर्आन ने ख़ुदाई के खण्डन के तर्क अन्य तर्कों के अतिरिक्त बौद्धिक रूप से प्रस्तुत किए और तर्कों के अतिरिक्त जो बरकात इत्यादि प्रकाश अपने अंदर रखता है। अतः अब उम्मीदहै कि मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब हमारे प्रश्न का उद्देश्य समझ गए होंगे। तो चाहिए कि इस उद्देश्य के अनुसार इंजील की शक्ति और ताकत से ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाएँ न कि अपनी ओर से। और जो व्यक्ति हम दोनों सदस्यों में से अपनी ओर से कोई बौद्धिक तर्क या कोई दावा प्रस्तुत करेगा उसका ऐसा प्रस्तुत करना इस बात पर निशान होगा कि उसकी वह किताब कमज़ोर है और वह शक्ति और ताकत अपने अन्दर नहीं रखती जो पूर्ण किताब में होनी चाहिए। परन्तु यह वैध होगा कि यदि कोई किताब जो बौद्धिक तर्क संक्षिप्त तौर पर प्रस्तुत करे कि परन्तु इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि कोई संदिग्ध बात न हो और उसके अगले-पिछले प्रसंग तथा उसी के और दूसरे स्थानों से पता मिल सकता हो कि उस का यही उद्देश्य है कि ऐसा तर्क प्रस्तुत करे कि यद्यपि वह तर्क संक्षिप्त हो परन्तु प्रत्येक सदस्य (पक्ष) का अधिकार होगा कि जनता को समझाने के लिए कुछ विस्तार के साथ उस तर्क के मुकद्दमें वर्णन कर दे। किन्तु यह कदापि वैध नहीं होगा कि अपनी ओर से कोई तर्क काट-छांट करके इल्हामी किताब को इस प्रकार से सहायता की जाए कि जैसे एक कमज़ोर और शक्तिहीन मनुष्य को या एक मुर्दे को अपने बाज़ू और अपने हाथ के सहारे चलाया जाए। फिर इसके पश्चात इस्तिक़रा के बारे में जो मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने जिरह

(प्रतिप्रश्न) की है वह जिरह भी विचार की कमी के कारण है वह फ़रमाते हैं कि यदि यह कथन अर्थात् इस्तिक़रा का तर्क सही समझा जाए जो पवित्र क़ुर्आन प्रस्तुत करता है तो फिर आदम का बिना माता-पिता के पैदा होना स्वीकार करने योग्य नहीं होगा और सृष्टि करने की विशेषता का भी इनकार करना पड़ेगा। अफ़सोस कि महानुभाव इस बात को समझने से लापरवाह रहे कि इस्तिक़रा तर्कों में यही नियम प्रमाण सिद्ध है कि जब तक उस प्रमाणित वास्तविकता के मुकाबले पर जो इस्तिक़राई तर्क द्वारा सिद्ध हो चुकी है कोई बात उसकी विरोधी और विपरीत प्रस्तुत न की जाए जिसका व्यक्त होना भी सिद्ध हो चुका है तब तक इस्तिक़राई तर्क सिद्ध और क़ायम रहेगा। उदाहरणतया मनुष्य का एक सर होता है और दो आंखें तो इसके मुकाबले पर केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा कि संभव है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हों जिनके दस सिर और बीस आंखें हों। बल्कि ऐसा इन्सान कहीं से पकड़ कर दिखा भी देना चाहिए। इस बात में दोनों सदस्यों में से किस को इनकार है कि हज़रत आदम बिना मां-बाप के पैदा हुए थे और उनके बारे में ख़ुदा की सुन्नत इसी प्रकार सिद्ध हो चुकी है। परन्तु विवादित मामले में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो दोनों सदस्यों के नज़दीक मान्य और प्रमाणित ठहरी हो बल्कि विरोधी सदस्य हज़रत ईसाइयों की जो किताब है अर्थात् **पवित्र क़ुर्आन** वह स्वयं यह बात प्रस्तुत करता है कि इस्तिक़राई तर्क से यह बात असत्य है। अब यदि तर्क कामिल और पूर्ण नहीं है तो चाहिए कि इंजील में से अर्थात् हज़रत मसीह के कलाम में से इसका विरोधी कोई तर्क प्रस्तुत किया जाए जिस से सिद्ध हो कि क़ुर्आन का प्रस्तुत किया हुआ तर्क यह कमज़ोरी रखता है। और स्वयं प्रकट है कि यदि इस्तिक़राई तर्कों को विरोधी उदाहरण प्रस्तुत करने के बिना यों ही अस्वीकार कर दिया जाए तो सम्पूर्ण विद्याएं एवं कलाएं नष्ट हो जाएँगी और जांच-पड़ताल का मार्ग बंद हो जाएगा। उदाहरणतया यदि मैं मिस्टर अब्दुल्लाह आथम से पूछता हूं कि यदि आप अपने किसी नौकर को एक हज़ार रूपया अमानत के तौर पर रखने को दें और वह रुपया संदूक में बंद हो और उसकी चाबी उस नौकर के पास हो तथा कोई स्थिति

तथा कोई सन्देह माल चोरी हो जाने का न हो और वह आपके पास यह बहाना प्रस्तुत करे कि हज़रत वह रुपया पानी होकर बह गया है या हवा होकर निकल गया है तो क्या आप उसका यह बहाना स्वीकार कर लेंगे। आप कहते हैं कि जब तक कोई बात ख़ुदा की विशेषता के विपरीत न पड़े तब तक हम उसे वैध और संभव की ही श्रेणी में रखेंगे। परन्तु मैं आप से पूछता हूं कि आप एक लम्बे समय तक एक्स्ट्रा असिस्टेंट के पद पर नियुक्त रह कर दीवानी तथा फ़ौजदारी इत्यादि के मुकद्दमें करते रहे हैं, क्या इस विचित्र ढंग का कोई मुक़द्दमा आप ने किया है कि ऐसे व्यर्थ बहाने को अदालत ने संतोषजनक मानकर बहाना करने वाले के पक्ष में डिग्री कर दी हो। हज़रत आप पुन: ध्यानपूर्वक विचार करें कि कदापि सही नहीं है कि जो व्यक्ति इस्तिक़राई तर्कों के विरुद्ध कोई नई बात तथा तर्कों के विरुद्ध इस्तिक़रा प्रस्तुत करे तो उस बात को उदाहरणों द्वारा सिद्ध किए बिना स्वीकार कर लें और यह उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया है कि इस स्थिति में हमें सृजन करने वाली विशेषता का भी इनकार करना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि यह तर्क क्यों प्रस्तुत किया है और इस स्थान पर इस तर्क का संबंध ही क्या है। आप जानते हैं और मुसलमानों और ईसाइयों की इस बात पर सहमति है कि ख़ुदाई विशेषताएं जो उसके कार्यों से सम्बंधित हैं अर्थात् सृजन इत्यादि से वे अपने अर्थ में सामान्य शक्ति रखती है अर्थात् उनके बारे में यह स्वीकार कर लिया गया है कि महा प्रतापी ख़ुदा अजर-अमर तौर पर उन विशेषताओं से काम ले सकता है। उदाहरणतया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तआला ने बिना मां-बाप के पैदा किया है तो क्या हम दोनों सदस्यों में से कोई अपनी किताब की दृष्टि से सबूत दे सकता है कि इस ढंग से पैदा करने में अल्लाह तआला की क़ुदरत और शक्ति जो इस्तिक़रा से सिद्ध है इस सीमा तक समाप्त हो चुकी है बल्कि दोनों पक्षों की किताबें इस बात को प्रकट कर रही हैं कि महा प्रतापी ख़ुदा ने जो कुछ पैदा किया है ऐसा ही वह फिर भी पैदा कर सकता है जैसा कि महा प्रतापी ख़ुदा पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है-

اَوَ لَيۡسَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنۡ يَّخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ

بَلٰی ٭ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۸۱﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

(सूर: यासीन-82 से 84)

क्या वह जिसने आकाश तथा पृथ्वी को पैदा किया इस बात पर सामर्थ्यवान नहीं कि उन समस्त चीज़ों के समान अन्य चीज़ें भी पैदा करे। निस्संदेह सामर्थ्यवान है और वह बहुत बड़ा स्रष्टा एवं सर्वज्ञ है अर्थात् सृष्टि करने में वह पूर्ण है और प्रत्येक ढंग से पैदा करना जानता है। उसका आदेश इस से अधिक नहीं कि जब किसी चीज़ के होने का इरादा करता है और कहता है कि हो तो (कहने के) साथ ही वह हो जाती है। अत: वह अस्तित्व पवित्र है जिसके हाथ में प्रत्येक चीज़ की बादशाही है और उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। फिर एक दूसरे स्थान में फ़रमाता है-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴﴾

(सूर: अल फ़ातिह:-2 से 4)

अर्थात् समस्त प्रशंसाएं अल्लाह के लिए क़ायम हैं जो सब लोकों का प्रतिपालक है अर्थात् उसका प्रतिपालन समस्त लोकों पर छाया हुआ है। फिर एक अन्य स्थान में फ़रमाता है-

(सूर: यासीन-80) وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

अर्थात् वह हर प्रकार से पैदा करना जानता है और डिप्टी अब्दुल्लाह साहिब ने जो कुछ भविष्यवाणियां अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत की हैं वे हमारी शर्त से बिल्कुल विपरीत हैं। हमारी शर्त में यह बात सम्मिलित है कि प्रत्येक दावा और तर्क उसकी इल्हामी किताब स्वयं प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त डिप्टी साहिब को इस बात की भली-भांति ख़बर है कि ये भविष्यवाणियां केवल ज़बरदस्ती के मार्ग से हज़रत मसीह पर चरितार्थ की जाती हैं। ये भविष्यवाणियां इस प्रकार की नहीं हैं कि प्रथम हज़रत मसीह ने स्वयं पूरी भविष्यवाणियां नक़ल करके इनका चरितार्थ **स्वयं** को ठहराया हो। और व्याख्याकारों (तफ़्सीर करने वालों) की इस पर सहमति भी हो और असल इब्रानी भाषा से इसी तरह से सिद्ध भी होती हो। अत: इसका सबूत देना आप का दायित्व है। जब तक आप इस अनिवार्यता के

साथ उसे सिद्ध न कर दें तब तक आप का यह बयान एक दावे के रूप में है जो स्वयं तर्क का मुहताज है। चूंकि हमें इन भविष्यवाणियों के सही होने और फिर प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या के सही होने फिर मसीह के दावे के सही होने में आपके साथ सहमति नहीं है और सही होने के दावेदार हैं तो यह आप पर अनिवार्य होगा कि आप उन श्रेणियों को शुद्ध और **साफ़** करके इस प्रकार से दिखा दें कि जिस से सिद्ध हो जाए कि इन भविष्यवाणियों की तावील (प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या) में यहूदी लोग जो तौरात के वास्तविक वारिस कहलाते हैं वे भी आप के साथ हैं और सारे व्याख्याकार (मुफ़स्सिर) भी आप के साथ हैं। और हज़रत मसीह ने भी समस्त भविष्यवाणियां जो आप वर्णन करते हैं किताब, अध्याय और आयत के सन्दर्भ पूर्ण रूप से वर्णन करके अपनी ओर सम्बद्ध की हैं और आपकी राय के विपरीत आज तक किसी तौरात के वारिस ने मतभेद का वर्णन नहीं किया और स्पष्ट तौर पर हज़रत मसीह इब्ने मरयम के बारे में जिनको आप ख़ुदाई के पद पर ठहराते हैं स्वीकार कर लिया है तथा उनके ख़ुदा होने के लिए यह सबूत पर्याप्त समझ लिया है तो फिर हम उसको स्वीकार कर लेंगे और बड़ी रुचि से आपके इस सबूत को सुनेंगे, परन्तु इस संवेदनशील समस्या की अधिक व्याख्या के लिए पुन: स्मरण कराता हूं कि आप जब तक उन समस्त बातों को जिन का मैंने उल्लेख किया है बिना किसी मतभेद के सिद्ध करके न दिखा दें और साथ ही यहूदियों के उलेमा की गवाही उन भविष्यवाणियों के आधार पर हज़रत इब्ने मरयम के ख़ुदा होने के लिए प्रस्तुत न करें तब तक यह काल्पनिक ढ़कोसले आप के किसी काम नहीं आ सकते। इसका दूसरा भाग उत्तर के उत्तर (प्रत्युत्तर) में वर्णन किया जाएगा। अब समय कम है।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

मिस्टर अब्दुल्लाह आथम मसीही की ओर से उत्तर

प्रथम- आप के उत्तर में हे मिर्ज़ा साहिब मेरे आदरणीय! मैं **इस्तिक़रा** शब्द की व्याख्या की आप से मांग करता हूं। क्या इसका अभिप्राय अनुभव या रिवाज से नहीं, जो इसके अतिरिक्त हो वह बता दीजिए।

द्वितीय- आप के दूसरे मुकद्दमें में जो आप फ़रमाते हैं कि इल्हाम अपनी व्याख्या स्वयं ही करे और उसे तार्किक विद्याओं का मुहताज न किया जाए। बहुत सा भाग सही है। परन्तु समझने के लिए इल्हाम और अक़्ल (बुद्धि) की वही उपमा है जो आंख और प्रकाश की है। प्रकाश हो और आंख न हो तो लाभ नहीं है, यद्यपि आंख हो और प्रकाश न हो तब भी लाभ नहीं। समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और जिस बात को समझना चाहिए कि वह इल्हामी हो। अभिप्राय मेरा यह है कि वह बात जो इल्हाम द्वारा मदद नहीं पाती और केवल मानवीय विचार की गढ़ी हुई हो उसे यद्यपि इल्हाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा परन्तु जो इल्हाम में है और इल्हामी शमा (दीपक) नीचे रखी हुई है तो उसके लिए मानवीय बुद्धि शमादान हो सकती है?

तृतीय बात- आदरणीय यहूदियों की सहमति हम से क्यों चाहते हैं जबकि शब्द मौजूद है तथा शब्दकोश मौजूद है और नियम मौजूद हैं स्वयं अर्थ कर लें। जो अर्थ बन सकें वे उचित हैं। हर शब्द का दायित्व मैं नहीं उठा सकता। परन्तु संक्षिप्त तौर पर सब नुबुव्वतों को मसीह ने इस मुकद्दमे में अपने ऊपर लिया है। अत: यूहन्ना के अध्याय-5, आयत-39 में और लूका के अध्याय-24 आयत-27 में यह बात स्पष्ट है। यूहन्ना- **तुम लेखों में ढूंढते हो। क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें तुम्हारे लिए हमेशा का जीवन है और ये वही हैं जो मुझ पर गवाही देते हैं तथा मूसा और सब नबियों से आरम्भ करके वे बातें जो सब किताबों में उसके पक्ष में हैं उनके लिए व्याख्याएं कीं।**

इसके अतिरिक्त कुछ विशेष नुबुव्वतें भी लेखों में मसीह पर लगाई गई

हैं। अतः मती के अध्याय-26 आयत-31 में उस भविष्यवाणी का जो 'हमता' के बारे में है हवाला दिया गया। इसी के अनुसार बहुत से और भी उदाहरण हैं जिनकी सूची नीचे दे देता हूं-

यसइयाह अध्याय-6 आयत-1 से 12, यूहन्ना के मुकाबले में अध्याय-12 आयत 40,41, अमाल अध्याय-28 आयत-26, फिर यसइयाह अध्याय-40 आयत-3, मलाकी अध्याय-3 आयत-1 मती के मुकाबले में अध्याय-3 आयत-3, ज़कारिया अध्याय-12 आयत-1 और-10, यूहन्ना के मुकाबले में अध्याय-19 आयत-37, यरमिया अध्याय-31 आयत-31,34, इबरानी के मुकाबले में अध्याय-8 आयत-6 से 12, इबरानी अध्याय-10 आयत 12 से 19, ख़ुरूज अध्याय-17 आयत-2, गिनती अध्याय-20 आयत-3,4, गिनती अध्याय-21 आयत-4,5, इस्तिस्ना अध्याय-6 आयत-16 ये चारों स्थान प्रथम किरन्ती के मुकाबले में किरन्ती अध्याय-10 आयत-9 से 11, यसइयाह अध्याय-41 आयत-4, 44, अध्याय-6 मुकाश्फात के मुकाबले में 1/8-11-17, 2/8, 21/6, 22/13, वियुईल 2/33 रूमी के मुकाबले में 10/9 से 14, यसइयाह 7/14 तथा 8/10 मती के मुकाबले में मती 1/23।

इबरानी भाषा से आप जिस बात की पकड़ करें मौजूद है अभी प्रस्तुत की जाएगी।

चतुर्थ- कमाल शब्द को आप गिरफ़्त में लेते हैं कि इंजील स्वयं में कामिल (पूर्ण) होनी चाहिए तो मालूम करने योग्य बात यह है किस बात में कामिल। क्या सुनार के कार्य में लोहार के कार्य में? यह तो उन किताबों का दावा ही नहीं। किन्तु मुक्ति का मार्ग दिखाने के कार्य में यह दावा उनका है। इंजील ने जो इस अध्याय में अपना कमाल दिखाया है वह हम प्रस्तुत कर देते हैं। अतः लिखा है कि "आकाश के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम प्रदान नहीं किया गया जिस से हम मुक्ति प्राप्त कर सकें सिवाए मसीह के"

(आमालुर्सूल अध्याय4 आयत 12)

और रूमियों के पत्र में लिखा है- यदि मुक्ति कृपा से है तो कर्म-कर्म नहीं

और यदि मुक्ति कर्म से है तो फ़ज़्ल (कृपा) फ़ज़्ल नहीं। इससे फिर वही बात सिद्ध हुई कि मसीह ने स्वयं कहा कि "सत्य का मार्ग तथा जीवन मैं ही हूं।" (यूहन्ना अध्याय-14 आयत-6) और याद रखना चाहिए कि ख़ुदा के कलाम में प्राय: ख़ुदावन्द यह फ़रमाया करता है कि मैं ही हूं मैं हूं और इसका इशारा उस नाम पर है कि मूसा से ख़ुदा ने कहा कि मेरा नाम मैं हूं सो हूं और इस नाम से मैं पहले प्रसिद्ध न था। यह तुझ को बताया जाता है (खुरूज अध्याय-3आयत14) (समय की कमी के कारण उत्तर अपूर्ण रहा)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ा दिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा साहिब के उत्तर का शेष वर्णन

मेरा उत्तर जो अधूरा रह गया था अब उसका शेष भाग लिखवाता हूं। मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब फ़रमाते हैं- "जो हम शारीरिक चीज़ को जो अल्लाह की द्योतक थी अल्लाह नहीं मानते और हमने इब्नुल्लाह को शरीर नहीं माना। हम तो अल्लाह को रूह जानते हैं।" महानुभाव का यह बयान बहुत पेचीदा और धोखा देने वाला है। उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए था कि हम हज़रत ईसा को ख़ुदा जानते हैं और इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) मानते हैं क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति समझता है और जानता है कि शरीर को रूहों के साथ ऐसा आवश्यक नहीं है कि ताकि शरीर को किसी व्यक्ति का भागीदार ठहराया जाए। उदाहरणतया इन्सान को जब हम इन्सान जानते हैं तो क्या कारण उसके एक विशेष शरीर के जो उसे प्राप्त है इन्सान समझा जाता है। स्पष्ट है कि यह विचार तो व्यापक तौर पर मिथ्या है, क्योंकि शरीर हमेशा गलने के मध्य पड़ा हुआ है। कुछ वर्षों के बाद जैसा पहला शरीर दूर होकर एक नया शरीर आ जाता है। इस अवस्था में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की क्या विशेषता है। कोई इन्सान भी शरीर की दृष्टि से इन्सान नहीं है अपितु रूह की दृष्टि से इन्सान कहलाता है। यदि शरीर

की शर्त आवश्यक होती तो चाहिए था कि उदाहरणतया ज़ैद जो एक इन्सान है साठ वर्ष की आयु पाने के बाद ज़ैद न रहता अपितु कुछ और बन जाता, क्योंकि साठ वर्ष के समय में उसने कई शरीर बदले। यही हाल हज़रत मसीह का है। जो मुबारक शरीर उनको पहले मिला था जिसके साथ उन्होंने जन्म लिया था वह न तो कफ़्फ़ारा हो सका और न किसी काम आया, अपितु लगभग तीस वर्ष के होकर उन्होंने एक और शरीर पाया और उसी शरीर के बारे में समझा गया कि मानो वह सलीब पर चढ़ाया गया और फिर हमेशा के लिए ख़ुदा तआला के दाएं हाथ रूह के साथ शामिल होकर बैठा है। अब जबकि साफ़ एवं स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि शरीर को रूह की विशेषताओं और गुणों से कुछ संबंध नहीं और इन्सान हो या जानवर हो वह अपनी रूह की दृष्टि से इन्सान या हैवान (जानवर) कहलाता है तथा शरीर हर समय परिवर्तनशील है तो ऐसी स्थिति में यदि ईसाई लोगों की यही आस्था है कि मसीह वास्तव में ख़ुदा तआला है तो अल्लाह का मज़्हर (द्योतक) कहने की क्या आवश्यकता है। क्या हम इन्सान (मनुष्य) को इन्सान का द्योतक (मज़्हर) कहा करते हैं। इसी प्रकार यदि हज़रत मसीह की रूह इन्सानी रूह जैसी नहीं है और उन्होंने मरयम सिद्दीक़ा की गर्भ में इस ढंग और प्रकृति के नियम से रूह प्राप्त नहीं की जिस प्रकार इन्सान प्राप्त करते हैं और जो चिकित्सा और डाक्टरी पद्धति के माध्यम से देखने में आ चुका है तो प्रथम तो यह सबूत देना चाहिए कि उनका पेट में बच्चे के रूप में पालन और विकास पाना किसी अनोखी पद्धति पर था और फिर इसके बाद इस **आस्था** को छुप-छुप कर भयभीत लोगों की तरह अन्य ढंगों एवं रंगों में क्यों व्यक्त करें अपितु स्पष्ट तौर पर कह देना चाहिए कि हमारा ख़ुदा मसीह है और कोई दूसरा ख़ुदा नहीं है। जिस हालत में ख़ुदा अपनी पूर्ण विशेषताओं में विभाजित नहीं हो सकता और यदि उसकी सर्वांगपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता भी शेष रह जाए तब तक ख़ुदा का शब्द उस पर नहीं बोल सकते।

अत: इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आ सकता कि तीन कैसे हो गए। जब आप लोगों ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया और मान लिया है कि

ख़ुदा तआला के लिए आवश्यक है कि वह सर्वांगपूर्ण विशेषताओं का संग्रहीता हो (अर्थात् समस्त प्रकार की पूर्ण विशेषताएं अपने अन्दर रखता हो) अत: अब जो यह विभाजन किया गया है कि इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) पूर्ण ख़ुदा और बाप पूर्ण ख़ुदा और रूहुल क़ुदुस पूर्ण ख़ुदा। इसके क्या मायने हैं तथा क्या कारण है कि ये तीन नाम रखे जाते हैं क्योंकि नामों की भिन्नता इस बात को चाहती है कि किसी विशेषता की कमी-बेशी हो।

किन्तु जबकि आप मान चुके कि किसी विशेषता की कमी-बेशी (न्यूनाधिकता) नहीं तो वह फिर तीनों उक़्नूम में अन्तर करने वाली चीज़ क्या है जिसे आप लोगों ने अभी तक प्रकट नहीं किया । जिस बात को आप (इन तीनों उक़्नूम में) एक दूसरे को पहचानने वाली बात कहेंगे वह भी उन सभी पूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता होगी जो उस अस्तित्व में पाई जानी चाहिए जो ख़ुदा कहलाता है। अब जबकि उस अस्तित्व में पाई गई जिसे ख़ुदा ठहराया गया तो फिर उसके मुकाबले पर कोई अन्य नाम रखना चाहिए अर्थात् इब्नुल्लाह कहना या रूहुल क़ुदुस कहना बिल्कुल व्यर्थ एवं निरर्थक हो जाएगा।

आप लोग मेरे इस बयान पर भली भांति विचार कर लें क्योंकि यह सूक्ष्म मस्ला (विषय) है। ऐसा न हो कि उत्तर लिखते समय ये बातें उपेक्षित हो जाएँ। ख़ुदा वह हस्ती है जो सर्वांगपूर्ण विशेषताओं की संग्रहीता है और ग़ैर का मुहताज नहीं और अपनी ख़ूबी में दूसरे की आवश्यकता नहीं। और जो मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने **संख्या 2** में मूसा की झाड़ी की उपमा प्रस्तुत की है वह विवादित मामले से कुछ संबंध नहीं रखती। महानुभाव मेहरबानी करके पवित्र क़ुर्आन से सिद्ध करके दिखाएं कि कहां लिखा है कि वह आग ही ख़ुदा थी या आग में से ही आवाज़ आई थी अपितु ख़ुदा तआला पवित्र क़ुर्आन में स्पष्ट तौर पर फ़रमाता है-

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۹

(सूर: अन्नम्ल-9)

अर्थात् जब मूसा आया तो पुकारा गया कि बरकत दिया गया है जो आग में है और जो आग के चारों तरफ़ है और अल्लाह तआला शरीर तथाआकृति धारण करने से पवित्र है और वह (प्रतिपालक) है समस्त लोकों का। अब देखिए इस आयत में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो आग में है और जो उस के आस-पास में है उसको बरकत दी गई और ख़ुदा तआला ने उसे पुकार कर बरकत दी। इस से मालूम हुआ कि आग में वह चीज़ थी जिस ने बरकत पाई न कि बरकत देने वाला। वह तो نودی (नूदी) के शब्द में स्वयं संकेत कर रहा है कि उसने आग के अन्दर और आस-पास को बरकत दी। इस से सिद्ध हुआ कि आग में ख़ुदा नहीं था और न मुसलमानों की यह आस्था है बल्कि महा प्रतापी ख़ुदा इस भ्रम का दूसरी आयत में स्वयं निवारण करता है-

(सूर: अन्नम्ल-९) سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

अर्थात् ख़ुदा तआला इस शरीर धारण करने और अवतरण से पवित्र है वह हर एक चीज़ का रब्ब प्रतिपालक है।

इसी प्रकार ख़ुरूज अध्याय-3 आयत-2 में लिखा है कि उस समय ख़ुदावन्द का फ़रिश्ता एक बूटे में से आग के शोले में से उस पर प्रकट हुआ और मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब जो लिखते हैं कि क़ुर्आन में इस अवसर पर यह भी लिखा है "मैं तेरे बाप इस्हाक़ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम का ख़ुदा हूं"। यह बयान सर्वथा घटना के विरुद्ध है। क़ुर्आन में ऐसा कही नहीं लिखा। यदि महानुभाव के सन्दर्भों (हवालों) का ऐसा ही हाल है कि एक घटना के विरुद्ध बात साहस के साथ लिख देते हैं तो फिर वे सन्दर्भ तौरात और इंजील के लिखे हैं वे किताबें भी प्रस्तुत करके देखने योग्य होंगी।

फिर महानुभाव लिखते हैं कि तौरात में मसीह को 'यकतन' तथा नबियों को 'यकमन' करके लिखा गया है।

मैं कहता हूं कि तौरात में न तो कहीं यकतन का शब्द है और न यकमन

का। महानुभाव की बड़ी कृपा होगी कि तौरात के अनुसार व्याख्या सहित सिद्ध करें कि तौरात ने जब दूसरे नबियों का नाम 'अब्ना उल्लाह' (अल्लाह के बेटे) रखा तो इस से अभिप्राय यकमन होना था और जब मसीह अलैहिस्सलाम का नाम इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) रखा तो उसका सम्बोधन यकतन रख दिया। मेरी समझ में तो और नबी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से इस उपनाम पाने में बढ़े हुए हैं, क्योंकि हज़रत मसीह स्वयं इस बात का फैसला करते हैं और फ़रमाते हैं कि मेरे इब्नुल्लाह कहने में तुम क्यों उदास हो गए, यह कौन सी बात थी। ज़ुबूर में तो लिखा है कि तुम सब इलाह (उपास्य) हो।

हज़रत मसीह के अपने शब्द जो यूहन्ना अध्याय-10 आयत-35 में लिखे हैं ये हैं- मैंने कहा तुम ख़ुदा हो जबकि उसने उन्हें जिनके पास ख़ुदा का कलाम आया ख़ुदा कहा तथा संभव नहीं कि किताब झूठी हो। तुम उसे जिसे ख़ुदा ने विशिष्ट किया और संसार में भेजा कहते हो कि तू कुफ्र बकता है कि मैं ख़ुदा का बेटा हूं अब इन्साफ करने वाले लोग अल्लाह तआला से डरते हुए इन आयतों पर विचार करें कि क्या ऐसे अवसर पर कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की इब्नियत (बेटा होने) के लिए प्रश्न किया गया था हज़रत मसीह पर यह बात अनिवार्य थी कि यदि वह वास्तव में इब्नुल्लाह थे तो उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं वास्तव में ख़ुदा का बेटा हूं और तुम आदमी हो। परन्तु उन्होंने तो इस ढंग से इल्ज़ाम दिया जिस पर उन्होंने मुहर लगा दी कि मेरे लिए संबोधन में तुम उच्च श्रेणी के भागीदार हो। मुझे तो बेटा कहा गया और तुम्हें ख़ुदा कहा गया।

फिर महानुभाव फ़रमाते हैं कि तौरात में यद्यपि दूसरों को भी बेटा कहा गया है परन्तु मसीह की बहुत अधिक प्रशंसाएं की गई हैं। इसका उत्तर यह है कि ये प्रशंसाएं मसीह के पक्ष में उस समय विश्वसनीय समझी जाएँगी जिस समय हमारी प्रस्तुत की हुई शर्तों के अनुसार उसे सिद्ध कर दोगे। दूसरे यह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यूहन्ना अध्याय-10 में आपकी तावील के विरोधी और हमारे बयान से सहमत हैं। आपके ये विचार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम

ने स्वयं अस्वीकार कर दिए हैं।

शेष का उत्तर आपके उत्तर के बाद लिखा जाएगा।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

तीसरा पर्चा

मुबाहसा 24 मई 1893 ई.

वृत्तान्त

आज 6 बजकर 16 मिनट पर मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने अपना उत्तर लिखाना प्रारम्भ किया और 7 बजकर 16 मिनट पर समाप्त हुआ और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 7 बजकर 50 मिनट पर उत्तर लिखना प्रारम्भ किया और 8 बजकर 46 मिनट पर समाप्त किया और फिर ऊँचे स्वर में सुनाया गया। डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 9 बजकर 25 मिनट पर आरम्भ किया और 10 बजकर 25 मिनट पर समाप्त किया और ऊँची आवाज़ ससे सुनाया गया। तत्पश्चात लेखों पर सभा के अध्यक्षों के हस्ताक्षर किए गए और सत्यापित लेख दोनों सदस्यों को दिए गए। इसके पश्चात कुछ एक प्रस्ताव मुबाहसे की पद्धति को परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्तुत हुए परन्तु पहली पद्धति ही यथावत रही। इसके बाद सभा बर्खास्त हुई।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क(प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फसीह(प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

दिनांक 24 मई 1893 ई.
डिप्टी अब्दुल्लाह आथम की ओर से

प्रथम मैं प्रसन्न हुआ यह सुनकर कि आदम और हव्वा की पैदायश में इस्तिक़रा का तर्क नहीं लग सकता जिसका परिणाम यह है कि सामान्य नियम में अपवाद वैध है।

प्रथम- आप जो फ़रमाते हैं कि मसीह का शरीर परिवर्तनशील था, इसलिए न वह कफ़्फ़ारा हो सका और न किसी काम आया। उसके उत्तर में प्रस्तुत है कि हम मसीह के मानवीय शरीर को मसीह नहीं ठहराते, परन्तु समस्त मानवीय अस्तित्व जो गुनाह से पवित्र था और गुनाह (पाप) के अतिरिक्त अन्य सब बातों में हमारे समान तथा सृष्टि था और इंसानियत (मानवता) के अतिरिक्त वह ख़ुदा का मज़्हर (द्योतक) भी था अर्थात् अल्लाह का प्रकटन स्थल, जिस पवित्र इंसानियत में सब पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और उक़्नूम द्वितीय अल्लाह ने वह बोझ उठवा दिया और इस प्रकार पापों का बदला होकर कफ़्फ़ारा पूरा हो गया फिर दूसरे अस्तित्व के स्थापित एवं हमेशा रहने की क्या आवश्यकता थी।

द्वितीय आपका दूसरा ऐतराज़ मसीह ख़ुदा तआला है तो ख़ुदा का मज़्हर कहने की क्या आवश्यकता है। क्या इन्सान को मज़्हर-ए-इन्सान कहा करते हैं?

उत्तर- मसीह इन्सान को उससे सम्बन्ध रखने वाली ख़ुदाई के सामान क्यों करते हैं। इन्सान में तो शरीर पृथक चीज़ है और जान (प्राण) एक पृथक चीज़ है। अत: रूह वह चीज़ है जिससे संबंध रखने वाले गुण ज्ञान और इरादे हैं। शरीर वह चीज़ है जिसमें न ज्ञान है न इरादा है। जान वह क़ानून है जो वनस्पतियों में भी भोजन को शिराओं के द्वारा पहुंचाती है। परन्तु ख़ुदा या ख़ुदा का मज़्हर (द्योतक) इन समस्त कारणों से पृथक है और वह स्वयं स्थापित है।

तृतीय- जनाब मिर्ज़ा साहिब के विचार में मसीह की रूह प्रकृति के नियम के अनुसार मरयम से प्राप्त हुई थी। इसलिए वह ख़ुदा नहीं हो सकते। इसके उत्तर में निवेदन है कि मसीह की इन्सानी रूह यद्यपि प्रकृति के नियमानुसार पैदा

नहीं हुई फिर भी सृजन में समान है और रूह का दूसरी रूह से निकलना नहीं होता (अर्थात् एक रूह से दूसरी रूह नहीं निकलती) जो मरयम से निकल कर वह रूह आई हो क्योंकि रूह व्यक्ति का जौहर है किसी नियम और कानून का नाम नहीं। अपितु समस्त गुणों का सार तथा इंसान का परिचय है तो फिर आप यों क्यों फ़रमाते हैं कि मसीह की रूह मरयम से प्राप्त हुई थी, इसको यह क्यों न कहें नई सृष्टि हुई थी। इसके अतिरिक्त ख़ुदाई से इसका क्या संबंध है। हम तो बार-बार कह चुके कि इसके अतिरिक्त ख़ुदा का मज़्हर इंसानियत का है।

चतुर्थ- आप का प्रश्न है कि ख़ुदा विभाजित नहीं हो सकता फिर तीन क्योंकर हुए और इस विभाजन को पहचानने का आधार क्या है। इसके उत्तर में प्रस्तुत यह है कि हम यों कहते हैं कि तस्लीस का सर अकेले रूप **में तो** एक है और दूसरे रूप में तीन हैं। इसकी व्याख्या हम अगली भूमिका में करेंगे।

अद्वितीय होने की विशेषता असीमित विशेषता से निकली है। क्योंकि अद्वितीय बिल्कुल वह चीज़ हो सकती है जो सददृश की संभावना तक को मिटा डाले और यह संभावना तब मिट सकती है कि जब सददृश की गुंजायश का स्थान मिट सके। अर्थात् वह चीज़ असीमित भी हो जिसके बारे में कहा जा सकता है कि असीमित और अद्वितीय होने की अनश्वरता एवं वास्तविकता एक है। क्योंकि नहीं कह सकते कि अद्वितीयता असीमितता से कब निकली और कहाँ रहती है, क्योंकि वह असीमितता से पृथक नहीं हो सकती। अत: इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि एक वस्तु असीमितता के समान स्वयं में क़ायम है और दूसरी वस्तु अद्वितीयता के समान उस असीमितता के साथ एक दूसरे से सम्बद्ध है और भली भांति ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि इन दोनों विशेषताओं में एक भूमिका ऐसी है जिसको अगर स्पष्टता कहा जाए तो यह दोनों एक-एक रूप में तो एक सी हैं तथा दूसरे रूप में अलग-अलग जैसा कि हमने उदाहरण दो विशेषताओं से दिया है। अत: ये विशेषताएं किसी वस्तु के भाग होने की बजाए कुल वस्तु पर छाई हुई हैं। इसी प्रकार जिसको हम कहते हैं ख़ुदाए 'अब' (ख़ुदा बाप) वह असीमितता के समान स्वयं में क़ायम है और जिनको हम कहते हैं 'इब्ने' और

'रूहुल क़ुदुस' वह ख़ुदाए अब (ख़ुदा बाप) के साथ परस्पर सम्बद्ध हैं।

अब हमने उनका यह अन्तर दिखा दिया है। हम नहीं कहते कि उनकी वास्तविकता विभाजित होने वाली है। अतः हम मुश्रिक भी नहीं हो सकते क्योंकि हम भागीदार रहित एक ख़ुदा को मानते हैं। हम तीन ख़ुदा नहीं बनाते। अपितु हम तीनों अकानीम (ख़ुदा के तीनों भाग) या उस जैसे किसी अन्य व्यक्ति को कलाम में ख़ुदाई विशेषताओं से विभूषित पाते हैं और ये वास्तविकता में एक है और स्वयं में एक दूसरे से सम्बद्ध होने के कारण तीन हैं।

पंचम- आप कहते हैं कि क़ुर्आन से सिद्ध करके दिखाओ कि वह आग ही ख़ुदा थी या आग में से आवाज़ आई थी और यह जो आवाज़ आई थी कि मैं इब्राहीम, इस्हाक़ और याक़ूब का ख़ुदा हूं। इसके उत्तर में कहना यह है कि आवाज़ ग़ैब (परोक्ष) से जो आई और जो मूसा से संबोधित हुई उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते किन्तु वह आवाज़ यह थी कि निस्सन्देह मैं तेरा रब्ब हूं (सूरः ताहा रुकू-1) यदि आप यह कहें कि आग में से यह आवाज़ न थी तो शब्दों का क्रम तो यह प्रकट नहीं करता कि आग के अतिरिक्त अन्य स्थान से हो। **और** सूरः क़सस में यह लिखा है कि इसी आवाज़ के बारे में जो आग या झाड़ी में से आई कि निस्सन्देह मैं हूं रब्ब लोकों का। और तीसरी आयत इन दोनों आयतों के अतिरिक्त जो आप ने प्रस्तुत की है यह वाक्य कि मैं इब्राहीम, इस्हाक और याक़ूब का ख़ुदा हूं यह वास्तव में तौरात में है कि जिस अवसर का क़ुर्आन में यह ग़लत वर्णन किया गया है। मेरी इतनी ग़लती मान लें कि मैंने तौरात के शब्द क़ुर्आन में वर्णन कर दिए परन्तु वास्तव में कुछ अन्तर नहीं, कि मैं तेरा रब्ब हूं और समस्त लोकों का रब्ब हूं और उसे जो तौरेत में लिखा है कि मैं तेरे बाप इब्राहीम इस्हाक़ और याक़ूब का ख़ुदा हूँ न कम हैं न अधिक।

इससे ख़ुदा का द्योतक होने का तर्क पैदा होता है क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तु ख़ुदा नहीं हो सकती।

षष्टम- आप जो यह फ़रमाते हैं कि यकतन और यकमन ये हर दो शब्द तौरात में नहीं पाए जाते। इसके उत्तर में हमारा कहना यह है कि हमने यह

नतीजा निकाला था अर्थात् ख़ुलासा निकाला था। यदि आप ऐसी ही गिरफ़्त करेंगे तो यह वह नक़ल हो जाएगी कि एक मुहम्मद बख़्श नामक व्यक्ति को किसी ने कहा था कि तू नमाज़ क्यों नहीं पढ़ा करता तो उसने कहा कि कहाँ लिखा है कि मुहम्मद बख़्श नमाज़ पढ़ा करे। अब यह कोई तर्क नहीं परन्तु लतीफ़ा (चुटकुला) है।

सप्तम- आप इन शब्दों से जो मसीह ख़ुदावन्द ने कहे कि तुम इसको कुफ्र नहीं कहते हो जो तुम्हारे काज़ियों (न्यायाधीशों) और बुज़ुर्गों को उलूहीम कहा तब तो मुझको इब्नुल्लाह कहने से क्यों इल्ज़ाम देते हो। यहूदियों से ख़ुदावन्द मसीह अपने आप को कहते थे कि मैं ख़ुदा का बेटा हूं तो संगसार (पत्थरों से मार कर हत्या करना) करने के लिए तैयार हुए, तू अपने आप को ख़ुदा का बेटा कह कर ख़ुदा के समान बनाता है। यह कुफ्र है। इसलिए हम तुझे संगसार करते हैं। हमारे ख़ुदावन्द ने उनके गुमान को इस प्रकार से हटाया कि जो ख़ुदा के समान था। यदि मैंने अपने आप को ख़ुदा कहा तो तुम्हारे बुज़ुर्गों को ख़ुदायाँ कहा गया। वहां तुमने उनके कुफ्र का इल्ज़ाम क्यों नहीं दिया। अतः उनकी यह मुखबंदी ख़ुदावन्द ने कर दी न कि उसने अपनी ख़ुदाई का इनकार कर दिया और न उसका कुछ सबूत दिया। मानो उसकी यह बात अलग रही और उसमें न कमी का इक़रार है और न अधिकता का।

अष्टम- यह जो आप फ़रमाते हैं कि मसीह की प्रशंसाएं तौरात में और नबियों से बढ़कर वर्णन **नहीं की गईं**। इसके उत्तर में कहना है कि उन सब ने मुक्ति की निर्भरता मसीह पर रखी है। फिर आप ही यह क्योंकर कहते हैं कि मसीह की विशेषताएं और नबियों से बढ़कर नहीं की गईं। मसीह के अतिरिक्त किस नबी के बारे में कहा गया कि वह ख़ुदा का सदृश है। ज़करिया अध्याय-13 आयत-7 वह यहोवा सदक़ुनू जो तख़्त दाऊदी पर आने वाला है यर्मियाह अध्याय 23 आयत 5,6,7 वह सर्वशक्तिमान ख़ुदा, अनश्वर बाप, शाह सलामत है मुशीर- मुस्लिह (सुधारक) जो दाऊदी तख़्त पर अनश्वर समय तक शासन करेगा। यसइयाह अध्याय-9 आयत-6,7

परिशिष्ट

कल का शेष जिसमें आपने इंजील के कलाम की श्रेष्ठता पूछी है। देखिए यूहन्ना के अध्याय-12 आयत-48 से 50 तक। इंजील वह कलाम है कि जिसके अनुसार सब लोगों की अदालत होगी अर्थात सम्पूर्ण जगत की।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ा दिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा साहिब का उत्तर

24 मई 1893 ई.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

कुछ हद तक कल के प्रश्नों का शेष रह गया था। अब पहले उसका उत्तर दिया जाता है। मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब मुझ से पूछते हैं कि इस्तिक़रा क्या चीज़ है और इसकी क्या परिभाषा है? इसके उत्तर में स्पष्ट हो कि इस्तिक़रा उसे कहते हैं कि देखे हुए भागों का यथासंभव अनुकरण करके शेष भागों का उन्हीं पर अनुमान लगा लिया जाए अर्थात् जितने भाग हमारी दृष्टि के सामने हों या ऐतिहासिक श्रृंखला में उनका सबूत मिल सकता हो तो जो वे स्वाभाविक तौर पर एक विशेष प्रतिष्ठा और विशेष हालत रखते हैं उसी पर सम्पूर्ण भागों का उस समय तक अनुमान कर लें जब तक कि उनका विरोधी कोई अन्य भाग सिद्ध हो कर **प्रस्तुत न हो**। उदाहरणतया जैसे कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं मानव क़ौम के सम्पूर्ण भागों का अनुकरण जहां तक संभावना की सीमा है, होकर यह बात मान्य हो चुकी है कि मनुष्य की दो आंखें होती हैं। तो अब ये दो आंखें होने का मामला उस समय तक स्थगित और यथावत समझा जाएगा जब तक उसके मुकाबले पर उदाहरणतया चार या चार से अधिक आँखों का होना सिद्ध न कर दिया जाए। इसी आधार पर मैंने कहा था कि महा वैभवशाली ख़ुदा का

यह बौद्धिक तर्क कि-

(सूरः अलमाइदह-76) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ

जो बतौर इस्तिक़रा के वर्णन की गयी है। यह एक अटल और निश्चित इस्तिक़राई तर्क है। जब तक इस तर्क का खण्डन करके न दिखाया जाए और यह सिद्ध न किया जाए कि ख़ुदा तआला की रिसालतों (नुबुव्वतों) को लेकर ख़ुदा तआला के बेटे भी आया करते हैं उस समय तक हज़रत मसीह का ख़ुदा तआला का वास्तविक बेटा होना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि महा वैभवशाली ख़ुदा इस तर्क में स्पष्ट तौर पर ध्यान दिलाता है कि तुम मसीह से लेकर नबियों के अन्तिम सिलसिले तक देख लो जहाँ से नुबुव्वत का सिलसिला आरम्भ हुआ है कि मानव क़ौम के अतिरिक्त कभी ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा भी दुनिया में आया है और यदि यह कहो कि पहले तो नहीं आया परन्तु अब आ गया है तो शास्त्रार्थ की कला में इसका नाम मुसादरः अलल मत्लूब है अर्थात् जो विवादित बात है उसी को बतौर तर्क प्रस्तुत कर दिया जाए। तात्पर्य यह है बहस के अन्तर्गत तो यही बात है कि हज़रत मसीह इस निरन्तर एवं न टूटने वाले सिलसिले को तोड़कर ख़ुदा का बेटा होने की हैसियत से दुनिया में क्योंकर आ गए और यदि यह कहा जाए कि हज़रत आदम ने भी अपनी नवीन ढंग की पैदायश में पैदायश के इस सामान्य सिलसिले को तोड़ा है तो इसका उत्तर यह है कि हम तो स्वयं इस बात को मानते हैं कि यदि बौद्धिक या ऐतिहासिक तर्कों से इस्तिक़रा के क्रम के विरुद्ध कोई विशेष मामला प्रस्तुत किया जाए और उसे बौद्धिक तर्कों अथवा ऐतिहासिक तर्कों से सिद्ध करके दिखा दिया जाए तो हम उसको मान लेंगे। यह तो स्पष्ट है कि दोनों सदस्यों ने हज़रत आदम की इस विशेष पैदायश को मान लिया है मानो वह भी पैदायश के ढंग में अल्लाह का एक नियम सिद्ध हो चुका है। जैसा कि वीर्य के द्वारा मनुष्य को पैदा करना अल्लाह का एक नियम है। यदि हज़रत मसीह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ सददृश करना है और इस उदाहरण से लाभ उठाना दृष्टिगत है तो चाहिए कि जिस प्रकार तथा जिन बौद्धिक तर्कों से मानव क़ौम का अन्तिम सिलसिला हज़रत आदम की विशेष

पैदायश स्वीकार की गई है इसी प्रकार से हज़रत मसीह का इब्नुल्लाह होना या ख़ुदा होना और पिछले देखे और प्रमाणित सिलसिले को तोड़ कर ख़ुदाई और ख़ुदा के बेटे होने की हैसियत से दुनिया में आना सिद्ध करके दिखा दें फिर इन्कार का कोई कारण न होगा, क्योंकि इस्तिक़रा के सिलसिले के विरुद्ध जब कोई बात सिद्ध हो जाए तो वह बात भी प्रकृति के नियम और अल्लाह के नियम में दाखिल हो जाती है। अत: सिद्ध करना चाहिए, परन्तु बौद्धिक तर्कों से फिर अब्दुल्लाह आथम साहिब फ़रमाते हैं कि इल्हाम को अपनी व्याख्या स्वयं करनी चाहिए। अत: स्पष्ट हो कि इसमें हमारी सहमति है। निस्सन्देह सही और सच्चे इल्हाम के लिए यही शर्त अनिवार्य है कि उसके सांकेतिक विषयों का विवरण भी उसी इल्हाम के द्वारा दिया जाए जैसा कि पवित्र क़ुर्आन में अर्थात् सूरः फ़ातिहा में यह आयत है-

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ

(सूरः अलफ़ातिहा-6,7)

अब इस आयत में जो

اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ

का शब्द है यह एक संक्षिप्त शब्द था और व्याख्या चाहता था तो ख़ुदा तआला ने दूसरे स्थान में स्वयं इसकी व्याख्या कर दी। और फ़रमाया कि-

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيۡقِيۡنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيۡنَ ۚ (सूरः अन्निसा-70)

और फिर आदरणीय डिप्टी आथम साहिब अपनी इबारत में जिसका खुलासा लिखता हूं यह कहते हैं कि ख़ुदा के इल्हाम के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अपने दावों को बौद्धिक तर्कों द्वारा सिद्ध करे अपितु उसके लिए केवल वर्णन कर देना पर्याप्त होगा और फिर उस किताब के अध्ययन करने वाले तर्कों को स्वयं पैदा कर लेंगे। डिप्टी साहिब का यह बयान उस रोक और सुरक्षा के लिए है। कि मैंने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि ख़ुदा तआला की सच्ची किताब का

यह आवश्यक लक्षण और शर्त है कि वह दावा भी स्वयं करे और उस दावे का सबूत भी स्वयं वर्णन करे ताकि उसका प्रत्येक पढ़ने वाला पर्याप्त तर्कों को पाकर उसके दावों को अच्छी तरह समझ ले और दावा बिना सबूत न रहे। क्योंकि यह प्रत्येक बात करने वाले का एक दोष समझा जाता है कि दावे करता चला जाए और उन पर कोई तर्क न लिखे। अब डिप्टी साहिब को यह शर्त सुनकर यह चिन्ता हुई कि हमारी इंजील इस उच्च श्रेणी से रिक्त है और वह किसी प्रकार से पवित्र क़ुर्आन का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा है कि इसे किसी प्रकार से टाल दिया जाए। अत: मेरी समझ में आदरणीय डिप्टी साहिब का पवित्र इंजील पर यह एक उपकार है कि आप उस को छुपाने की सहायता करने में लगे हुए हैं। अफ़सोस कि आप ने इन वाक्यों के लिखते समय इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि आप एक लम्बे समय तक एक्स्ट्रा असिस्टेंट रह चुके हैं और आपको भली भांति ज्ञात है कि एक हाकिम क्योंकर अपनी सरकार की हैसियत से प्रतिद्वंद्वियों में फैसला किया करता है। क्या आप ने कभी ऐसा भी किया है कि केवल डिग्री या डिसमिस का आदेश सुनाकर अन्तिम पेशी का लिखना जिसमें तर्कों द्वारा प्रमाणित कारणों से सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा ठहराया जाए, व्यर्थ समझा हो। और यह तो दुनिया का काम है इसकी हानि में भी कुछ नुक़सान नहीं है परन्तु उस ख़ुदा तआला का कलाम जो बोधभ्रम पर हमेशा के नर्क का दण्ड देने का वादा सुनाता है क्या वह ऐसा होना चाहिए कि केवल दावा सुना कर एक संसार को संकट में डाल दे और उस दावे के सबूत और तर्क जिन का वर्णन करना स्वयं उसका दायित्व था वर्णन न करे। क्या उसकी दया की यही मांग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि अंबिया उस समय में आया करते हैं जब दुनिया अन्धकार में पड़ी होती है और अक्लें कमज़ोर होती हैं और सोचें अधूरी होती हैं और काम भावनाओं के धुएँ बढ़े हुए और जोश में होते हैं। अब आप इन्साफ करें कि क्या इस अवस्था में ख़ुदा तआला का अधिकार नहीं है कि वह अपने कलाम (वाणी) को अंधकार के दूर करने के लिए तार्किक तौर पर प्रस्तुत करे और अंधकार से निकाले न यह कि गोल-मोल और पेचीदा

बयान प्रस्तुत करके और भी अंधकार और आश्चर्य में डाल दे। स्पष्ट है कि हज़रत मसीह से पहले यहूदी लोग, बनी इस्राईल सीधे-सादे तौर पर ख़ुदा तआला को मानते थे और इस मानने में वे बड़े संतुष्ट थे और प्रत्येक दिल बोल रहा था कि ख़ुदा सच है जो पृथ्वी और आकाश का पैदा करने वाला और उत्पादों का वास्तविक स्रष्टा तथा भागीदार रहित एक है या उस ख़ुदा को पहचानने में किसी को किसी प्रकार का भय न था। फिर जब मसीह का आगमन हुआ तो वे आंहज़रत अलैहिस्सलाम के बयानों को सुनकर घबरा गए कि यह व्यक्ति किस ख़ुदा को प्रस्तुत कर रहा है। तौरात में तो ऐसे ख़ुदा का कोई पता नहीं लगता तब हज़रत मसीह ने कि ख़ुदा तआला के सच्चे नबी और उसके प्यारे और चुने हुए थे इस ग़लत भ्रम को दूर करने के लिए कि यहूदियों ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण अपने दिलों में जमा लिया था वे अपने मुबारक वाक्य प्रस्तुत किए हो यूहन्ना अध्याय-10 आयत-29,36 में मौजूद हैं। अत: वह इबारत यथावत नीचे लिखी जाती है। चाहिए कि समस्त उपस्थित सज्जन हज़रत मसीह की इस इबारत को ध्यानपूर्वक सुनें कि हम में और ईसाई सज्जनों में पूर्ण रूप से फ़ैसला देती है और वह यह है-

"मेरा बाप जिसने उन्हें मुझे दिया है सब से बड़ा है और कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। तब यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए कि उस पर पथराव करें। यसू ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने अपने बाप के बहुत से अच्छे काम तुम्हें दिखाए हैं उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो यहूदियों ने उसे उत्तर दिया और कहा कि हम तुझे अच्छे काम के लिए बल्कि इसलिए तुझे पथराव करते हैं कि तू कुफ्र बकता है और इन्सान हो के स्वयं को ख़ुदा बनाता है। यसू ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या तुम्हारी शरीअत में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ख़ुदा हो जबकि उसने उन्हें जिनके पास ख़ुदा का कलाम आया ख़ुदा कहा और संभव नहीं कि किताब झूठी हो। तुम उसे जिसे ख़ुदा ने विशिष्ट किया और दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफ्र बकता है कि

मैंने कहा मैं ख़ुदा का बेटा हूं।"

अब प्रत्येक न्याय करने वाला और प्रत्येक ईमानदार समझ सकता है कि यहूदियों का यह आरोप था कि उन्होंने बाप शब्द सुनकर और यह कि मैं और बाप एक हैं यह समझ लिया कि यह स्वयं को ख़ुदा तआला का वास्तविक तौर पर बेटा बताता है। तो इसके उत्तर में हज़रत मसीह ने साफ़-साफ़ शब्दों में कह दिया कि मुझ में कोई अधिक बात नहीं। देखो तुम्हारे पक्ष में तो ख़ुदा भी बोला गया है। अब स्पष्ट है कि यदि हज़रत मसीह वास्तव में स्वयं को ख़ुदा का बेटा जानते और वास्तविक तौर से स्वयं को ख़ुदा का बेटा समझते तो इस बहस और विवाद के समय में जब यहूदियों ने उन पर आरोप लगाया था योद्धा बनकर साफ़ और स्पष्ट तौर पर कह देते कि मैं वास्तव में ख़ुदा का बेटा हूं और वास्तविक तौर पर इब्नुल्लाह हूं। भला यह क्या उत्तर था कि यदि मैं स्वयं को बेटा ठहराता हूं तो तुम्हें भी तो ख़ुदा कहा गया है। अपितु इस अवसर पर तो उनको अपने दावे को अच्छी तरह सिद्ध करने की शक्ति मिली थी कि वह डिप्टी साहिब के कथानुसार वे समस्त भविष्यवाणियां प्रस्तुत कर देते जो आदरणीय डिप्टी साहिब ने अपने कल के उत्तर में लिखवाई हैं अपितु एक सूची भी साथ दे दी है। उन्हें उस समय कहना चाहिए था कि तुम तो इतनी सी ही बात पर नाराज़ हो गए कि मैंने कहा कि मैं ख़ुदा का बेटा हूं और मैं तो तुम्हारी किताबों के वर्णन के अनुसार और अमुक-अमुक भविष्यवाणी के अनुसार ख़ुदा भी हूं, सर्वशक्तिमान भी हूं, ख़ुदा के सददृश भी हूं, ख़ुदा का कौन सा मर्तबा है जो मुझ में नहीं है। निष्कर्ष कि यह स्थान **पवित्र इंजील** के समस्त स्थानों और बाइबल की समस्त भविष्यवाणियों को हल करने वाला और उनकी तफ़्सीर के तौर पर है परन्तु उसके लिए जो ख़ुदा तआला से डरता है।

फिर आदरणीय डिप्टी साहिब कहते हैं कि "यहूदियों की सहमति क्यों मांगी" सो स्पष्ट हो कि यहूदियों की सहमति इसलिए मांगी जाती है कि वे नबियों की सन्तान तथा नबियों से निरन्तर शिक्षा प्राप्त करते आए। और पवित्र इंजील का स्थान भी गवाही दे रहा है कि उनको प्रत्येक शिक्षा नबियों के माध्यम से

समझाई बल्कि हज़रत ईसा स्वयं गवाही देते हैं कि "फ़क़ीह और फ़रीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं वे तुम्हें जो कुछ मानने के लिए कहें उसका पालन करो। परन्तु उनके जैसे काम न करो क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं।

(मती अध्याय-23 आयत-1)

अब हज़रत मसीह के इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि वह अपने अनुयायिओं और शिष्यों को नसीहत कर रहे हैं कि यहूदियों की राय पुराने अहदनामे के बारे में स्वीकार करने योग्य है तुम उसे अवश्य स्वीकार किया करो कि वे हज़रत मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। इस से तो यह समझा जाता है कि यहूदियों की गवाही को अस्वीकार करना हज़रत मसीह के आदेश की एक प्रकार की अवज्ञा है और यहूदी अपनी तफ़्सीरों में यह तो कहीं नहीं लिखते कि कोई वास्तविक ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा आएगा। हाँ एक सच्चे मसीह के प्रतीक्षक हैं और उस मसीह को ख़ुदा नहीं समझते। यदि समझते हैं तो उनकी किताबों में से इसका सबूत दें। (शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब

24 मई 1893 ई.

शेष उत्तर- ख़ुदा के कलाम की श्रेष्ठता एवं विशेषता

पहले- इंजील इस बात की दावेदार है कि वह अपतनशील कलाम है, यहां तक कि लोगों की अदालत उसी के अनुसार होगी।

(यूहन्ना अध्याय-12 आयत-48 से 50)

द्वितीय- इंजील स्वयं को मुक्ति के अनादि रहस्य को खोलने वाला कहती है।

(रूमी अध्याय-16 आयत-25-26) (पतरस का प्रथम पत्र अध्याय-1 आयत-20)

तृतीय- इंजील स्वयं को ख़ुदा की क़ुदरत कहती है।

(रूमी अध्याय-1 आयत-16)

चतुर्थ- इंजील स्वयं को जीवन तथा अनश्वरता का प्रकाश करने वाली कहती है।

(तमताऊस का दूसरा पत्र अध्याय-1 आयत-16)

पंचम- इंजील मानवीय बुद्धिमत्ता का नहीं किन्तु स्वयं को ख़ुदा की रूह का कहा गया कलाम कहती है।

(क्रिन्तियों के नाम का पहला पत्र अध्याय-2 आयत-12,13 तथा पतरस का दूसरा पत्र अध्याय-1 आयत-9)

षष्टम- इस इंजील के मुकाबले में हर एक इंजील तुच्छ है।

(गिलाती के नाम का पत्र अध्याय-1 आयत-8)

अत: ये वे बातें हैं जो अल्लाह के कलाम की श्रेष्ठता, पूर्णता, विशेषता तथा दानशीलता को सिद्ध करती हैं न कि वे बातें जो रहन-सहन के बारे में हैं जिनके संबंध में हकीम तथा डाक्टर भी मनुष्य को थोड़ी व्याख्या बता सकते हैं। जनाब ने जो फ़रमाया कि क़ुर्आन में लिखा है-

(अलमाईद: - 4) اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

क़ुर्आन के कलाम की मूल इबारत रहन-सहन के संबंध में है जिसमें वैध और अवैध की चर्चा है।

24 मई 1893 ई. के आरोप के उत्तर में

प्रथम- इस्तिक़रा के अर्थ हम समझ चुके हैं कि दैनिक दिनचर्या तथा गुज़रे हुए के साथ लगे हुए में जो अनुभव क़ानून बनाता है उसको इस्तिक़रा कहते हैं। इसके बारे में जनाब मिर्ज़ा साहिब का कहना सही है कि यदि इसका कुछ अपवाद हो तो इसकी मात्र संभावना सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है परन्तु निश्चित तौर पर इसका सिद्ध करना आवश्यक है। अत: इसके बारे में इतना कहना है कि मसीह का मुकद्दम: बिलकुल अपवादित है जिसके लिए हमने ख़ुदा के कलाम की आयतें प्रस्तुत की हैं। इसके अतिरिक्त यह दिखाना चाहते हैं कि पुराने अहद में एकता में अनेकता विद्यमान है। यदि वह विद्यमान (मौजूद) न होती तो यहूदी लोग सच्चे ठहर सकते थे। चूंकि यह बात वहां मौजूद है तो उनको कुछ बहाना

नहीं होना चाहिए। अत: मैं बतौर उदाहरण दो नमूने प्रस्तुत करता हूं। प्रथम यह कि पैदायश अध्याय-1 आयत-26 में लिखा है-

व योमर उलूहीम नअशा आदाम सल्मनू क़द मीतूनू अर्थात् कहा उलूहीम ख़ुदा ने हम बनाए आदम को अपनी सूरतों के ऊपर और ऊपर शक्लों अपनियों के।

द्वितीय पैदायश अध्याय-3 आयत-22 में है यह्वा उलूहीम ने कहा देखो कि इन्सान अच्छे और बुरे की पहचान में हम में से एक के समान हो गया। इस आयत जिस में वाक्य का अनुवाद यह है कि हम में से एक के समान हो गया (इब्रानी में का हद ममनू है) इस ग़ैर के साथ बात करने वाले के वाक्य को देखकर यहूदियों ने ये अर्थ किए हैं कि ख़ुदा तआला इस अवसर पर फ़रिश्तों को अपने साथ लेता है और सर सय्यद अहमद खां बहादुर ने यह लिखा है कि ग़ैर इस वाक्य में प्रसिद्ध आदम से पूर्व आदमियों का वह वर्ग है जो पाप करके तबाह हो गए और वाक्य लौ ममनू में ग़ैर के साथ बात करने वाला नहीं है बल्कि जमा ग़ायब है। इन दोनों सज्जनों का अभिप्राय यह है कि एकता में अनेकता की शिक्षा सिद्ध न होने पाए।

द्वितीय- अब हम उन सज्जनों से नीचे प्रश्न रखते हैं-

प्रथम यहूदियों से यह कि आप के फरिश्तों की लौटायी मूल इबारत कलाम में कहां है। क्या हम का सीग: सर्वनाम नहीं ? और क्या सर्वनाम के लिए लौटाई मूल इबारत का उसके सानिध्य में होना आवश्यक नहीं? और यदि कोई कलाम मर्जुअ की निशानदही के बिना स्वयं न हो तो क्या उसको संदिग्ध और अस्पष्ट नहीं कहते? जैसा कि यदि मैं किसी से कहूँ कि वह बात यों थी और पहले तथा उसके बाद में उसकी चर्चा न हो कि कौन सी बात। तो क्या यह दीवानगी वाली बात नहीं? अत: जब फरिश्तों की चर्चा साथ में करते हैं तो उनको मूल इबारत ही में उन फरिश्तों को दिखाना चाहिए। दूसरे यदि फरिश्ते ही इसके चरितार्थ हों तो आवश्यक है कि उनका बुराई (बदी) का ज्ञान व्यक्तिगत हो या अर्जित। यदि व्यक्तिगत हो तो वे सृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्तिगत ज्ञान स्वयंभू में स्थापित

का होता है और यदि अर्जित किया हुआ हो तो यह अर्जित उनको अपवित्र कर देता है। तो वह पवित्र संगम स्रष्टा के योग्य क्यों कर हुआ जो उसके लिए साथ में जाएँ। सर सय्यद साहिब से हमारा प्रथम प्रश्न वही है कि मूल इबारत में मर्जूअ उन लोगों का जो प्रसिद्ध आदम के पहले समझे जाते हैं कहां हैं। मूल इबारत में तो अलग आप की ज़ियोलोजी में भी कहां है कि जिस पर आप गर्व करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि ज़ियोलोजी से गुज़र कर किसी अन्य विज्ञान में हो तो उसका पता दें। हम विश्वास करते हैं कि वे ऐसा पता कदापि न दे सकेंगे और न इस दायित्व के पूरा करने से यहूदी बाहर आ सकते हैं। किन्तु मसीहियों का मुख बंद करने के लिए ग़लत विचार प्रस्तुत करते हों। इस से स्पष्ट वाक्य क्या हो सकता है और ऐसे वाक्य की (तावील) प्रत्यक्ष अर्थ से हटकर क्या व्याख्या हो सकती है कि देखो इन्सान अच्छे और बुरे की पहचान में हम में से एक के समान हो गया। शब्दकोश, तर्क-शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली तथा मायने सर्फ-व-नह्व (व्याकरण) इन समस्त मापदण्डों के सामने हम इस वाक्य को रखते हैं। सर सय्यद अहमद खां बहादुर ने जो उलूहीम में श्रेष्ठता वाला बहुवचन वर्णन किया। आप हमें कहीं से दिखा दें कि नेचर में या घटनाओं में विशेष नामों में भी कहीं आदर और निरादर हो सकता क्या सर सय्यद का नाम सर सय्यद अहमदान भी हो सकता हैं? यह ढकोसलेबाज़ी नहीं तो और क्या है?

सर सय्यद साहिब ने कहा है कि बअलीम और इस्तिराफ़ीम में यह "ی میم" आदर के लिए है वह भी झूठ बल्कि सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए ये काल्पनिक देवता थे, वास्तव में मनुष्य न थे और उनकी मूर्तियों के अनुसार विभिन्न स्थानों में पूजे जाते थे और मूर्तियों की अधिकता की दृष्टि से नामों में अधिकता रखी गई। जैसे कि जसमीर से कृष्ण या रामचन्द्र की मूर्तियाँ आती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारा व्यापार कृष्णों एवं रामचन्द्रों का है। उद्देश्य हमारा यह है कि विशेष नाम में आदर और अनादर कुछ नहीं।

तृतीय- एक बात जो समझ से बाहर हो उसकी संभावना तो बुद्धि है हम प्रस्तुत करेंगे और घटित होना कलाम से। अत: हमने इल्हामी किताबों से मसीह

की ख़ुदाई और एकेश्वरवाद (तौहीद) में तसलीस (तीन ख़ुदा मानना) की समस्या को भली भांति प्रस्तुत कर दिया है और संभावना को भी बुद्धि से दिखा दिया है। अत: अब हमारे दायित्व में सबूत देना कुछ शेष नहीं।

चतुर्थ- इल्हाम की व्याख्या करने वाला इल्हाम ही होना चाहिए। इस बारे में आपका कहना बहुत सा सही है और अति उत्तम है। क्योंकि यदि इल्हाम किसी स्थान पर संक्षिप्त और संदिग्ध मालूम हो तो इल्हाम के दूसरे स्थान से उसकी व्याख्या भली भांति हो सकती है। परन्तु यदि किसी इल्हाम में कोई शिक्षा एक ही स्थान पर हो तो बौद्धिक तावील के लिए उसमें गुंजायश है।

हम उसे रद्दी चीज़ों में नहीं फ़ेंक सकते हैं अपितु वहाँ उसकी बौद्धिक तावील करेंगे।

पंचम- वह जो ख़ुदावन्द मसीह ने कहा कि तुम मेरे इब्नुल्लाह (ख़ुदा का बेटा) कहने पर कुफ्र का आरोप क्यों लगाते हो। क्या तुम्हारे काज़ियों (न्यायाधीशों) और बुज़ुर्गों को उलूहीम नहीं कहा गया। उन पर कुफ्र का आरोप नहीं है तो मुझ पर क्यों? इस से उसने अपनी ख़ुदाई का कुछ इन्कार नहीं किया। अपितु उनके क्रोध को अनुचित बताया और रोक दिया। इसके अतिरिक्त मती के अध्याय-16 आयत-13 से 16 में इस सम्बोधन को ख़ुदावन्द ने हवारियों से स्वीकार भी कराया कि वह जीवित ख़ुदा का बेटा है। फिर मती अध्याय-26 आयत-63 में लिखा है- तब सरदार काहिन ने उसे कहा- मैं तुझे जीवित ख़ुदा की क़सम देता हूं यदि तू मसीह ख़ुदा का बेटा है तो हम से कह। यसू ने उसे कहा- हाँ, वह जो तू कहता है। (शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फसीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

चौथा पर्चा

मुबाहसा 25 मई सन 1893 ई.

वृत्तान्त

आज 6 बज कर 8 मिनट पर मिर्ज़ा साहिब ने अपना उत्तर लिखाना प्रारम्भ किया और 7 बज कर 8 मिनट पर समाप्त किया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि लेख सुनाए जाने के समय लिपिक लेखों की तुलना भी करते हैं। इसलिए उनकी रोक-टोक के कारण लेख बेमज़ा हो जाता है और श्रोताओं को आनन्द नहीं आता। इस आधार पर ऐसा होना चाहिए कि लिपिक लेख के सुनाए जाने से पूर्व लेखों की परस्पर तुलना कर लिया करें। फिर डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 7 बज कर 54 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 8 बज कर 54 मिनट पर समाप्त किया। और तुलना के पश्चात ऊँचे स्वर से सुनाया गया। फिर मिर्ज़ा साहिब ने 9 बज कर 24 मिनट पर आरम्भ किया और 10 बज कर 54-1/2 मिनट पर समाप्त हुआ और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों के लेखों पर सभा के अध्यक्षों के हस्ताक्षर हुए और सत्यापित लेख दोनों सदस्यों को दिए गए और जलसा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ा दिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

25 मई सन 1893 ई. समय 6 बजकर 8 मिनट
बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने मेरे पहले बयान पर जो मैंने किताब आसमानी के लिए बतौर आवश्यक चमत्कारिक लक्षण के यह लिखा था कि दोनों किताबें इंजील और पवित्र क़ुर्आन का उनकी व्यक्तिगत ख़ूबियों में तुलना **की जाए,** तो डिप्टी साहिब '**कमाल**' के शब्द पर गिरफ़्त करते हैं कि कमाल

क्या चीज़ है? क्या सुनार और लोहार का कमाल बल्कि मुक्ति पथ दिखाने का कमाल होता है। इसके उत्तर में लिखा जाता है कि मुक्ति पथ दिखाने का दावा उस अवस्था तथा उस स्थिति में कमाल समझा जाएगा कि जब उसे सिद्ध करके दिखाया जाए और उस से पहले उस की चर्चा करना भी मेरे नज़दीक अनुचित है। अत: स्पष्ट हो कि महा वैभवशाली ख़ुदा ने पवित्र क़ुर्आन में अपनी शिक्षा के कमाल का स्वयं दावा किया है जैसा कि उसका कथन है-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ (सूर: अल माइदह-4)

कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म कामिल किया और अपनी ने'मत अर्थात् क़ुर्आनी शिक्षा को तुम पर पूरा किया।

और एक अन्य स्थान में इस कमाल की व्याख्या के लिए कि इक्माल किसको कहते हैं फ़रमाया-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۵﴾ تُؤْتِيْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ
يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ
كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۷﴾ يُثَبِّتُ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ
الظّٰلِمِيْنَ ۙۛ (सूर: इब्राहीम-25 से 28)

क्या तूने नहीं देखा क्योंकर वर्णन किया अल्लाह ने उदाहरण अर्थात् कामिल धर्म का उदाहरण कि पवित्र बात पवित्र वृक्ष के समान है जिसकी जड़ स्थापित हो और उसकी शाखाएं आकाश में हों और वह हर समय अपना फल अपने प्रतिपालक के आदेश से देता हो। और ये उदाहरण अल्लाह तआला लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि लोग उनको याद कर लें और नसीहत पकड़ें। और अपवित्र बात का उदाहरण उस अपवित्र वृक्ष का है जो पृथ्वी पर से उखड़ा हुआ है और उसे ठहराव और दृढता नहीं। अत: अल्लाह तआला मोमिनों को सिद्ध कथन के साथ अर्थात् जो कथन प्रमाणित और तार्किक है इस सांसारिक जीवन

तथा आख़िरत (परलोक) में सुदृढ़ रखता है और जो लोग अत्याचार को अपनाते हैं उनको गुमराह करता है अर्थात् अत्याचारी ख़ुदा से मार्ग दर्शन की सहायता नहीं पाता जब तक मार्ग दर्शन (हिदायत) का अभिलाषी न हो।

अब देखिए कि आदरणीय डिप्टी साहिब ने आयत-

(सूर: अल माइदह-4) أَكْمَلْتُ لَكُمْ

की व्याख्या में केवल इतना कहा था कि संभवत: यह सामाजिक (रहन-सहन) के संबंध में मालूम होती है परन्तु आदरणीय डिप्टी साहिब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि किसी आयत के वे अर्थ करने चाहिए जो इल्हामी किताब स्वयं करे और इल्हामी किताब की व्याख्या दूसरी व्याख्याओं पर प्राथमिक है। अब अल्लाह तआला इन आयतों में पवित्र एवं पुनीत कलाम का कमाल तीन बातों पर आधारित ठहरा देता है।

प्रथम- यह कि اَصْلُها ثَابِتٌ अर्थात् उसके ईमान के सिद्धांत प्रमाणित एवं सिद्ध हों और अपनी स्वयं की हद तक कामिल (पूर्ण) विश्वास की श्रेणी तक पहुँचे हुए हों और मनुष्य की प्रकृति उसे स्वीकार करे, क्योंकि यही ارض (पृथ्वी) के शब्द से मनुष्य की प्रकृति (स्वभाव) अभिप्राय है। जैसा कि مِنْ فَوْقِ الارض का शब्द स्पष्ट तौर पर वर्णन कर रहा है और डिप्टी साहिब इस से इनकार नहीं करेंगे। खुलासा यह कि ईमान के सिद्धांत ऐसे चाहिए कि प्रमाणित और मानव-प्रकृति के अनुकूल हों। फिर कमाल की दूसरी निशानी यह वर्णन करता है कि فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ अर्थात् उसकी शाखाएं आकाश पर हों। इसका तात्पर्य यह है कि लोग आकाश की तरफ़ नज़र उठाकर देखें अर्थात् प्रकृति के ग्रन्थ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो उसकी सच्चाई उन पर खुल जाए और दूसरी यह कि वह शिक्षा अर्थात् उस शिक्षा की शाखें जैसे कर्मों का वर्णन, आदेशों का वर्णन, शिष्टाचार का वर्णन यह कमाल श्रेणी पर पहुँचे हुए हों जिस से कुछ अधिक की कल्पना न हो। जैसा कि एक चीज़ जब पृथ्वी से प्रारम्भ होकर आकाश तक पहुँच जाए तो उस पर अधिक की कल्पना नहीं।

फिर कमाल की तीसरी निशानी यह वर्णन की تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ हर समय और सदैव के लिए वह अपना फल देता रहे। ऐसा न हो कि किसी समय सूखे वृक्ष के समान हो जाए जो फल-फूल से बिल्कुल खाली है। अब सज्जनों देख लो कि अल्लाह तआला ने अपने कथन اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ की व्याख्या स्वंय ही कर दी कि इसमें तीन निशानियों का होना यथाशक्ति आवश्यक है। अत: जैसा कि उसने ये तीन निशानियां सिद्ध करके भी दिखा दिया है। और ईमान के सिद्धांत जो पहली निशानी है जिससे अभिप्राय कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** है उसे पवित्र क़ुर्आन में इतने विस्तार से वर्णन किया गया है कि यदि मैं सम्पूर्ण तर्कों को लिखूं तो फिर कुछ भागों में भी समाप्त न होंगे परन्तु उसमें से कुछ नमूने के तौर पर नीचे लिखता हूं। जैसा कि एक स्थान पर अर्थात् दूसरे सिपारे में सूर: अलबक़रह में फ़रमाता है-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۠ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۵﴾

(सूर: अलबक़रह-165)

अर्थात् निस्संदेह आकाशों और पृथ्वी के पैदा करने तथा रात-दिन की भिन्नता और उन नौकाओं के चलने में जो दरिया में लोगों के लाभ के लिए चलती हैं और जो कुछ ख़ुदा ने आकाश से पानी उतारा और उस से पृथ्वी को उसके मरने के बाद जीवित किया तथा पृथ्वी में हर प्रकार के जानवर बिखेर दिए और हवाओं को फेरा, बादलों को आकाश और पृथ्वी में मुफ़्त सेवा पर लगाया। ये सब ख़ुदा तआला के अस्तित्व, और उसकी तौहीद (एकेश्वरवाद) और उसके इल्हाम तथा उसके इरादे से काम लेने पर निशान है। अब देखिए इस आयत में अल्लाह तआला ने उस ईमानी सिद्धांत पर अपनी प्रकृति के नियम से कैसा तर्क दिया, अर्थात् अपने उन उत्पादों से जो पृथ्वी और

आकाश में पाए जाते हैं जिनके देखने से इस आयत के आशय के अनुसार स्पष्ट तौर पर मालूम होता है कि निस्संदेह इस जगत का एक अनादि रचयिता, कामिल (पूर्ण) भागीदार रहित अकेला, इरादे से कार्य करने वाला तथा अपने रसूलों को दुनिया में भेजने वाला है। कारण यह कि ख़ुदा तआला के यह सम्पूर्ण उत्पाद और संसार की व्यवस्था का यह सिलसिला जो हमारी दृष्टि के सामने मौजूद है यह स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि यह संसार स्वयं भू (अपने आप) नहीं अपितु उसका एक आविष्कारक और रचयिता है जिसके लिए ये आवश्यक विशेषताएं है कि वह रहमान (कृपालु) भी हो और रहीम (दयालु) भी हो और क़ादिरे मुतलक (सर्वशक्तिमान) भी हो और भागीदार रहित एक भी हो और अजर-अमर भी हो और मात्र इरादे से काम करने वाला भी हो और सर्वांगपूर्ण विशेषताओं का संग्रहीता भी हो तथा वह्यी को उतारने वाला भी हो।

दूसरी निशानी अर्थात् فرعها فى السمآء जिसके अर्थ ये हैं कि उसकी शाखांए आकाश तक पहुँची हुई हैं और आकाश पर दृष्टि डालने वाले अर्थात् प्रकृति के नियम को देखने वाले उसे देख सकें तथा वह अन्तिम श्रेणी की शिक्षा सिद्ध हो। इसके सबूत का एक भाग तो इसी उपरोक्त कथित आयत से पैदा होता है। किस लिए जैसा कि अल्लाह तआला ने उदाहरण के तौर पर पवित्र क़ुर्आन में यह शिक्षा वर्णन की है कि-

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۴﴾

(सूर: अल फ़ातिहा-2 से 4)

जिसके अर्थ यह हैं कि अल्लाह तआला समस्त लोकों का रब्ब है अर्थात् प्रत्येक प्रतिपालन का मूल कारण वही है। दूसरे यह कि वह कृपालु भी है अर्थात् किसी कर्म की आवश्यकता के बिना अपनी ओर से भिन्न-भिन्न प्रकार की ने'मतें अपनी सृष्टि के साथ रखता है। और दयालु भी है कि शुभ कर्मों के करने वालों का सहायक होता है तथा उनके उद्देश्यों को कमाल तक पहुंचाता है और مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ भी है कि प्रत्येक प्रतिफल और दण्ड उस के हाथ मैं है जिस प्रकार चाहे अपने बन्दे से व्यवहार करे। चाहे तो उसे एक बुरे कर्म के बदले

में वह दण्ड दे जो उस बुरे कर्म के यथायोग्य है और चाहे तो उसके लिए क्षमा के सामान उपलब्ध करे। ये समस्त बातें अल्लाह तआला की इस व्यवस्था को देखकर स्पष्ट तौर पर सिद्ध होती हैं।

फिर **तीसरी निशानी** अल्लाह तआला ने यह वर्णन की تـوتی اُکُلھا کُلّ حِـیۡنٍ अर्थात् कामिल किताब की एक यह भी निशानी है कि जिस फल का वह वादा करती है वह मात्र वादा ही वादा न हो बल्कि वह फल हमेशा और हर समय में देती रहे। और फल से अभिप्राय अल्लाह तआला ने अपनी मुलाकात उसकी समस्त अनिवार्य बातों के साथ जो आकाशीय बरकतें, ख़ुदा तआला से वार्तालाप, हर प्रकार की मान्यताएं तथा विलक्षण चमत्कार हैं रखी हैं। जैसा कि वह फ़रमाता है-

اِنَّ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللّٰہُ ثُمَّ اسۡتَقَامُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَیۡہِمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ اَلَّا تَخَافُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ﴿۳۱﴾ نَحۡنُ اَوۡلِیٰٓؤُکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ ۚ وَ لَکُمۡ فِیۡہَا مَا تَشۡتَہِیۡۤ اَنۡفُسُکُمۡ وَ لَکُمۡ فِیۡہَا مَا تَدَّعُوۡنَ ﴿ؕ۳۲﴾ نُزُلًا مِّنۡ غَفُوۡرٍ رَّحِیۡمٍ ﴿۳۳﴾

(सूर: हा मीम अस्सज्दह-31 से 33)

वे लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब्ब अल्लाह है फिर उन्होंने दृढता धारण की अर्थात् अपनी बात से न फिरे और उन पर भिन्न-भिन्न प्रकार की आपदाएं आईं परन्तु वे दृढता से कायम रहे। उन पर फ़रिश्ते उतरते हैं यह कहते हुए कि तुम कुछ भय न करो और न कुछ शोक और उस स्वर्ग (जन्नत) से प्रसन्न हो जिस का तुम्हें वादा दिया गया था अर्थात् अब वह स्वर्ग तुम्हें मिल गया और स्वर्गीय जीवन अब आरम्भ हो गया किस प्रकार आरम्भ हो गया- نَحۡنُ اَوۡلِیَاؤُکُمۡ इस प्रकार कि हम तुम्हारे अभिभावक हो गए इस दुनिया में और आख़िरत में और तुम्हारे लिए इस स्वर्गीय जीवन में जो कुछ मांगो वही मौजूद है। यह बहुत क्षमा करने वाले दयालु (ख़ुदा) की ओर से अतिथि सत्कार (मेहमानी) है। मेहमानी शब्द से उस पहल की ओर संकेत है जो आयत- توتی اُکُلھا کُلّ حِیۡنٍ में किया गया था। और आयत فرعھا فی السماء के बारे में एक बात वर्णन करने से

रह गई कि इस शिक्षा का कमाल उसकी चरमोत्कर्ष उन्नति की दृष्टि से क्योंकर है उसका विवरण यह है कि पवित्र क़ुर्आन से पूर्व जितनी शिक्षाएं आईं वास्तव में वे एक क़ौम विशेष या विभिन्न युगों की भांति थीं। उनमें सार्वजनिक हित की बात नहीं थी। परन्तु पवित्र क़ुर्आन समस्त क़ौमयों और समस्त युगों की शिक्षा तथा पूर्णता के लिए आया है। उदाहरणतया नमूने के तौर पर वर्णन किया जाता है कि हज़रत मूसा की शिक्षा में अधिक बल दण्ड देने और प्रतिशोध लेने पर पाया जाता है जैसा कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख के वाक्यों से मालूम होता है और हज़रत मसीह की शिक्षा में अधिक बल क्षमा और माफ़ करने पर पाया जाता है। परन्तु स्पष्ट है कि ये दोनों शिक्षाएं अपूर्ण हैं। न हमेशा प्रतिशोध लेने से काम चलता है और न हमेशा क्षमा से अपितु अपने-अपने अवसर पर नर्मी और कठोरता की आवश्यकता हुआ करती है। जैसा कि अल्लाह तआला का कथन है-

وَ جَزٰٓؤُا سَیِّئَۃٍ سَیِّئَۃٌ مِّثۡلُہَا ۚ فَمَنۡ عَفَا وَ اَصۡلَحَ فَاَجۡرُہٗ عَلَی اللّٰہِ ؕ

(सूरः अश्शूरा-41)

अर्थात् मूल बात तो यह है कि बुराई का बदला तो उतनी ही बुराई है जो पहुँच गई है परन्तु जो व्यक्ति क्षमा करे और क्षमा का परिणाम कोई सुधार हो न कि कोई बिगाड़। अर्थात् क्षमा अपने मौके पर हो न कि बेमौक़ा। उसका प्रतिफल अल्लाह पर है अर्थात् यह अत्युत्तम उपाय है।

अब देखिए इस से उत्तम और कौन सी शिक्षा होगी कि क्षमा को क्षमा के स्थान पर और प्रतिशोध को प्रतिशोध के स्थान पर रखा और फिर फ़रमाया-

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی (सूरः अन्नहल-91)

अर्थात् अल्लाह तआला आदेश करता है कि तुम न्याय करो और न्याय से बढ़कर यह है कि न्याय को दृष्टिगत रखने के बावजूद उपकार करो और उपकार से बढ़कर यह है कि तुम लोगों से इस प्रकार से व्यवहार करो कि जैसे मानो वे तुम्हारे प्रियजन और परिजन हैं। अब विचार करना चाहिए कि श्रेणियां तीन ही हैं।

प्रथम- मनुष्य न्याय करता है अर्थात् सच के मुकाबले पर सच का निवेदन करता है फिर यदि इस से बढ़े तो उपकार की श्रेणी है और यदि इस से बढ़े तो उपकार की भी उपेक्षा कर देता है और ऐसे प्रेम से लोगों से सहानुभूति करता है जैसे मां अपने बच्चे से सहानुभूति करती है। अर्थात् एक स्वाभाविक जोश से न कि उपकार के इरादे से। (शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब

25 मई 1893 ई.

कल का शेष

मेरे आदरणीय जनाब मिर्ज़ा साहिब जो फ़रमाते हैं कि जो शिक्षा सबंधी बातें किसी इल्हामी किताब की हों उनका सबूत भी उसी किताब के बयान से हो अर्थात् इस प्रकार की खिचड़ी न हो जाए कि कुछ तो किताब की शिक्षा से पैदा हो जाए और कुछ उस व्यक्ति के मस्तिष्क से जो उस शिक्षा का समर्थन करने के लिए खड़ा है। जिसके उत्तर में मेरा निवेदन यह है कि मैंने संक्षिप्त तौर पर एक सूची बना दी है जिसको पादरी टाम्स हाव्सन साहिब लिखवा दें कि मैं कमज़ोर आदमी हूं। और वह यह है-

प्रथम- एकता में अनेकता

यरमिया अध्याय-23 आयत-6 उसके दिनों में यहूदा मुक्ति पाएगा और इस्राईल सलामती से निवास करेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा। ख़ुदावन्द हमारी सच्चाई। असल में है यहोवा सद्कनु। यसइयाह अध्याय-7 आयत-14, अध्याय-8 आयत-10 देखो। देखो कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम 'ईमानवाइल' रखेंगे। तुम योजना बनाओ परन्तु वह झूठी होगी, आदेश सुनाओ परन्तु वह न ठहरेगा कि ख़ुदा हमारे साथ है। इस स्थान पर शब्द

ईमानवाइल है। यसइयाह अध्याय-40 आयत-3, मलाकी अध्याय-3 आयत-1 इसके मुकाबले पर मती अध्याय-3 आयत-3, ज़करिया अध्याय-12 आयत-1,10 बमुकाबला यूहन्ना अध्याय-19 आयत-37 यसइया अध्याय-6 आयत-5 बमुकाबला यूहन्ना अध्याय-12 आयत-37,40,41

द्वितीय- ख़ुदाई की अनिवार्य विशेषताएं अलमसीह में

प्रथम-अनादियत यूहन्ना अध्याय-1 आयत-1 से 3 प्रारम्भ में कलाम था और कलाम ख़ुदा के साथ था और कलाम ख़ुदा था और यही प्रारम्भ में ख़ुदा के साथ था। सब चीज़ें उस से मौजूद हुईं और कोई चीज़ मौजूद न थी जो उसके बिना हुई। यूहन्ना अध्याय-8 आयत-58 यसू ने उन्हें कहा- मैं तुम से सच-सच कहता हूं इससे पहले कि अब्राहम हो मैं हूं। मुकाशिफात अध्याय-1 आयत-8 ख़ुदावन्द यों फ़रमाता है कि मैं अल्फ़ा उमेगा प्रथम तथा अन्त जो है और था और आने वाला है सर्वशक्तिमान हूं। यूहन्ना अध्याय-17 आयत-5 यसइयाह अध्याय-44 आयत-6 बमुकाबला मुकाशिफात अध्याय-2 आयत-8 मीका अध्याय-5 आयत-20

द्वितीय ख़ालिकियत (सृजन करना) यूहन्ना अध्याय-1 आयत-3,10 सब चीज़ें उस से मौजूद हुईं कोई चीज़ (वस्तु) मौजूद न थी जो उसके बिना मौजूद हुई। वह संसार में था और संसार उस से मौजूद हुआ और संसार ने उसे न जाना। इब्रानी अध्याय-1 आयत-2,3 इन अन्तिम दिनों में हम से बेटे के माध्यम से बोला जिसने उसकी सारी चीज़ों का वारिस (उत्तराधिकारी) ठहराया और जिसके माध्यम से उसने संसार बनाए। वह उसके प्रताप की शोभा तथा उसके जौहर का नक्श हो कर सब कुछ अपने ही क़ुदरत के कलाम से संभाल लेता है। कल्सी अध्याय-1 आयत 15,16,17, अफ्सी अध्याय-2 आयत-9, मुकाशिफात अध्याय-4 आयत-11 इन सब का मुकाबला अमसाल अध्याय-8 से

तृतीय-सर्व संरक्षक अस्तित्त्व

कल्सी अध्याय-1 आयत-17 सब से आगे है और उस से समस्त चीज़ें यथावत रहती हैं। बमुकाबला यसइयाह अध्याय-44 आयत-24, इब्रानी अध्याय-1

आयत-1,2,3,10

चतुर्थ- अपरिवर्तनीय

इब्रानी अध्याय-13 आयत-18 यसू मसीह कल और आज और अनश्वर तक एक साल है। मज़्मूर अध्याय-102 आयत-25,26,27 बमुकाबला इब्रानी अध्याय-1 आयत-8,10,11,12

पंचम- सब जानना

पहला सलातीन अध्याय-8 आयत-39 तू अपने निवास आकाश पर से सुन और क्षमा कर और अमल कर और प्रत्येक आदमी को जिसके दिल को तू जानता है बमुकाबला मुकाशिफात अध्याय-2 आयत-23 और सारे कलीसाओं को मालूम होगा कि मैं वही हूं अर्थात् यसू मसीह जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कार्यों के अनुसार बदला दूंगा। मती अध्याय-11 आयत-27, अध्याय-9 आयत-4, अध्याय 12 आयत-25, लूका अध्याय-6 आयत-8 अध्याय-9 आयत-47, यूहन्ना अध्याय-1 आयत-48, अध्याय 16 आयत 30 अध्याय-21 आयत-17, कल्सी अध्याय-2 आयत-3

षष्टम- हाज़िर-व-नाज़िर(मौजूद तथा दृष्टा)(मकानी)

मती अध्याय-18 आयत-20 क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहाँ मैं उनके बीच में हूं। यूहन्ना अध्याय-3 आयत-13 और कोई आकाश पर नहीं गया सिवाए उस व्यक्ति के जो आकाश से उतरा अर्थात् इब्ने आदम जो आकाश पर है(ज़मानी) मती अध्याय-28 आयत-20 यूहन्ना अध्याय-1 आयत-48

सप्तम- सर्वशक्तिमान

यूहन्ना अध्याय-5 आयत-21 जिस प्रकार बाप मुर्दों को उठाता है और जिलाता है बेटा भी जिन्हें चाहता है जिलाता है। मुकाशिफात अध्याय-1 आयत-8 में अल्फ़ा और उमेगा प्रथम और अन्त जो है और था और आने वाला है सर्वशक्तिमान हूं। मती अध्याय-28 आयत-18 मरकस अध्याय-1 आयत-27, यूहन्ना अध्याय-3 आयत 31,35, अध्याय-16 आयत-15, फिलपी अध्याय-3 आयत 21, इब्रानी अध्याय-7 आयत 25, अव्वल पतरस अध्याय-3 आयत-22

अष्टम- अनश्वर जीवन

यूहन्ना अध्याय-11 आयत-25 यसू ने उसे कहा कि क़यामत (प्रलय) और जीवन मैं ही हूं।पहला यूहन्ना अध्याय-5 आयत-20

तृतीय- अलमसीह कुल का मालिक है

रूमी अध्याय-14 आयत-9 कि इसलिए मुआ और उठा और जिया कि मुर्दों और जिन्दों का भी ख़ुदावन्द हो। पहला तमताऊस अध्याय-6 आयत-15 जिसे वह समय पर प्रकट करेगा जो मुबारक और अकेला हाकिम बादशाहों का बादशाह और ख़ुदावन्दों का ख़ुदावन्द है। आ'माल अध्याय-10 आयत-36 अफ्सी अध्याय-1 आयत 22,23, मुकाशिफात अध्याय-19 आयत-16

चतुर्थ- कुल संसार का अधिकार रखता है

मती अध्याय-28 आयत-28 और यसू ने पास आकर उसे कहा कि आकाश और पृथ्वी का सम्पूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है मती अध्याय-1 आयत-7 इब्रानी अध्याय-1 आयत-3

पंचम- अलमसीह की उपासना (इबादत)

इन आयतों में जिस शब्द का अनुवाद सज्दा हुआ है। मूल भाषा में प्रास अख़ुमाई है जिसके विशेष अर्थ ख़ुदा की उपासना के हैं।

मती अध्याय-2 आयत-11, अध्याय-8 आयत-2, अध्याय-9 आयत-18, अध्याय-14 आयत-33, अध्याय-15 आयत-25, अध्याय-20 आयत-20, अध्याय-14 आयत-33, अध्याय-15 आयत 25, अध्याय-20 आयत-20, अध्याय-28 आयत-9, मर्कस अध्याय-5 आयत-6, पहला तस्बीलकुन अध्याय-3 आयत 11, इब्रानी अध्याय-1 आयत 6, फिल्पी अध्याय-2 आयत-10,11 नबी और बुज़ुर्ग और फ़रिश्ते अपनी ऐसी उपासना से इन्कार सख्त करते रहे परन्तु मसीह ने इन्कार नहीं किया। मुकाशिफात अध्याय-19 आयत-11, यूहन्ना ने इन्कार किया आ'माल अध्याय-10 आयत-26, पतरस ने इन्कार किया अध्याय-14 आयत-14, पोलूस ने इन्कार किया।

षष्टम- अलमसीह से दुआ मांगी जाती है आ'माल अध्याय-7 आयत-

59, इस्तफ्नस पर पथराव किया कि जो यह दुआ मांगता था कि हे ख़ुदावन्द यसू मेरी रूह को स्वीकार कर। मर्कस अध्याय-9 आयत-24, लूका अध्याय-23 आयत-42, यूहन्ना अध्याय-9 आयत-38, दूसरी क़रंती अध्याय-12 आयत-8,9 मुकाशिफात अध्याय-5 आयत-8,12,13

सप्तम- अलमसीह दुनिया की अदालत करेगा। मती अध्याय-16 आयत-27 क्योंकि इब्ने आदम (आदम का बेटा) अपने बाप के प्रताप में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। तब हर एक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। दूसरी क़रंती अध्याय-5 आयत-10 क्योंकि हम सब को अवश्य है कि मसीह की अदालत की चौखट के आगे उपस्थित हों ताकि प्रत्येक जो कुछ उसने शरीर में होकर किया भला या बुरा उसके अनुसार पाए। मती अध्याय-13 आयत-41 से 43, अध्याय-25 आयत-31 से 46, यूहन्ना अध्याय-5 आयत-22,23, आ'माल अध्याय-10 आयत-42

अष्टम- अलमसीह पापों को क्षमा करता है। मती अध्याय-9 आयत-6 परन्तु ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। लूका अध्याय-5 आयत-20 से 26, अध्याय-7 आयत-48

नवम- अलमसीह अपने फ़रिश्तों को भेजता है। मती अध्याय-13 आयत-41 इब्ने आदम अपने फ़रिश्तों को भेजेगा। मुकाशिफात अध्याय-1 आयत-1, अध्याय-22 आयत-6

नोट- यदि मसीह केवल इन्सान ही होता तो उपरोक्त कथित विशेषताएं जो ,जो केवल ख़ुदा के अस्तित्व पर लागू हो सकती हैं उस पर किस प्रकार लागू होतीं। इसके अतिरिक्त स्पष्ट हो कि मनुष्य की मुक्ति और दण्ड इत्यादि के बारे में अलमसीह से वे कार्य सम्बद्ध किए जो स्रष्टा के अतिरिक्त कोई सृष्टि नहीं कर सकती और न बाइबल में किसी अन्य की ओर सम्बद्ध किए गए।

अब आप की उन बातों का उत्तर जो पहले पूरा न हुआ था वह यह है कि आपने मसीह की ख़ुदाई के विरुद्ध उसका वह बयान लिया है जो तुम्हारी किताबों में लिखा है तुम सब ख़ुदा हो। तब तुम मेरे ख़ुदा होने को क्यों रद्द करते हो।

मिर्ज़ा साहिब फ़रमाते हैं कि उचित तो यह था कि इस स्थान पर मसीह अपने ख़ुदाई के दावे को विवरण सहित प्रस्तुत और सिद्ध करता।

उत्तर- मेरा निवेदन यह है कि एक व्यक्ति का कुछ वर्णन करना उसके समस्त दरमियानी कारणों के विपरीत उसके मध्य का शेष रहा नहीं अर्थात् इसमें ख़ुदाई का इन्कार नहीं। इसमें अलमसीह का उद्देश्य केवल उनके क्रोध को दूर करना था क्योंकि वे उस पर इस बात पर पथराव करना चाहते थे कि उसने कहा कि मैं ख़ुदा का बेटा हूं और उन्होंने ये मायने किए और सही किए कि तू अपने आप को ख़ुदा का बेटा ठहरा कर ख़ुदा के बराबर बनता है। अतः यह तेरा कुफ़्र है। हम इसलिए तुझे पथराव करते हैं। उसने कहा कि शब्द अल्लाह कहने से मुझ पर कुफ़्र किस प्रकार लागू करते हो। क्या तुम्हारे यहां नबियों की किताबों में नहीं लिखा कि क़ाज़ी और बुज़ुर्ग **उलूहीम** कहलाए। यदि वे **उलूहीम** कहलाए और उन पर कुफ़्र नहीं पड़ा और मुझको जिसे ख़ुदा ने विशिष्ट किया है कुफ़्र का आरोप लगाते हो। यहां से स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी उन्माद की ज्वाला को शांत किया है और अपनी ख़ुदाई का (इन शब्दों में) न इन्कार किया न इक़रार।

इति-(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क(प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह(प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब
25 मई 1893 ई.

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने **कमाल** के शब्द पर पकड़ की थी उसका किसी हद तक उत्तर संक्षेप को दृष्टिगत रखते हुए दे चुका हूं। परन्तु आदरणीय डिप्टी साहिब ने उसके साथ यह वाक्य भी मिला दिया है कि मुक्ति देने वाला कमाल होना चाहिए और मुक्ति दाता हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं

और उसके समर्थन में डिप्टी साहिब ने बहुत सी भविष्यवाणियां बाइबल और इब्रानियों के पत्रों इत्यादि से लिख कर प्रस्तुत की हैं। परन्तु मैं खेद के साथ लिखता हूं कि यह कठिन परिश्रम बेफ़ायदा उठाया गया। मेरी तरफ़ से यह शर्त हो चुकी थी कि दोनों सदस्यों में से जो सज्जन अपनी इल्हामी किताब के बारे में कुछ वर्णन करना चाहें उसमें यह नियम होना चाहिए कि यदि वह वर्णन दावे के प्रकार में से हो तो वह दावा भी इल्हामी किताब स्वयं प्रस्तुत करे और यदि वह वर्णन बौद्धिक तर्कों के प्रकारों में से हो तो चाहिए कि इल्हामी किताब बौद्धिक तर्कों को स्वयं प्रस्तुत करे न यह कि इल्हामी किताब प्रस्तुत करने से असमर्थ हो, और उसकी हालत पर दया करके उसकी सहायता की जाए। डिप्टी साहिब ध्यान दें कि जब मैंने ख़ुदाई के असत्य होने का तर्क प्रस्तुत किया तो वह अपनी ओर से नहीं किया अपितु वह बौद्धिक तर्क प्रस्तुत किया जो पवित्र क़ुर्आन ने स्वयं किया था। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय डिप्टी साहिब ने निर्धारित शर्तों के अनुसार बौद्धिक तर्कों से क्या प्रस्तुत किया। यदि डिप्टी साहिब यह कहें कि हमने भविष्यवाणियों का बहुत बड़ा भण्डार प्रस्तुत कर दिया तो इस से अधिक क्या प्रस्तुत किया जाता। तो इसके उत्तर में अफ़सोस से भरे हुए दिल के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि वे भविष्यवाणियां बौद्धिक तर्कों में से नहीं हैं वे तो अभी तक दावों के रूप में हैं जो अपने सबूत की भी मुहताज हैं कहाँ यह कि दूसरी बात को सिद्ध कर सकें। और मैं शर्त कर चुका हूं कि बौद्धिक तर्कों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस हद तक प्रस्तुत किया गया है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उसके सत्यापन से इन्कार कर रहे हैं। यद्यपि मैं अपने कल के बयान में किसी हद तक इसका सबूत दे चुका हूं परन्तु दर्शकों की मारिफ़त में वृद्धि करने के उद्देश्य से फिर कुछ लिखता हूं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम **यूहन्ना** अध्याय-10 आयत-30 में 37 तक स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मुझ में और दूसरे सानिध्य प्राप्त तथा पुनीत लोगों में इन शब्दों के बोले जाने में जो बाइबल में अधिकतर नबियों इत्यादि के बारे में बोले गए हैं जो **इब्नुल्लाह** हैं या ख़ुदा हैं कोई अन्तर और विशेषता नहीं। तनिक सोचकर देखना चाहिए कि हज़रत

मसीह पर यहूदियों ने यह बात सुनकर कि वह स्वयं को ख़ुदा का बेटा कहते हैं यह आरोप लगाया था कि तू कुफ्र कहता है अर्थात् काफ़िर है और फिर उन्होंने इस आरोप की दृष्टि से उनको पथराव करना चाहा और बहुत क्रोधित हुए। अब स्पष्ट है कि ऐसे अवसर पर कि जब हज़रत मसीह यहूदियों की दृष्टि में स्वयं को ख़ुदा का बेटा कहलाने के कारण काफ़िर मालूम होते थे उन्होंने उनको संगसार करना चाहा तो ऐसे अवसर पर जो अपने बरी होने या दावे को सिद्ध करने का अवसर था मसीह का कर्तव्य क्या था? प्रत्येक बुद्धिमान सोच सकता है कि उस अवसर पर जो काफ़िर बनाया गया आक्रमण किया गया, संगसार करने का इरादा किया गया। दो बातों में से एक बात को अपनाना मसीह का कर्तव्य था। प्रथम यह कि यदि वास्तव में हज़रत मसीह ख़ुदा तआला के बेटे ही थे तो इस प्रकार उत्तर देते कि मेरा यह दावा वास्तव में सच्चा है और मैं निश्चित तौर पर ख़ुदा तआला का बेटा हूं और इस दावे को सिद्ध करने के लिए मेरे पास दो सबूत हैं। एक यह कि तुम्हारी किताबों में मेरे संबंध में लिखा है कि मसीह वास्तव में ख़ुदा तआला का बेटा है बल्कि स्वयं ख़ुदा है, सर्व-शक्तिमान है, अन्तर्यामी है और जो चाहता है करता है। यदि तुम्हें सन्देह है तो लाओ किताबें प्रस्तुत करो। मैं उन किताबों से तुम्हें अपनी ख़ुदाई का सबूत दिखाऊंगा। यह तुम्हारा बोधभ्रम और कम ध्यान देना अपनी किताबों के बारे में है कि तुम मुझे काफ़िर ठहराते हो। तुम्हारी किताबें ही तो मुझे ख़ुदा बना रही हैं और सर्वशक्तिमान बना रही हैं फिर मैं काफ़िर क्योंकर हुआ बल्कि तुम्हें तो चाहिए कि अब मेरी उपासना और पूजा आरम्भ कर दो कि मैं ख़ुदा हूं।

फिर दूसरा सबूत यह देना चाहिए कि आओ ख़ुदाई के लक्षण मुझ में देख लो। जैसे ख़ुदा तआला ने सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्रों और पृथ्वी इत्यादि को पैदा किया है। पृथ्वी का एक खण्ड या कोई नक्षत्र अथवा कोई अन्य वस्तु मैंने भी पैदा की है और अब भी पैदा करके दिखा सकता हूं तथा नबियों के मामूली चमत्कारों से बढ़कर मुझे शक्ति और क़ुदरत प्राप्त है और उचित था कि अपने ख़ुदाई के कार्यों की एक विवरण सहित सूची उनको देते कि देखो कि मैंने आज

तक ख़ुदाई के ये-ये कार्य किए हैं। क्या हज़रत मूसा से लेकर तुम्हारे किसी अन्तिम नबी तक ऐसे कार्य किसी अन्य ने भी किए हैं। यदि ऐसा सबूत देते तो यहूदियों का मुंह बंद हो जाता और उसी समय समस्त फ़क़ीह (धार्मिक मुफ़्ती) और फ़रीसी (यहूदी विद्वान) आपके सामने सज्दे में गिरते कि हाँ हज़रत! अवश्य ख़ुदा ही हैं। हम भूले हुए थे आपने उस सूर्य के सामने जो आरम्भ से चमकता हुआ चला आता है और दिन को प्रकाशित करता है और उस चन्द्रमा के सामने जो एक सुन्दर प्रकाश के साथ रात को निकलता है और रात को प्रकाशमान कर देता है। आपने एक सूर्य और एक चन्द्रमा अपनी ओर से बनाकर हमको दिखला दिया है है और किताबें खोलकर अपनी ख़ुदाई का सबूत हमारी मान्य एवं स्वीकारिता प्राप्त किताबों से प्रस्तुत कर दिया है। अब हमारी क्या मजाल है कि भला आपको ख़ुदा न कहें। जहां ख़ुदा ने अपनी कुदरतों के साथ झलक दिखाई वहाँ असहाय बन्दा क्या कर सकता है। परन्तु हज़रत मसीह ने इन दोनों सबूतों में से किसी सबूत को भी प्रस्तुत नहीं किया और प्रस्तुत किया तो **इन इबारतों** को प्रस्तुत किया, सुन लीजिए-

तब यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए कि उस पर पथराव करें। यसू ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने अपने बाप के बहुत से अच्छे काम तुम्हें दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो। यहूदियों ने उसे उत्तर दिया कि हम तुझे अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि इसलिए तुझे पथराव करते हैं कि तू कुफ़्र कहता है और इन्सान हो कर स्वयं को ख़ुदा बनाता है। यसू ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या तुम्हारी शरीअत में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ख़ुदा हो जबकि उसने उन्हें जिनके पास ख़ुदा का कलाम आया ख़ुदा कहा और संभव नहीं कि किताब झूठी हो। तुम उसे जिसे ख़ुदा ने विशिष्ट किया और संसार में भेजा कहते हो कि तू कुफ़्र बकता है जो मैंने कहा कि मैं ख़ुदा का बेटा हूं।

अब न्याय करने वाले सोच लें कि क्या कुफ़्र का इल्ज़ाम दूर करने के लिए और स्वयं को वास्तविक तौर पर अल्लाह तआला का बेटा सिद्ध करने के लिए यही उत्तर था कि यदि मैंने बेटा कहलाया तो क्या हानि हो गई। तुम्हारे

बुज़ुर्ग भी ख़ुदा कहलाते रहे हैं।

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब इस स्थान पर फ़रमाते हैं कि जैसे हज़रत मसीह उनकी बग़ावत से भयभीत हो गए और असली उत्तर को छुपा लिया और तकिय:* कर लिया। परन्तु मैं कहता हूं कि क्या यह उन नबियों का काम है जो अल्लाह तआला के मार्ग में हर समय प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। पवित्र क़ुर्आन में अल्लाह तआला फ़रमाता है-

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ

(सूर: अल अहज़ाब-40)

अर्थात् अल्लाह तआला के सच्चे पैग़म्बर जो उसके पैग़ाम (सन्देश) पहुंचाते हैं वे सन्देश पहुंचाने में किसी से नहीं डरते। फिर मसीह सर्वशक्तिमान कहला कर कमज़ोर यहूदियों से क्यों डर गए?

अब इस से साफ तौर पर स्पष्ट है कि हज़रत मसीह ने वास्तविक तौर पर ख़ुदा का बेटा होने या ख़ुदा होने का कभी दावा नहीं किया और इस दावे में स्वयं को उन समस्त लोगों का समरूप ठहराया और इस बात का इक़रार किया कि उन्हीं के अनुसार यह दावा भी है। तो फिर इस स्थित में वे भविष्यवाणियां जो डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब प्रस्तुत करते हैं वे शर्त के अनुसार क्योंकर सही समझी जाएँगी। ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हज़रत मसीह तो कुफ्र के आरोप से बचने के लिए केवल यह बहाना प्रस्तुत करते हैं कि मेरे बारे में इस प्रकार बेटा होने का शब्द बोला गया है जिस प्रकार तुम्हारे बुज़ुर्गों के बारे में बोला गया है। मानो यह बात कहते हैं कि मैं तो उस समय दोषी और दण्ड का पात्र होता जब विशेष तौर पर बेटा होने का दावा करता। बेटा कहलाने और ख़ुदा कहलाने से तुम्हारी किताबें भरी पड़ी हैं देख लो। फिर हज़रत मसीह ने केवल इसी पर बस नहीं की बल्कि आपने इंजील के कई स्थानों में अपनी इन्सानी कमज़ोरियों का इक़रार किया जैसा कि जब उनसे क़यामत (प्रलय) का पता पूछा गया तो आपने अपनी अज्ञानता व्यक्त की और

***तकिय: -** वह रहस्य जो दिल में रखा जाए और किसी के भय से प्रकट न किया जाए (अनुवादक)

कहा कि अल्लाह तआला के अतिरिक्त क़यामत के समय को कोई नहीं जानता।

अब बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्म का ज्ञान की विशेषताओं में से है न कि शरीर की विशेषताओं में से। यदि उनमें अल्लाह तआला की रूह थी और यह स्वयं अल्लाह तआला ही थे तो अज्ञानता के इक़रार का क्या कारण? क्या ख़ुदा तआला ज्ञान के बाद अज्ञान भी हो जाया करता है। फिर **मती** अध्याय-19 आयत-16 में लिखता है-

"देखो एक ने आ के उसे (अर्थात् मसीह से) कहा- हे नेक उस्ताद मैं कौन सा नेक काम करूँ कि हमेशा का जीवन पाऊँ। उसने उसे कहा- तू क्यों मुझे नेक कहता है नेक तो कोई नहीं परन्तु एक अर्थात् ख़ुदा। फिर मती अध्याय-20 आयत-20 में लिखा है कि ज़बदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के हज़रत मसीह के दाएं-बाएँ बैठने की विनती की तो फ़रमाया- इसमें मेरा अधिकार नहीं। अब बताइए सर्वशक्तिमान होना कहाँ गया। सर्वशक्तिमान भी कभी अधिकारविहीन हो जाया करता है और जबकि विशेषताओं में इतना विरोधाभास हो गया कि हवारी लोग तो आपको सर्वशक्तिमान समझते हैं और आप सर्वशक्तिमान होने से इन्कार कर रहे हैं। तो इन प्रस्तुत की गई भविष्यवाणियों को क्या सम्मान और क्या महत्त्व। शेष रही कि जिसके लिए ये प्रस्तुत की जाती हैं वही इन्कार करता है कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं यह बात ख़ूब है। फिर **मती** अध्याय-26 आयत-38 में लिखा है जिसका सार यह है कि "मसीह" ने सारी रात अपने बचने के लिए दुआ की और अत्यन्त शोकाकुल और निराश हो कर तथा रो-रो कर अल्लाह से याचना की कि यदि हो सके तो यह प्याला मुझ से गुज़र जाए और न केवल स्वयं बल्कि अपने हवारियों से भी अपने लिए दुआ कराई। जैसे आम लोगों में जब किसी पर कोई संकट आता है तो प्राय: मस्जिदों इत्यादि में अपने लिए दुआ कराया करते हैं। परन्तु आश्चर्य यह कि इसके बावजूद कि अकारण सर्वशक्तिमान की विशेषता ऊपर थोपी जाती है और उनके कार्यों को अधिकार पूर्ण समझा जाता है परन्तु फिर भी वह दुआ स्वीकार न हुई और जो प्रारब्ध में लिखा था वह हो ही गया। अब देखो यदि वह सर्वशक्तिमान होते तो चाहिए था कि यह बल और यह पूर्ण

क़ुदरत पहले उनको अपने लिए काम आती जब अपने नफ़्स के लिए काम न आई तो दूसरों (ग़ैरों) को उनसे आशा रखना एक व्यर्थ लालच है।

अब हमारे इस बयान से वे सारी भविष्यवाणियां जो डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने प्रस्तुत की हैं रद्द हो गईं और स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो गया कि हज़रत मसीह अपने कथनों एवं कर्मों के द्वारा स्वयं को असहाय ही ठहराते हैं और ख़ुदाई की कोई भी विशेषता उनमें नहीं, एक असहाय मनुष्य हैं। **हाँ अल्लाह के नबी निस्सन्देह हैं,** ख़ुदा तआला के सच्चे रसूल हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं। अल्लाह तआला **पवित्र क़ुर्आन** में फ़रमाता है-

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۵ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝۶

(सूरः अल अहकाफ़-5,6)

अर्थात् क्या तुम ने देखा कि जिन लोगों को तुम अल्लाह तआला के अतिरिक्त उपास्य (मा'बूद) ठहरा रहे हो, उन्होंने पृथ्वी में क्या पैदा किया और या उनको आकाश की पैदायश में कोई भागीदारी है। यदि इसका सबूत तुम्हारे पास है और कोई ऐसी किताब है जिसमें यह लिखा हो कि अमुक-अमुक वस्तु तुम्हारे उपास्य ने पैदा की है तो लाओ वह किताब प्रस्तुत करो यदि तुम सच्चे हो। अर्थात् यह तो हो नहीं सकता कि यों ही कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान का नाम रखवाले और क़ुदरत का कोई नमूना प्रस्तुत न करे और स्रष्टा कहलाए तथा स्रष्टा होने का कोई नमूना प्रकट न करे।

और फिर फ़रमाता है कि उस व्यक्ति से अधिकतम गुमराह (पथ भ्रष्ट) कौन व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति को ख़ुदा करके पुकारता है जो उसे प्रलय तक उत्तर नहीं दे सकता, अपितु उसके पुकारने से भी लापरवाह है कहाँ यह कि उसको उत्तर दे सके।

अब इस स्थान पर मैं एक सच्ची गवाही देना चाहता हूं जो मुझ पर अनिवार्य है और वह यह है कि-

"मैं उस अल्लाह पर ईमान लाता हूं जो कहने को सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि वास्तविक एवं निश्चित तौर पर सर्वशक्तिमान है और मुझे उसने अपनी कृपा एवं मेहरबानी से अपने विशेष वार्तालाप से सम्मानित किया है और मुझे सूचना दे दी है कि मैं जो सच्चा और कामिल ख़ुदा हूं प्रत्येक मुकाबले में जो रूहानी (आध्यात्मिक) बरकतों और आकाशीय समर्थनों में किया जाए तेरे साथ हूं और तुझे विजयी करूंगा।"

अब मैं इस सभा में डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब की सेवा में और दूसरे समस्त ईसाई सज्जनों की सेवा में कहता हूं कि इस बात को अब लम्बा करने की क्या आवश्यकता है कि आप ऐसी भविष्यवाणियां प्रस्तुत करें जो हज़रत मसीह के अपने कार्यों और कर्म के विपरीत पड़ी हुई हैं। एक सीधा और सरल फैसला है जो मैं जीवित एवं कामिल ख़ुदा से किसी निशान के लिए दुआ करता हूं और आप हज़रत मसीह से दुआ करें। आप आस्था रखते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है। फिर यदि सर्वशक्तिमान है तो आप अवश्य सफल हो जाएँगे। और मैं इस समय अल्लाह तआला की क़सम खाकर कहता हूं कि यदि मैं मुकाबले में निशान बताने में असमर्थ रहा तो हर दण्ड अपने ऊपर उठा लूँगा और यदि आप ने मुकाबले पर कुछ दिखलाया तब भी दण्ड उठा लूँगा। चाहिए कि आप ख़ुदा की प्रजा पर दया करें। मैं भी अब वृद्धावस्था तक पहुँचा हुआ हूं और आप भी वृद्ध हो चुके हैं। हमारा अन्तिम ठिकाना अब क़ब्र है। आओ अब इस प्रकार से फैसला कर लें। सच्चा और कामिल ख़ुदा निस्सन्देह सच्चे की सहायता करेगा। अब इस से अधिक क्या कहूँ।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

पांचवां पर्चा
मुबाहसा 26 मई 1893 ई.
वृत्तान्त

आज 6 बजकर 11 मिनट पर मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने उत्तर लिखाना प्रारम्भ किया और बुलंद आवाज़ से सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 7 बजकर 22 मिनट पर आरम्भ किया और 8 बजकर 22 मिनट पर समाप्त हुआ। मिर्ज़ा साहिब का लेख सुनाए जाने के पश्चात् यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि मिर्ज़ा साहिब ने जो अपने लेख के अन्त में ईसाई जमाअत को आम तौर पर संबोधित किया है इस के संबंध में कुछ ईसाई सज्जनों को जो इच्छा रखते हैं कि उत्तर देने की अनुमति दी जाए। सर्वप्रथम पादरी टाम्स हावल साहिब ने अनुमति मांगी। मिर्ज़ा साहिब ने अपनी ओर से अनुमति दे दी। तत्पश्चात पादरी इहसानुल्लाह साहिब ने कहा कि शर्तों के अनुसार ईसाई लोगों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं और इस प्रश्न में ईसाई लोगों को सामान्यतया संबोधित किया गया है। इसलिए यह प्रश्न अनावश्यक ही समझा जाना चाहिए। इस पर मुसलमानों की ओर से सभापति ने कहा कि जिस क्रम के साथ प्रश्न हुआ है उस क्रम के साथ उत्तर दिया जाना चाहिए। अर्थात् प्रश्न भी मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब के द्वारा ईसाई लोगों से किया गया है और उत्तर भी उन्हीं के द्वारा उसी क्रम के साथ दिया जाए। अर्थात् प्रश्न के उत्तर के अवसर पर किसी ईसाई साहिब को जो अनुमति मांगते हैं प्रस्तुत कर दें। इस पर ईसाइयों के सभापति ने कहा कि इस ढंग से मुबाहसे की व्यवस्था में ख़राबी आएगी। उचित यह है कि इस प्रश्न को ही निकाल दिया जाए। इस पर मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि इसमें इतना संशोधन किया जा सकता है कि इस प्रश्न को केवल मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब तक ही सीमित किया जाए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके बाद पादरी जी.एल.ठाकुर दास साहिब ने अनुमति लेकर कहा कि मिर्ज़ा साहिब को ईसाई लोगों से करने का अधिकार है। परन्तु चूंकि इस से पूर्व इस

बात का निर्णय हो चुका था, इसलिए वही यथावत् रहा। फिर मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने उत्तर 8 बजकर 51 मिनट पर आरम्भ किया और 9 बजकर 22 मिनट पर समाप्त किया। फिर मिर्ज़ा साहिब ने 9 बजकर 30 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 10 बजकर 30 मिनट पर समाप्त किया। तत्पश्चात दोनों सदस्यों के लेखों पर सभापति महोदयों के हस्ताक्षर लिए गए और सत्यापित लेख दोनों सदस्यों को दिए गए और सभा समाप्त हुई।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क(प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फसीह(प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब

हमारा कहना यह है कि मसीह कामिल इन्सान और ख़ुदा का कामिल मज़्हर (द्योतक) है। ख़ुदा के कलाम के अनुसार इन दो बातों का इन्कार असंभव है। परन्तु निस्सन्देह यहूदी उसको ख़ुदा का द्योतक नहीं जानते थे। फिर जब कभी उसके मुंह से ख़ुदा का द्योतक होने का कोई शब्द निकल आता था तो यहूदी उस पर कुफ्र का आरोप लगाकर संगसार करने पर तत्पर होते थे। अत: विवादित अवसर की भी यही स्थिति है। इस अवसर पर मसीह ने फ़रमाया कि यदि मैं अपनी इन्सानियत (मानवता) से भी स्वयं को ख़ुदा का बेटा कहूं तो इस से अधिक कुछ नहीं जैसे तुम्हारे नबी भी ख़ुदा कहलाए, तो मेरा कहना उसकी इन्सानियत की अपेक्षा उनसे अधिक भी नहीं है। अत: यहां उसने अपने ख़ुदा का द्योतक होने का इन्कार क्योंकर किया। ख़ुदा का द्योतक होने की आयतें तो हमारी कल की दी हुई सूची में भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहिब उसको किस सुधारणा से अस्वीकार करते हैं। उस में कौन सी बात उसके झूठे होने की पकड़ी। क्या जो बात विशेषत: मसीह की इन्सानियत के बारे में है वह उसकी ख़ुदाई के विपरीत या ख़ुदा का द्योतक होने की भी हो सकती है। किसी क़ानून से कदापि नहीं। सच तो यह है कि वह अपनी इन्सानियत में भी विशिष्ट और भेजा हुआ व्यक्ति

था। वह शब्द जिसका अनुवाद विशिष्ट है यूनानी में **"है गी एडज़ु"** जिसके अर्थ मुकद्दस और भेजा गया है। जो शब्द है उसका इशारा इस पर है कि वह कहा करता था कि मैं आकाश पर से हूं तुम ज़मीनी हो अर्थात् मैं आकाश से पृथ्वी पर भेजा गया हूं। हमारे व्याख्याकार प्राय: इसके अर्थ ख़ुदाई के करते हैं। फिर क्या मिर्ज़ा साहिब ने इसे यूहन्ना अध्याय-10 में यह न देखा कि जैसा मसीह ने प्रथम यह दावा किया था कि मैं और बाप एक हैं, जिस पर यहूदियों ने पत्थर उठाए थे इस विचार से कि वह इन्सान सृष्टि होकर दावा अल्लाह होने का करता है। फिर जब उसने अपनी इन्सानियत को भी इस इल्ज़ाम से बचा लिया तो फिर वही दावा प्रस्तुत कर दिया कि मैं और बाप एक हैं। आप यह क्योंकर कहते हैं कि वह डर गया। बजाए डरने के उसने और भी खुल्लम खुल्ला ख़ुदाई का दावा प्रस्तुत किया तो यह सही है कि एक अवसर पर ख़ुदावन्द मसीह ने फ़रमाया कि मैं उस घड़ी (समय) से अवगत नहीं और दूसरे अवसर पर फ़रमाया कि मेरे दाएं और बाएँ बिठलाना मेरे अधिकार में नहीं, परन्तु ये वाक्य उसकी इन्सानियत से संबंध रखते हैं। क्योंकि ख़ुदाई के वाक्य और हैं। अत: यह कि पृथ्वी और आकाश का अधिकार मुझे प्राप्त है। और फिर यह भी सही है कि एक अवसर पर ख़ुदावन्द ने फ़रमाया कि तू मुझे नेक क्यों कहता है जबकि नेक ख़ुदा के अतिरिक्त कोई नहीं, परन्तु उसका यह कहना उस व्यक्ति से था जो उसे हर वस्तु का मुक्ति दाता और स्वामी नहीं मानता था। अत: जब उसने अन्त में उस से कहा कि यदि कामिल हुआ चाहता है तो अपना सारा माल गरीबों को दे डाल और मेरे पीछे हो ले। परन्तु वह उस से निराश होकर चला गया और यदि वह उसको ख़ुदा और स्वामी (मालिक) जानता और यह कि वह उस से हज़ार गुना दे सकता है तो कभी भी निराश हो कर न जाता। इस से स्पष्ट है कि वह उसकी ख़ुदाई को नहीं मानता था। इसलिए ख़ुदावन्द ने फ़रमाया कि तब तू मुझे नेक भी क्यों कहता है अर्थात् मक्कार क्यों बनता है। क्योंकि तू जानता है कि नेक ख़ुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं।

(2)- जनाब मिर्ज़ा साहिब ने मुक्ति-मार्ग पर कमाल होने के बारे में पवित्र

क़ुर्आन से कुछ नहीं कहा। फिर हमारी और कोई चीज़ किस द्योतक होने की है मसीह के कथानुसार यदि हम दुनिया को प्राप्त करें और जान को खो दें तो लाभ क्या हुआ। अत: सर्वप्रथम अनिवार्य और आवश्यक है कि मुक्ति के बारे में क़ुर्आन में कमाल दिखलाया जाए। बैत वह हो तो यह होती हो या न हो वह न हो तो सब का सब फ़ना हो। तौहीद का ज्ञान तो बाइबल में भी मौजूद था परन्तु इस तौहीद के वाक्य से मुक्ति का क्या संबंध है। क्या याक़ूब हवारी के पत्र के दूसरे अध्याय आयत-19 में बहुत उचित और आवश्यक तौर पर नहीं कहा गया कि तू कहता है कि ख़ुदा एक है, शैतान भी कहता है बल्कि ठहराता भी है। तौरात के लेख के चार भाग में प्रमाणित बातों के अतिरिक्त अर्थात् नैतिक शरीअत परंपरागत शरीअत, क़ज़ाई (न्याय सबंधी) शरीअत, किस्सों की शरीअत। अब ये सारी बातें **टेपालौजी** की हैं अर्थात् चित्रों से संबधित निशानों से। अत: **नैतिक** में आवश्यकता दिखाई गई है और **परंपरागत में आवश्यकता** नहीं दिखाई गई है और **कुज़ाती** में (थियोकर से) दिखाई गई अर्थात् वह शासन जो ख़ुदा तआला किसी अन्य के माध्यम के बिना स्वयं करता है और **क़िस्से** जिनमें चित्रों के निशान भरे हैं। इन स्थानों को अब यदि हम यहां लिखें तो बहुत विस्तार हो जाता है। हम इसके लिए अपनी पुस्तक '**अन्दरूना बाइबल**' को प्रस्तुत करते हैं कि जिससे यह सब हाल प्रकट हो जाएगा। इंजील में उन्हीं निशानों का दिखाने वाला दिखाया है। अत: यह बिखरी हुई शरिअतें क्योंकर हुई। हाँ क़ुर्आन की शरीअत इनके अतिरिक्त है जो क़ुर्आन के साथ विशिष्ट है। इस के सबूत का दायित्व हम पर कुछ नहीं परन्तु आप पर है।

(3)- **सदाक़त (सच्चाई)** तर्क की मुहताज क्योंकर है? क्या वह स्वयं ही अपने अभीष्ट को सिद्ध नहीं करती। इसके लिए आप और क्या फैसला चाहते हैं। क्या वे आयतें जो हमने उस सूची में प्रस्तुत की हैं उनमें कोई अस्पष्ट भी है।

(4)- हम से जो यह पूछा गया है कि मसीह ने क्या बनाया था? ख़ुदा ने तो पृथ्वी, आकाश तथा सब वस्तुएँ बनाईं। इसके उत्तर में कहना यह है कि इन्सानियत की हैसियत से तो उसने कुछ नहीं बनाया परन्तु ख़ुदाई के दूसरे उक़्नूम

के द्योतक की हैसियत से अम्साल अध्याय-8 और यूहन्ना अध्याय-1 में यों लिखा है- जो कुछ बना है उसी के माध्यम से बना है और यह कि बाप को किसी ने देखा तक नहीं परन्तु बेटे ने पैदा करने के माध्यम से उसे बता दिया।

(5)- हम ने ख़ुदावन्द मसीह का डरना नहीं कहा बल्कि उनका अनुचित क्रोध दूर करना कहा है।

(6)- मसीह ने पिछलों की शिक्षा को पेचीदा नहीं किया बल्कि पेचीदा को स्पष्ट किया है। अत: उसने ख़ुदा का मज़हर (द्योतक) होकर वे विशेषताएं प्रकट कीं जो अन्य प्रकार से प्रकट नहीं हो सकती थीं। जैसा कि मती अध्याय-6 आयत-9 में ख़ुदा का बाप होना, यूहन्ना 3/16 ख़ुदा मोहब्बत है, यूहन्ना 4/24 ख़ुदा रूह है में एकता में अनेकता तोरैत में स्पष्ट लिखी थी, जैसा कि इस आयत में है कि देखो इन्सान नेक और बद (अच्छे और बुरे) की पहचान में हम में से एक के समान हो गया, तथापि यहूदियों की आंख में लापरवाही का पर्दा था और ख़ुदावन्द ने उस परदे को उठा दिया।

(7)- ख़ुदा के कलाम की व्याख्या करना यहूदियों का विशेष विरसा नहीं है यद्यपि वे नबियों की सन्तान है और कलाम के अमानतदार और निरन्तर से सुनने वाले। क्योंकि उनमें बैर और द्वेष बहुत भर गया था और जब ख़ुदावन्द यसू ने यह कहा कि वे जो कहते हैं सो करो और जो करते हैं वह न करो। इसके अर्थ साफ तौर पर ये हैं कि कहना उनका तौरात के शब्दों से है और उनका करना इसके विपरीत।

(8)- मसीह का शरीर पतनशील हो या न हो परन्तु इस से कफ़्फ़ारे का क्या संबंध है। अभी और कुछ न कहूँगा।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क(प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह(प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

मेरे कल के बयान में मुक्ति के बारे में कुछ लिखना रह गया था कि मुक्ति (निजात) की वास्तविकता क्या है और सच्चे एवं वास्तविक तौर पर कब और किस समय किसी को कह सकते हैं कि निजात (मुक्ति) पा गया। अत: जानना चाहिए कि अल्लाह तआला ने **निजात** के बारे में **पवित्र क़ुर्आन** में यह फ़रमाया है-

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ بَلٰى ۗ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

(सूर: अल बक़रह-112,113)

और कहा उन्होंने कि हरगिज़ दाखिल नहीं होगा स्वर्ग में अर्थात् निजात (मुक्ति) नहीं पाएगा परन्तु वही व्यक्ति जो यहूदी होगा या नसरानी (ईसाई) होगा। ये उनकी व्यर्थ आशाएं हैं। कहो लाओ अपना ठोस सबूत यदि तुम सच्चे हो अर्थात् तुम दिखाओ कि क्या तुम्हें **निजात** प्राप्त हो गयी है। अपितु निजात उसे मिलती है जिसने अपना सम्पूर्ण अस्तित्व अल्लाह के मार्ग में सुपुर्द कर दिया अर्थात् अपने जीवन को ख़ुदा तआला के मार्ग में समर्पित कर दिया और उसके मार्ग में लगा दिया और वह अपने जीवन को समर्पित करने के पश्चात नेक (शुभ) कार्यों में व्यस्त हो गया और हर प्रकार के अच्छे कार्य करने लगा। अत: वही व्यक्ति है जिसको उसका प्रतिफल उसके रब्ब के पास से मिलेगा। ऐसे लोगों को न कुछ डर है और न वे कभी उदास होंगे अर्थात् वे पूर्ण एवं कामिल तौर पर निजात पा जाएँगे। इस स्थान में अल्लाह तआला ने **ईसाइयों** और **यहूदियों** के बारे में फ़रमा दिया कि वे जो अपनी-अपनी मुक्ति प्राप्ति का दावा करते हैं वे केवल उनकी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की वास्तविकता जो **जीवन की रूह** है उनमें कदापि नहीं पाई जाती अपितु असली एवं वास्तविक मुक्ति वह है जो इसी संसार में उसकी मुक्ति की वास्तविकता या बन्दे को महसूस हो जाए। और वह

इस प्रकार से है कि मुक्ति या बन्दे को अल्लाह तआला की ओर से यह तौफ़ीक (सामर्थ्य) प्रदान हो जाए कि वह अपना सम्पूर्ण अस्तित्व ख़ुदा तआला के मार्ग में समर्पित कर दे। इस तरह पर कि उसका **मरना, जीना** और उसके समस्त **कर्म** ख़ुदा तआला के लिए हो जाएँ और अपने नफ़्स से वह बिल्कुल खोया जाए और उसकी इच्छा ख़ुदा तआला की इच्छा हो जाए और फिर यह बात न केवल दिल के संकल्प तक सीमित रहे बल्कि उसके सम्पूर्ण अवयव एवं समस्त अंग, उसकी बुद्धि, उसकी चिन्ता और उसकी सम्पूर्ण शक्तियां इसी मार्ग में लग जाएँ, तब उसे कहा जाएगा कि वह मुहसिन है अर्थात् सेवा एवं आज्ञाकारी होने का हक़ अदा किया। जहां तक उसके इन्सान होने के नाते हो सकता था। ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त है। जैसा कि एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला फ़रमाता है-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۶۴﴾ (सूरः अल अनआम-163,164)

कह मेरी नमाज़ और मेरी इबादतें और मेरा जीवन और मेरी मृत्यु सब उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्ब है (सब) लोकों का, जिसका कोई भागीदार नहीं और इस श्रेणी को प्राप्त करने का मुझे आदेश दिया गया है और मैं मुसलमानों में से प्रथम हूं।

इसके पश्चात अल्लाह तआला उस निजात (मुक्ति) के लक्षणों का पवित्र क़ुर्आन में उल्लेख करता है। क्योंकि यद्यपि जो कुछ कहा गया वह भी एक वास्तविक निजात पाने वाले के लिए पहचानने की वस्तु है। परन्तु चूंकि संसार की आंखें इस आन्तरिक मुक्ति और अल्लाह तक पहुँचने को देख नहीं सकतीं और संसार पर मिलने वाले और न मिलने वाले की बात संदिग्ध हो जाती है। इसलिए उसकी निशानियां भी बता दीं। क्योंकि यों तो संसार में कोई भी फ़िर्क़ा (समुदाय) नहीं कि स्वयं को मुक्ति न पाने वाला या नारकी कहता है। किसी से पूछ कर देख लें बल्कि प्रत्येक क़ौम का आदमी जिसको पूछो अपनी क़ौम को तथा अपने धर्म के लोगों को प्रथम श्रेणी का मुक्ति प्राप्त बताएगा। इस स्थिति में

फैसला कैसे हो? तो इस फैसले के लिए ख़ुदा तआला ने **वास्तविक** एवं कामिल ईमानदारों तथा वास्तविक एवं कामिल मुक्ति प्राप्त लोगों के लिए लक्षण निर्धारित कर दिए हैं और निशानियां ठहरा दी हैं ताकि संसार संदेहों में ग्रस्त न रहे। अतः उन सब निशानियों में से कुछ निशानियों का वर्णन नीचे किया जाता है-

اَلَآ اِنَّ اَوۡلِیَآءَ اللّٰہِ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۶۳﴾ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ کَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ ﴿۶۴﴾ لَہُمُ الۡبُشۡرٰی فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ ؕ لَا تَبۡدِیۡلَ لِکَلِمٰتِ اللّٰہِ ؕ ذٰلِکَ ہُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۶۵﴾ (सूरः यूनुस-63 से 65)

अर्थात् सावधान हो, निस्सन्देह वे लोग जो ख़ुदा तआला के मित्र हैं उन पर न कोई भय है और न वे उदास होंगे। वही लोग हैं जो ईमान लाए अर्थात् अल्लाह और रसूल के अधीन हो गए और फिर संयम धारण किया। उनके लिए ख़ुदा तआला की ओर से इस संसार के जीवन तथा आख़िरत (परलोक) में ख़ुशख़बरी है। अर्थात् ख़ुदा तआला स्वप्न एवं इल्हाम के द्वारा तथा क़श्फों से उनको ख़ुशख़बरियां देता रहेगा। ख़ुदा तआला के वादों में वादा भंग करना नहीं और यह बड़ी सफलता है जो उनके लिए निर्धारित हो गयी है अर्थात् इस सफलता के द्वारा उनमें और ग़ैरों में अन्तर हो जाएगा और जो सच्चे मुक्ति प्राप्त नहीं उनके सामने डीएम नहीं मार सकेंगे। फिर दूसरे स्थान पर फ़रमाते हैं-

اِنَّ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللّٰہُ ثُمَّ اسۡتَقَامُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَیۡہِمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ اَلَّا تَخَافُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ﴿۳۱﴾ نَحۡنُ اَوۡلِیٰٓؤُکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ ۚ وَ لَکُمۡ فِیۡہَا مَا تَشۡتَہِیۡۤ اَنۡفُسُکُمۡ وَ لَکُمۡ فِیۡہَا مَا تَدَّعُوۡنَ ﴿۳۲﴾ نُزُلًا مِّنۡ غَفُوۡرٍ رَّحِیۡمٍ ﴿۳۳﴾

(सूरः हा मीम अस्सज्दह-31 से 33)

अर्थात् जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब्ब अल्लाह है और फिर दृढ़ता धारण की उनकी यह निशानी है कि उन पर फ़रिश्ते उतारते हैं यह कहते हुए कि तुम मत डरो तथा कुछ अफ़सोस न करो और ख़ुशख़बरी सुनो उस स्वर्ग की जिसका तुम्हें वादा दिया गया था। हम तुम्हारे मित्र और अभिभावक इस सांसारिक जीवन

में हैं और आख़िरत में और तुम्हारे लिए इस स्वर्ग **में वह सब कुछ** दिया गया जो तुम माँगो। यह अतिथि सत्कार है बहुत क्षमा करने वाले तथा बहुत दयालु (ख़ुदा) की ओर से।

अब देखिए इस आयत में ख़ुदा का वार्तालाप और मान्यता तथा ख़ुदा तआला का अभिभावक और मुतवल्ली होना तथा इसी संसार में स्वर्गीय जीवन की नींव डालना और उनका समर्थन एवं सहायक होना बतौर निशान वर्णन किया गया। और फिर उस आयत में जिसका कल हम वर्णन कर चुके हैं अर्थात् यह कि-

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ (सूरः इब्राहीम- 26)

उसी निशानी की ओर संकेत करता है कि सच्ची निजात (मुक्ति) का पाने वाला हमेशा अच्छे फल लाता है और आकाशीय बरकतों के फल उसे सदैव मिलते रहते हैं। फिर एक अन्य स्थान में फ़रमाता है-

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾ (सूरः अलबक़रह-187)

और जब मेरे बन्दे मेरे बारे में प्रश्न करें तो उनको कह दे कि मैं निकट हूं अर्थात् जब वे लोग जो अल्लाह, रसूल पर ईमान लाए हैं यह पता पूछना चाहें कि ख़ुदा तआला हम से क्या चाहता है जो हम से विशिष्ट हों तथा अन्य में न पाई जाएँ। तू उनको कह दे कि मैं निकट हूं अर्थात् तुम में और तुम्हारे ग़ैरों (अन्य) में यह अन्तर है कि तुम मेरे विशिष्ट और निकट हो और दूसरे अलग और दूर हैं। जब कोई दुआ करने वालों में से जो तुम में से दुआ करते हैं दुआ करे तो मैं उसका उत्तर देता हूं अर्थात् मैं उससे परस्पर वार्तालाप करता हूं और उससे बातें करता हूं और उसकी दुआ को स्वीकारिता में स्थान देता हूं (अर्थात् स्वीकार करता हूं) अतः चाहिए कि मेरे आदेश को स्वीकार करें और ईमान लाएं ताकि भलाई पाएं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में अल्लाह तआला मुक्ति प्राप्त लोगों के निशान वर्णन करता है यदि वे सभी लिखे जाएँ तो विस्तार हो जाएगा।

जैसा कि उनमें से एक आयत यह भी है-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

(सूर: अल अनफ़ाल-30)

कि हे ईमान वालो! यदि तुम ख़ुदा तआला से डरो तो ख़ुदा तुम में और तुम्हारे ग़ैरों में पहचान के लिए अन्तर रख देगा।

अब मैं डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब से आदर पूर्वक पूछता हूं कि यदि ईसाई धर्म में निजात का कोई उपाय लिखा है और वह उपाय आपकी दृष्टि में सही और ठीक है और उस उपाय पर चलने **वाले निजात (मुक्ति)** पा जाते हैं तो अवश्य उस मुक्ति प्राप्ति के लक्षण भी उस किताब में लिखे होंगे और सच्चे ईमानदार जो मुक्ति पाकर इस संसार के अंधकार से मुक्ति पा जाते हैं इंजील में उनकी निशानियां अवश्य लिखी होंगी। आप कृपया मुझे संक्षेप में उत्तर दें कि क्या वे निशानियां आप लोगों के गिरोह में या कुछ ऐसे लोगों में जो बड़े-बड़े मुकद्दस तथा उस गिरोह के सरदार, पेशवा तथा प्रथम श्रेणी पर हैं पाई जाती हैं तो उनका सबूत दिया जाए। और यदि नहीं पाई जातीं तो आप समझ सकते हैं कि जिस बात के सही और उचित होने की निशानी न पाई जाए तो क्या वह बात अपने मूल पर सुरक्षित और कायम समझी जाएगी। उदाहरणतया यदि तुर्बद✳ (त्योड़ी) या सक़्मूनिया या सना✳ में दस्त लाने की विशेषता न पाई जाए कि वह दस्त लाने वाली न सिद्ध हो तो क्या उस तुर्बद को प्रशंसनीय तुर्बद या सक़्मूनिया शुद्ध कह सकते हैं तथा इसके अतिरिक्त जो आप लोगों ने मुक्ति का उपाय बताया है जिस समय हम इस उपाय को दूसरे उपाय के साथ जिसे पवित्र क़ुर्आन ने प्रस्तुत किया है तुलना करके देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर आप के उपाय का कृत्रिम और अस्वाभाविक होना सिद्ध होता है और यह बात सबूत तक पहुंचती है कि आप के उपाय में मुक्ति का कोई सही मार्ग स्थापित नहीं किया गया है। उदाहरणतया देखिए कि अल्लाह

✳तुर्बद- एक दस्त लाने वाली औषधि (त्योड़ी)। (अनुवादक)

✳सना- एक पौधा जिसकी पत्तियां दस्त लाने वाली होती हैं। (अनुवादक)

तआला पवित्र क़ुर्आन में जो उपाय प्रस्तुत करता है वह तो यह है कि मनुष्य जब अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को और अपने सम्पूर्ण जीवन को ख़ुदा तआला के मार्ग में समर्पित कर देता है तो उस स्थिति में वह एक सच्ची और पवित्र कुर्बानी अपने नफ़्स को क़ुर्बान करके अदा कर चुकता है और इस योग्य हो जाता है कि मृत्यु के बदले में जीवन पाए। क्योंकि यह आपकी पुस्तकों में भी लिखा है कि जो ख़ुदा के मार्ग में प्राण देता है वह जीवन का वारिस हो जाता है। फिर जिस व्यक्ति ने अल्लाह तआला के मार्ग में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया तथा अपने सम्पूर्ण अवयवों एवं अंगों को उसके मार्ग में लगा दिया तो क्या अब तक उसने कोई सच्ची क़ुर्बानी नहीं की? क्या प्राण देने के बाद कोई और चीज़ भी है जो उसने शेष रख छोड़ी है। किन्तु आप के धर्म का न्याय तो मुझे समझ नहीं आता कि ज़ैद पाप करे और उसके बदले में बकर को फांसी दी जाए। आप यदि ध्यानपूर्वक देखें तो निस्सन्देह ऐसा उपाय आप पर शर्म योग्य सिद्ध होगा। ख़ुदा तआला ने जब से मनुष्य को पैदा किया है, मनुष्य की क्षमा के लिए भी प्रकृति का नियम रखा है जिसे मैंने अभी वर्णन किया है और वास्तव में इस प्रकृति के नियम में जो स्वाभाविक तौर पर प्रारम्भ से चला आता है ऐसी विशेषता और ख़ूबी है कि एक ही इन्सान की प्रकृति में ख़ुदा तआला ने दोनों चीज़ें रख दी हैं। जैसे उसकी प्रकृति में पाप रखा है वैसा ही उस पाप का इलाज भी रखा और वह यह कि अल्लाह तआला के मार्ग में इस प्रकार से जीवन समर्पित कर दिया जाए कि जिसे सच्ची क़ुर्बानी कह सकते हैं। अब संक्षिप्त वर्णन यह है कि आप के नज़दीक मुक्ति का यह उपाय जो पवित्र क़ुर्आन ने प्रस्तुत किया है सही नहीं है तो प्रथम आपको चाहिए कि इस उपाय की तुलना में जो हज़रत मसीह की जीभ से सिद्ध होता है उसको ऐसा ही तार्किक एवं उचित तौर पर उनके बयान के हवाले से प्रस्तुत करें। तत्पश्चात उन्हीं के मुबारक कथन से उसकी निशानियां भी प्रस्तुत करें ताकि समस्त उपस्थित गण जो इस समय मौजूद हैं अभी फैसला कर लें। डिप्टी साहिब! कोई वास्तविकता निशानों के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। संसार में भी

वास्तविकताओं को पहचानने का एक मापदण्ड है कि उनको उनकी निशानियों से परखा जाए। हमने तो वे निशानियां प्रस्तुत कर दीं और उनका दावा भी अपने बारे में प्रस्तुत कर दिया। अब यह हमारा क़र्ज़ा आप के ज़िम्मे है। यदि आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे कि मुक्ति का यह उपाय जो हज़रत मसीह की तरफ़ सम्बद्ध किया जाता है किस कारण से सच्चा, सही और कामिल है तो उस समय तक आप का यह दावा कदापि सही नहीं समझा जा सकता। अपितु पवित्र क़ुर्आन ने जो कुछ वर्णन किया है वह सही और सच्चा है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने केवल वर्णन ही नहीं किया अपितु करके भी दिखा दिया और इसका सबूत मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। आप कृपा करके अब इस मुक्ति के क़िस्से को बिना सबूत एवं अकारण केवल दावे के तौर पर प्रस्तुत न करें। आप में से कोई साहिब खड़े होकर इस समय बोलें कि मैं हज़रत मसीह के कथन के अनुसार मुक्ति पा गया हूं और मुक्ति एवं कामिल (पूर्ण) ईमानदारी की वे निशानियां जो हज़रत मसीह ने निर्धारित की थीं वे मुझ में मौजूद हैं। तो हमें क्या इन्कार है हम तो मुक्ति ही चाहते हैं परन्तु जीभ के बड़बोलेपन को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपकी सेवा में निवेदन कर चुका हूं कि क़ुर्आन का **मुक्ति देना** मैंने स्वयं अपनी आँखों से देख लिया है और मैं पुनः अल्लाह तआला की क़सम खा कर कहता हूं मैं परस्पर तुलना में इस बात को प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हूं। परन्तु प्रथम आप मुझे दो शब्दों में उत्तर दें कि आप के धर्म में सच्ची मुक्ति उसके लक्षणों सहित पाई जाती है अथवा नहीं? यदि पाई जाती है तो दिखलाओ, फिर उसकी तुलना करो। यदि नहीं पाई जाती तो आप मात्र इतना कह दो कि हमारे धर्म में मुक्ति नहीं पाई जाती। फिर मैं एक तरफ़ा सबूत देने के लिए तैयार हूं।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षरअंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान डिप्टी मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब
(शेष उत्तर)

मिर्ज़ा साहिब ने जो फ़रमाया कि मसीह ने उसी समय ऐसा या वैसा सबूत क्यों न दिया जब उस पर कुफ्र का आरोप लगाकर पथराव करना चाहते थे ताकि प्रकट हो जाता कि वास्तव में अल्लाह ही है। मुझे इस पर एक क़िस्सा याद आया कि एक व्यक्ति ने मुझ से बात करते हुए यह कहा कि ख़ुदा तआला ने यह क्या अदूरदर्शिता की कि दो आंखें माथे के नीचे लगा दीं है एक सर में क्यों न लगा दी कि वह ऊपर से अपने आप को सुरक्षित रखता और एक पीठ में क्यों न लगा दी कि पीछे से देख सकता। अब इसमें हैरानी है कि क्या एक बिना बहस-व-विवाद वाले पर बहस और विवाद वैध है। यह खाना उचित नहीं है कि ऐसा और वैसा क्यों न किया गया है उसे आरोप के उद्देश्य से लाया जाए। हम पूछते हैं कि क्या यहूदियों का आरोप यही न था कि तू इन्सान होकर ख़ुदा बनता है। यह कुफ्र है। उत्तर इसका यह हुआ कि मैं इन्सान होकर भी स्वयं को ख़ुदा का बेटा कह सकता हूं और कुफ्र नहीं होता। जैसा ख़ुदा के नबी भी तो इन्सान थे, उनको अल्लाह कहा गया तो इसमें प्रश्न उसकी ख़ुदाई के संबंध में कौन सा था।

दूसरी बात जनाब मिर्ज़ा साहिब जो कहते हैं कि मसीह ने अपने लिए हवारियों से दुआ चाही। यह तो सच नहीं, अवसर को देख लें उसमें यह तो लिखा है कि मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने लिए दुआ मांगो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो।

तीसरे आप के कल के मुबाहले का उत्तर यह है कि हम मसीही तो पुरानी शिक्षाओं के लिए नए चमत्कारों की कुछ आवश्यकता नहीं देखते और न हम अपने अन्दर उसकी सामर्थ्य रखते हैं सिवाए इसके कि हम से वादा यह हुआ है कि जो निवेदन ख़ुदा की इच्छानुसार तुम करोगे वह तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा और निशानों का वादा हम से नहीं परन्तु आप को इसका बहुत गर्व है

हम भी चमत्कार देखने से इन्कार नहीं करते। यदि इसी में ख़ुदा की प्रजा के ऊपर मेहरबानी है कि निशान दिखा कर फैसला किया जाए तो हमने तो अपनी असमर्थता वर्णन की, आप ही कोई चमत्कार दिखा दें। और आपने उस समय अपने कल के अन्तिम लेख में कहा था तथा कुछ आज भी इसका संकेत है। अब इसमें अधिक बात करने की क्या आवश्यकता है। हम दोनों वृद्धावस्था में हैं और अन्त में क़ब्र हमारा ठिकाना है। अल्लाह की प्रजा पर दया करनी चाहिए कि आओ किसी आसमानी से फैसला कर लें। आप ने यह भी कहा कि मुझे विशेष इल्हाम हुआ है कि इस मैदान में तुझे विजय है और सच्चा ख़ुदा अवश्य उनके साथ होगा जो सच पर हैं। अवश्य-अवश्य ही होगा। आप के इस लेख के ख़ुलासे का उत्तर यह है कि हम आपको कोई पैग़म्बर या रसूल या मुल्हम व्यक्ति जानकर आप से मुबाहसा नहीं करते। आप के व्यक्तिगत विचारों, कारणों और इल्हामों से हमारा कुछ सरोकार नहीं, हम केवल आपको एक मुहम्मदी व्यक्ति मानकर ईस्वी धर्म तथा मुहम्मदियत के बारे में उन नियमों और प्रमाणों के अनुसार जो इन हर दो में सामान्य तौर पर माने जाते हैं आप से बातचीत कर रहे हैं। ख़ैर तथापि चूंकि आपको अल्लाह की एक विशेष क़ुदरत (शक्ति) दिखाने पर तत्पर हो कर हमें मुकाबले के लिए बुलाते हैं तो हमें देखने से परहेज़ भी नहीं अर्थात् चमत्कार या निशानी। अत: हम ये तीन व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं जिनमें एक अंधा, एक टांग कटा और एक गूंगा है। इनमें से जिस किसी को सही और अच्छा कर सको कर दो और इस चमत्कार से हम पर जो कर्तव्य अनिवार्य होगा हम अदा करेंगे। आप अपने कथानुसार ऐसे ख़ुदा को मानते हैं जो बातचीत पर समर्थ नहीं। परन्तु वास्तव में **समर्थ है** तो वह उनको स्वस्थ भी कर सकेगा फिर इसमें संकोच की क्या आवश्यकता है और आप के कहने के अनुसार अवश्य सच्चे के साथ होगा, अवश्य होगा। आप ख़ुदा की प्रजा पर दया कीजिए, शीघ्र कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि आज यह मामला पड़ना है। जिस ख़ुदा ने इल्हाम द्वारा आप को यह सूचना दे दी कि युद्ध और मैदान में तुझे विजय है उसने साथ ही यह भी बता दिया होगा कि अंधे और अन्य संकटग्रस्त लोगों ने भी प्रस्तुत होना

है। इसलिए समस्त ईसाई लोगों तथा मुहम्मदी लोगों के सामने इसी समय अपना चैलेन्ज पूरा कीजिए।

चौथे- मुक्ति के बारे में जो आप ने क़ुर्आन से फ़रमाया है उसका खुलासा निश्चित कर्म है और इस बात की जांच हम अगले सप्ताह में करेंगे। क्योंकि अवसर वही है जब हमारे प्रहार प्रारम्भ होंगे और आप के प्रहार समाप्त हो लेंगे। और आपने जो संयमियों के कर्मों का फिदया प्रस्तुत किया है उसकी हम परीक्षा लेंगे कि क्या कामिल(पूर्ण) है और क्या नाक़िस (अपूर्ण)। इसी प्रकार मसीह को मुक्ति के उपाय की भी हम उसी दिन परीक्षा लेंगे।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

हज़रत मसीह के बारे में आप ने जो बहाना प्रस्तुत किया है कि हज़रत मसीह ने केवल यहूदियों का क्रोध कम करने के लिए यह कहा था कि तुम्हारी शरीअत में भी तुम्हारे नबियों के बारे में लिखा है कि वे ख़ुदा हैं और यहां आप यह भी कहते हैं कि मसीह ने अपनी इन्सानियत की दृष्टि से ऐसा उत्तर दिया। आप का यह बयान न्यायकर्ताओं के ध्यान एवं विचार योग्य है। स्पष्ट है कि यहूदियों ने हज़रत मसीह का वाक्य कि मैं ख़ुदा तआला का बेटा हूं एक कुफ्र का वाक्य ठहरा कर और नऊज़ुबिल्लाह उनको काफ़िर समझ कर यह प्रश्न किया था और इस प्रश्न के उत्तर में निस्सन्देह हज़रत मसीह का यह कर्तव्य था कि यदि वह वास्तव में इन्सानियत के कारण नहीं अपितु ख़ुदाई के कारण अपने आप को ख़ुदा का बेटा समझते थे **तो अपने** उद्देश्य की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करते और अपने इब्नुल्लाह होने का उनको सबूत देते, क्योंकि उस समय वे सबूत ही मांगते थे। परन्तु हज़रत मसीह ने तो इस ओर ध्यान न दिया और अन्य नबियों की भांति कहकर बहाना प्रस्तुत कर दिया और इस कर्तव्य को अदा नहीं किया

जबकि एक सच्चा प्रचारक एवं शिक्षक दायित्व को पूरा करना चाहता है। आप का यह कहना कि मख़्सूस (विशिष्ट) मुकद्दस को कहते हैं हज़रत मसीह की कोई विशिष्टता सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि आपको बाइबल में मख़्सूस का शब्द अन्य नबियों इत्यादि के बारे में भी प्रयोग पा गया है। देखो यसइयाह नबी अध्याय-13 आयत-3 और आपने भेजे हुए के अर्थ ख़ुदाई निकाले हैं यह भी एक विचित्र अर्थ हैं। आप देखो कि पहले सुमवेल के अध्याय-12 आयत-8 में लिखा है कि मूसा और हारून को भेजा और फिर पैदायश अध्याय-45 आयत-7 में लिखा है- ख़ुदा ने मुझे यहां भेजा है। फिर यरमिया अध्याय-35 आयत-13, अध्याय-44 आयत-4 में यही आयत मौजूद है। अब क्या यहां भी इन शब्दों के अर्थ उलूहियत (ख़ुदाई) करना चाहिए। अफ़सोस कि आप हज़रत मसीह के एक सीधे और सरल बयान को तोड़-मरोड़ कर अपनी इच्छानुसार करना चाहते हैं। हज़रत मसीह ने अपने बरी होने का जो सबूत प्रस्तुत किया उसे बेकार और निरर्थक करना आप का इरादा है। क्या हज़रत मसीह यहूदियों की दृष्टि में केवल इतना कहने से बरी हो सकते थे कि मैं अपने ख़ुदा होने के कारण तो निस्सन्देह ख़ुदा का बेटा ही हूं। परन्तु मैं इन्सानियत के कारण दूसरे नबियों के समान हूं। और जो उनके पक्ष में कहा गया वही मेरे पक्ष में कहा गया। क्या यहूदियों का आरोप इस प्रकार के अधम बहाने से हज़रत मसीह के सर से दूर हो सकता था। क्या उन्होंने यह स्वीकार किया हुआ था कि हज़रत मसीह अपनी ख़ुदाई के कारण तो निस्सन्देह ख़ुदा के बेटे ही हैं। इसमें हमारा कोई झगडा नहीं। हाँ इन्सान होने के कारण स्वयं को क्यों ख़ुदा का बेटा कहलाते हैं बल्कि बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यहूदियों के दिल में केवल इतना ही होता है कि हज़रत मसीह केवल इन्सान होने के कारण अन्य मुकद्दम (पवित्र) और मख़्सूस (विशिष्ट) इन्सानों की तरह स्वयं को ख़ुदा का बेटा ठहराते हैं तो वे काफ़िर ही क्यों ठहराते। क्या वे हज़रत इस्राईल को और हज़रत आदम तथा अन्य नबियों को जिनके पक्ष में ख़ुदा का बेटा के **शब्द** आए हैं काफ़िर समझते थे, नहीं बल्कि उनका प्रश्न तो यही था कि उनको भी धोखा लगा था कि हज़रत मसीह वास्तव में स्वयं को

अल्लाह का बेटा समझते हैं और चूंकि उत्तर प्रश्न के अनुसार चाहिए। इसलिए हज़रत मसीह का कर्तव्य था कि वह उनके उत्तर में वही मार्ग अपनाते जिस मार्ग के लिए उनकी पूछ-ताछ थी। यदि वास्तव में ख़ुदा तआला के बेटे थे तो वे भविष्यवाणियां जो डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब समय गुज़रने के पश्चात इस सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं के सामने प्रस्तुत करते तथा ख़ुदा होने के कुछ नमूने दिखा देते तो फैसला हो जाता। यह बात कदापि सही नहीं है कि यहूदियों का प्रश्न वास्तविक ख़ुदा के बेटे के सबूत मालूम करने के लिए नहीं था। इस स्थान में अधिक लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं। अत: इसके पश्चात स्पष्ट हो कि मैंने डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब की सेवा में यह लिखा था कि जैसे कि आप दावा करते हैं कि मुक्ति केवल मसीही धर्म में है ऐसा है। क़ुर्आन में है। और आप का तो केवल अपने शब्दों के साथ दावा, जबकि मैंने वे आयतें भी प्रस्तुत कर दी हैं। परन्तु स्पष्ट है कि दावा बिना सबूत के कुछ सम्मान और महत्त्व नहीं रखता। अत: इसी कारण से पूछा गया था कि पवित्र क़ुर्आन में तो मुक्ति या बन्दे की निशानियां लिखी हैं, जिन निशानों के अनुसार हम देखते हैं कि उस मुकद्दस किताब का अनुकरण करने वाले मुक्ति को इसी जीवन में पा लेते हैं। परन्तु आप के धर्म में हज़रत ईसा ने मुक्ति की जो निशानियां या बन्दों अर्थात् वास्तविक ईमानदारों की लिखी हैं वे आप में कहाँ मौजूद हैं। उदाहरणतया जैसे कि मरक़स अध्याय-16 आयत17-18 में लिखा है- **और वे जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये लक्षण होंगे कि वे मेरे नाम से** देवों को निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि कोई मारने वाली वस्तु पियेंगे तो उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे तो स्वरुप हो जाएँगे। तो अब मैं सादर निवेदन करता हूं और यदि इन शब्दों में कुछ कठोरता या कड़वाहट हो तो उसकी क्षमा चाहता हूं कि ये तीन रोगी जो आपने प्रस्तुत किए हैं यह लक्षण तो विशेषत: हज़रत मसीह मसीहियों के लिए ठहरा चुके हैं तथा कहते हैं कि यदि तुम सच्चे **ईमानदार** हो तो तुम्हारा यही लक्षण है कि रोगी पर हाथ रखोगे तो वह स्वस्थ (चंगा) हो जाएगा। अब धृष्टता माफ़। यदि आप सच्चे ईमानदार होने का

दावा करते हैं तो इस समय आप के प्रस्तुत किए हुए तीन रोगी मौजूद हैं आप उन पर हाथ रख दें यदि वे चंगे हो गए तो हम स्वीकार कर लेंगे कि निस्सन्देह आप सच्चे ईमानदार और मुक्ति प्राप्त हैं, अन्यथा स्वीकार करने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हज़रत मसीह तो यह भी फ़रमाते हैं कि-

"यदि तुम में राई के दाने बराबर भी **ईमान** होता तो यदि तुम पहाड़ को कहते कि यहां से चला जा तो वह चला जाता।"

परन्तु ख़ैर मैं इस समय पहाड़ का स्थानान्तरण तो आप से नहीं चाहता क्योंकि वे हमारे इस स्थान से दूर हैं परन्तु यह तो बहुत अच्छा आयोजन हो गया कि रोगी तो आप ने ही प्रस्तुत कर दिए, अब आप इन पर हाथ रखो और चंगा (स्वस्थ) करके दिखलाओ। अन्यथा एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हाथ से जाता रहेगा। किन्तु आप पर यह स्पष्ट रहे कि यह इल्ज़ाम हम पर नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुर्आन में हमारा ये लक्षण नहीं रखा कि विशेषतः तुम्हारा यही लक्षण है कि जब तुम रोगियों पर हाथ रखोगे तो अच्छे हो जाएँगे। हाँ यह कहा है कि मैं अपनी ख़ुशी और इच्छानुसार तुम्हारी दुआएं स्वीकार करूंगा। और कम से कम यह कि यदि एक दुआ स्वीकार करने योग्य न हो और ख़ुदा के हित की विरोधी हो तो उसमें सूचना दी जाएगी, यह कहीं नहीं फ़रमाया कि तुमको यह शक्ति दी जाएगी कि तुम शक्ति द्वारा जो चाहोगे वही कर गुज़रोगे। परन्तु हज़रत मसीह का तो यह आदेश मालूम होता है कि वह बीमारों (रोगियों) इत्यादि के चंगा करने में अपने अनुयायिओं को अधिकार देते हैं। जैसा कि मती अध्याय-10 आयत-1 में लिखा है-

"फिर उसने बारह शागिर्दों (शिष्यों) को पास बुला के उन्हें **क़ुदरत** (शक्ति) प्रदान की कि अपवित्र रूहों को निकालें और हर प्रकार की बीमारी और दु:ख दर्द को दूर करें।"

अब यह आप का कर्तव्य और आपकी ईमानदारी का लक्षण अवश्य हो गया कि आप इन बीमारों को चंगा करके दिखला दें या यह इक़रार करें कि हम में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। आप को स्मरण रहे कि प्रत्येक

व्यक्ति से अपनी किताब के अनुसार पूछताछ की जाती है। हमारे पवित्र क़ुर्आन में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें अधिकार (शक्ति) **दिया** जाएगा, बल्कि स्पष्ट तौर पर कह दिया कि-

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ (सूर: अल अनआम-110)

अर्थात् उन को कह दो कि निशान अल्लाह तआला के पास हैं जिस निशान को चाहता है उस निशान को प्रकट करता है। इन्सान का उस पर ज़ोर नहीं है कि उस से बलात (ज़बरदस्ती) एक निशान ले। यह जब्र और शक्ति प्रदर्शन आप ही की किताबों में पाया जाता है। आप के कथनानुसार मसीह शक्ति प्रदर्शन वाले चमत्कार दिखलाता था और उसने शिष्यों को भी शक्ति प्रदान की। और आप की यह आस्था है कि हज़रत मसीह अब भी जीवित, जीवित रहने वाला, क़ायम रहने वाला, सर्वशक्तिमान, अन्तर्यामी दिन-रात आपके साथ है,जो चाहो वही दे सकता है। अत: आप हज़रत मसीह से निवेदन करें कि इन तीनों बीमारों को आपके हाथ रखने से अच्छा कर दें ताकि आप में ईमानदारी की निशानी शेष रह जाए अन्यथा यह तो उचित नहीं कि एक ओर सच्चों के साथ सच्चे ईसाई होने की हैसियत से मुबाहसा करें और जब सच्चे ईसाई के निशान मांगे जाएँ तब कहें कि हम में सामर्थ्य नहीं। इस बयान से तो आप स्वयं पर इक़्बाली (अपराध का इक़रार करना) डिग्री कराते हो कि आपका धर्म इस समय जीवित धर्म नहीं है परन्तु हम जिस प्रकार से ख़ुदा तआला ने हमारे सच्चे ईमानदार होने के निशान ठहराए हैं उसी व्यवस्था से निशान दिखाने को तैयार हैं। यदि निशान न दिखा सकें तो चाहे दण्ड दे दें और जिस प्रकार की छुरी चाहें हमारी गर्दन पर फेर दें और निशान प्रदर्शित करने का वह तरीका जिस के लिए हम मामूर हैं वह यह है कि हम ख़ुदा तआला से जो हमारा सच्चा और सामर्थ्यवान ख़ुदा है इस मुकाबले के समय जो एक सच्चे और कामिल नबी का इन्कार किया जाता है गिड़गिड़ा कर कोई निशान मांगे तो वह अपनी इच्छा से, न कि हमारा अधीन और आज्ञाकारी होकर जिस प्रकार चाहेगा निशान दिखलाएगा। आप अच्छी तरह से सोचें कि हज़रत मसीह भी आप की इतनी अधिक अतिशयोक्ति के बावजूद

शक्ति प्रदर्शन करने वाले निशान दिखाने से असमर्थ रहे। देखिए मर्कस अध्याय-8 आयत-11,12 में लिखा है-

"तब फ़रीसी (यहूदी विद्वान) निकले और उस से वाद-विवाद करके (अर्थात् जिस प्रकार अब इस समय मुझ से वाद-विवाद किया गया) उसकी परीक्षा के लिए आकाश से कोई निशान चाहा उसने अपने दिल से आह खींचकर कहा कि इस युग के लोग क्यों निशान चाहते हैं। मैं तुम से सच कहता हूं कि इस युग के लोगों को कोई निशान न दिया जाएगा।"

अब देखिए कि यहूदियों ने इसी ढंग से निशान मांगा था। हज़रत मसीह ने आह खींचकर निशान दिखाने से **इन्कार** कर दिया फिर इस से विचित्र प्रकार का एक और स्थान देखिए कि जब मसीह सलीब पर खींचे गए तब यहूदियों ने कहा कि उसने दूसरों को बचाया पर स्वयं को नहीं बचा सकता। यदि इस्राईल का बादशाह है तो अब सलीब से उतर आए तो हम उस पर ईमान लाएंगे। अब तनिक ध्यानपूर्वक इस आयत पर विचार करें कि यहूदियों ने स्पष्ट सकंल्प और इक़रार कर लिया था कि अब सलीब से उतर आए तो वे ईमान लाएंगे परन्तु हज़रत मसीह उतर नहीं सके। इन समस्त स्थानों से साफ़ स्पष्ट है कि बलपूर्वक निशान दिखाना मनुष्य का नहीं है बल्कि ख़ुदा तआला के हाथ में है, जैसा कि एक अन्य स्थान में हज़रत मसीह फ़रमाते हैं। अर्थात् मती अध्याय-12 आयत-39 कि-

"इस युग के बुरे और हराम कार लोग निशान ढूंढते हैं पर यूनुस नबी के निशान के सिवाए कोई निशान दिखलाया न जाएगा।"

अब देखिए कि इस स्थान पर हज़रत मसीह ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, अपितु वह बात प्रस्तुत की जो ख़ुदा तआला की ओर से उनको मालूम थी। इसी प्रकार मै भी वह बात प्रस्तुत करता हूं जो ख़ुदा तआला की ओर से मुझ को मालूम है। मेरा दावा न ख़ुदाई का न शक्ति का और मैं एक मुसलमान आदमी हूं कि पवित्र क़ुर्आन का अनुकरण करता हूं तथा पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा की दृष्टि से इस मौजूदा मुक्ति का दावेदार हूं। मेरा नबी होने का कोई दावा नहीं यह आप की ग़लती है या आप किसी विचार से ये कह रहे हैं। क्या

यह आवश्यक है कि जो इल्हाम का दावा करता है वह नबी भी हो जाए। मै तो मुहम्मदी और कामिल तौर पर अल्लाह और रसूल का अनुयायी हूं। उन निशानों का नाम चमत्कार रखना नहीं चाहता अपितु हमारे धर्म की दृष्टि से उन निशानों का नाम करामात है जो अल्लाह और रसूल के अनुकरण से दिए जाते हैं। अत: मैं फिर सच की तरफ़ बुलाने के उद्देश्य से दोबारा समझाने के अन्तिम प्रयास को पूर्ण करता हूं कि यह वास्तविक मुक्ति और उसकी बरकतें तथा फल केवल उन्हीं लोगों में मौजूद हैं जो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुकरण करने वाले और पवित्र क़ुर्आन के आदेशों के सच्चे अनुकरण करने वाले हैं और मेरा दावा पवित्र क़ुर्आन के अनुसार केवल इतना है कि यदि कोई ईसाई सज्जन उस वास्तविक मुक्ति (निजात) के इन्कारी हों जो पवित्र क़ुर्आन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है तो उन्हें अधिकार है कि वे मेरे मुकाबले पर वास्तविक मुक्ति की आकाशीय निशानियां अपने मसीह से मांग कर प्रस्तुत करें। परन्तु अब विशेष तौर पर बहस की शर्तों की दृष्टि से इस बारे में मेरे सम्बोधित **डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब** हैं। महोदय को चाहिए कि पवित्र इंजील के निर्धारित लक्षणों के अनुसार सच्चा ईमानदार होने की निशानियां अपने अस्तित्व में सिद्ध करें और इस ओर मुझ पर अनिवार्य होगा कि मैं सच्चा ईमानदार होने की निशानियां पवित्र क़ुर्आन के अनुसार अपने अस्तित्व में सिद्ध करूँ। किन्तु यहां स्मरण रहे कि पवित्र क़ुर्आन में शक्ति प्रदान नहीं की अपितु ऐसे वाक्य से हमारा शरीर कांपने लगता है हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार का निशान दिखलाएगा। वही ख़ुदा है उसके अतिरिक्त और कोई ख़ुदा नहीं। हाँ यह हमारी ओर से इस बात की अटल प्रतिज्ञा है जैसा कि अल्लाह तआला ने मुझ पर प्रकट कर दिया है कि मुकाबले के समय मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। परन्तु यह मालूम नहीं कि ख़ुदा तआला किस प्रकार से निशान दिखाएगा। मूल उद्देश्य तो यह है कि निशान ऐसा हो कि मनुष्य की शक्तियों से बढ़कर हो। यह क्या अवश्य है कि एक मनुष्य को ख़ुदा बनाकर बल देकर उस से निशान मांगा जाए। हमारा यह मत नहीं और न हमारी यह आस्था है। अल्लाह तआला हमें

केवल सामान्य और पूर्ण रूप से निशान दिखाने का वादा देता है। यदि इसमें मैं झूठा निकलूँ तो जो दण्ड आप प्रस्तावित करें चाहे मृत्यु दण्ड ही क्यों न हो मुझे स्वीकार है। परन्तु यदि आप संतुलन की सीमा और न्याय को छोड़कर मुझ से ऐसे निशान चाहेंगे जिस ढंग से हज़रत मसीह भी नहीं दिखा सकते अपितु प्रश्न करने वाले को एक दो गालियां सुना दीं। तो ऐसे निशान दिखाने का दम मारना भी मेरे नज़दीक कुफ्र है।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

छठा पर्चा

मुबाहसा 27 मई 1893 ई.

वृत्तान्त

आज फिर जल्सा आयोजित हुआ। डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क ने यह प्रस्ताव रखा कि चूंकि पादरी जी.एल.ठाकुरदास साहिब आवश्यक कार्य के कारण गुजरांवाला चले गए हैं, इसलिए उनके स्थान पर डाक्टर इनायातुल्लाह साहिब नासिर नियुक्त किए जाएँ। प्रस्ताव पारित हुआ।

फिर डाक्टर इनायातुल्लाह साहिब नासिर और मीर हामिद शाह साहिब के समर्थन तथा दर्शकों की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि मुबाहसे की शर्तों में तय किया गया था कि प्रत्येक भाषण पर भाषण कर्ताओं तथा सभापति साहिबों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बदले में मैं प्रस्तुत करता हूं कि सभापति साहिबों के हस्ताक्षर ही पर्याप्त समझे जाते हैं।

मुबाहसे के संबंध में यह तय हुआ कि मुसलमानों की ओर से मुंशी ग़ुलाम क़ादिर साहिब फ़सीह और मिर्ज़ा ख़ुदा बख्श साहिब तथा ईसाइयों की ओर से बाबू फ़ख़रुद्दीन और शेख़ वारिस दीन साहिब एक स्थान पर बैठकर फैसला करें और रिपोर्ट करें कि मुबाहसे का उचित मूल्य कितना निर्धारित किया जा सकता

है। इसके बाद ईसाई लोगों की ओर से बताया जाएगा कि वे कितनी प्रतियां खरीद सकेंगे और यह मुबाहसा जिसे ईसाई लोग खरीदेंगे इस प्रकार छपा हुआ होगा कि वृत्तान्त और दोनों सदस्यों के सत्यापित लेखों का एक-एक शब्द उसमें लिखा होगा। किसी सदस्य की ओर से उसमें कमी-बेशी इत्यादि नहीं की जाएगी।

6-30 (साढ़े छ: बजे) मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 7-30 बजे समाप्त हुआ और बाद मुकाबला ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 8-05 बजे उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 9-05 बजे समाप्त हुआ। तत्पश्चात एक बात पर विवाद होता रहा जिसका उसी समय फैसला करके **दोनों सभापतियों** के उस पर हस्ताक्षर किए गए जो इस कार्यवाही के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेजी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

चूंकि मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब बीमार थे और उन्होंने अपने अन्तिम उत्तर में एक पहले से लिखे लेख को प्रस्तुत करके कहा कि कोई और साहिब उनकी ओर से सुना दें। इसलिए मुसलमानों के सभापति ने इस पर ऐतराज किया कि पहले से लिखा हुआ ऐसा लेख प्रस्तुत करना शर्तों के विरुद्ध है। इस पर काफ़ी समय तक विवाद होता रहा अन्त में यह तय पाया कि सोमवार का एक दिन इस मुबाहसे के समय में बढ़ाया जाए और ऐसा ही दूसरे समय में भी एक दिन और बढ़ा दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी मिर्ज़ा साहिब की सहमति से तय पाया कि उस सोमवार के दिन मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ख़ुदा न करे स्वस्थ न हों तो उनके स्थान पर कोई और साहब नियुक्त किए जाएं और इस बात का अधिकार डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब को होगा। यह भी तय पाया कि 29 तारीख को डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब का अन्तिम उत्तर हो और दूसरे समय में मिर्ज़ा साहिब का अन्तिम उत्तर होगा। समय का ध्यान न होगा

तथा 11 बजे के अन्दर-अन्दर कार्रवाई समाप्त होगी अर्थात् अन्तिम समय उत्तर देने वाले का अधिकार होगा कि उत्तर दे। उसके उत्तर के बाद यदि समय बचे तो प्रश्न करने वाले को समय नहीं दिया जाएगा और जल्सा समाप्त किया जाएगा। चूंकि उपरोक्त वर्णन में प्रथम कथित बात निर्णय चाहती है, इसलिए सर्वसम्मति से उसका निर्णय इस प्रकार हुआ कि इसके बाद (आइन्दा) कोई लिखित लेख पहले का लिखा हुआ शब्दशः नक़ल नहीं कराया जा सकता और यह निर्णय दोनों सदस्यों की सहमति से हुआ और दोनों सदस्यों पर कोई ऐतराज़ नहीं।

27 मई 1893 ई.

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ा दिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब
27 मई 1893 ई.

प्रथम- मुक्ति पथ के बारे में तथा मुक्ति प्राप्त लोगों की निशानियां जो जनाब मिर्ज़ा साहिब ने बयान की हैं। हमने इससे पूर्व वर्णन कर दिया है कि अगले सप्ताह के प्रारम्भ में उसकी पूरी बहस आरम्भ होगी। यहाँ भी हम इतना संकेत कर देते हैं कि आप के शब्द निजात की परिभाषा बहुत ही अपूर्ण है और आप के लिए आवश्यक न था कि ईसाइयों के निजात (मुक्ति) के तरीके को कृत्रिम और अस्वाभाविक एवं मिथ्या कहते। बहरहाल आपने जो कहा है वह आगे देखा जाएगा, जब ऐतराज़ करने की हमारी बारी होगी।

द्वितीय- इंजील यूहन्ना की अध्याय-10 की प्रस्तुत कर्ता आयात का हम पर्याप्त उत्तर दे चुके हैं आपने बजाये इसके कि उसके उत्तर में कोई त्रुटी दिखलाते बार बार पुनरावृत्ति ही इसकी की है अर्थात यह पुनरावृत्ति ही काफ़ी है और बात को लम्बा करना ही अर्थात सच्चाई है। युहन्ना के अध्याय आयत-36 में जहां शब्द मख़्सूस (विशिष्ट) और भेजा हुआ अनुवाद हुआ है हमारी उस व्याख्या पर

कि मख़्सूस शब्द का मूल भाषा में तक्दीस अर्थ किया गया है और भेजा हुआ उसी पर संकेत करता है जो उसने फ़रमाया कि मै आकाशीय हूं और तुम ज़मीनी (पार्थिव) हो। यह शब्द जितने हवाले आपने दिए हैं अन्य किसी बुज़ुर्ग के बारे में नहीं पाए जाते। यसइया अध्याय-13 आयत-3 की पंक्तियों के अनुवाद में शब्द अर्ख़ूमाई है जिसके अर्थ भेजा हुआ है। प्रथम सेमुएल अध्याय-12 आयत-8 में शब्द अपसनन ईलो अर्थ वही है। पैदायश अध्याय-45 आयत-13 में शब्द बादी ज़ी जिसके अर्थ जा के हैं और ये शब्द विवादित स्थान के शब्द 'ही गी आसे' बहुत ही भिन्न हैं तथा इन शब्दों का संबंध विवादित स्थान से कुछ नहीं है और जो हम ने कहा वह सही है कि जिसको ख़ुदा ने मख़्सूस किया और भेजा अर्थात् आकाश से भेजा।

तृतीय- क्या यहूदी लोग इस्राईल इत्यादि को इसी उपाधि के कारण काफ़िर समझते थे। यह आप का प्रश्न है, इसका उत्तर हम बार-बार दे चुके हैं परन्तु अफसोस कि आप किसी कारण से **उसको न समझे।** पिछली बहस पर आप गहरी दृष्टि डाल कर देख लें और यह खुसूसियत अन्य किसी बुज़ुर्ग के साथ न थी जो मसीह के साथ थी।

चतुर्थ- इसका भी लोग इन्साफ कर लेंगे जो मिर्ज़ा साहिब कहते हैं कि हमने केवल शब्द के साथ निजात का दावा किया है और केवल शब्द ही प्रयोग किया है। क्यों साहब हमारी मुक़द्दस किताब की आयतों के हवाले से किस लिए लापरवाही रही क्यों न उन का कुछ दोष (कमी) दिखाया गया, इससे पहले कि लापरवाही की जाती।

पंचम- मर्कस के अध्याय-16 के अनुसार मिर्ज़ा साहिब हम से जो निशान मांगते हैं। उसके उत्तर में स्पष्ट हो कि वादे के आम होने पर हमारा कुछ बहाना नहीं कि जो ईमान लाए उसके साथ ये लक्षण हो परन्तु प्रश्न यह है कि उस वादे के आम होने के साथ क्या मारिफ़त (अध्यात्म ज्ञान) भी आम है? क्या हवारी इस ईमान की कमज़ोरी के लिए कि उन्होंने विश्वसनीय गवाहों की गवाही और ख़ुदावन्द के वादे की बातें तथा पहले नबियों की भविष्यवाणियां न मानी थीं?

झिड़की न खाई थी और क्या हमारे ख़ुदावन्द का यह नियम न था कि जिसको वह सतर्क करता था उसी को वह दृढ़ता भी प्रदान करता था।

और जब उसने ऐसा कहा कि तुम जाओ दुनिया में कि जब कोई ईमान लाएगा उसके साथ ये निशान होंगे तो इसका मतलब यह न हुआ कि चमत्कार के बारे में तुम ईमान में कमज़ोर हुए। अब भविष्य में चमत्कार तुम्हारे हाथ से बह निकलेंगे। क्या यह झिड़की हमारे इस युग में पादरियों ने भी खाई थीं। यह (सार्वजनिक) है परन्तु इसको दिखाओ कि मारिफ़त भी आम (सार्वजनिक) है जिसके माध्यम से यह बात पूरी होने वाली है हमने मर्कस अध्याय-16 आप को सारा सुना दिया है जो हम ने वर्णन किया। यही स्थिति वहाँ मौजूद है या नहीं। अत: जब विशेष मारिफ़त थी तो हवारियों के युग के बाद उस वादे का खींचना अनुचित है कि नहीं।

इस वादे के पूरा होने के बारे में आ'माल अध्याय-8 आयत-14 देखो कि क्या यह लिखा है या नहीं कि यूहन्ना और **पतरस रसूल** जब सामिरिया में गए और बहुत से लोगों को मसीही पाया तो उन से प्रश्न किया कि तुम ने रूहुल-क़ुदुस भी पाई है या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि रूहुल-क़ुदुस के बारे में हमने सुना तक नहीं। तब उन्होंने पूछा कि तुम ने किस के हाथ से बपतस्मा पाया। उन्होंने कहा कि यूहन्ना इस्तिबागी के हाथ से। तब उन्होंने हाथ उनके सर पर रखे और उनको रूहुल-क़ुदुस मिली। इस नमूने से क्या सिद्ध न हुआ कि हमारी व्याख्या सही और सच्ची है और क्या जनाब के चमत्कार के सार्वजनिक वादे की कशिश सदैव के लिए ग़लत है।

प्रथम क्रंतियों के अध्याय-12 आयत 4-6 से मालूम होता है पर रूह एक ही है और सेवाएं भी भांति-भांति की हैं और ख़ुदावन्द एक ही है और प्रभाव भांति-भांति के हैं पर ख़ुदा एक ही है जो सबों में सब कुछ करता है। 28 और ख़ुदा ने कल्ब में कितनों को सानिध्य प्राप्त किया और पहले रसूलों को दूसरे नबियों तीसरे उस्तादों को इसके बाद करामतें तब चंगा करने की कुदरतें इत्यादि आयत-3 सहायताएं, पेशवाइयाँ तरह-तरह की भाषाएं क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं, क्या सब उस्ताद हैं, क्या सब करामतें दिखाते हैं? क्या सबको

स्वास्थ्य करने की क़ुदरत है? क्या तरह-तरह की भाषाएँ सब बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? इन बातों से साफ़ प्रकट है कि उस युग में कि जब हवारी मौजूद थे और प्रत्येक मोमिन किसी प्रदान की हुई वस्तु को ख़ुदा के उपहार से प्रस्तुत करता था कि किसी को यह बात आती थी और किसी को वह तथा कोई बिना चमत्कार के न था, परन्तु ख़ुदा के कलाम ने प्रथम क्रंतियों अध्याय-13 आयत-2,8 में यह फ़रमाया-

"और यदि मैं नुबुव्वत करूं और यदि मैं ग़ैब की सब बातें और सारे ज्ञान जानूं तथा मेरा ईमान कामिल हो यहां तक कि मैं पहाड़ों को चलाऊँ पर मुहब्बत न रखूँ तो मैं कुछ नहीं हूं, मुहब्बत कभी जाती नहीं रहती यदि नुबुव्वतें हैं तो स्थगित होंगी यदि ज़ुबानें हैं तो बन्द हो जाएँगी। यदि ज्ञान है तो अप्राप्य हो जाएगा।"

और अन्तिम आयत में लिखा है-

अब तो ईमान, आशा और प्रेम ये तीनों मौजूद रहते हैं पर इन में जो बढ़कर है प्रेम है। क्योंकि ईमान जब विवादित हो गया तो ईमान रहा, आशा जब प्राप्त हो गई तो पूर्णता पा गई परन्तु प्रेम कभी पूर्णता नहीं पाता और यह भी स्मरण रहे कि प्रेम विशेष नाम ख़ुदा का है कि ख़ुदा प्रेम है।

इन सब बातों से हम यह परिणाम निकालते हैं कि चमत्कार जैसे कि हमेशा के लिए वादा नहीं दिए गए वैसे ही मुक्ति (निजात) के बारे में सब से ऊपर इन की श्रेणी नहीं परन्तु एक समय के लिए जब नई शिक्षा दी गई उसकी पुष्टि और स्थापना के लिए चमत्कार प्रदान किए गए और यदि हमेशा चमत्कार हुआ करें तो चमत्कार होने का प्रभाव कुछ न रहे। आपने जिस आयत के खुलासे से सामान्य वादे को खींचा है हम यह दिखाते हैं कि इससे संबधित मारिफ़त भी है और वह मारिफ़त केवल विशेष है, और कलाम की मूल इबारत मर्कस अध्याय-16 को देख कर आप इस बयान को किसी प्रकार से ग़लत न ठहरा सकेंगे।

षष्टम- आप कहते हैं कि मसीह ने भी शक्ति प्रदर्शन वाले चमत्कार दिखाने से इन्कार किया। परन्तु आप का अन्याय है कहां इन्कार किया? क्या जब लोग आकाशीय निशान को देखकर ठट्ठा करने के लिए और निशान आसमानी मांगते

थे तो आदेश हुआ कि इस बुरे और हरामकार गिरोह को कोई निशान न दिखलाया जाएगा। अब इन्साफ कीजिए कि क्या निशान के न दिखाने के मायने ये हैं कि निशान नहीं दिखलाया जा सकता। क्या कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि यह कहे कि अमुक बात न करूँगा तो उसके मायने ये हैं कि वह नहीं कर सकता?

मती अध्याय-9, यूहन्ना अध्याय-11, लूका अध्याय-7 इत्यादि अध्यायों में चमत्कार के नमूने स्पष्ट तौर पर देख लो। मुझे तो आप की समझ और बुद्धिमत्ता से इससे अधिक आशा थी कि आप ऐसे मायने न करें।

सप्तम- आप जो कहते हैं कि मसीह ने दो गालियां दीं। क्या बद को बद कहना गाली है और या हरामज़ादे को हरामज़ादा कहना गाली है। यदि आप इस्लाम के कलाम के सिद्धान्त के अनुसार भी कुछ करते तो एक दृढ़ संकल्प और मासूम नबी के ऊपर ऐसी असभ्य बात न करते। **इसके लिए** हम अफ़सोस करते हैं कि नबियों के बारे में यह कहा जाए कि गालियां देते थे।(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

डिप्टी साहिब से मेरा प्रश्न यह था कि आप जो हज़रत ईसा को ख़ुदा ठहराते हैं तो आप के पास हज़रत ईसा की ख़ुदाई पर क्या सबूत है क्योंकि जब कि दुनिया में बहुत से फ़िर्के और क़ौमें ऐसी पाई जाती हैं कि उन्होंने अपने-अपने पेशवाओं और पथ-प्रदर्शकों को ख़ुदा बना रखा है जैसे हिन्दुओं का फ़िर्क़ा और बौद्ध धर्म के लोग और वे लोग भी अपने-अपने पुराणों और शास्त्रों के अनुसार उनकी ख़ुदाई पर पुस्तकीय तर्क प्रस्तुत किया करते हैं अपितु उनके चमत्कार और बहुत से विलक्षण निशान भी ऐसे धूमधाम से वर्णन करते हैं कि आप के पास उस का उदाहरण नहीं जैसे कि राजा रामचन्द्र साहिब और राजा कृष्ण साहिब और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के चमत्कार जो वे वर्णन करते हैं आप लोगों से छुपे

नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में इन विभिन्न ख़ुदाओं में से एक सच्चा ख़ुदा ठहराने के लिए आवश्यक नहीं बड़े-बड़े तर्कशास्त्रीय सबूतों की आवश्यकता है। क्योंकि दावे और पुस्तकीय सबूतों के प्रस्तुत करने में तो वे सभी आप के भागीदार हैं अपितु पुस्तकीय सबूतों के वर्णन करने में भागीदार विजयी मालूम होते हैं। मैंने डिप्टी साहिब महोदय को केवल इतनी ही बात की ओर ध्यान नहीं दिलाया अपितु पवित्र क़ुर्आन से बौद्धिक तर्कों के खण्डन पर प्रस्तुत किया कि इन्सान जो अन्य सम्पूर्ण इन्सानों की **अनिवार्य चीज़ें** अपने साथ रखता है किसी प्रकार ख़ुदा नहीं ठहर सकता और न कभी यह सिद्ध हुआ कि दुनिया में ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा भी नबियों की तरह उपदेश एवं ख़ुदा की प्रजा के सुधार के लिए आया हो। परन्तु अफ़सोस कि डिप्टी साहिब ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मेरी ओर से पहले यह शर्त हो चुकी थी कि हम दोनों सदस्य दावे भी अपनी इल्हामी किताब से प्रस्तुत करेंगे और बौद्धिक तर्क भी उसी इल्हामी किताब से सुनाएंगे। परन्तु डिप्टी साहिब ने बजाए इसके कि हज़रत ईसा के ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा होने पर तर्कशास्त्रीय सबूत प्रस्तुत करते दावे पर दावा करते चले गए और बड़ा गर्व उनको उन कुछ भविष्यवाणियों पर है जो उन्होंने इब्रानियों के पत्रों और बाइबल के कुछ स्थानों से निकाल कर प्रस्तुत की हैं। परन्तु अफ़सोस कि वह यह नहीं समझते कि ऐसी भविष्यवाणियां जब तक सिद्ध न की जाएं कि वास्तव में वे सही हैं और उनका चरितार्थ हज़रत मसीह ने स्वयं को ठहरा लिया है और उसपर बौद्धिक प्रमाण दिए हैं तब तक किसी प्रकार से तर्कों के तौर पर प्रस्तुत नहीं हो सकतीं बल्कि वे भी डिप्टी साहिब के दावे हैं जो सबूत के मुहताज हैं। डिप्टी साहिब ने इन दावों के अतिरिक्त अब तक हज़रत मसीह की ख़ुदाई सिद्ध करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया और मैं वर्णन कर चुका हूं कि हज़रत मसीह यूहन्ना अध्याय-10 में स्पष्ट तौर से स्वयं को ख़ुदा का बेटा कहलाने में दूसरों के समान समझते हैं और अपने लिए कोई विशिष्टता कायम नहीं करते। हालांकि वे यहूदी जिन्होंने हज़रत मसीह को काफ़िर ठहराया था उनका प्रश्न यही था और यही कारण काफ़िर ठहराने का भी था कि यदि आप वास्तव में ख़ुदा के

बेटे हैं तो अपनी ख़ुदाई का सबूत दीजिए, परन्तु उन्होंने कुछ भी सबूत नहीं दिया। अफ़सोस कि डिप्टी साहिब इस बात को क्यों नहीं समझते कि क्या ऐसा होना संभव था कि प्रश्न और, और उत्तर और। यदि हज़रत मसीह वास्तव में स्वयं को ख़ुदा का बेटा ठहराते तो अवश्य यही भविष्यवाणियां वे प्रस्तुत करते जो अब डिप्टी साहिब प्रस्तुत कर रहे हैं और जबकि उन्होंने वे प्रस्तुत नहीं कीं तो मालूम हुआ कि उनका वह दावा नहीं था। यदि उन्होंने किसी अन्य स्थान में प्रस्तुत कर दी हैं और किसी दूसरे स्थान में यहूदियों के इस बार-बार के ऐतराज़ को इस प्रकार से दूर कर दिया है कि मैं वास्तव में ख़ुदा और कहा का बेटा हूं और ये भविष्यवाणियां मेरे पक्ष में आई हैं और ख़ुदाई का सबूत भी अपने कार्यों से दिखा दिया है ताकि इस विवादित भविष्यवाणी से उनको बरिय्यत प्राप्त हो जाती। अत: कृपा करके वह स्थान प्रस्तुत करें। अब किसी भी प्रकार से आप उस स्थान को छुपा नहीं सकते और आपकी दूसरी समस्त तावीलें निकृष्ट (निकम्मी) हैं। सच बात यही है कि 'मख़्सूस' का शब्द तथा 'भेजा गया' का शब्द पुराने अहदनाम: और नए अहदनाम: में आमतौर पर प्रयोग हुआ है। आप पर हमारा यह क़र्ज़ है जो मुझे अदा होता दिखाई नहीं देता। आप ने हज़रत मसीह की ख़ुदाई का तो वर्णन किया परन्तु उनकी ख़ुदाई का तर्कशास्त्रीय तौर पर कुछ भी सबूत न दे सके और दूसरे ख़ुदाओं के बारे में उसमें कुछ परस्पर अन्तर बौद्धिक तौर पर क़ायम न कर सके। भला आप कहें कि बौद्धिक तौर पर इस बात पर क्या तर्क है कि राजा रामचन्द्र और राजा कृष्ण और बुद्ध ये ख़ुदा न हों और हज़रत मसीह ख़ुदा हों। उचित है कि आप इसके बाद बार-बार उन भविष्यवाणियों का नाम न लें जो स्वयं हज़रत मसीह की वर्णन शैली से रद्द हो चुकी हैं और हज़रत मसीह आवश्यकता के समय उनको अपने काम में नहीं लाए। निस्संदेह प्रत्येक बुद्धिमान इस बात को समझता है कि जब वह काफ़िर ठहराए गए और उन पर आक्रमण किया गया तथा उन पर पथराव आरम्भ हुआ तो उनको उस समय अपनी ख़ुदाई को सिद्ध करने के लिए उन भविष्यवाणियों की यदि वे वास्तव में हज़रत मसीह के पक्ष में थीं और उनकी ख़ुदाई पर गवाही देती थीं अत्यन्त आवश्यकता पड़ी

थी, क्योंकि उस समय प्राण जाने की आशंका थी, और काफ़िर तो ठहराए जा चुके थे। तो फिर ऐसी आवश्यक एवं काम आने वाली भविष्यवाणियां किस दिन के लिए रखी गई थीं, क्यों प्रस्तुत नहीं कीं। क्या आप ने इसका कोई उत्तर कभी दिया। फिर हम उन भविष्यवाणियों को क्या करें और किस सम्मान की दृष्टि से देखें और क्योंकर हज़रत मसीह को दुनिया के दूसरे कृत्रिम ख़ुदाओं से पृथक कर लें। अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है-

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۣابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۳۰﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۱﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

(सूर: अत्तौबः- 30 से 33)

अर्थात् "अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कुछ यहूदियों ने कहा कि उज़ैर ख़ुदा का बेटा है और नसारा (ईसाईयों) ने कहा मसीह ख़ुदा का बेटा है। ये उन के मुंह की बातें हैं जिनका कोई भी सबूत नहीं। रीस (नक़ल) करने लगे उन लोगों की जो इस से पहले काफ़िर हो चुके थे अर्थात् जो इन्सानों को ख़ुदा और ख़ुदा के बेटे ठहरा चुके। ये तबाह किए जाएँ। ये शिक्षा से कैसे विमुख हो गए। उन्होंने अपने विद्वानों को अपने दरवेशों को अल्लाह के अतिरिक्त परवरदिगार (प्रतिपालक) ठहरा लिया और इसी प्रकार मसीह इब्ने मरयम को। हालांकि हम ने यह आदेश किया था कि तुम किसी की इबादत न करो परन्तु एक की जो ख़ुदा है जिसका कोई भागीदार नहीं। चाहते हैं कि अपने मुखों की फूंकों से सच को बुझा दें और अल्लाह तआला नहीं रुकेगा जब तक अपने नूर (प्रकाश) को पूरा न करे यद्यपि काफ़िर अप्रसन्न हों। वह वही ख़ुदा है जिसने अपना रसूल

हिदायत और सच्चा धर्म देकर भेजा ताकि वह धर्म समस्त धर्मों पर विजयी हो जाए यद्यपि मुश्रिक अप्रसन्न हों।"

अब देखिए इन आयतों में अल्लाह तआला ने स्पष्ट तौर पर फ़रमाया है कि ईसाइयों से पहले यहूदी अर्थात् कुछ यहूदी भी उज़ैर को ख़ुदा का बेटा ठहरा चुके और न केवल वही बल्कि पहले युग के काफ़िर भी अपने पेशवाओं तथा अपने इमामों को यही पद दे चुके। फिर उनके पास इस बात पर क्या सबूत है कि वे लोग अपने इमामों को ख़ुदा ठहराने में झूठे थे और ये सच्चे हैं। फिर इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया में यही खराबियां आ गई थीं जिनके सुधार के लिए इस रसूल को भेजा गया ताकि कामिल शिक्षा के साथ उन ख़राबियों को दूर करे। क्योंकि यदि यहूदियों के हाथ में कोई कामिल शिक्षा होती तो वे तौरात के विपरीत अपने विद्वानों और दरवेशों को कदापि ख़ुदा न ठहराते। इससे मालूम हुआ कि वे कामिल शिक्षा के मुहताज थे। जैसा कि हज़रत मसीह ने भी इस बात का इक़रार किया कि कामिल शिक्षा की अभी बहुत सी बातें शेष हैं कि तुम उनको सहन नहीं कर सकते। अर्थात् जब वह रूहे हक़ (सच की रूह) आए तो वह तुम्हें सारा सच्चाई का मार्ग बताएगी, इसलिए कि वह अपनी न कहेगी परन्तु वह जो कुछ सुनेगी वह कहेगी और तुम्हें भविष्य की ख़बरें देगी। ईसाई लोग यहां रूहे हक़ से रूहुल कुदुस अभिप्राय लेते हैं और इस ओर ध्यान नहीं देते कि रूहुल कुदुस तो उनके सिद्धान्त के अनुसार ख़ुदा है तो फिर वह किस से सुनेगा। हालांकि भविष्यवाणी के शब्द ये हैं कि जो कुछ वह सुनेगी वह कहेगी। अब हम पुनः उस लेख की ओर लौटते हुए कहते हैं कि डिप्टी साहिब ने तो हज़रत मसीह के ख़ुदा होने पर कोई तर्कबौद्धिक इंजील से प्रस्तुत न किया। परन्तु हम एक और तर्क पवित्र क़ुर्आन से प्रस्तुत कर देते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ ثُمَّ رَزَقَکُمۡ ثُمَّ یُمِیۡتُکُمۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡکُمۡ ؕ هَلۡ مِنۡ شُرَکَآئِکُمۡ مَّنۡ یَّفۡعَلُ مِنۡ ذٰلِکُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿۴۱﴾

(सूरः अर्रूम-41)

अर्थात् अल्लाह वह है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें जीविका दी, फिर तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जीवित करेगा। क्या तुम्हारे उपास्यों (मा'बूदों) में से जो मनुष्यों में से हैं कोई ऐसा कर सकता है। पवित्र है ख़ुदा उन आरोपों से जो मुश्रिक लोग उस पर लगा रहे हैं।

पुनः फ़रमाता है-

اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۷﴾ (सूरः अर्रअद-17)

क्या उन्होंने ख़ुदा तआला के भागीदार ऐसी विशेषताओं के ठहरा रखे हैं कि जैसे ख़ुदा तआला स्रष्टा है वे भी स्रष्टा हैं। ताकि इस तर्क से उन्होंने उनको ख़ुदा मान लिया। उनको कह दे कि प्रमाणित बात यही है कि अल्लाह तआला हर एक चीज़ का स्रष्टा है और वही अकेला प्रत्येक चीज़ पर विजयी और महा प्रकोपी है।

इस क़ुर्आनी तर्क के अनुसार डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब से मैंने पूछा था कि यदि आप लोगों की दृष्टि में वास्तव में हज़रत मसीह ख़ुदा हैं तो उनकी पैदा करने वाली ख़ुदाई विशेषताओं का सबूत दीजिए क्योंकि यह तो नहीं हो सकता कि ख़ुदा अपनी विशेषताओं को आकाश पर छोड़ कर बिल्कुल अकेला और नग्न होकर दुनिया में आ जाए। उसकी विशेषताएं उसके अस्तित्व से अनिवार्य (और) अलग न होने वाली हैं और कभी स्थगन वैध नहीं। यह संभव ही नहीं कि वह ख़ुदा होकर फिर ख़ुदाई की कामिल विशेषताएं प्रकट करने **से असमर्थ हो।** इसका उत्तर डिप्टी साहिब महोदय मुझे यह देते हैं कि जो कुछ पृथ्वी और आकाश में सूर्य एवं चन्द्रमा इत्यादि वस्तुएँ सृष्टि पाई जाती हैं ये मसीह की बनाई हुई हैं। अब पाठक गण इस उत्तर की विशेषता और ख़ूबी का स्वयं ही अनुमान लगा लें कि यह एक तर्क प्रस्तुत किया गया है या दूसरा एक दावा प्रस्तुत किया गया है। क्या ऐसा ही हिन्दू साहिबान नहीं कहते कि जो कुछ आकाश और पृथ्वी में सृष्टि पाई जाती है वह राजा रामचन्द्र साहिब की ही बनाई

हुई है। फिर इसका निर्णय कौन करे। फिर इसके बाद डिप्टी साहिब महोदय ईमान की निशानियों को किसी विशेष समय तक सीमित ठहरा देते हैं हालांकि हज़रत मसीह स्पष्ट शब्दों में फ़रमा रहे हैं कि यदि तुम में राई के बराबर भी ईमान हो तो तुम में ऐसी-ऐसी करामात प्रकट हों। फिर एक स्थान पर यूहन्ना अध्याय-14 आयत-12 में आप फ़रमाते (कहते) हैं- मैं तुम से सच-सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है जो मैं काम करता हूं वह भी करेगा और उन से भी बड़े-बड़े काम करेगा। अब देखिए कि आपकी वे तावीलें कहां गईं। इस आयत में तो हज़रत मसीह ने साफ-साफ निर्णय ही कर दिया और कह दिया कि मुझ पर ईमान लाने वाला मुझ जैसा हो जाएगा और मेरे जैसे काम बल्कि मुझ से बढ़कर करेगा। हज़रत मसीह का यह कथन अत्यन्त सही और सच्चा है क्योंकि नबी इसीलिए आया करते हैं कि उनका अनुकरण करने से मनुष्य उन्हीं के रंग से रंगीन हो जाए और उनके वृक्ष की एक शाखा बनकर वही फल और वही फूल लाए जो वे लाते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य हमेशा अपने हृदय की संतुष्टि चाहता है और प्रत्येक युग को अंधकार फैलने के समय निशानों की आवश्यकता हुआ करती है। फिर यह कैसे हो सके कि हज़रत मसीह के धर्म को स्थापित रखने के लिए इस अनुसंधान के विरुद्ध आस्था हज़रत मसीह को ख़ुदा का बेटा ठहराने के लिए किसी निशान की कुछ भी आवश्यकता न हो और दूसरी क़ौम जिनको असत्य पर समझा जाता है और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पवित्र क़ुर्आन को लाया उसको सच के विरुद्ध समझा जाता है। उसका अनुकरण करने वाले तो पवित्र क़ुर्आन के आशय के अनुसार ख़ुदा तआला की सामर्थ्य और कृपा से निशान दिखाएं परन्तु मसीहियों के निशान आगे नहीं अपितु पीछे रह गए हों। यदि मसीहियों में अब निशान दिखाने का सामर्थ्य मौजूद नहीं है तो फिर स्वयं सोच लें कि उनका धर्म क्या चीज़ है। मैं पुन: तीसरी बार कहता हूं कि जैसा कि अल्लाह तआला के सच्चे धर्म की तीन निशानियां ठहराई गई हैं वे अब भी स्पष्ट तौर पर इस्लाम में मौजूद हैं। फिर क्या कारण कि आप का धर्म निशान हीन हो गया तथा उसमें सच्चाई के कुछ

निशान शेष नहीं रहे। फिर आप कहते हैं कि हज़रत मसीह ने एक स्थान पर जो निशानी दिखाने से इन्कार किया था उसका कारण यह था कि वह पहले दिखा चुके थे। मैं कहता हूं कि आप का यह बयान सही नहीं है। यदि वह दिखा चुके होते तो उसका हवाला देते। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहता हूं कि मैं भी तो आप लोगों को दिखा चुका हूं।

क्या आपको पर्चा नूर अफ्शां 10 मई 1888 ई. याद नहीं है जिसमें बड़े दावे के साथ नूर अफ्शां के मालिक ने मेरी भविष्यवाणी का इन्कार करके उस पर्चे (अखबार) में विरोध में लेख छपवाया था और वह भविष्यवाणी भी नक़ल कर दी थी। फिर वह भविष्यवाणी अपने समय पर पूरी हो गयी।

और आप इक़रार कर चुके हैं कि भविष्यवाणी भी विलक्षण निशानों में सम्मिलित है तो हमने तो एक निशान इस प्रकार से सिद्ध कर दिया जो नूर अफ्शां में दर्ज है। फिर इसके पश्चात यदि आपकी ओर से कोई सबूत हो तो वह उसी विवाद के समान होगा जो यहूदियों ने विवाद किया था, जिसका विवरण हज़रत मसीह की ज़ुबान (जीभ) से आप सुन चुके हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। परन्तु मैं आपके इक़रार के अनुसार कि आप ने मुसलमान होने को इक़रार किया था, इस बात के सुनने का बहुत उत्सुक हूं कि इस भविष्यवाणी को देखकर आपने इस्लाम का कितना भाग स्वीकार कर लिया है और मैं तो भविष्य में भी तैयार हूं। केवल निवेदन और शर्तों के लिखने की देर है तथा आपका यह कहना कि जैसे मैंने हज़रत मसीह के पक्ष में गाली का शब्द प्रयोग करके थोड़ा अपमान किया है यह आप का बोधभ्रम है। मैं हज़रत मसीह को एक सच्चा नबी तथा ख़ुदा तआला का एक चुना हुआ प्रिय बन्दा समझता हूं। वह तो एक इल्ज़ामी और आप ही के मतानुसार था और वह इल्ज़ाम आप ही पर आता है न कि मुझ पर।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

सातवाँ पर्चा

मुबाहसा 29 मई 1893 ई.

वृत्तान्त

आज फिर जल्से का आयोजन हुआ। डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब बीमारी के कारण नहीं आ सके, इसलिए उनके स्थान पर मैं प्रस्तुत होता हूं और मेरे स्थान पर पादरी इहसानुल्लाह साहिब ईसाइयों की ओर से सभापति नियुक्त किए जाएं। मिर्ज़ा साहिब और मुसलमानों के सभापति की ओर से प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

डाक्टर क्लार्क साहिब ने 6 बजकर 16 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 7 बजकर 15 मिनट पर समाप्त किया और मुकाबले के बाद ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 7 बजकर 55 मिनट पर आरम्भ किया और 8 बजकर 55 मिनट पर समाप्त किया और मुकाबले के बाद ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब ने 9 बजकर 40 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भकिया और 10 बजकर 35 मिनट पर समाप्त किया और मुकाबले के बाद ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। तत्पश्चात दोनों सदस्यों के लेखों पर सभापतियों के हस्ताक्षर किए गए और मुबाहसे के प्रथम भाग का समापन हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
इहसानुल्लाह
स्थानापन्न (क़ायम मक़ाम)
हेनरी मार्टिन क्लार्क
ईसाइयों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह(प्रेसीडेंट)
मुसलमानों की ओर से

बयान डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब
स्थानापन्न
डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब
29 मई सन 1893 ई.

जनाब मिर्ज़ा साहिब की कई एक बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्य चकित हुआ हूं, परन्तु सब से अधिक आश्चर्य उनके उस कथन से हुआ कि आप बौद्धिक तौर पर कह सकते हैं कि रामचन्द्र और कृष्ण भी क्यों ख़ुदा न समझे जाएँ और **हिन्दुओं की** जो पुस्तकें हैं उनका सबूत भी विश्वसनीय न समझा जाए। मिर्ज़ा साहब आप यह क्या कहते हैं? उन्होंने कौन से ख़ुदा के कार्य किए और उनका कौन सा दावा ठोस सबूत तक पहुंचा हुआ है और अहले किताब की जो सभा है उसमें उनके उदाहरणों की क्या आवश्यकता है? क्या आप बौद्धिक तौर पर अलमसीह और रामचन्द्र एवं कृष्ण में कोई अन्तर नहीं करते और प्रतापी इंजील को हिन्दुओं की किताबों के बराबर जानते हैं? मेरे विचार में ख़ुदा के एक सच्चे नबी को तथा अहले किताब के मामलों को मूर्ति पूजकों तथा उनकी पुस्तकों से उपमा देना ही पाप है और यदि आप ऐसी उपमा दें तो उसका उत्तर भी आप ख़ुदा तआला को देंगे। हिन्दुओं की जिन पुस्तकों का आप ने वर्णन किया वे तो ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं हैं। अब हम किस बात को दृष्टिगत रखकर अत्यधिक अन्तर करें। आप ने यह भी कहा था कि बहुत से लोगों ने दावा किया था कि हम ख़ुदा हैं और उनके ख़ुदाई के ये दावे झूठे निकले। मसीह ने भी यह दावा किया है इसलिए वह भी झूठा है। मेरे महोदय आप यह क्या कहते हैं। यदि दस रुपयों में नौ खोटे हों तो क्या दसवां भी अवश्य खोटा होगा? इस प्रकार का फ़त्वा नहीं दिया जा सकता। अवसर देखकर तथा विशेषताओं को समझकर फ़त्वा देना चाहिए। चूंकि झूठे दावे हैं। आप पर रोशन होगा कि सच्चा भी कोई होगा। यदि सच्चे रुपए न होते तो नक़ली भी न होते। **तीसरे हम ने कई भविष्यवाणियां** मिर्ज़ा साहिब की सेवा में प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर उनका यह आरोप है कि

आप दावे के सबूत में दावे ही प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ये भविष्यवाणियां जिनका हवाला देते हो स्वयं दावे हैं और दावे का दावे से सबूत कैसे हो सकता है। मेरे महोदय आप का विचित्र बोधभ्रम है। अल्लाह तआला की भविष्यवाणियों की किसी भी स्थिति में दावे में गणना नहीं हो सकती, अपितु सच्चाइयां हैं और हम उन्हें दावे के तौर पर स्वीकार नहीं करते परन्तु अपने मालिक के आदेश के तौर पर स्वीकार करते हैं। किसी मनुष्य की हिम्मत है कि अपने स्रष्टा एवं प्रतिपालक के आदेश को दावा कहे और उनको परखना भी हमारा अधिकार नहीं क्योंकि यदि एक भविष्यवाणी है तो वह भविष्य काल से संबंध रखती है न कि वर्तमान काल से। अब जिस मंजिल तक हम पहुँचते ही नहीं हैं वहाँ की बातों का हम फैसला ही क्या करें। हमारा अधिकार है कि नबी को परखें और अपनी संतुष्टि करा लें कि यह अवश्य ख़ुदा का नबी है और जब हम ने मालूम कर लिया वह हमें जो सन्देश पहुंचाता है। न उसका जान के ऊपर उसके मालिक तथा अपने मालिक का जान कर धन्यवाद और आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भविष्यवाणी जब उतरती है तो स्वीकार की जाती है और जब पूरी होती है तो पूर्णता की श्रेणी पर पहुंचती है। जो बातें अभी आई नहीं उनमें अल्लाह तआला के अतिरिक्त कौन पहचान कर सकता है। अब जनाब देखिएगा पुराने अहदनामे में अल्लाह तआला के कई नबी अल्लाह की ओर से सूचना देते हैं कि ये-ये बातें होंगी और नए अहदनामा वह भी सच्चा कलाम है और अल्लाह तआला की ओर से उतरा है। कई और बातें लिखते हैं कि ख़ुदा की यह हिदायत कि जो मेरे अमुक-अमुक बन्दे, अमुक-अमुक अवसर पर कह गए थे आज और इस अवसर पर पूरी होती है। महोदय जी आवश्यक है कि हम मानें, पलायन स्वभाव के विरुद्ध है कि अल्लाह तआला की गवाही और आदेश सब गवाहियों से बढ़कर है। आप की सेवा में तीन लिस्टें प्रस्तुत की गई थीं जिनमें पुराने अहदनामे की भविष्यवाणियां नए अहदनामे के हवालों सहित जहां वे पूरी होती हैं लिखी गई थीं। छ: सौ, सात सौ, आठ सौ वर्ष पूर्व जो अल्लाह तआला के नबी कह गए, एक-एक बिन्दु पूरा होते देखे। हे मेरे मिर्ज़ा यदि अब भी दावा मानें तो हठ और द्वेष के अतिरिक्त

कुछ नहीं। आप ने यह भी पूछा था कि क्या अलमसीह ने स्वयं कभी अपनी ही मुबारक जीभ से उन भविष्यवाणियों में से अपने पक्ष में स्वीकार की हैं या नहीं। मेरे महोदय! न एक बार, न दो बार बल्कि कई बार सब को। देखिए मती अध्याय-22 आयत-41 से 46 तक, यूहन्ना अध्याय-5 आयत-39 मती बात-11 आयत-10 मुकाबले पर मलाकी नबी अध्याय-3 आयत-1, लूका अध्याय-24 आयत-27, मती अध्याय-6 आयत-17।

चतुर्थ- यूहन्ना अध्याय-10 आयत-35 के बारे में आप ने पूछा। बहुत बार सेवा में कहा गया न मालूम क्या बात है कि शुभ विचार में बात नहीं आई। मै अन्तिम निवेदन यह करता हूं कि इस आयत की आप इसलिए पकड़ करते हैं कि इसमें ख़ुदाई का इन्कार है इसके विपरीत कि अलमसीह इस अवसर पर अपनी ख़ुदाई का ठोस दावा करता है। यद्यपि यहूदियों को स्वयं कहता है। प्रारम्भ में कलाम था, कलाम ख़ुदा के साथ था, कलाम ख़ुदा का था, कलाम साक्षात हुआ, वे लोग जिनके पास ख़ुदा का कलाम पहुँचा उस कलाम की बरकत से ख़ुदा होने के योग्य ठहराए गए मानो कलाम का अनुकरण किया जिसके कारण उनको यह बरकत मिल गई। **जिनके पास कलाम** पहुँचा और उनका इतना दर्जा (स्तर) हो गया तो तुम साक्षात कलाम को कहते हैं कि तू कुफ्र बकता है। खेद तुम्हारी अक्लों पर। वे विशेष शब्द जो विचार करने योग्य हैं वे हैं मख़्सूस किया और भेजा। आप ने तो कुछ इबारतें लिखाई थीं कि उनमें भी ये हैं।

परन्तु तलाश करने से पता नहीं मिला। आप के हवाले ग़लत निकले यूनानी भी जैसे आप की सेवा में प्रस्तुत कर दी। आप ने कहा और बहुत से हवाले हैं, किसी की सूचना नहीं दी। इस पर विचार कीजिए। भेजा मसीह का भेजा जाना और ही प्रकार का था। यूहन्ना अध्याय-16 आयत-28 बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। यदि इसमें ख़ुदाई का इन्कार है तो आप बताइए कि किस बन्दे ने कहा कि- "मैं बाप में से निकला और फिर बाप पास जाता हूं।"

आप का यह कहना कि अलमसीह को भेजा है उचित नहीं। हमारा अधिकार नहीं कि कहें कि यों हो या यों। जो बातें हो चुकी हैं उनके अनुसार फ़ैसला करना

है अन्यथा हम स्पष्ट कह दें कि हम अल्लाह तआला और उनके महान नबियों से बुद्धिमान हैं। हम होते तो यों कहते। यह बुद्धिमत्ता नहीं यह गढ़ा हुआ झूठ है। सिकन्दर महान के एक पारमीनो नामक जनरल (सेनापति) थे। जब सिकन्दर महान ने ईरान पर विजय प्राप्त कर ली पारमीनो कहने लगे- मैं यदि सिकन्दर महान होता तो दारा की पुत्री को अपनी शादी में लेकर इस देश से बाहर न जाता। सिकन्दर महान ने कहा- यदि मैं पारमीनो होता तो मैं भी ऐसा ही करता। चूंकि मैं सिकन्दर महान हूं न कि पारमीनो। मैं कुछ और करूंगा। अतः उस समय चूंकि अलमसीह थे न कि मिर्ज़ा साहिब और याद रखिए कि यहूदियों की केवल यह एक बातचीत नहीं हुई कि सब कुछ उसी समय हो जाए यह क्रम तीन वर्ष तक जारी रहा।

पंचम- यदि मसीह स्रष्टा थे तो उन्होंने क्या बनाया। ख़ुदा के फ़त्वे के अनुसार यूहन्ना अध्याय-1 जो अब उसका है सब कुछ यदि इस फ़त्वे से मिर्ज़ा साहिब पलायन करते हैं तो इंजील को ही अस्वीकार कर दें और उसको एक इन्सानी, कामवासना से संबंध रखने वाली और झूठ से भरी हुई किताब ठहरा दें।

षष्टम- जब आप इन्सान बने तो ख़ुदाई विशेषता कहां गई। यह मिर्ज़ा साहिब का प्रश्न है। उत्तर बहुत संक्षिप्त और छोटा है हालांकि अल्लाह तआला अंत तक मुबारक थे और हैं। उन्होंने **अपने आप को** विनम्र किया। फिलपियों के अनुसार अध्याय-2 आयत-6

सप्तम- राई के दाने पर आपके पैर फिर फिसले और पहाड़ों पर जा ठहरे और आप ने कैसे विचित्र जूती उत्तम ऊन में लपेट कर हमारे सर पर चलाई कि जागो, उठो अन्यथा राई के बराबर (भी) ईमान नहीं रहता। आप घबराएं नहीं ईमान कहीं नहीं जाता है। सेवा में कहा गया कि यह कहना केवल रसूलों के लिए है न कि हमारे लिए अपितु स्पष्ट पहले क्रांतियों के अध्याय-13 आयत-2 में यह आ गया कि ईमान तो तुम में इतना हो कि पहाड़ भी हिल जाएं और प्रेम न हो तो व्यर्थ है और चमत्कारों के बारे में आप ने जो मरकस के अध्याय-16 को आधार समझकर भव्य इमारत तैयार की थी वह तुच्छ है। इसलिए कि बुनियाद

कच्ची है। आप पर स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया गया कि रसूल मसीह के बेईमानी की हालत में भी ईमान लाते हैं, उनको कहा जाता है कि अब तुम्हारे साथ ये निशानियां होंगी। शब्द यूनानी है। उसके अर्थ टी आई हैं जो ईमान लाए हैं वर्तमान में और यह सीग: कदापि नहीं कि ईमान लाएंगे बल्कि रसूलों के युग में प्रत्येक को अधिकार न था शरीर एक भिन्न अवयव। हवारी पूछता है क्या सब आंख हैं, सब कान हैं और फ़रमाता है- क्या सब चमत्कार दिखाते हैं और करामतें करते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं इसी प्रकार जैसे कह चुका और फिर स्पष्ट लिखा है। बहरहाल यह जो विशेष कृपाएं हैं बंद हो जाएंगी और जो सदैव रहेगा वह प्रेम है। ख़ुदावन्द ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सदैव रहने वाला निशान जिस से दुनिया जानेगी कि तुम मेरे हो न कि करामात और चमत्कार से प्रेम है। देखो यूहन्ना अध्याय-13 आयत-34,35। इस से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आप ने फिर पूछा कि यूहन्ना अध्याय-12 आयत-14 के अनुसार आप पर अनिवार्य है कि जो कार्य मसीह ने किए वे आप करें बल्कि उस से बढ़कर करें।

मेरे महोदय! आप मूल इबारत पर तो विचार कीजिए। यहाँ तो अपने हवारियों को सम्बोधित कर रहे हैं न कि मुझे, न आप को। जो काम मैं करता रहा तुम फिर करते रहोगे। आपने कहा और निस्सन्देह उन्होंने कई देव निकाले, सांप पकड़े, मुर्दे जीवित किए।

उन से बढ़कर तुम काम करोगे क्योंकि मैं बाप पास जाता हूं और यह सच है ऐसा ही हुआ, क्योंकि अलमसीह की मुनादी से थोड़े ही ईमान लाए। पतरस की एक मुनादी से अचानक **तीन हज़ार ईमान लाए**। आ'माल की किताब में लिखा है कि वह केवल यहूदियों में मुनादी करते रहे। उनके शिष्य सम्पूर्ण संसार में गए। तथापि स्मरण रखिए कि शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं।

तुम मुझ से मांगो मैं कर दूँगा। आप कहते हैं तुम्हारा काम दुआ करना है। अत: स्पष्ट लिखा है- दुआ मांगते रहे और ख़ुदावन्द यसू पूर्ण करता रहा और कर रहा है।

अष्टम- आप पूछते हैं कि क्या हर युग में निशानियां आवश्यक नहीं,

कदापि नहीं। प्रारम्भ में चाहिए परन्तु हमेशा प्रारम्भ नहीं है। निशानियां एवं चमत्कार शिक्षा तथा धर्म को पूर्ण करते हैं।

जो वस्तु एक बार ख़ुदा तआला की ओर से कामिल (पूर्ण) की गई उसे ऐसा अपूर्ण न भेजते कि दोबारा कामिल (पूर्ण) करने की आवश्यकता न हो। अन्तिम निशान ख़ुदावन्द मसीह स्वयं थे और यह भी स्पष्ट तौर पर प्रकट है कि जब कोई नई शिक्षा आए तो विशेष व्यक्ति चाहिए जो सन्देश पहुंचाए और विशेष निशानियां हों जिन से अल्लाह तआला सिद्ध करे कि यह मेरा भेजा हुआ है और यह शिक्षा मेरी है। परन्तु अब हज़ार श्रेणियां हैं जिन से अन्वेषण हो सकता है अर्थात् पुस्तकीय एवं तर्कशास्त्रीय और ऐतिहासिक इत्यादि। जहां सामान्य तौर पर कोई काम हो सके वहां अल्लाह तआला विशेष तौर पर नहीं करता है।

यहूदियों को उन जंगलों में जहां ख़ुराक (जीविका) न थी आकाशीय ख़ुराक मिलती रही जिस दिन ऐसे देश में पहुंचे जहां अन्य सामन उपलब्ध था मान भी जाता रहा।

फिर आगे न विशेष बन्दा होता है न विशेष मुहर होती है। वह कारखाना सामान्य तौर से चलाया जाता है। चूंकि आप की आस्थानुसार मुहम्मद साहिब ख़ुदा के नबी थे और क़ुर्आन को अल्लाह तआला जिब्राईल के माध्यम से उन पर उतारता रहा और प्रारम्भ में सच है कि ऐसा हो।

परन्तु अब मुहम्मद साहिब की उम्मत उस शिक्षा एवं धर्म को फैलाती है न कि मुहम्मद साहिब स्वयं। और क़ुर्आन छपाई द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं न कि फ़रिश्तों के द्वारा।

नवम- ख़ुदावन्द यसू चमत्कार दिखाने से क्यों इन्कारी हुए, इसके बारे में तो आथम साहिब खुलासे के तौर पर वर्णन कर चुके। उस समय भी इन्कारी न थे। कहते हैं कि निशान तुम को मिलेगा यूनुस नबी का। आप ने यह पढ़ कर नहीं सुनाया **जैसा वह तीन दिन मछली** के पेट में रहा वैसा ही इब्ने आदम भी तीन दिन पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। अपनी मृत्यु और दफ्न होने तथा जीवित हो उठने की निशानी दी और इस से बढ़कर दुनिया में कभी कोई चमत्कार नहीं

हुआ। उन्होंने एक चमत्कार दिखाया। यूहन्ना अध्याय-21 आयत-25

रसूल कहता है कि उसने कई और कार्य किए और अपने काम का माध्यम क्या देते हैं। देखिए यूहन्ना अध्याय-14 आयत-11

दशम- आपका यह प्रश्न है कि वह सलीब से क्यों न उतर आए, किस प्रकार उतरते? इसी कार्य के लिए तो संसार में आए थे कि स्वयं को संसार का कफ़्फ़ार: करें। हाँ इसी प्रकार तो शैतान ने कहा था कि तू पत्थरों की रोटी बना दे और न उन्होंने वह किया न यह किया। क्योंकि इन सब कार्यों में शैतान की उपासना थी। आप कहते हैं कि यदि उतर आते तो यहूदी तुरन्त ईमान लाते। यह आपको कैसे मालूम है। कौन सा अन्य चमत्कार देख कर ईमान लाए थे और उनको जीवित उठा देख कर कौन से ईमानदार बने। मेरे महोदय! किसी चमत्कार की परख से ईमान पैदा नहीं होता। हज़रत मूसा ने फ़िरऔन को थोड़े चमत्कार दिखाए तो भी वह निर्दय काफ़िर ही रहा। यह शर्त नहीं कि चमत्कार के साथ ईमान भी होगा।

अर्थात् देखने वाले में हो न हो ख़ुदाई बात है। फ़िरऔन का मैंने उदाहरण दिया है।

ला'रिज़ नामक एक व्यक्ति को अलमसीह ने मुर्दों में से जीवित किया। यहूदी ऐसे प्रकोप से मर गए कि प्रयत्न करने लगे कि इन दोनों को मार दें। जलाली इंजील में स्पष्ट तौर पर आया है- यदि वह मूसा और लिखी हुई बातों पर ईमान न लाएं तो मुर्दों में से कोई जाएगा तो वे ईमान न लाएंगे।

ग्यारहवां- आपने कहा था कि मनुष्य का शरीर चार-चार वर्ष के पश्चात परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कफ़्फ़ार: कैसे हुआ। चार वर्ष नहीं सात वर्ष के पश्चात होता है। जो भी हो शरीर का परिवर्तन हो अस्तित्व परिवर्तित नहीं होता। आप की राय में इस कारण से कफ़्फ़ार: असंभव था। अब तो शायद यह भी मानेंगे कि सात वर्ष के पश्चात चार वर्ष के बाद पुरुष अपनी पत्नी का पति न ठहरता और न अपने बच्चों का पिता और न अपनी मां का मालिक हो सकता है। जब समय समाप्त होने पर आया फिर क्या ही अच्छा हो कि दोबारा **निकाह**

नए सिरे से रजिस्ट्रियां कराए ताकि उसका सम्मान और स्वामित्व कायम रहे।

जनाब! आपके इस प्रकार के प्रश्न ऐतराज़ आपके ही समझने के योग्य हैं।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
इहसानुल्लाह
स्थानापन्न (क़ायम मक़ाम)
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह(प्रेसीडेंट)
मुसलामानों की ओर से

बयान जनाब मिर्ज़ा साहिब
29 मई 1893 ई.

आज डाक्टर साहिब ने जो कुछ हज़रत मसीह की ख़ुदाई के सबूत के बारे में प्रस्तुत किया उसके सुनने से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि डाक्टर साहिब महोदय के मुख से ऐसी बातें निकलीं। जानना चाहिए कि ख़ुदाई का यह दावा जो हज़रत मसीह की ओर सम्बद्ध किया जाता है यह कोई छोटा सा दावा नहीं, एक महान दावा है। ईसाई सज्जनों की आस्थानुसार जो व्यक्ति हज़रत मसीह की ख़ुदाई का इन्कार करे वह हमेशा के नर्क में गिराया जाएगा और पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा की दृष्टि से जो व्यक्ति ऐसा शब्द मुख पर लाए कि अमुक व्यक्ति वास्तव में ख़ुदा है या वास्तव में मैं ही ख़ुदा हूं वह नर्क के योग्य ठहरेगा जैसा कि अल्लाह तआला का कथन है-

وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ (सूरः अल अंबिया-30)

अर्थात् जो व्यक्ति यह बात कहे कि उस सच्चे ख़ुदा के अतिरिक्त मैं ख़ुदा हूं तो हम उसे नर्क का दण्ड देंगे। फिर उस के पहले की आयत यह है-

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

(सूरः अल अंबिया-27)

और ईसाई कहते हैं कि अल्लाह तआला ने अपना बेटा बनाया, पवित्र है वह बेटों से अपितु ये सम्मानित व्यक्ति हैं।

फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे हाथ में क्या सबूत है तो हमें सबूतों का विशाल भण्डार दिखाई देता है। एक ओर मनुष्य की सद्बुद्धि इस आस्था को धक्के दे रही है और एक ओर इस्तिक़राई तर्क गवाही दे रहा है कि अब तक विवादित दावे के अतिरिक्त उसका कोई उदाहरण नहीं पाया गया। एक ओर पवित्र क़ुर्आन जो असंख्य सबूतों से अपनी सच्चाई सिद्ध कर रहा है इस से इन्कारी है जैसा कि वह फ़रमाता है-

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۷۲﴾ (सूर: अलहज-72)

अर्थात् इबादत (उपासना) करते हैं अल्लाह के अतिरिक्त ऐसी चीज़ की जिसकी ख़ुदाई पर अल्लाह तआला ने कोई निशान नहीं भेजा अर्थात् नुबुव्वत पर तो निशान होते ही हैं परन्तु वे ख़ुदाई के काम में नहीं आ सकते। फिर फ़रमाता है कि इस आस्था के लिए उनके पास कोई ज्ञान भी नहीं अर्थात् कोई ऐसे बौद्धिक तर्क भी नहीं हैं जिन से कोई आस्था सुदृढ़ हो सके। पुनः फ़रमाता है-

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿ؕ۸۹﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿ۙ۹۰﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ۙ۹۱﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿ۚ۹۲﴾ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ؕ۹۳﴾

(सूर: मरयम-89 से 92)

और कहते हैं कि रहमान (ख़ुदा) ने हज़रत मसीह को बेटा बना लिया है यह तुम ने हे ईसाइयो! एक भारी बात का दावा किया। निकट है कि इस से आकाश और पृथ्वी फट जाएँ पर्वत कांपने लगें कि तुम मनुष्य को ख़ुदा बनाते हो।

तत्पश्चात जब हम देखते हैं कि क्या इस ख़ुदा बनाने में यहूदी लोग जो तौरात के प्रथम वारिस थे जिनके पुराने अहदनामा की भविष्यवाणियां सर्वथा बोध भ्रम के कारण प्रस्तुत की जाती हैं। क्या कभी उन्होंने जो अपनी किताबों की

प्रतिदिन तिलावत (उच्च स्वर में पढ़ना) करने वाले थे तथा उन पर विचार करने वाले थे कि ये किताबों का मतलब भली भांति समझते हैं इनकी बातों को मानो। क्या कभी उन्होंने इन बहुत सी प्रस्तुत की हुई भविष्यवाणियों में से एक से साथ सहमत होकर इक़रार किया कि हाँ यह भविष्यवाणी हज़रत मसीह मौऊद को ख़ुदा बताती है और आने वाला मसीह मनुष्य नहीं अपितु ख़ुदा होगा। तो इस बात का कुछ भी पता नहीं लगता। प्रत्येक बुद्धिमान सोच सकता है कि यदि हज़रत मसीह से उनको कुछ कंजूसी और बैर पैदा होता तो उस समय पैदा होता जब हज़रत मसीह का आगमन हुआ पहले तो वे लोग बड़े प्रेम से और बड़े ध्यान से न्याय एवं स्वतंत्रता से उन भविष्यवाणियों को देखा करते थे तथा प्रतिदिन उन किताबों की तिलावत किया करते थे और व्याख्याएं लिखते थे। फिर क्या अनोखी बात है कि उनसे यह मतलब बिल्कुल छुपा रहा। डाक्टर साहिब कहते हैं कि **खुली-खुली भविष्यवाणियां** हज़रत मसीह की ख़ुदाई के लिए पुराने अहदनामे में मौजूद थीं। अब हमें आश्चर्य पर आश्चर्य होता है। यदि एक भविष्यवाणी होती और यहूदियों की समझ में न आती तो वे असमर्थ भी ठहर सकते थे परन्तु यह क्या बात है कि सैकड़ों भविष्यवाणियों के पाए जाने के बाद फिर भी एक भी भविष्यवाणी उनकी समझ में नहीं आई तथा कभी किसी और युग में उनकी यह आस्था न हुई कि हज़रत मसीह दुनिया में ख़ुदा होने की हैसियत से आएंगे। उनमें नबी भी थे उनमें (यहूदी) राहिब (सन्यासी) भी थे उनमें इबादत करने वाले भी थे, परन्तु उनमें से किसी ने बतौर व्याख्या यह उल्लेख नहीं किया कि हाँ एक ख़ुदा भी मनुष्य के लिबास में आने वाला है।

आप तो जानते हैं कि यह बात तो असंभव है कि ऐसी क़ौम की बोध भ्रम पर सहमति हो जाए जिसने तौरात का एक-एक बिन्दु, एक-एक खण्ड अपने नियन्त्रण में किया हुआ था, क्या वे सारे ही बुद्धिहीन थे, क्या वे सारे ही मूर्ख थे, क्या सब के सब पक्षपाती थे। फिर यदि वे पक्षपाती थे तो इस पक्षपात की प्रेरक हज़रत मसीह से पूर्व कौन सी बात थी। यह तो स्पष्ट है कि पक्षपात मुकाबले पर हुआ करते हैं जबकि अभी तक किसी ने ख़ुदाई का दावा नहीं किया था फिर

पक्षपात किस के साथ किया जाए। अतः यहूदियों की यह सहमति मसीह के युग से पूर्व आने वाला एक मनुष्य है ख़ुदा नहीं है एक सत्याभिलाषी के लिए पर्याप्त सबूत है। यदि वे इसी बात के इच्छुक होते कि सच को अकारण छुपाया जाए तो फिर नबी के आने का इक़रार क्यों करते? इसके अतिरिक्त तौरात के दूसरे स्थानों में इस बात के और भी समर्थक एवं सत्यापन करने वाले हैं। अतः तौरात में स्पष्ट लिखा है कि-

तुम पृथ्वी की किसी भी वस्तु को या आकाश की किसी वस्तु को देखो तो उसे ख़ुदा मत बनाओ। जैसा की ख़ुरूज अध्याय-20 आयत-3 में ये शब्द हैं कि-

"तू अपने लिए कोई मूर्ति या किसी वस्तु का चित्र जो आकाश पर या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे पानी में है मत बना।"

और फिर लिखा है-

"यदि तुम्हारे बीच कोई नबी स्वप्न देखने वाला प्रकट हो और तुम्हें कोई निशान या चमत्कार दिखाए और उस निशान या चमत्कार के अनुसार जो उसने तुम्हें दिखाया है बात घटित हो और वह तुम्हें कहे कि आओ हम ग़ैर उपास्यों का जिन्हें तुमने नहीं जाना अनुकरण करें तो उस नबी या स्वप्न देखने वाले की बात पर कदापि कान न धरना।"

इसी प्रकार तौरात में और भी बहुत से स्थान हैं जिनके **लिखने** की आवश्यकता नहीं, परन्तु सब से बढ़कर हज़रत मसीह का अपना इक़रार देखने योग्य है। वह फ़रमाते हैं-

सब आदेशों में प्रथम यह है कि हे इस्राईल सुन वह ख़ुदावन्द जो हमारा ख़ुदा है एक ही ख़ुदा है। (मरकस अध्याय 12 आयत 29)

पुनः कहते हैं-

"सदैव का जीवन यह है कि वे तुझ को अकेला सच्चा ख़ुदा और यसू मसीह को जिसे तुम ने भेजा है जानें।"

(यूहन्ना अध्याय-17 आयत-3)

और भेजा का शब्द तौरात के कई स्थानों में इन्हीं अर्थों पर बोला जाता

है कि जब ख़ुदा तआला अपने बन्दे को मामूर करके और अपना नबी बनाकर भेजता है तो उस समय कहा जाता है कि वह बन्दा 'भेजा गया' है। यदि डाक्टर साहिब यह भेजा गया का शब्द इस मायने के अतिरिक्त जहां नबी के बारे में बोला जाता है विवादित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर दूसरे अर्थों में सिद्ध कर दें तो शर्त के तौर पर जो चाहें हम से वसूल कर सकते हैं। डाक्टर साहिब पर स्पष्ट रहे कि भेजा गया शब्द और इसी प्रकार मख़्सूस का शब्द मनुष्य के बारे में आया है यह सर्वथा ज़बरदस्ती है कि अब इसके और अर्थ किए जाएँ। इसके अतिरिक्त हज़रत मसीह की ख़ुदाई के बारे में यदि ईसाई लोगों की ईमानी सिद्धान्त में सहमति होती तथा कोई क़ौम एवं समुदाय (फ़िर्क़ा) उस सहमति से बाहर न होता तो तब भी कुछ गर्व करने का स्थान था, परन्तु अब तो डाक्टर साहिब के हाथ में इतनी बात भी नहीं। डाक्टर साहिब बताएं कि क्या आप के विभिन्न फ़िर्क़ों (समुदायों) में से युनिटेरियन फ़िर्क़ा हज़रत मसीह को ख़ुदा जानता है? क्या वह फ़िर्क़ा इसी इंजील की बातों को ग्रहण नहीं करता जिस से आप ग्रहण कर रहे हैं? क्या वह फ़िर्क़ा इन भविष्यवाणियों से अनभिज्ञ है जिन की आप को ख़बर है। फिर जिस हालत में एक ओर तो हज़रत मसीह अपने कुफ़्र की बरीयत सिद्ध करने के लिए यूहन्ना अध्याय-10 में स्वयं को ख़ुदा बोले जाने में दूसरों के समान ठहराएं और स्वयं को अज्ञानी भी बताएं कि मुझे प्रलय (क़यामत) की कुछ ख़बर नहीं कि कब आएगी और भी उचित न समझें कि उनको कोई नेक कहे और जगह-जगह कहें कि मैं ख़ुदा तआला की ओर से भेजा गया हूं और हवारियों को यह नसीहत करें कि भविष्यवाणियों इत्यादि बातों के वही अर्थ करो जो यहूदी किया करते हैं तथा उनकी बातों को सुनो और मानो। फिर एक ओर मसीह के चमत्कार भी अन्य नबियों के चमत्कारों के समान हों अपितु उन से कुछ कम हों, उस तालाब के क़िस्से के कारण जो डाक्टर साहिब को भली भांति ज्ञात होगा जिसमें स्नान करने वाले इसी तरह-तरह की बीमारियों से अच्छे हो जाया करते थे जैसा कि हज़रत मसीह के बारे में वर्णन किया जाता है और फिर एक ओर घर में ही फूट पड़ी हुई हो। ईसाई लोगों में से एक साहिब तो

हज़रत मसीह को ख़ुदा ठहराते हैं और दूसरा फ़िर्क़ा उन्हें झूठा कह रहा है। इधर यहूदी भी कट्टर झुठलाने वाले हों और बुद्धि भी इन अनुचित विचारों की विरोधी हो और फिर वह अन्तिम नबी जिसने सैकड़ों तर्कों एवं निशानों से सिद्ध कर दिया हो कि मैं सच्चा नहीं हूं तो फिर इतने विरोधी सबूतों के बावजूद एक विशेष समुदाय का विचार और वह भी बिना सबूत कि हज़रत मसीह अवश्य ख़ुदा ही थे किस काम आ सकता है और किस सम्मान देने योग्य है। इस आधार पर मैंने कहा था कि जिस हालत में इतने आक्रमण सहमति पूर्वक आपकी इस आस्था पर हो रहे हैं तो अब हज़रत मसीह की ख़ुदाई सिद्ध करने के लिए आपको ऐसा सबूत देना चाहिए जिसके अन्दर कोई अंधकार न हो, जिसमें कोई मतभेद न कर सकता हो। परन्तु आपने इस ओर ध्यान न दिया। आप कहते हैं कि जो भविष्यवाणियां हम प्रस्तुत करते हैं वे तर्क हैं दावे नहीं। डाक्टर साहिब! आप न्यायपूर्वक विचार करें कि जिस हालत में उन भविष्यवाणियों के सर पर इतने झुठलाने वाले और विरोधी खड़े हैं और स्वयं ही लोग उनके उन अर्थों को नहीं मानते जो आप करते हैं। जो पुराने अहदनामे के वारिस थे और आप की घरेलू सहमति भी नहीं पाई जाती तो फिर वे दावे हुए या कुछ और हुए अर्थात् जबकि आप के समुदायों में वह विवादित मामला ठहर गया तो प्रथम यहूदियों से फैसला कीजिए फिर युनिटेरियन से फैसला कीजिए और फिर जब सब सहमत हो जाएँ कि आने वाला मसीह मौऊद ख़ुदा ही है तो फिर मुसलमानों पर सबूत के तौर पर प्रस्तुत कीजिए। फिर आप कहते हैं कि इस युग में हमारे लिए निशानों की आवश्यकता नहीं। निशान पहले युगों से विशेष होते हैं। जब एक दावा सिद्ध हो गया तो फिर निशानों की क्या आवश्यकता।

मैं कहता हूं यदि यह मामला सिद्ध हो चुका होता तो इतने झगड़े क्यों पड़ते? क्यों आपके समुदाय में से उन भविष्यवाणियों के उन अर्थों को झुठलाने के लिए मौजूद होते। फिर जबकि उन भविष्यवाणियों का न सही होना सिद्ध, न हज़रत मसीह का दावा सिद्ध और न उनके विशेष अर्थों पर सहमति सिद्ध, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये तर्क हैं। आपको यह भी स्मरण रहे

कि आप का यह कहना कि निशान उसी समय तक आवश्यक थे जो हवारियों का युग था और हवारी इसके विरोधी थे। यह बात इस दूसरे तर्क से भी वास्तविकता के विरुद्ध ठहरती है कि यदि किसी बात में हवारियों को संबोधित करना उस बात को उन्हीं तक सीमित कर देना है तो फिर इस स्थिति में सारी इंजील ही हाथ से जाती है क्योंकि समस्त नैतिक शिक्षा जो हज़रत मसीह ने दी जिसके सम्बोधित हवारी थे अब आपको ख़ूब अवसर मिल सकता है कि हमें कुछ आवश्यकता नहीं कि एक गाल पर थप्पड़ खा कर दूसरा गाल भी फेर दें। क्योंकि यह तो हवारियों के बारे में कहा गया था और आप का यह कहना कि रामचन्द्र जी और कृष्ण जी की हज़रत मसीह से क्या तुलना है और क्या दस आदमी एक दावा करें तो उनमें से एक सच्चा नहीं हो सकता। मुझे अफ़सोस है कि आप ने यह क्या लिखाया। मेरा मतलब तो केवल इतना था कि यदि मनुष्य केवल दावे से सच्चा हो सकता है तो दावा करने वाले तो दुनिया में और भी हैं। अत: यदि उनमें से कोई सच्चा है तो चाहिए कि अपनी सच्चाई के सबूत प्रस्तुत करे अन्यथा हमें या आपको दस दावा करने वालों में से एक को बिना सबूत के विशेष कर लेने का कोई अधिकार नहीं पहुँचता। यही तो मैं बार-बार कहता हूं और लिखता हूँ कि हज़रत मसीह की ख़ुदाई पर अभी तक आप ने कोई तर्कशास्त्रीय तर्क प्रस्तुत नहीं किए और पुस्तकीय भविष्यवाणियां जो आप बार-बार प्रस्तुत कर रहे हैं वे तो कुछ भी चीज़ नहीं हैं स्वयं विवादित मामले हैं जिन के आप कुछ मायने करते हैं, युनिटेरियन कुछ करते हैं, यहूदी कुछ करते हैं, मुसलमान कुछ करते हैं फिर ठोस सबूत क्योंकर ठहर जाएँ? और आप जानते हैं कि दलील उसको कहते हैं जो ठोस सबूत और स्वयं में प्रकाशमान और व्यापक हो और किसी बात को सिद्ध करने वाली हो न कि स्वयं सबूत की मुहताज हो। क्योंकि अन्धा अन्धे को मार्ग नहीं दिखा सकता और फिर मैं अपनी पहली बात को दोहराते हुए लिखता हूं जो आप जानते हैं कि इस उपद्रवों से भरे संसार में मनुष्य हमेशा संतुष्टि एवं पूर्ण मारिफ़त का मुहताज है और प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जिन सबूतों को स्वीकार

कराना चाहता है वे ऐसे संतोषजनक और पर्याप्त हों कि उन पर कोई हानि न आ सके और स्वयं एक सत्याभिलाषी जब अपनी मृत्यु को याद करता है और धर्महीन एवं पथभ्रष्ट होने की अवस्था में उन दण्डों को कल्पना में लाता है जो धर्महीनों को मिलेंगे तो स्वयं उसका शरीर कांपने लगता है और स्वयं को इस बात का भूखा और प्यासा पाता है कि यदि कोई निशान हो तो उससे सांत्वना पाए और उसके सहारे के लिए वह उस का सबूत ठहर जाए तो फिर मैं आश्चर्य करता हूं कि ईसाई धर्म का यह वृक्ष बिना फलों के कैसे ठहराया जाता है और क्यों उस व्यक्ति के मुकाबले पर सांत्वना का मार्ग प्रस्तुत नहीं किया जाता जो प्रस्तुत कर रहा है। यदि अल्लाह तआला का स्वभाव निशान दिखाना नहीं है तो इस इस्लाम धर्म के समर्थन के लिए क्यों निशान दिखाता है। इसलिए क्या कभी संभव है कि अंधकार प्रकाश पर विजयी हो जाए। आप ये सब बातें जाने दें, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप का दिल आप के इन बयानों के अनुसार कदापि-कदापि न होगा। अच्छा तो यह है इस क़िस्से के साफ़ करने के लिए मेरे साथ आपका एक लिखित संप्रतिज्ञा (मुआहदः) हो जाए। यदि मैं उन शर्तों के अनुसार जो उस संप्रतिज्ञा में कहूँगा कोई निशान ख़ुदा की इच्छानुसार प्रस्तुत न कर सकूँ तो आप जिस प्रकार का दण्ड चाहें उसे भुगतने के लिए तैयार हूं अपितु मृत्यु-दण्ड के लिए भी तैयार हूं। परन्तु यदि यह सिद्ध हो जाए तो आपका कर्तव्य होगा कि अल्लाह तआला से डर कर इस्लाम धर्म को अपनाएं। डाक्टर साहिब यह क्योंकर हो सकता है कि ईसाई धर्म तो सच्चा हो और समर्थन इस्लाम धर्म का हो। आप स्वयं हज़रत मसीह से दुआ करते रहें कि वह उस व्यक्ति को अपमानित और निरुत्तर करे और मैं अपने ख़ुदा से दुआ करूंगा। फिर वह जो सच्चा ख़ुदा है विजयी हो जाएगा।

इससे उत्तम और कौन सा निर्णय का उपाय होगा। आप के बिना सबूत के दावे को कौन स्वीकार कर सकता है? आप उनको क्यों बार-बार प्रस्तुत करते हैं।

क्या आप की क़ौम ने सहमत होकर उसको स्वीकार कर लिया है? आप

कृपा करके सीधे मार्ग पर आकर वह मार्ग अपनाएं जिस से सत्य और असत्य में निर्णय हो जाए।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेसीडेंट)	इहसानुल्लाह
मुसलमानों की ओर से	स्थानापन्न (क़ायम मक़ाम)
	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेसीडेंट)
	ईसाइयों की ओर से

बयान डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क

जनाब मिर्ज़ा साहिब ने अपने उत्तर में अधिक विस्तार यहूदियों पर दिया है और उनको हम नहीं जानते कि किस कारण से हमारे और अपने मध्य निर्णायक बना लिया है। महोदय! आप कौन से अंधकार के बेटों का हवाला देते है। यदि उनके न मानने पर बात आधारित है तो आपके हज़रत साहिब की प्रतिष्ठा में भी बड़ा अन्तर आता है, क्योंकि उनके विरोध पर भी हमेशा कमर बांधकर इन्कारी ही रहे। महोदय! दारोमदार किसी मनुष्य के निर्णय पर नहीं है। किताबें मौजूद हैं भाषा कोई समझ से बाहर नहीं है। बुद्धि ख़ुदा तआला ने केवल यहूदियों को ही प्रदान नहीं की थी। इबारत में ग़लती है बता दीजिए अर्थों में है तो सही अर्थ हमें बता दीजिए। यहूदियों का दुर्भाग्य हमारे सर पर क्यों थोपते हैं? आप तो कहते हैं कि यह क़ौम पवित्र और ख़ुदा की उपासक थी। तौरात मुक़द्दस तथा नबियों की पुस्तकों को देखिए तो उनका सही हाल आप पर खुल जाएगा। देखिए यसइया नबी की किताब के अध्याय-65 आयत-3 में ख़ुदा तआला क्या फ़रमाता है- ऐसे गिरोह की ओर जो सदा मेरे मुंह खुजा कर मुझे क्रोध दिलाती थी और नबियों को देखिए कहते हैं- गर्दन काटने वाले, क्रूर, हद से अधिक नबियों के क़ातिल अपने ख़ुदा से मुख फेरने वाले। ये उनकी विशेषताएं हैं। अल्लाह के कलाम में जिसे आप पवित्र क़ौम समझ रहे हैं बल्कि अल्लाह तआला यहां तक कहता है कि गधा अपने मालिक और बैल अपने चरने को जानता है परन्तु मेरी क़ौम मुझे

नहीं जानती। जिनको अल्लाह तआला गधे और बैल से बढ़कर मूर्खता में बनाता है आप उन से न्याय चाहते हैं। मिर्ज़ा साहिब आप से यह हरगिज़ न होगा। मान्यवर उन्हीं की बेरहमी के दण्ड में ख़ुदा तआला ने उनके दिलों को अंधकारमय कर दिया कि वे न समझें। यसइया 6/10 और लानत ख़ुदावन्द यसू मसीह के समय उनके सर पर थी और अब तक है। मती 13/15 तथा आ'माल 28/27 दूसरे क्रिन्त्यून का 3/15,16 इन आयतों का निरीक्षण करके आप देख सकते हैं कि आप ने मुंसिफी (न्याय करना) किन पर डाली। हाँ उनकी बेईमानी से शहर उनका बरबाद अपने देश से निर्वासित, सारे जहान में अस्त-व्यस्त, कहावत बनकर और बदनाम होकर ये आज तक फिरते हैं अलमसीह की भविष्यवाणी के अनुसार।

दूसरा- फिर आप ने युनिटेरियन के बारे में प्रस्तुत किया। मान्यवर! यह ईसाइयों के किसी फ़िर्के में से कोई फ़िर्क़ा नहीं। सारे संसार की मूर्खता और कुफ्र कर उत्तर आप मुझ से क्यों मांगते हैं और रोमन कैथलिक लोग अपने दिल के कुफ्र से मरयम को ख़ुदा की मां ठहराते हैं और उधर युनिटेरियन मूर्खता से और तरह पर पूरा करते हैं, मेरा उनसे क्या वास्ता है। कलाम मेरे हाथ में है इबारत उसकी मौजूद है ग़लती पर हों तो मुझे क़ायल कीजिए अन्यथा उन अंध विश्वास वालों का आप क्या उदाहरण देते हैं। हमारा ईमान मसीह पर है फ़िर्क़ा पर नहीं। इस तरह के इल्ज़ामी उत्तर देने चाहूँ तो इस्लाम पर इस समय कितनी खराबियां प्रस्तुत कर सकता हूं। मान्यवर! अपने घर की हालत देख कर कष्ट कीजिए और न किसी इन्सान के मानने और न मानने पर आधार रखिए परन्तु ख़ुदा की किताब पर।

आप ने ऐसा सबूत मांगा है जिसमें किसी को सन्देह न हो। साफ़ इक़रार करता हूं कि मैं असहाय हूं, मैं क्या बल्कि ख़ुदा भी असहाय है। उसके पवित्र अस्तित्व से बढ़कर दुनिया में कोई बात रोशन है तो भी आपको हज़ार मूर्ख न मिलेंगे जो कहेंगे कि ख़ुदा कोई चीज़ नहीं। जब जनाब स्रष्टा के अस्तित्व में आप आपत्ति लाते हैं और उस सच्चे मा'बूद (उपास्य) के बारे में सन्देह करते हैं जिसके प्रताप से सारा संसार आबाद है तो कौन सा सबूत प्रस्तुत करें

जिसमें अगला आपत्ति न लाए। आगे आप का यह कहना था कि मसीही धर्म निष्फल है तो फिर यह क्यों सच है। मान्यवर! यह निष्फल नहीं। अपने अवसर पर अर्थात् इस सप्ताह में आपकी सेवा में फल प्रस्तुत किए जाएंगे। परन्तु यहां आप के साथ मेरा सख्त झगड़ा है। आप ने मुझे क्यों मुनाफ़िक बनाया, दिखावा करने वाला ठहराया कि जो मैं ज़ुबान से कहता हूं वह दिल से नहीं कि आप ने ऐसा इल्ज़ाम मुझे लगा दिया। पैग़म्बरी के दावे तो मैं आपके सुनता रहा परन्तु यह तो दावा ख़ुदा का है कि आप दिलों के जांचने वाले हैं। अन्तिम उद्देश्य यह है कि उचित है कि स्रष्टा (ख़ालिक) का अस्तित्व सृष्टि (मख्लूक़) की समझ में न आए। ख़ुदा तआला जो है ज़ात ही ज़ात (अस्तित्व ही अस्तित्व) है और यदि उसके पवित्र अस्तित्व को हम समझ लें तो परे (दूर) क्या रहा। हम उसके समान न हो गए निसंदेह हो गए इसलिए मैं मुहम्मदी वहदानियत (एकेश्वरवाद) का क़ायल नहीं हो सकता। तो बच्चा भी समझ सकता है और मेरी बुद्धि तो गवाही देती है कि ज़ात पाक (ख़ुदा) को इस से बढ़कर होना चाहिए। आपकी वहदानियत में कौन सा मामला समझ से बाहर है, जैसे सीमित ने असीमित को घेर लिया है। परन्तु एकता में अनेकता एक ऐसा मामला है कि इसके समझने वाला पैदा हुआ न होगा। क्या साहिब जाना जा सकता है कि इन्सानी बुद्धि अल्लाह तआला को समझे। तौबा-तौबा। ख़ुदा की ज़ात (वुजूद) एक ऐसी चीज़ है कि न बुद्धि से सिद्ध की जा सकती है और न बुद्धि से उस का खण्डन किया जा सकता है। मामला इन्सान की बुद्धि से लाखों गुना अधिक है और इसका फैसला स्पष्ट तौर पर अल्लाह तआला ही कर सकता है। ख़ुदा की बात ख़ुदा ही जाने और मेरा तथा आप का हक़ मिर्ज़ा साहिब न बौद्धिक तर्कों के दौड़ाने पर है परन्तु स्वीकार करना है और सही शिक्षा अल्लाह तआला की किताबों की यही है तीन उक़्नूम और एक अकेला ख़ुदा अनंत समय (अबद) तक मुबारक है। मसीह ख़ुदावन्द के हक़ में नबी गवाही देते रहे, नमूनों से अल्लाह तआला प्रकट करता रहा। कुर्बानियों में हलाल व हराम में, ख़तने में, हैकल में और फिर प्रकट करता रहा कि मैं हक़ तआला

स्वयं तुम्हारा निजात (मुक्ति) देने वाला हूं और समय पर कुँवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम तुम ने रखना अमानवील अर्थात् ख़ुदा हमारे साथ, समय पर आप आए पैदा हुए।

आगे सिलसिला चलता है फ़रिश्तों की गवाही का, हवारियों की गवाही का, अपने दावों का, अपनी करामत और चमत्कारों का। हाँ ख़ुदा तआला का स्वयं यहया यह बपतस्मा देने वाले के हाथ से बपतस्मा पाकर आप पानी से निकलते हैं और रूहुल-क़ुदुस कबूतर की तरह उन पर आती है और ख़ुदा तआला आसमान पर बुलन्द आवाज़ से फ़रमाता है- यह मेरा बेटा है जिस से मैं ख़ुश हूं। देखिए बाप, बेटा, रूहुल-क़ुदुस मौजूद क्योंकि ये तीनों एक हैं।

ख़ैर मैं अधिक लम्बा करना नहीं चाहता दुश्मनों की गवाही भी मौजूद है, शैतानों की गवाही भी मौजूद है जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि तू ख़ुदा का क़ुदुस है। रूमियों की गवाही मौजूद है, पैलातूस की गवाही मौजूद है। जनाब! इंजील में आप के लिए सब गवाहियां मौजूद हैं और यहूदी भी सारे बेईमान न थे। आप के कहने के अनुसार हवारी भी यहूदी थे। एक ही उपदेश से सहसा तीन हज़ार ईसाई हुए।

यद्यपि क़ौम धिक्कृत है क़ौम का प्रत्येक व्यक्ति धिक्कृत नहीं और अब भी हज़ारों, लाखों यहूदी मसीह ख़ुदावन्द को अपना मुक्तिदाता समझते हैं। और जब आपने मामला प्रस्तुत किया कि जब मसीह ने पूछा कि मसीह किस का बेटा है और दाऊद क्यों उसको ख़ुदावन्द कहता है तो चुप और निरुत्तर हो गए। कोई उत्तर न दे सका। मान्यवर! अक़्ल (बुद्धि) को क़ायल करना तो कुछ कठिन नहीं परन्तु दिल की हठ को दूर करना अल्लाह का काम है। फिर आप का कहना था कि चमत्कार इस्लाम के साथ है हमें देखने से कोई पलायन नहीं। साथ यह भी बताइए मान लें यदि कोई या कई चमत्कार प्रकट भी हों तो हम किस प्रकार जानें कि ये ख़ुदा की तरफ़ से हैं। इस्तिसना के 12/1,2 आप ने ही सुनाए कि निस्सन्देह तुम्हारे परखने के लिए झूठे नबी भी आ जाएंगे और करामत (चमत्कार) पूरी करेंगे तथा मरकस का 13/22 सुनिएगा गेंलित्यों 1/8 मान्यवर! न केवल

करामत की आवश्यकता है बल्कि इस बात की कि उन निशानों को क्योंकर ख़ुदा की तरफ़ से जानें और अत्यन्त सम्मानपूर्वक कहना है कि आप की करामत से मेरा दिल टूट चुका है। आप कह चुके हैं कि करामत और चमत्कार में अन्तर है। नहीं जानता कि क्या। फिर आप ने फ़रमाया कि हम नहीं जानते कि वह किस प्रकार का निशान दिखलाएगा और फिर मालूम नहीं कि ख़ुदा तआला किस तौर का निशान दिखलाएगा। मान्यवर इस में चमत्कार से पहले ललकार और करामत से साफ़ पलायन है। हालांकि आप अपनी पुस्तक हुज्जतुल इस्लाम के पृष्ठ 14,15,16,17 में इस बात को स्वीकार कर चुके थे। सारांश यह कि मिर्ज़ा साहिब क्या ही मुबारक अवसर आया था कि आप अपने इस दावे को जिसके बारे में टाल ठोक कर कई दिन से दावा करते हैं सिद्ध करते। हज़ार अफ़सोस कि आप ने ऐसे अवसर को हाथ से जाने दिया और अपनी व्यर्थ तावीलों को निरर्थक तथा इल्ज़ामी बात से इस अवसर को टाल दिया। आप की इस उपेक्षा से इस विनीत की अपूर्ण बुद्धि में यह आता है कि आप का यह दावा सामान हैं जिन से आप अपने अनुयायियों को ख़ुश करते रहते हैं। खावंदी ईसाइयों के सामने इनकी चर्चा फिर न करना अकारण लज्जित होना पड़ता है। मान्यवर! हम तो आपके ज्ञान और अन्तर्यामी होने की चर्चा बहुत सुनते रहे हैं तथा हमें आप से बहुत आशा थी, परन्तु अफ़सोस आपने वही बहसें, वही तर्क और वही बातें प्रस्तुत कीं जो कि लगभग चालीस वर्ष से इस देश के बाज़ारों में चक्कर खा रही हैं। मिर्ज़ा साहिब अफ़सोस है कि हम आप पर किसी प्रकार ख़ुश हुए आपने बौद्धिक तर्क मांगा बन्दे ने प्रस्तुत कर दिया आपने पुस्तकीय सबूत मांगा उपस्थित कर दिया गया। इल्हाम पर तैयार हुए वह भी स्वीकार। इस अवसर पर मुझे इंजील शरीफ़ की एक बात याद आती है। मती के 11/16,17,19 में है। आप की सेवा में अन्तिम बात यह है कि प्रथम ख़ुदा एक बेटे का रिसालत लेकर दुनिया में आना इस्तिक़राई तर्क से अलग है जैसा कि आदम और हव्वा की पैदायश। आपने इसका क्या उत्तर दिया तुच्छ। दूसरे ख़ुदाई के दावे और बाइबल शरीफ़ से सिद्ध होना आयतों के विवरण सहित प्रस्तुत किए गए। बुद्धि

से संभावना और ख़ुदा के कलाम से घटित होना सिद्ध किया गया। आपने क्या उत्तर दिया, तुच्छ (अर्थात् कुछ नहीं)। यूहन्ना से दसवें अध्याय पर आपने बार-बार अनुचित ज़ोर लगाया। उचित तर्क देखें तो पता कुछ नहीं। पुराने अहदनामे में से मसीह के पक्ष में भविष्यवाणियां और नए अहदनामे में उनका पूरा होना आप की सेवा में प्रस्तुत किया गया। उत्तर कुछ नहीं। पुराने अहदनामे के ऐसे पांच वाक्यों से जैसा कि हम में से एक के समान सददृश। यहूदा सिदक्नु इत्यादि, इत्यादि ख़ुदाई को सिद्ध किया गया आप का उत्तर तुच्छ। सातवां वे जो आयतें आपने प्रस्तुत की थीं क़यामत के दिन इत्यादि के बारे में उनके बारे में ख़ूब कहा गया, आप ने कोई उत्तर न दिया।

आठवां- आप क़ुर्आन से कई हवाले देते हैं और इन विनीतों के लिए वे व्यर्थ हैं क्योंकि हम उसे प्रमाणित किताब नहीं समझते।

नौ- मरक़स की 16 पर आपने बहुत कुछ वर्णन किया और चमत्कारों के बारे में हमें क़ायल करना चाहा।

इसलिए इसका भी उत्तर हुआ और ख़ूब ही हुआ। आपने कुछ उत्तर नहीं दिया।

दस- मुक्ति और व्यक्तिगत इल्हाम बेमौक़ा तथा शर्तों के विरुद्ध था, इसलिए हम ने **उस पर** बहुत विचार नहीं किया।

ग्यारह- आप का साहिबे करामत होने का दावा अत्यन्त स्पष्ट तौर पर ग़लत सिद्ध किया गया। आप इल्ज़ामी उत्तर देकर उपेक्षा कर गए। ये पिछले सप्ताह की कार्रवाइयां हैं। बताएइए हमारा कौन सा तर्क तोड़ा गया। हाँ एक टुकड़ा, एक बिन्दु भर उसमें अन्तर आया? आप तो अपनी तावीलों में लगे रहे और हमारी बातों पर आपने ध्यान न दिया। अब फिर इस मुबाहसे के पहले भाग का अन्तिम समय है। मैं ख़ुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि ख़ुदा के कलाम के अनुसार ख़ुदा जो अगले युगों में नबियों के माध्यम से बोला, अन्तत: अपने बेटे के माध्यम से हमें आसमानी धर्म, मुक्ति का मार्ग और पापों से क्षमा प्रदान कर चुका है और प्रत्येक को चाहिए कि द्वेष को दूर करके ख़ुदा की प्रसन्नता

को अपने साथ शामिल करे और मैं गवाही देता हूं कि निस्सन्देह अलमसीह, अल्लाह तआला का एक मात्र बेटा है और अल्लाह का साक्षात् कलिमा है तथा अन्तिम दिन समस्त लोगों का इन्साफ करने वाला भी होगा।

मुबाहले के बारे में संक्षेप में निवेदन है कि लानत देना या चाहना हमारे ख़ुदा की शिक्षा नहीं। वह अपनी किसी सृष्टि (मख़्लूक) से दुश्मनी नहीं रखता तथा मेंह और प्रकाश अपने सच्चों और झूठों को समान रूप से प्रदान करता है। जिस धर्म में लानतें वैध हों उनके अनुयायियों को अधिकार है मानें और मांगें, परन्तु हम सलामती के बादशाह के बेटे हैं और जैसा हम अपने लिए भलाई, रहमत और क्षमा की दुआ के अभिलाषी हैं वैसा ही लानत के बदले के हम आप लोगों के लिए बरकत के शुभ चिन्तक हैं कि अल्लाह तआला अपनी असीम रहमत से आप को सीधा रास्ता प्रदान करे, अपने अमन और ईमान में लाए। ताकि जब इस नश्वर संसार से अनश्वर संसार को आप जाएँ तो अंजाम अच्छा हो। एक अन्तिम निवेदन है जनाब मिर्ज़ा साहिब आप सीमा से आगे निकल कर चढ़ आए हैं। गुस्ताख़ी माफ़ मैं दिल की सफ़ाई से कहता हूं और इल्हाम के अनुसार न मालूम कहां से प्राप्त करके आप फ़रमाते थे कि इस जंग में मुझे विजय है अवश्य विजय है। जनाब अन्तर कर सकते हैं कि उपरोक्त कथित स्थिति पूर्ण विजय की है या अन्य मामले की और यह आपकी ग़लती है विजय और पराजय का विचार हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत यह कि हाँ पराजय हो तो हो परन्तु हे ख़ुदा तेरी सच्चाई प्रकट की जाए। अफ़सोस जनाब में वह और आपके स्वभाव में वह देखी नहीं गई। मान्यवर! ईस्वी धर्म संसार में उन्नीस सौ वर्ष से है और एक ऐसा अहरन* है कि उस पर बहुत से हथौड़े* घिस चुके हैं और अन्त तक घिसते रहेंगे। क्या उन्नीस सौ वर्ष की बात यहां और इन्हीं दिनों में पलटने वाली थी। जो लोग मसीह के धर्म के विरोधी हैं उनको देख कर मुझे एक यूनानी क़िस्सा

* **सिन्दान-** फ़ारसी शब्द है। वह चौकोर लोहे का बट्टा जिस पर लुहार लोहा कूटते हैं। अहरन कहते हैं। (अनुवादक)

* **मारतूल-** हथौड़ा (अनुवादक)

याद आता है। एक सांप किसी लुहार के घर में जा घुसा। ज़मीन पर रेती पड़ी थी। ज़हर भरा हुआ सांप उसे काटने लगा। रेती ने कहा- काट ले जहां तक तू चाहता है तेरे ही दांत घिसते हैं।

मान्यवर! कोशिशें तो आप ने सब कीं परन्तु बौद्धिक तर्क का मुकाबला न पुस्तकीय उत्तर बन पड़ा और जिस इल्हाम और करामत पर आपको गर्व था वह भी कच्चा और अप्राप्य ठहराया गया। कोशिशें बहुत परन्तु मुबाहसे से इस भाग का परिणाम मालूम और प्रत्येक न्याय प्रिय पर प्रकट। मेरे मिर्ज़ा साहिब! आप तो बुलन्द आवाज़ से विजय पुकारते रहे परन्तु यह विजय किसी और पर नहीं खिली। मान्यवर! इस जंग में और हर जंग में आज से हमेशा तक शान-शौकत, तेज-प्रताप, शक्ति-अधिकार और मसीह की विजय हमेशा तक मुबारक ख़ुदा की है। आमीन।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
इहसानुल्लाह
स्थानापन्न (क़ायम मक़ाम)
हेनरी मार्टिन क्लार्क प्रेसीडेंट
ईसाइयों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह प्रेसीडेंट
मुसलमानों की ओर से

दूसरा भाग
जल्से का वृत्तान्त
30 मई 1893 ई.

आज फिर जल्सा आयोजित हुआ। डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब आज अपने असली पद प्रेज़ीडेंट वापस आ गए और मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने मुबाहसा आरम्भ किया। 6 बजकर 09 मिनट पर मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने सवाल लिखाना आरम्भ किया और 7 बजकर 20 मिनट पर समाप्त कियाऔर बुलंद आवाज़ से सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 6 बजकर 27 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 7 बजकर 27 मिनट पर समाप्त किया। मिर्ज़ा साहिब के उत्तर लिखाने के समय में ईसाइयों के प्रेज़ीडेंट के साथ

सहमति के बिना उन्हें रोकने की कोशिश की और अपने लिखने वालों को आदेश दिया कि वे लेख लिखना बन्द कर दें परन्तु मुसलमानों के प्रेज़ीडेंट की आज्ञा से मिर्ज़ा साहिब निरन्तर लेख लिखाते रहे और उनके लिखने वाले लिखते रहे। ईसाई प्रेज़ीडेंट का उद्देश्य यह था कि मिर्ज़ा साहिब लेख को बन्द करें और ईसाइयों के प्रेज़ीडेंट एक तहरीक प्रस्तुत करें क्योंकि उनकी राय में मिर्ज़ा साहिब शर्त के विरुद्ध लेख लिखाते रहे परन्तु जब उनकी राय में मिर्ज़ा साहिब शर्त के अनुसार लेख लिखाने लगे तो उन्होंने अपने लिखने वालों को लेख लिखने का आदेश दे दिया। मुसलमानों के प्रेज़ीडेंट की यह राय थी कि जब तक मिर्ज़ा साहिब लेख समाप्त न कर लें कोई बात उन्हें रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत न की जाए, क्योंकि उनकी राय में कोई बात मिर्ज़ा साहिब से शर्तों के विरुद्ध प्रकटन में नहीं आ रहा था। इसलिए मिर्ज़ा साहिब निरन्तर लेख लिखाते रहे और अपने समय के पूरा होने पर समाप्त किया। मुकाबले के समय ईसाई कातिबों (लिखने वालों) ने लेख के उस भाग को जो वे अपने प्रेज़ीडेंट के आदेश के अनुसार छोड़ गए थे अपने प्रेज़ीडेंट के आदेशानुसार फिर लिख लिया। अब यह मामला प्रस्तुत हुआ कि मिर्ज़ा साहिब ने जो उत्तर लिखाया है उसके बारे में ईसाइयों के प्रेज़ीडेंट तथा ईसाई जमाअत की यह राय है कि वह शर्त के विरुद्ध है, क्योंकि प्रथम इस सप्ताह में समय है कि मसीही मुसलमानों से मुहम्मदी धर्म के बारे में प्रश्न करें और न यह कि मुहम्मदी साहिब मसीहियों से ईसाई धर्म के बारे में उत्तर मांगें। दूसरे इस समय अब्दुल्लाह आथम साहिब की ओर से रहम (दया) बिना बदले का मस्ला सामने है और मिर्ज़ा साहिब मसीह की ख़ुदाई के बारे में उत्तर मांगते हैं। मुसलमानों के प्रेज़ीडेंट की यह राय थी कि शर्तों के विरुद्ध हरगिज़ नहीं है बल्कि बिल्कुल शर्तों के अनुसार है। और साथ ही मिर्ज़ा साहिब ने वर्णन किया कि उत्तर शर्तों के विरुद्ध हरगिज़ नहीं। क्योंकि बिना बदले के दया के प्रश्न का आधार मसीह की ख़ुदाई है और हम बिना बदले की दया की समस्या का पूर्ण खण्डन उस स्थिति में कर सकते हैं कि जब पहले उस आधार को मिटा दिया जाए। आधार को कैसे कह सकते है कि असंबंधित है बल्कि यह

कहना चाहिए कि बिना बदले के रहम (दया) का आधार ख़राब बुनियाद के ऊपर ख़राब बुनियाद है। ईसाई जमाअत तो मिर्ज़ा साहिब के लेख को शर्तों के विरुद्ध ठहराने पर ज़ोर देती रही और मुसलमानों की जमाअत उस लेख को शर्तों के अनुसार ठहराती रही। पादरी इमामुद्दीन की यह राय थी और उन्होंने खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि प्रेज़ीडेंट का काम नहीं कि मुबाहसा करने वालों को उत्तर देने से रोकें। परन्तु ईसाइयों के प्रेज़ीडेंट के प्रश्न करने पर उन्होंने भी यही कहा कि मिर्ज़ा साहिब का लेख शर्त के विरुद्ध है और मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने भी कहा कि किसी कद्र शर्त के विरुद्ध है तथापि अनदेखा करना चाहिए। मुसलमानों के प्रेज़ीडेंट ने कहा कि यह लेख शर्त के विरुद्ध हरगिज़ नहीं इसलिए हम आपकी तरफ़ अनदेखा करना नहीं चाहते। एक समय तक इस बात पर झगड़ा होता रहा। इस समय में डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने कहा कि यदि मेरे चेयरमैन साहिब मुझे मिर्ज़ा साहिब के एक-एक शब्द का उत्तर देने देंगे तो मैं दूँगा अन्यथा मैं नहीं देता, परन्तु ईसाइयों के प्रेज़ीडेंट ने डिप्टी साहिब को रोका और कहा- मैं अनुमति नहीं देता। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं प्रेज़ीडेंट पद से त्यागपत्र दे दूंगा, क्योंकि यह शर्त के विरुद्ध है। फिर थोड़ी देर के लिए विवाद होता रहा और अन्त में यह तय पाया कि भविष्य में मुबाहसा करने वालों में से किसी को उत्तर देने से रोका न जाए। उन्हें अधिकार है कि जैसा चाहें उत्तर दें। इसके बाद डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब **ने 8** बजकर **53 मिनट पर** उत्तर लिखाना आरम्भ किया और 9 बजकर 50 मिनट पर समाप्त किया और मुकाबला करके ऊँचे स्वर में सुनाया गया। इसके बाद लेखों पर दोनों प्रेज़ीडेंटस के हस्ताक्षर किए गए। चूंकि मिर्ज़ा साहिब के उत्तर के लिए पूरा समय शेष न था इसलिए जल्सा बर्खास्त हुआ। फ़क़त

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

प्रश्न डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब
30 मई 1893 ई.

मेरा पहला प्रश्न रहम बिना मुबादल: (बिना बदले के दया) पर है। जिसके अर्थ ये हैं कि रहम हो और न्याय का ध्यान रखने की मांग न हो। इसके लिए **प्रथम प्रश्न** यह है कि क्या न्याय और सच्चाई की विशेषताएं बिना प्रतिबंध के भी प्रकट हो सकती हैं अर्थात् उन पर यह कैद न रही कि वे प्रकटन न करें। जैसा कि न्याय हुआ या न हुआ इसमें ऐतराज़ यह है कि यदि हो तो क्या ख़ुदा की कुद्दूसी का रक्षक कौन हो सकता है और रहम (दया) और ख़ूबी क्या प्रतिबंधित प्रकटन हो सकते हैं। इसमें ऐतराज़ यह है कि यदि हो सकते हैं तो क्या वे कर्ज़ा देने की स्थिति नहीं पकड़ेंगे।

दूसरा प्रश्न- यह है कि जो कुछ गुनाह (पाप) जब तक शेष रहे तो गुनाहगार (पापी) की मुक्ति का उपाय कौन सा है। अब जबकि क़ुर्आन में निजात के तीन मार्ग रखे हैं। अर्थात् एक यह कि बड़े गुनाहों से यदि बचोगे तो छोटे गुनाह दया (रहम) से माफ़ हो जाएँगे। दूसरे यह कि यदि बुरे कर्मों का बोझ अच्छे कर्मों पर न बढ़ेगा तो रहम के पात्र हो जाओगे। तीसरे यह कि रहम की तुलना में न्याय अपनी मांग से अलग हो जाता है अर्थात् रहम ग़ालिब (विजयी) आता है न्याय के ऊपर। पहली दो स्थितियों में यह सिद्धांत डाला गया है कि कुल को अदा करने के लिए उसके भाग का अदा होना हावी है। तीसरे सिद्धान्त में यह दिखाया गया है कि न्याय प्रकटन में प्रतिबंधित नहीं बल्कि रहम प्रकटन में प्रतिबंधित है। इन दोनों सिद्धान्तों में जो ऊपर वर्णन हुए व्यापक होने के विपरीत उसमें कुछ वर्णन है या नहीं, क्योंकि न्याय का बदला कुछ न हुआ और यह रहम बिना बदला है जिसने ख़ुदा की दो विशेषताओं को अधूरा कर दिया अर्थात् न्याय और सच्चाई को। इसके उत्तर की प्रतीक्षा हम आपकी तरफ़ से करते हैं और इसका यह उत्तर होना चाहिए कि ये दोनों सिद्धान्त व्यापक सच्चाईयां हैं या नहीं और या कि सच्चाईयां हैं या नहीं, परन्तु जो कुछ अदा हो जाता है और वे

विशेषताएं क़ायम रहती हैं और इस बारे में मेरा कुछ कहना कुछ आवश्यक नहीं।

मैं आशा करता हूं कि जैसे मेरे ये संक्षिप्त प्रश्न हैं वैसा ही संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

30 मई 1893 ई.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

डिप्टी साहिब ने रहम बिना मुबादलः का जो प्रश्न किया है वास्तव में उसकी बुनियाद हज़रत मसीह की ख़ुदाई मानने पर रखी गई है। इसलिए बयान की सफ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले संक्षेप को दृष्टिगत रखकर इसका कुछ वर्णन किया जाए। क्योंकि यदि हज़रत मसीह की ख़ुदाई सिद्ध हो जाए तो फिर इस लम्बे झगड़े की कुछ आवश्यकता नहीं, और यदि ठोस तर्कों से केवल उनका इन्सान होना सिद्ध हो और ख़ुदाई का खण्डन हो। तो फिर जब तक डिप्टी साहिब ख़ुदाई को सिद्ध न करें तब तक मुनाज़रे के ढंग से दूर होगा कि और तरफ़ मुड़ सकें। डिप्टी साहिब अपने पिछले बयानों में हज़रत मसीह की ख़ुदाई सिद्ध करने के लिए फ़रमाते हैं कि और इन्सानों की तो एक रूह होती है परन्तु हज़रत मसीह की दो रूहें थीं। एक इन्सान की और एक ख़ुदा की और जैसे हज़रत मसीह के शरीर की दो रूहें यत्न करने वाली थीं, किन्तु यह बात समझ में नहीं आ सकती एक शरीर के संबंध में दो रूहें क्योंकर हो सकती हैं और यदि केवल ख़ुदा तआला की रूह थी तो फिर हज़रत मसीह इन्सान बल्कि इन्सान कामिल (पूर्ण इन्सान) किन मायनों से कहला सकते हैं। क्या केवल शरीर की दृष्टि से इन्सान कहलाते हैं और मैं वर्णन कर चुका हूं कि शरीर तो क्षीण होने वाला है कुछ वर्षों में और ही शरीर हो जाता है और कोई बुद्धिमान शरीर की

दृष्टि से किसी को इन्सान नहीं कह सकता। जब तक इन्सानी रूह उसमें दाखिल न हो। फिर यदि हज़रत मसीह वास्तव में इन्सानी रूह रखते थे और वह रूह शरीर की मुदब्बिर (यत्न करने वाली) थी और वही रूह मस्लूब होने के समय भी सलीब पर फांसी के समय निकली और ईली-ईली कह कर हज़रत मसीह ने जान दी तो फिर ख़ुदाई रूह किस हिसाब एवं गणना में आई, यह हमें समझ में नहीं आता और न कोई बुद्धिमान समझ सकता है। यदि वास्तव में रूह की दृष्टि से भी हज़रत मसीह इन्सान थे तो फिर ख़ुदा न हुए और यदि रूह की दृष्टि से ख़ुदा थे तो फिर इन्सान न हुए। इसके अतिरिक्त ईसाई लोगों की यह आस्था है कि बाप भी कामिल (पूर्ण) और बीटा भी शामिल रूहुल-क़ुदुस भी कामिल। अब जब तीनों कामिल हुए तो इन तीनों के मिलने से अकमल (सर्वांगपूर्ण) होना चाहिए। क्योंकि उदाहरणतया जब तीन चीज़ें तीन-तीन सेर मान ली जाएँ तो वे सब मिलकर नौ सेर होंगी। इस ऐतराज़ का उत्तर डिप्टी साहिब से पहले भी मांगा गया था, परन्तु अफ़सोस कि अब तक नहीं मिला और स्पष्ट है कि यह एक कठोर ऐतराज़ है जिस से ठोस तौर पर हज़रत मसीह की ख़ुदाई का खण्डन होता है। इन्हीं ऐतराजों को पवित्र क़ुर्आन ने प्रस्तुत किया है और इसी आधार पर मैंने यह शर्त की थी कि हज़रत मसीह की ख़ुदाई पर कोई बौद्धिक तर्क प्रस्तुत होना चाहिए। किन्तु अफ़सोस कि इस शर्त का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया। और यह भी वर्णन किया गया था कि आप ने हज़रत मसीह की ख़ुदाई सिद्ध करने के लिए जितनी भविष्यवाणियां प्रस्तुत की हैं वे दावे हैं, सबूत नहीं हैं। प्रथम तो एक अनुचित बात उचित करके न दिखलाई जाए, पुस्तकीय हवालों से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरणतया एक गधा जो हमारी आँखों के सामने खड़ा है। यदि हज़ार किताबें प्रस्तुत की जाएँ कि उन्होंने उसको इन्सान लिख दिया है तो वह इन्सान कैसे बन जाएगा। इसके अतिरिक्त वे पुस्तकीय हवाले भी बिल्कुल बेकार हैं जिनकी किताबों से लिए जाते हैं वे उनको मानते नहीं और यदि घर में स्वयं फूट पड़ी हुई है और हज़रत मसीह फ़रमाते हैं कि यहूदी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, उनकी बातों को मानो।

अफ़सोस है कि उनके अर्थ स्वीकार नहीं किए जाते और बहाना किया जाता है कि यहूदी पापी और दुराचारी हैं, हालांकि इंजील आदेश देती है कि उनकी बातों को और उनके अर्थों को प्रथम श्रेणी पर रखो और हमें आदेश के तौर पर कहा जाता है कि किताबें मौजूद हैं, किताबों को पढ़ो। किन्तु इन्साफ करने का स्थान है कि प्रत्येक सच्चाई को हर एक पहलू से देखा जाता है। हम यहूदियों के कथनों को भी देखेंगे, आपके आन्तरिक मतभेदों पर भी दृष्टि डालेंगे और यदि आप का यह शौक है कि किताबें देखी जाएँ वे भी देखी जाएँगी परन्तु इस स्थिति में कि यहूदियों के अर्थ भी जो वे करते हैं सुने जाएँ और आप के अर्थ भी सुने जाएँ और उनके शब्दकोश भी देखे जाएँ और आप के शब्दकोश भी देखे जाएँ। फिर जो सबसे अच्छा और उचित है उसे अपनाया जाए। और यहूदियों से अभिप्राय वही यहूदी हैं हो हज़रत मसीह से सैकड़ों वर्ष पहले गुज़र चुके हैं। अतएव प्रत्येक पहलू को देखना सत्य के अभिलाषी का कर्तव्य होता है न कि एक पहलू को। इसके अतिरिक्त रहम बिना मुबादल: का जो प्रश्न किया जाता है उसका एक पहलू तो मैं अभी वर्णन कर चुका हूं, और दूसरा पहलू यह है कि ख़ुदा तआला के कानून-ए-क़ुदरत (प्रकृति का नियम) को देखा जाएगा कि क्या रहम (दया) और कहर (प्रकोप) के जारी करने में उसकी आदतें क्योंकर प्रकट हैं कि रहम के सामने कहर है। यदि रहम बिना मुबादल: वैध (जायज़) नहीं तो फिर कहर भी बिना मुबादल: वैध न होगा। अब एक अत्यन्त कठिन आरोप सामने आता है। यदि डिप्टी साहिब उसको हल कर देंगे तो डिप्टी साहिब की इस फ़िलास्फ़ी से दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। और कहर (प्रकोप) बिना मुबादल: की स्थिति यह है कि हम इस दुनिया में अपनी आँखों से देखते हैं कि हज़ारों कीड़े-मकोड़े और हज़ारों प्राणी बिना किसी अपराध तथा किसी ग़लती के सबूत के बिना क़त्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, ज़िबह किए जाते हैं यहां तक कि एक बूँद पानी में सैकड़ों कीटाणु हम पी जाते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमारे समस्त समाजी मामले ख़ुदा तआला के कहर बिना मुबादल: पर चल रहे हैं यहां तक कि जो रेशम के कीड़े भी इन्सान इस्तेमाल करता है उसमें

अनुमान कर लेना चाहिए कि कितने प्राण नष्ट होते हैं और ईसाई लोग जो प्रतिदिन अच्छे-अच्छे जानवरों का उत्तम मांस खाते हैं हमें कुछ पता नहीं लगता कि यह किस गुनाह (पाप) के बदले में हो रहा है। अब जबकि यह प्रमाणित सच्चाई है कि महा प्रतापी ख़ुदा बिना बदले के कहर करता है और उसका कुछ बदला मिलता है हमें मालूम नहीं होता तो फिर इस स्थित में बिना बदले के रहम करना नैतिक हालत से अधिक अच्छा और उचित है। हज़रत मसीह भी गुनाह क्षमा करने के लिए वसीयत करते हैं कि तुम अपने गुनाहगार की ग़लती क्षमा करो। स्पष्ट है कि यदि अल्लाह तआला की विशेषताओं के विपरीत है कि किसी का गुनाह क्षमा किया जाए तो इन्सान को ऐसी शिक्षा क्यों मिलती है, बल्कि हज़रत मसीह तो फ़रमाते हैं कि मैं तुझे सात बार तक नहीं कहता बल्कि सत्तर के सात बार तक✶ अर्थात् इस अनुमान तक के गुनाहों को माफ़ करता चला जा।

अब देखिए कि जब इन्सान को यह शिक्षा दी जाती है कि जैसे तू असीमित श्रेणियों तक अपने पापियों को बिना बदले के क्षमा करता चला जा और ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि बिना बदले के हरगिज़ क्षमा नहीं करूँगा। तो फिर यह शिक्षा कैसी हुई। हज़रत मसीह ने तो एक स्थान पर कह दिया है कि तुम ख़ुदा तआला के शिष्टाचार के अनुसार अपने शिष्टाचार करो, क्योंकि वे नेकियों के बिना अन्य नेकों पर अपना सूर्य और चन्द्रमा चढ़ाता है और प्रत्येक दोषी और निर्दोष को अपनी रहमतों की वर्षाओं से लाभान्वित करता है। फिर जबकि यह हाल है तो क्योंकर संभव था कि हज़रत मसीह ऐसी शिक्षा देते जो ख़ुदा के आचरण (शिष्टाचार) की विरोधी ठहरती है अर्थात् यदि ख़ुदा तआला का यही आचरण है कि जब तक दण्ड न दिया जाए कोई मुक्ति का उपाय नहीं तो फिर माफ़ी के लिए दूसरों को क्यों नसीहत करता है। इसके अतिरिक्त जब हम गहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमेशा नेकों की सिफ़ारिश से पापियों के गुनाह माफ़ किए गए हैं। देखो गिनती अध्याय-14/19 ऐसा ही गिनती 12/13, इस्तिस्ना 9/19, ख़ुरूज 8/8 फिर इसके अतिरिक्त हम पूछते हैं कि आप ने गुनाह

✶ मति अध्याय 18 आयत 23 (प्रकाशक)

का जो विभाजन किया है उसके तीन प्रकार मालूम होते हैं- 1. स्वाभाविक 2. ख़ुदा का अधिकार 3. बन्दों (जनता) का अधिकार

तो फिर आप समझ सकते हैं कि जनता के अधिकार के नष्ट होने का क्या कारण हो सकता है।

और आपको यह भी देखना चाहिए कि स्वाभाविक पाप आपके इस क़ायदे को तोड़ रहा है आपकी तौरेत की दृष्टि से बहुत से स्थान ऐसे सिद्ध होते हैं जिससे आपका बदले के बिना रहम झूठा ठहरता है। फिर यदि आप तौरात को सच्चा और ख़ुदा की तरफ़ से मानते हैं तो हज़रत मूसा की वे सिफ़ारिशें जिन के द्वारा अनेक बार बड़े-बड़े पापियों के पाप क्षमा हुए निकम्मी और बेकार ठहरती हैं और आप को ज्ञात रहे कि पवित्र क़ुर्आन ने इस मामले में वह अत्युत्तम तरीका अपनाया है कि उस पर किसी का ऐतराज़ नहीं हो सकता अर्थात् अधिकार (हुक़ूक़) दो प्रकार के ठहरा दिए हैं। 1- ख़ुदा के अधिकार 2- बन्दों (प्रजा) के अधिकार

बन्दों के अधिकार में ये शर्तें अनिवार्य ठहरा दी गई हैं कि जब तक अत्याचार पीडित (मज़्लूम) अपना अधिकार नहीं पाता या अधिकार को नहीं छोड़ता, उस समय तक वह अधिकार क़ायम रहता है। और ख़ुदा के अधिकार में यह वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से किसी ने उद्दण्डता एवं धृष्टता करके पाप का तरीका अपनाया है इसी प्रकार जब वह पुनः तौबः और पापों की क्षमा चाहता है और अपनी सच्ची निष्कपटता के साथ आज्ञाकारियों की जमाअत में प्रवेश करता है तथा हर प्रकार का दर्द एवं दुःख उठाने के लिए तैयार हो जाता है तो ख़ुदा तआला उसके पाप को उसकी उस निष्कपटता (इख्लास) के कारण क्षमा कर देता है कि जैसा कि उस ने कामवासनाओं के आनन्दों को प्राप्त करने के लिए पाप की तरफ़ क़दम बढ़ाया था, अब ऐसा ही उसने पाप को छोड़ने में भांति-भांति के दुःखों को अपने सर पर ले लिया है। अतः यह बदले का रूप है जो उसने अपने ऊपर ख़ुदा की आज्ञा का पालन करने में दुःखों को स्वीकार कर लिया है, इसे हम बिना बदले के रहम हरगिज़ नहीं कह सकते। क्या इन्सान ने कुछ भी काम नहीं किया यों ही रहम हो गया। उसने तो सच्ची

तौब: से एक पूर्ण क़ुर्बानी अदा कर दी है और हर प्रकार के दु:खों को यहां तक कि मरने को भी अपने आप पर स्वीकार कर लिया है और उसे जो दण्ड दूसरे प्रकार से मिलना था वह दण्ड उसने स्वयं ही अपने ऊपर ले लिया है तो फिर उसे रहम बिना बदले के कहना यदि सख्त ग़लती नहीं तो और क्या है? किन्तु वह रहम बिना बदले के जिसको डिप्टी साहिब प्रस्तुत करते हैं कि पाप कोई करे और दण्ड कोई पाए। हिज़्कील अध्याय-18 आयत-1, फिर हिज़्कील अध्याय-18 आयत-20, फिर सैमुअल अध्याय-2 आयत-3, मुकाशिफ़ात अध्याय-20 आयत-12, हिज़्कील अध्याय-18 आयत-27-30 यह तो एक अत्यन्त घृणित अत्याचार (ज़ुल्म) का प्रकार है। दुनिया में इस से बढ़कर और कोई ज़ुल्म नहीं होगा, सिवाए इस के कि क्या ख़ुदा तआला को पापों का क्षमा करने का यह ढ़ंग सैकड़ों वर्ष सोच-सोच कर पीछे से याद आया। स्पष्ट है कि ख़ुदा का प्रबंध जो मनुष्य की प्रकृति (फ़ितरत) से संबंधित है वह पहले ही होना चाहिए। जब से मनुष्य संसार में आया पाप की नींव उसी समय से पड़ी। फिर यह क्या हो गया कि पाप तो उसी समय ज़हर फैलाने लगा, परन्तु ख़ुदा तआला को चार हज़ार वर्ष गुज़र जाने के बाद गुनाह (पाप) का इलाज याद आया। नहीं साहिब, यह सर्वथा बनावट है। असल बात यह है कि ख़ुदा तआला ने जैसे प्रारंभ से मनुष्य की प्रकृति में पाप करने का एक मलका रखा। इसी प्रकार पाप का इलाज भी इसी ढंग से उसकी प्रकृति में रखा गया है। जैसा कि वह स्वयं फ़रमाता है -

بَلٰی ٭ مَنۡ اَسۡلَمَ وَجۡہَہٗ لِلّٰہِ وَ ہُوَ مُحۡسِنٌ فَلَہٗۤ اَجۡرُہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ۪ وَ
لَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۱۱۳﴾

(सूर: अल बक़रह-113)

अर्थात् जो व्यक्ति अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को ख़ुदा तआला के मार्ग में समर्पित कर दे और फिर स्वयं को अच्छे कामों में लगा दे तो उसे उसका प्रतिफल अल्लाह तआला से मिलेगा। ऐसे लोग निर्भय और शोक रहित हैं। अब देखिए कि यह नियम कि तौबा करके ख़ुदा तआला की ओर लौटना तथा अपने

जीवन को उसके मार्ग में समर्पित कर देना यह गुनाह (पाप) के क्षमा किए जाने के लिए एक ऐसा सदमार्ग है कि किसी विशेष युग के लिए सीमित नहीं। मनुष्य जब से इस मुसाफ़िर खाने में आया तब से इस कानून को अपने साथ लाया। जैसे उसके स्वभाव में एक खंड यह मौजूद है कि पाप की ओर प्रेरित होता है, ऐसा ही यह दूसरा खंड भी मौजूद है कि पाप से शर्मिन्दा होकर अपने अल्लाह के मार्ग में मरने के लिए तैयार हो जाता है। ज़हर भी इसी में है और विष नाशक (तिरयाक़) भी इसी में है। यह नहीं कि विष (ज़हर) अन्दर से निकले और विषनाशक जंगलों में तलाश करते फिरें। इसके अतिरिक्त मैं पूछता हूं कि यदि यह सच है कि हज़रत मसीह के कफ़्फ़ारे पर ईमान लाकर कोई व्यक्ति विशेष तौर पर परिवर्तन पा लेता है तो उसका सबूत क्यों नहीं दिया गया। मैंने बहुत इस बात को प्रस्तुत किया और अब भी करता हूं कि वह विशेष परिवर्तन तथा विशेष पवित्रता और वह विशेष मुक्ति और वह विशेष ईमान और वह विशेष मुलाक़ात ख़ुदा से केवल इस्लाम के द्वारा ही प्राप्त होती है तथा ईमानदारी के लक्षण इस्लाम लाने के बाद प्रकट होते हैं। यदि यह कफ़्फ़ार: सही है और कफ़्फ़ारे के द्वारा आप लोगों को मुक्ति (निजात) मिल गई है तथा वास्तविक ईमान प्राप्त हो गया है तो फिर उस वास्तविक ईमान के लक्षण जो हज़रत मसीह स्वयं लिख गए हैं आप लोगों में क्यों नहीं पाए जाते। और यह कहना कि वे आगे नहीं बल्कि पीछे रह गए हैं एक व्यर्थ बात है। यदि आप ईमानदार कहलाते हैं तो ईमानदारों के लक्षण जो आप के लिए निर्धारित किए गए हैं आप लोगों में अवश्य पाए जाने चाहिए, क्योंकि हज़रत मसीह का कथन झूठा नहीं हो सकता। किन्तु आप ध्यानपूर्वक देखें कि वे लक्षण इस्लाम धर्म में ऐसे व्यापक तौर पर पाए जाते हैं कि आप उनके सामने दम भी तो नहीं मार सकते। मैंने उन्हीं के लिए आप की सेवा में कहा था कि यदि आप सामने खड़े नहीं हो सकते तो उन लक्षणों को पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा के अनुसार परखो और आज़माओ फिर यदि वे वास्तव में सच्चे निकलें तो सत्यनिष्ठों की तरह उन्हें स्वीकार कर लो। परन्तु आप ने हंसी-ठट्ठे के अतिरिक्त और क्या उत्तर दिया। तीन लूले, लंगड़े इत्यादि मेरे सामने

खड़े कर दिए कि इनको अच्छा करो। हालांकि उन का अच्छा करना ईसाई ईमान के लक्षणों में से है। हमारे लिए तो वे लक्षण हैं जो पवित्र क़ुर्आन में आ चुके हैं और हमें कहीं नहीं कहा गया कि तुम अपने अधिकार से लक्षण दिखा सकते हो बल्कि यही कहा गया है कि ख़ुदा तआला से दरख़्वास्त करो, फिर जिस प्रकार का निशान चाहेगा दिखाएगा। अतः क्या आपका यह अन्याय नहीं कि आपने मुझ से वह मांग की जो आप से होनी चाहिए थी और फिर उसका नाम विजय रख लिया। मैं तो अब भी उपस्थित हूं उन शर्तों के अनुसार जो हमारी किताब हम पर अनिवार्य करती है और आप उन शर्तों के अनुसार जो आपकी किताब आप पर अनिवार्य करती है मुझ से निशानों में मुकाबला कीजिए, फिर सत्य और असत्य स्वयं खुल जाएगा। परन्तु हंसी-ठट्ठा करना सत्यनिष्ठों का काम नहीं होता है। मुझ पर उतना ही अनिवार्य है जो पवित्र क़ुर्आन मुझ पर अनिवार्य करता है और आप पर वह अनिवार्य है जो इंजील आप पर अनिवार्य करती है। राई के दाने की कहावत आप बार-बार पढ़ें और फिर आप ही न्याय कर लें। और यह रहम बिना बदले का प्रश्न जो मुझ से किया गया है उसके उत्तर का और भी भाग शेष है जो फिर मैं आप का उत्तर पाने के बाद वर्णन करूंगा। परन्तु आप पर अनिवार्य है कि प्रथम इस प्रश्न का उत्तर इंजील से निर्धारित शर्तों के अनुसार सिद्ध करके तार्किक तौर पर प्रस्तुत करें। क्योंकि जो बात इंजील में नहीं वह आपकी ओर से प्रस्तुत करने योग्य नहीं। मेरे विचार में इस प्रश्न के खण्डन के लिए इंजील ही पर्याप्त है और हज़रत मसीह के कथन उसके उन्मूलन के लिए पर्याप्त हैं। आप कृपा करके इस अनिवार्यता से उत्तरोत्तर दें कि लिखने के समय इंजील का हवाला साथ हो ताकि दर्शकों को मालूम हो कि इंजील क्या कहती है और इस प्रश्न का माध्यम इंजील बनती है या असंबंधित है।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब की ओर से
30 मई 1893 ई.

मैं आप के उत्तर की पद्धति पर ऐतराज़ करता हूं। यह उत्तर जो आप देते हैं कि बिना बदले के रहम का मुकद्दमा सर्वथा मसीह की ख़ुदाई के सबूत पर निर्भर है जिसे तुम ने सिद्ध नहीं किया। मेरी तरफ़ से कहना यह है कि आप क्या सबूत मांगते हैं। मैं तो कह चुका हूं कि हम तो उस मसीह को जो मख्लूक (सृष्टि) और दिखाई देने वाला है अल्लाह नहीं कहते परन्तु ख़ुदा का द्योतक (मज़्हर) कहते हैं और इस बारे में दो बातों का सबूत चाहिए। अर्थात् एक संभावना हम बौद्धिक तर्कों से सिद्ध करते हैं और उसका वास्तव में होना ख़ुदा के कलाम से। फिर आप और क्या चाहते हैं वह हम पर स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात् एक संभावना का और दूसरा घटना का। संभावना पर हमने यह कहा था कि क्या ख़ुदा शक्तिमान नहीं कि उस स्तंभ में से जो मिट्टी और ईंटों का बना है उत्तर दे? इसमें उसके ऐसा करने से क्या वस्तु बाधक हो सकती है अर्थात् ख़ुदा की कौन सी विशेषता कटती है। इसका दिखाना आपका ज़िम्मा था जो अब तक अदा नहीं हुआ। मैंने जिस प्रकार स्तंभ का उदाहरण दिया वैसा ही सृष्टि में से उसका प्रकटन होना संभव है और वह जो वास्तव में होने के है उसके लिए हमने कलाम की आयतें दी हैं। यदि आपको इस किताब का इन्कार है कि यह इल्हामी नहीं तो यह दूसरी बात है और यदि हमने सही हवाला नहीं दिया तो इस की गिरफ़्त हम से कीजिए। किन्तु कलाम को भी स्वीकार करना कि यह इल्हामी है और हवालों को केवल इतना ही कह कर गिरा देना कि कुछ नहीं, यह सही नहीं।

द्वितीय- वह जो आपने पूछा है कि मसीह के अस्तित्व में आया दो रूहें थीं या एक और एक अस्तित्व (वुजूद) में दो रूहें किस प्रकार से रहती हैं?

हमारा उत्तर यह है कि पैदा किए (सृष्टि) पूर्ण मसीह में एक रूह पूर्ण थी परन्तु ख़ुदा तआला अपनी हस्ती में इस पहलू से कि वह असीमित है, अन्दर -बाहर हर जगह मौजूद है। और ख़ुदा का द्योतक होने के मायने यह हैं कि अपना

प्रकटन विशेष किसी जगह से किस प्रकार से करे। तो इसमें मसीह के शरीर में दूसरी रूह के क़ैद होने में कौन सा संकेत है और केवल ख़ुदा से होने पर कौन सा संकेत है। यह तो बौद्धिक मामला है किताब का मुहताज नहीं, इसमें आप किस लिये अटकते हैं।

तृतीय- वह जो आप लतीफ़ ज़िद्दी के बारे में आकर्षण का भार बताते हैं तो उस आकर्षण से तो यह प्रकट होता है कि उसको आप स्थूल ठहराते हैं और हम यह नहीं मानते कि ख़ुदा तआला की हस्ती स्थूल है इसलिए उसमें भार क्योंकर हो। क्योंकि भार नाम आकर्षण का है और आकर्षण स्थूल होने से संबधित है। आप हमारे एकता में अनेकता को समझे नहीं क्योंकि हम माहियत को विभाजित नहीं करते यद्यपि अक़ानीम को एक-दूसरे से मिलाते भी नहीं। एकता में अनेकता का हमारा उदाहरण यह है कि जैसे नज़ीरी की विशेषता असीमितता से निकलती है और उसका निकलना समय और स्थान का कुछ अन्तर नहीं करता बल्कि एक स्थिति में बहुत होती ऐसा ही तीन अक़ानीम में प्रथम उक़्नूम स्वयं है और उसके बाद के जो अक़ानीम उस एक के लिए अनिवार्य हैं। आप तीन अक़ानीम का भार तीन जगह किस प्रकार विभाजित करते हैं। लतीफ़ ज़िद्दी हम उसे कहते हैं जो स्थूल के बिल्कुल ही विपरीत न हो उसको जो संबंध एक का दूसरे के सूक्ष्म से हो। जैसे मिट्टी का संबंध पानी और पानी का संबंध हवा से और हवा का संबंध आग से। ये समस्त संबंध की दृष्टि से सूक्ष्म हैं और वास्तव में स्थूल ही रहते हैं।

ख़ुदा के कलाम के वर्णन को आप केवल दावा कहते हैं और उसके सबूत के लिए और तर्क मांगते हैं। तो इस से आप का अभिप्राय यह मालूम होता है कि आप ख़ुदा के कलाम की आस्था के बारे में या तो असमंजस में हैं या बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। यह बात तय हो जाए तो हम इसका भी उत्तर देंगे।

चतुर्थ- वह रहम जो बिना बदले के तर्क पर आपने जो कहा है कि ख़ुदा की आदत यही है कि जैसा रहम बिना बदले के करता है ऐसा ही प्रकोप भी बिना बदले के करता है। अतएव वे निर्दोष जानवर कोई किसी की जीविका के

लिए तथा कोई अन्य के लिए। जो अब सारी शिकायत इस मामले में दु:ख के ऊपर है और दु:ख हमारी दृष्टि में तीन प्रकार के हैं अर्थात् एक वह जो दण्ड के तौर पर है दूसरा वह जो सुख का है तीसरा वह है जो परीक्षा (इम्तिहान) का सामान है। तो जब आप हैवानों के दु:ख से यह परिणाम निकालते हैं, यह प्रकोप (क़हर) बिना बदले के या अकारण है सोचिए कि आप कितने ग़लत हैं जो तीन प्रकार को एक-एक प्रकार के दण्ड में डाल देते हैं और इसके अतिरिक्त जो आप कहते हैं कि प्रकोप भी बिना कारण हो सकता है और रहम भी बिना कारण। तो पवित्र ख़ुदा की ख़ुदाई यह न हुई बल्कि नास्तिकता की अंधेर नगरी हुई।

पंचम- ख़ुदावन्द मसीह ने अवश्य कहा है कि तुम पापों को माफ़ ही करते रहो जो तुम्हारे विरुद्ध करे और प्रतिशोध न लो। परन्तु इंजील के कलाम में यह भी लिखा है कि तुम प्रतिशोध न लो, क्योंकि ख़ुदावन्द फ़रमाता है कि प्रतिशोध लेना मेरा काम है।

और चूंकि पापों के प्रकार यद्यपि कितने ही वर्णन हों परन्तु वास्तव में पाप केवल ख़ुदा के विरुद्ध होता है और वह फ़रमाता है कि तुम प्रतिशोध (इन्तिकाम) न लो आवश्यकता होगी तो मैं प्रतिशोध लूँगा। तो भी इसमें कफ़्फ़ारे की शिक्षा के विपरीत क्या हुआ, जिसका पाप किया गया। उसी ने हर एक को प्रतिशोध लेने वाला और उसका जज नहीं बनाया।

षष्टम- सांसारिक अदालत न वास्तविक अदालत का नाम है बल्कि केवल निज़ामत का नाम। क्योंकि हानि को वापस नहीं लाती परन्तु अपराधों को पतन की तरफ़ ले जाती है और न सांसारिक सिफ़ारिश सिफ़ारिश का नाम है बल्कि एक छूट मांगने का नाम है। क्योंकि ख़ुदावन्द को अधिकार है कि पापी को उसके पापों में यहां ही काट डाले, किन्तु अपने प्रिय लोगों की याचना पर वह तौबा करने की छूट (अवकाश) प्रदान कर सकता है जो पद की दृष्टि से सिफ़ारिश करने वाले नहीं है उनका उत्तर हम दे चुके हैं। परन्तु ख़ुदा की आज्ञा के अनुसार अवकाश प्रदान करने की सिफ़ारिश कि अवकाश प्रदान किया जाए ताकि तौबा कर ले। हमारे नज़दीक कर्तव्य दो ही प्रकार के हैं, किन्तु वास्तव

में एक ही प्रकार है। जैसा की दाऊद नबी फ़रमाता है- कि मैंने तेरा ही गुनाह किया। अतः बन्दों के अधिकार कि गुनाह तो इसमें आ गया परन्तु स्वाभाविक गुनाह शायद आप विरसे में मिले गुनाह को कहते हैं। परन्तु विरसे में मिले गुनाह के बारे में हमारा उद्देश्य यह है कि आदम के गुनाह में गिरने के कारण मनुष्यों की परीक्षा कठोरतम हो गयी कि शरीर में कष्ट पैदा हुए और मौत डरावनी ठहर गई। इन अर्थों के अनुसार उसे आदम का गुनाह कहा जाता है अन्यथा जैसा आपने हिज़्कील नबी का हवाला दिया वही सही है कि जो रूह गुनाह करेगी वही मरेगी। बाप-दादों के खट्टे अंगूर खाने से औलाद के दांत खट्टे नहीं होंगे।

सप्तम- जिस योजना को आप घृणित कहते हैं कि गुनाह कोई करे और दण्ड कोई भरे। इसका उत्तर यह है कि क्या दुनिया में एक व्यक्ति का कर्ज़ा दूसरा व्यक्ति अपनी दौलत से अदा नहीं कर सकता। हाँ एक पापी (गुनाहगार) दूसरे के गुनाह नहीं उठा सकता, क्योंकि वह अपने ही गुनाहों से निवृत्त (फ़ारिग नहीं। जैसा कि जो स्वयं कर्ज़दार है वह दूसरे के कर्ज़े की ज़मानत नहीं दे सकता। अतः घृणा मसीह के कफ़्फ़ारे में कहां से आई जो गुनाहगार (पापी) न था और मुक्ति के भण्डार में निःस्पृह (ग़नी) जिसे उसने अपने कफ़्फ़ारे से पैदा किया था।

अष्टम- ख़ुदावन्द तआला ने हमें इस परीक्षा के नक़्शे में यह स्थिति दिखाई है कि कर्मों से संबंधित परीक्षा जो एक ही ग़लती पर समाप्त हो जाती थी और तौबा करने का अवकाश न देती थी वह रोक दी गई। मसीह के कफ़्फ़ारे के माध्यम के स्थान पर ईमानी परीक्षा क़ायम की गई कि जिसमें तौबा की बहुत सी फ़ुर्सत मिल सकती है। अतः जो ख़ुदावन्द में मान्य हैं वे भी इस दुनिया में ईमानी परीक्षा से बरी नहीं हुए। परन्तु इसके समाप्त होने का दिन निकट है। और जब वह आएगा तो उस समय पूर्ण इन्सान मुक्ति को देखेगा। इस समय उस सन्तुष्टि को ही देखता है जो सच्चे के वादे पर कोई ताज और तख़्त का प्रतीक्षक हो। आप जो फ़रमाते है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो मुक्ति प्राप्त हो। अतः ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्ति किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जैसा बड़ा ढेला आँखों से महसूस होता है परन्तु इत्मीनान (संतुष्टि) की तो यह शक्ल नहीं

बल्कि वह शक्ल है कि जैसे एक नौकद ख़ुदा लज़्ज़त-ए-ज़ुफ़ाफ़ का वर्णन नहीं कर सकता। परन्तु वास्तव में उसको प्रिय समझता है।

नवम- जिन बातों का यह बार-बार आकर्षण होता है कि आप इंजील की आयतों के अनुसार चमत्कार दिखलाओ। हमारा उत्तर यह है कि हम बार-बार उन स्थानों की वास्तविक व्याख्या दिखा चुके। यदि आप पुन: उसी प्रश्न को दोहराएं और हमारी व्याख्या को ग़लत न दिखा सकें तो इन्साफ किस के घर के सामने मातम कर रहा है उसे न्याय प्रिय लोग स्वयं पहचान लेंगे। अब हमारा प्रश्न जहां का तहां मौजूद है कि रहम बिना बदले के हरगिज़ वैध नहीं।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

नौवां पर्चा
मुबाहसा 31 मई 1893 ई.
वृत्तान्त

मिर्ज़ा साहिब ने 6 बजकर 06 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भकिया और 7 बजकर 06 मिनट पर समाप्त किया और मुकाबले के बाद ऊँची आवाज़ से सुनाया गया।

मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 7 बजकर 52 मिनट पर आरम्भकिया और 8 बजकर 52 मिनट पर समाप्त किया सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 9 बजकर 26 मिनट पर आरम्भ किया और 10 बजकर 26 मिनट पर समाप्त किया और बुलंद आवाज़ से सुनाया गया। इसके बाद मैनेजर नेशनल प्रेस की दरख़्वास्त प्रस्तुत हुई कि उसे मुबाहसा छापने की अनुमति दी जाए। निर्णय हुआ कि उसे अनुमति दी जाए इस शर्त पर कि वह उसी प्रकार मुबाहसा छापे जिस प्रकार कि मैनेजर रियाज़ हिन्द प्रेस छाप रहा है अर्थात् बिना किसी न्यूनाधिकता के दोनों सदस्यों के लेख क्रमानुसार छापे। तत्पश्चात लेखों पर दोनों प्रेज़ीडेंटस के हस्ताक्षर हुए और जल्सा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब
31 मई 1893 ई.

डिप्टी साहिब का कल का जो प्रश्न है कि रहम बिना बदले के हरगिज़ वैध नहीं। आज उसका कुछ विवरण के साथ उत्तर लिखा जाता है। स्पष्ट हो कि रहम बिना बदले में ईसाई लोगों का यह सिद्धांत है कि ख़ुदा तआला में न्याय की भी विशेषता है। न्याय की विशेषता यह चाहती है कि किसी पापी को बिना

दण्ड के न छोड़ा जाए और रहम (दया) की विशेषता यह चाहती है कि दण्ड से बचाया जाए और चूंकि न्याय की विशेषता रहम करने से रोकती है, इसलिए बिना बदले के रहम वैध (जायज़) नहीं।

और मुसलमानों का यह सिद्धांत है कि रहम की विशेषता आम और प्रथम श्रेणी पर है जो न्याय की विशेषता पर प्राथमिकता रखती है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

عَذَابِيٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ

(सूर: अल आराफ़-157)

अत: इस आयत से मालूम होता है कि रहमत आम और विशाल है और प्रकोप अर्थात् न्याय किसी विशिष्टता के बाद पैदा होता है अर्थात् यह विशेषता ख़ुदा के क़ानून से बाहर निकलने के बाद अपने अधिकार पैदा करती है और इसके लिए अवश्य है कि प्रथम ख़ुदा का कानून हो और ख़ुदा के कानून की अवज्ञा से गुनाह पैदा हो। फिर यह विशेषता प्रकटन में आती है और अपनी मांग पूरी करना चाहती है। और जब तक कानून न हो या अवज्ञा के क़ानून से पाप पैदा न हो। उदाहरणतया कोई व्यक्ति ख़ुदा के कानून को समझने के योग्य न हो। जैसे बच्चा हो या पागल हो या जानवरों की किस्म में से हो। उस समय तक यह विशेषता प्रकटन में नहीं आती। हाँ ख़ुदा तआला अपने मालिक होने के कारण जो चाहे करे। क्योंकि उसको अपनी प्रत्येक सृष्टि पर हक़ पहुँचता है। अत: इस पड़ताल से सिद्ध हुआ कि न्याय का रहम के साथ कुछ भी संबंध नहीं। रहम तो अल्लाह तआला की अनादि तथा प्रथम श्रेणी की विशेषता है, जैसा कि ईसाई लोग भी इस बात का इक़रार करते हैं कि ख़ुदा प्रेम है। कहीं यह नहीं लिखा कि ख़ुदा प्रकोप है अर्थात् न्याय है और गज़ब का शब्द अदल के शब्द से इसलिए पर्याय एवं समानार्थी है कि ख़ुदा तआला का प्रकोप मनुष्यों के प्रकोप जैसा नहीं कि अकारण या चिढ़ने के तौर पर प्रकट हो जाए बल्कि वह समुचित तौर पर न्याय के अवसर पर प्रकटन में आता है। अब यह दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति ख़ुदा के कानून की अवज्ञा करे उसके बारे में क्या आदेश है तो इसका यही

उत्तर होगा कि उस कानून की शर्तों के अनुसार अमल किया जाएगा। रहम का इस स्थान पर कुछ संबंध नहीं होगा, क्योंकि गुनाह की फ़िलास्फ़ी यही है कि वह ख़ुदा के कानून को तोड़ने से पैदा होता है कि जब कानून जारी होकर और पहुँचकर उसकी अवज्ञा की जाए। अत: स्पष्ट कानून को यह सामान्य अधिकार है कि जिस पर चाहे अपने कानून की अवज्ञा के दण्ड निश्चित करे और फिर उन दण्डों को माफ़ करने के लिए अपनी इच्छानुसार शर्तें और दण्ड निर्धारित करे। इसलिए हम कहते हैं कि अब यह मामला रहम बिना बदले के टकराव से अन्य स्थिति में होकर बिलकुल साफ़ है। हाँ यह देखना भी शेष है कि जो दण्ड निर्धारित किए गए हैं या माफ़ी के तरीके निर्धारित किए गए हैं या किस धर्म की पुस्तक में अधिक उचित, और न्यायसंगत है। इस विशेषता को देखने के लिए रहम का दृष्टिगत रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि असली, आम और मुख्य विशेषता रहम (दया) है। अत: जितना किसी धर्म का दण्ड का तरीका रहम के क़रीब-करीब होगा वह अधिक उचित और उत्तम धर्म समझा जाएगा। क्योंकि दण्ड देने के नियम और कानूनों में सीमा से अधिक कठोरता करना और ऐसी-ऐसी पाबन्दियाँ लगा देना जो स्वयं रहम के विरुद्ध हैं। ख़ुदा तआला की पवित्र विशेषताओं से बहुत दूर हैं। अत: अब न्यायवान लोग देख लें कि पवित्र क़ुर्आन ने माफ़ी का क्या तरीका ठहराया और पवित्र इंजील की दृष्टि से माफ़ी का क्या तरीका वर्णन किया जाता है। अत: स्पष्ट हो कि पवित्र क़ुर्आन के निर्देश किसी व्यक्ति की माफ़ी के लिए कोई अनुचित कठोरता तथा कोई नियम जो ज़ुल्म (अत्याचार) तक ले जाता हो वर्णन नहीं करते केवल असली और स्वाभाविक तौर पर यह कहते हैं कि जो व्यक्ति ख़ुदा के कानून को तोड़ने से किसी अपराध को करे तो उसके लिए यह मार्ग खुला है कि वह सच्ची तौबा करके तथा उन कानूनों के सही और सच्चे होने पर ईमान लाकर फिर नए सिरे से प्रयास एवं परिश्रम से उन कानूनों का पाबन्द हो जाए, यहाँ तक कि उनके मार्ग में मरने से भी विमुख न हो। हाँ यह भी लिखा कि अपराधियों के लिए सिफ़ारिश भी लाभप्रद है परन्तु ख़ुदा तआला की आज्ञा से तथा अच्छे काम

भी पापों का निवारण करते हैं और ईमान की उन्नति भी तथा प्रेम और मुहब्बत भी पापों के कूड़ा कर्कट को आग की भांति जला देती है, किन्तु ईसाई लोगों के नियमों में प्रथम तिलछट यह है कि पापों की माफ़ी के लिए एक निर्दोष का सलीब पर मरना आवश्यक एवं अनिवार्य समझा गया है। अब बुद्धिमान न्यायकर्ता स्वयं ही फैसला कर सकते हैं। यह भी स्मरण रहे कि प्रत्येक झगड़े और विवाद के फैसले के लिए ख़ुदा तआला का प्रकृति का नियम मौजूद है। यह प्रकृति का नियम स्पष्ट गवाही दे रहा है कि ख़ुदा तआला का रहम बिना बदले के सदैव से जारी है। ख़ुदा तआला ने जितना पृथ्वी और आकाश को पैदा करके और इन्सानों को नाना प्रकार की नेमतें प्रदान करके अपना रहम प्रकट किया है। क्या इस से कोई इन्कार कर सकता है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَ اِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ لَا تُحۡصُوۡہَا ؕ (इब्राहीम-35)

अर्थात् यदि तुम ख़ुदा तआला की नेमतों को गिनना चाहो तो हरगिज़ गिन नहीं सकते।

ऐसा ही उसकी रहीमियत (दयालुता) अर्थात् किसी नेकी के बदले में प्रतिफल देना प्रकृति के नियम से स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे मार्गों पर चलता है वह उनका परिणाम भुगत लेता है। इसी प्रकार उसका मालिक होना भी प्रकृति के नियम के अनुसार सिद्ध हो रहा है। जैसा कि मैंने कल वर्णन किया था कि करोड़ों जानवर मनुष्य के फायदे के लिए मार दिए जाते हैं और तौरात से सिद्ध है कि हज़रत नूह के तूफ़ान में कुछ जानवरों के अतिरिक्त शेष समस्त प्राणी तूफ़ान से तबाह किए गए। क्या उनका कोई पाप था? कोई (पाप) न था। केवल मालिक होने की मांग थी और यह बात कि पाप कानून से पैदा होता है। यह इस आयत से स्पष्ट तौर पर सिद्ध है-

وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمۡ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۴۰﴾ (अल बक़रह-40)

अर्थात् जो लोग हमारी किताब के पहुँचने के बाद कुफ्र को अपनाएं और

झुठलाएं वे नर्क में गिराए जाएँगे। और फिर ख़ुदा तआला की तौबा से पाप क्षमा करना इस आयत से सिद्ध है-

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ (सूरः अलमोमिन-4)

और ख़ुदा तआला की रहमानियत (कृपालता) और रहीमियत तथा मालिकीयत इन आयतों से सिद्ध है-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ۝۲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ۝۳ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ۝۴

(सूरः अलफ़ातिह:-2 से 4)

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब के शेष उत्तर नीचे लिखता हूं। आप फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह की रूह सृष्टि थी और शरीर भी मख्लूक था और ख़ुदा तआला उन से इस प्रकार संबंध रखता था जैसा कि वह हर जगह मौजूद है। डिप्टी साहिब का यह कहना मुझे समझ नहीं आता, जबकि हज़रत मसीह बिलकुल इन्सान ही थे और उनमें कुछ भी नहीं था। तो फिर ख़ुदा तआला का संबंध और ख़ुदा तआला का मौजूद होना हर एक जगह पाया जाता है। फिर इसके बावजूद आप इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हज़रत मसीह अल्लाह के (द्योतक) हैं। मैं सोचता हूं कि यह ख़ुदा के द्योतक कैसे हुए। इस से तो अनिवार्य हुआ कि प्रत्येक चीज़ ख़ुदा की द्योतक है। फिर मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह ख़ुदा का द्योतक होना रूहुल-क़ुदुस के उतरने के बाद हुआ। यदि बाद में हुआ तो फिर आप की क्या विशेषता रही। फिर आप कहते हैं कि हम यह नहीं मानते कि ख़ुदा तआला की हस्ती ज़ाहरी वुजूद है इसलिए उसमें भार क्योंकर हो मेरा उत्तर है कि बेटा अर्थात् हज़रत ईसा का उक़्नूम साक्षात होना सिद्ध है, क्योंकि लिखा है कि कलाम साक्षात हुआ और रूहुल क़ुदुस भी साक्षात था। क्योंकि लिखा है कि कबूतर के रूप में उतरा और आप का ख़ुदा भी साक्षात है क्योंकि याक़ूब से कुश्ती की और देखा भी गया और बेटा उसके दाहिने हाथ जा बैठा।

फिर आप अपनी एकता में अनेकता की चर्चा करते हैं। किन्तु मुझे समझ नहीं आता कि वास्तविक अनेकता और वास्तविक एकता एक जगह कैसे एकत्र

हो सकती हैं और एक को भरोसे योग्य ठहराना आप का मत नहीं। यहां मैं यह भी पूछता हूं कि हज़रत मसीह जो ख़ुदा के द्योतक थे और स्थायी तौर पर उन में मज़ हरुल्लाह ठहराए गए। वह प्रारम्भ से अन्त तक ख़ुदा के द्योतक होना पाया जाता था या संयोग के तौर पर तथा कभी-कभी। यदि अनश्वर था तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि हज़रत मसीह का अन्तर्यामी होना और उसमें शक्तिमान आदि की विशेषताओं का पाया जाना यह अनश्वर तौर पर था। हालांकि पवित्र इंजील इस को झुठलाती है। मुझे बार-बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं।

यहां मुझे यह भी पूछना पड़ा कि जिस हालत में आपके कथानुसार हज़रत मसीह में दो रूहें नहीं केवल एक रूह है जो इन्सान की रूह हैं जिसमें ख़ुदाई की लेशमात्र भी मिलौनी नहीं।

हाँ जैसे ख़ुदा तआला हर जगह मौजूद है और जैसा कि लिखा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में उसकी रूह थी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ भी मौजूद है तो फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता की दृष्टि से दूसरा उक़्नूम क्योंकर ठहरे? और यह भी पूछने योग्य है कि हज़रत मसीह का आप लोगों की दृष्टि में दूसरा उक़्नूम होना यह दौर वाला है या अनश्वर? फिर आप फ़रमाते हैं कि वह अर्थात् अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम प्रतिशोध न लो मैं आश्चर्य करता हूं कि प्रतिशोध वाली शरीअत अर्थात् तौरात तो स्वयं आपकी मान्यताओं में से है। फिर क्योंकर आप प्रतिशोध से विमुख होते हैं। इस बात का अभी तक आपके मूंह से उत्तर नहीं मिला कि जिस हालत में पूर्ण विशेषताओं में तीन उक़्नूम समान श्रेणी के हैं। अतः एक पूर्ण (कामिल) उक़्नूम के मौजूद होने के साथ जो समस्त सर्वांगपूर्ण विशेषताओं पर छाया हुआ है और कोई प्रतीक्षा करने वाली स्थिति शेष नहीं, दूसरे उक़्नूमों की क्यों आवश्यकता है। फिर इन कामिलों (सर्वांगपूर्णों) के मिलने के या मिलने की दृष्टि से जो सामूहिक स्थिति का एक आवश्यक परिणाम होना चाहिए वह इस जगह क्यों पैदा नहीं हुआ? अर्थात् यह क्या कारण है कि इसके बावजूद कि प्रत्येक उक़्नूम ख़ुदाई के लिए जिन विशेषताओं का होना

आवश्यक है वे उन सभी का संग्रहीता था फिर उन तीनों संग्रहीतों के एकत्र होने से ख़ुदाई में कुछ अधिक शक्ति और ताक़त नहीं बढ़ी। यदि कुछ बढ़ी है और उदाहरणतया पहले पूर्ण थी फिर मिलने से या मिलने की दृष्टि से पूर्णतम कहलाए या उदाहरण के तौर पर शक्तिमान थी और फिर मिलने की दृष्टि से अक़्दर (बहुत शक्तिमान) नाम रखा गया या पहले स्रष्टा थी और फिर मिलने की दृष्टि से ख़ल्लाक़ और अख़लाक़ (परम स्रष्टा) कहा गया। तो कृपया इसका सबूत देना चाहिए। आप कसीफ़ (ज़ाहरी) शरीरों की ओर तो अकारण खींच कर ले गए। मैंने तो एक उदाहरण दिया था और फिर वह उदाहरण भी ख़ुदा के फ़ज़्ल (कृपा) से आप ही की किताबों से सिद्ध कर दिखाया और आप के ये समस्त बयान अफ़सोस करने योग्य हैं। क्योंकि हमारी शर्त के अनुसार आप दावा न इंजील के शब्दों से प्रस्तुत कर सकते हैं और न इंजील के तर्क शास्त्रीय सबूतों के अनुसार वर्णन करते हैं। भला बताइए कि रहम बिना बदले का शब्द पवित्र इंजील में कहां लिखा है और उसके अर्थ स्वयं हज़रत मसीह के कथन से कब और किस समय आप ने वर्णन किए हैं। इस वचन भंग करने पर इन्साफ करने वाले जितना अफ़सोस करें कम है। कल जो मैंने कहर (प्रकोप) बिना बदले की चर्चा की थी उसका भी आपने कोई अच्छा उत्तर न दिया। मेरा अभिप्राय तो यह था कि अल्लाह तआला की मालिक होने की विशेषता पाप को देखने के बिना स्वयं कार्य कर रही है। जैसे इन्सान के बच्चों को देखो कि सैकड़ों कष्टदायक और भयंकर रोग होते हैं तथा कुछ ऐसे ग़रीबों एवं दरिद्रों के घर में पैदा होते हैं कि दांत निकलने के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के फ़ाकों को सहन करना पड़ता है और फिर बड़े हुए तो किसी के घोड़ों की देख-रेख पर साईस रखे गए और दूसरी ओर एक व्यक्ति किसी बादशाह के घर में पैदा होता है। पैदा होते ही दास, दासियां और सेवक हाथों-हाथ गोद में लिए फिरते हैं। बड़ा होकर तख़्त (सिंहासन) पर बैठ जाता है। इसका क्या कारण है? क्या मालिकियत कारण है या आप आवागमन को मानते हैं। फिर यदि मालिकियत सिद्ध है और ख़ुदा तआला पर किसी का भी अधिकार नहीं तो इतना जोश क्यों

प्रदर्शित किया जाता है। फिर आप कहते हैं कि मूसा की सिफारिशें वास्तविक सिफ़ारिशें नहीं थी बल्कि उन पर क़यामत में गिरफ़्त की पख लगी हुई थी और यद्यपि ख़ुदा तआला ने सरसरी तौर पर पाप क्षमा कर दिए और कह दिया कि मैंने मूसा के लिए क्षमा कर दिए। परन्तु वास्तव में क्षमा नहीं किए थे। फिर पकड़ेगा और चिढ़ करने वालों की भांति क्रोधित होकर नर्क में डालेगा। इसका आपके पास क्या सबूत है। कृपा करके वह सबूत प्रस्तुत करें, परन्तु तौरात के हवाले से जहां यह लिखा हो कि ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि यद्यपि मैंने आज इस अवज्ञा को क्षमा कर दिया परन्तु कल पुनः मैं गिरफ़्त करूंगा। यहां आपकी तवील (प्रत्यक्ष से हटकर व्याख्या) स्वीकार नहीं होगी। यदि आप सच पर हैं तो तौरात की आयत प्रस्तुत करें। क्योंकि तौरात के किन्हीं स्थानों में जो हम बाद में लिखा देंगे। यही स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ख़ुदा तआला कुछ अवज्ञाओं के समय हज़रत मूसा की सिफ़ारिश से उन अवज्ञाओं को अनदेखा करता रहा। बल्कि क्षमा कर देने के शब्द मौजूद हैं- गिनती 14/19,12/13, इस्तिस्ना 9/19 से 22, ख़ुरूज 8/8 फिर आप फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह का दूसरे पापियों के बदले में मस्लूब (सलीब पर मरना) प्रकृति के नियम का विरोधी नहीं। एक व्यक्ति का कर्ज़ा दूसरा व्यक्ति अपनी दौलत (धन) से अदा कर सकता है यह आप ने अच्छा उदाहरण दिया है। पूछा तो यह गया था कि क्या एक अपराधी के बदले में दूसरा व्यक्ति दण्डित हो सकता है इसका उदाहरण संसार में कहां है। आजकल अंग्रेज़ी कानून जो बड़ी जिज्ञासा और जांच-पड़ताल तथा न्याय के अनुसार बनाए जाते हैं। क्या आप ने जो एक लम्बे समय तक एक्स्ट्रा असिस्टेंट रह चुके हैं हिन्द की दण्ड संहिता इत्यादि में कोई ऐसी भी धारा लिखी हुई पाई है कि ज़ैद के पाप करने से बकर को सूली पर खींचना पर्याप्त है। (बाकि बाद में)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब
31 मई 1893 ई.

आप का यह कहना कि रहम प्रथम एवं उच्च श्रेणी पर है हिदायत 7/53 के विरुद्ध है। क्योंकि हिदायत यह आदेश करती है कि कोई विशेषता किसी दूसरी विशेषता से कम नहीं, इसके स्थान पर स्वयं प्रत्येक (विशेषता) पूर्ण श्रेणी रखती है। आपने यह सच कहा है कि जब तक कानून किसी तक न पहुँचे वह कानून तोड़ने वाला नहीं कहला सकता और उस पर गुनाह लागू नहीं होता। इसलिए वे बच्चे जो गुनाह की वास्तविकता से परिचित नहीं और जन्मजात पागल गुनाह नहीं कर सकते बल्कि यदि कोई व्यक्ति किसी गुनाह की वास्तविकता न जानता हो और वह गुनाह उस से हो जाए वह न्याय की गिरफ़्त में नहीं आएगा। और उस का वह कर्म गुनाह नहीं समझा जाएगा ख़ुदा अपनी मालिकियत के कारण अपनी विशेषताओं के विपरीत यदि कुछ मालिकियत जताए तो उसकी कुद्दूसी का सारा नक्शा अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसलिए यह सही नहीं है कि मालिकियत के कारण जो चाहे करे यहां तक कि ज़ुल्म (अन्याय) तक। और न्याय का रहम (दया) से इस प्रकार का संबंध तो नहीं और जो न्याय है वह रहम नहीं। किन्तु ये दोनों विशेषताएं एक एवं पवित्रतम ख़ुदा की हैं। ख़ुदा अनुचित प्रकोप है यह तो ख़ुदा के कलाम में हो नहीं सकता, परन्तु उसको भस्म करने वाली आग भी लिखा है जो पापियों को भस्म करती है, इस्तिस्ना 4/14 कानून मुक़न्नन क्रिया है और आवश्यक है कि क्रिया अपने कर्ता से बाद में हो। परन्तु न्याय जो कानून बनाता है कानून जिसकी क्रिया है अजर और अमर विशेषता है। वह अस्थायी तौर पर पैदा नहीं हुई और न वह अस्थायी तौर से जा सकती है। और यह भी सही नहीं है कि न्याय उसको कहा जाए कि हानि शेष रह जाए और पापी आज़ाद हो जाए। स्पष्ट रहे कि दुनिया की अदालत अदालत नहीं परन्तु निज़ामत का नाम है जिसका उद्देश्य यह है कि अपराध पतन की ओर रहें न यह कि दण्ड पूर्ण जाए। क्या एक क़ातिल को फांसी देने से मक़्तूल (क़त्ल किया हुआ व्यक्ति)

जी उठता है और यदि क़ातिल को फांसी देंगे तो मक़्तूल को इस से क्या है। ख़ुदावन्द की अदालत ऐसी नहीं बल्कि यह है कि जब तक वह गुनाह की हानि से वापस न हो बदले के दण्ड से भी आज़ाद न हो।

द्वितीय- जो आप फ़रमाते हैं कि पवित्र क़ुर्आन ने क्षमा का क्या तरीका ठहराया है। प्रथम तो आपका यह कहना वैध नहीं। इसलिए कि एक ख़ुदा के यह दोनों ही कलाम होकर परस्पर भिन्न तरीका नहीं बता सकते कि शुभ कर्म कर्ज़े के अदायगी के रूप में हैं क्योंकि यह बिल्कुल कर्तव्य है कि हम शुभ कर्म करें। किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अंश की अदायगी को कुल पर मान कर वह कर्ज़ा चुकता समझा जाए जैसा कि एक व्यक्ति को किसी के सौ रुपए देने हैं और उसमें से पच्चीस रुपए देकर यह कहे कि तेरा हिसाब पूरा हुआ (अर्थात् कुछ शेष नहीं रहा) कोई बुद्धिमान इस बात को स्वीकार करेगा कि आंशिक अदायगी कुल पर हावी है। इसलिए शुभ कर्मों की चर्चा आप तब तक न करें जब तक आप यह सिद्ध न कर लें कि कोई (व्यक्ति) कर्मों के द्वारा सब कर्ज़ा अदा कर सकता है अर्थात् स्वच्छंद रूप से निर्दोष रह सकता है। तौबा और ईमान मुक्ति के बाहरी फाटक अवश्य हैं जैसा कि कोई उनके बिना मुक्ति में प्रविष्ट नहीं हो सकता, परन्तु फाटक (दरवाज़ा) आन्तरिक चीज़ का नहीं हो सकता। क्या यदि हम एक मक्खी को मार कर सौ तौबा करें वह जीवित हो जाती है? और ईमान के बारे में यदि हम ईमान लाएं कि शक्तिमान ख़ुदा उसे पुनः जीवित कर सकता है। यह कुछ संभावना से बढ़कर हो जाती है। प्रेम और इश्क मानवीय कर्तव्यों में से हैं, इन का वर्णन शुभ कर्मों में आ चुका और आवश्यक नहीं।

तृतीय- यह आप बिलकुल ग़लत कहते हैं कि ख़ुदा तआला का प्रकृति का नियम कि रहम बिना बदले के सदैव से जारी है। हमारे स्वभाव में इस बात को पहली सच्चाई के तौर पर स्थापित किया गया है कि जो किसी को हानि करेगा उसे उसका बदला देना पड़ेगा। सृष्टि का हर युग ख़ुदा की आज्ञा का पालन करने के लिए रखा गया है और वह विद्रोह में यदि गुनाह (पाप) के कटे तो उस समय की हानि उसको भरना पड़ेगी और उसका बदला यही है कि दण्ड

में गिरफ़्तार रहे।

चतुर्थ- मैंने कल भी कहा था कि दु:ख तीन प्रकार के हैं अर्थात एक वह जिसे दण्डनीय कहते हैं जिसके मायने क्षति के बदले के हैं और जिसकी सीमा यह है कि जब तक वह क्षति (हानि) अदा न हो क्षति पहुंचाने वाले की आज़ादी भी न हो। दूसरा प्रकार मुसक़्क़ल सुख का है, जिस से मेरा अभिप्राय यह है दूसरी का मुहताज ज्ञान किसी वस्तु के विपरीत वस्तु से तुलना के बिना स्पष्ट नहीं होता, जैसा कि जन्मजात अंधा सफेदी को तो नहीं जानता परन्तु अंधकार को भी भली भांति नहीं पहचानता यद्यपि वह हमेशा उसके सामने है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा जाए और तुलना के लिए उसने कभी दु:ख न देखा हो तो स्वर्ग का महत्त्व और सुरक्षा को नहीं जानता। तीसरा दु:ख परीक्षा का है। अर्थात् आमाल बिलकुव्व: को क्रियात्मक तौर पर करने के लिए उस व्यक्ति के अधिकार के कि जिसके वे कर्म हैं अवश्य है कि उसको ऐसी दो चीज़ों के बीच रखा जाए जो परस्पर समान हों और उन को उलट (विपरीत) प्रत्यक्ष में एक हों कि जिन में से एक का स्वीकार करना तोड़ और दु:ख के बिना नहीं हो सकता। यदि ये तीन प्रकार सही हैं तो आप का क्या अधिकार है कि जो प्राणी संसार में दु:ख पाते हैं उन के दु:ख को दण्डनीय ही समझें।

पंचम- आप का इस बात का न समझना कि मसीह में प्रकटन की विशिष्टता क्या है जबकि हर चीज़ ख़ुदा की द्योतक है। इसका उत्तर देता हूं कि विशिष्टता यह है कि मसीह के संबंध से अल्लाह तआला ने कफ़्फ़ारे का काम पूर्ण कराया ख़ुदा तआला दु:ख उठाने से बिल्कुल बरी है। सृष्टि (मख्लूक़) किया हुआ व्यक्ति सब का बोझ उठाकर शेष नहीं रह सकता। यहां पर ख़ुदा तआला ने यह किया कि पवित्र इन्सान ने सब बोझ अपने सर पर उठाया और ख़ुदाई के दूसरे उक़्नूम ने उसको उठवाया और यों वह दु:ख शरण हुआ। क्योंकि उस अवसर पर दण्ड का साथ दूसरे अजर-अमर उक़्नूम से हुआ। द्योतक होने की यह विशिष्टता और कहां है? आप ही उसको दिखला दें और हमारी इस मौखिक विशिष्टता को मसीह में स्वीकार न करें। परन्तु बाइबल को उस समय

तक अस्वीकार न करें। अत: आप का अधिकार नहीं कि इस पर बहाना करें कि क्या मसीह का चमत्कार है। पैदा होना, मारा जाना, जीवित हो जाना और आसमान पर चढ़ना। इनके भी कुछ मायने हैं या नहीं जनाब आप ही बता दें और जबकि लिखा है कि खून बहाने के बिना मुक्ति नहीं। इब्रानी 9/22 और अह्बार 17/11 और यह कि तौरात की समस्त कुर्बानियां इसी का संकेत करती हैं। और फिर लिखा है कि आसमान के नीचे दूसरा नाम नहीं दिया गया कि मुक्ति हो। आ'माल 4/12 आप इन सब बातों के मायने बताएं और यों ही बिना उत्तर के न छोड़ें।

षष्टम- आप जो पूछते हैं कि मसीह ख़ुदावन्द का द्योतक रूहुल-क़ुदुस के उतरने के बाद हुआ या उसके बाद। यहां पर हमारा उत्तर अनुमानित है। रूहुल-क़ुदुस के उतरने के समय हुआ। ख़ुदा के कलाम में इसका कोई समय निर्धारित नहीं हुआ। विशिष्टता की प्राप्ति आगे और पीछे ख़ुदा का द्योतक होने पर क्या है आप ने इस बात की व्याख्या नहीं की। इसलिए हम और अधिक उत्तर नहीं दे सकते।

सप्तम- यद्यपि हर तीनों उक़्नूम का साक्षात होना आप ने बहुत सही नहीं कहा परन्तु साक्षात होने से वे भार वाले हो जाते हैं, जैसा कि आप ने यह कहा है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक तीन-तीन सेर का उक़्नूम हो तो इन सब का योग नौ सेर होता है।

अष्टम- तस्लीस में तौहीद (अर्थात् तीन ख़ुदा मानने की आस्था में एकेश्वरवाद) की शिक्षा में हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि एक ही रूप में एक और एक ही रूप में तस्लीस है बल्कि हमारा मानना यह है कि एक रूप में एक, और दूसरे रूप में तीन हैं। और जब हम ने कहा कि इन तीनों में इस प्रकार का संबंध है कि जैसे अतुल्य एवं असीमित से निकल कर समय और स्थान दूसरा नहीं चाहते। तथापि इन दो विशेषताओं की परिभाषा अलग-अलग है और ये दोनों विशेषताएं एक जैसी हैं। ऐसा ही उक़्नूमों की सूरत है कि एक स्वयं कायम है और दो इस एक के साथ अनिवार्य। इसको समझने के लिए आप इस बयान पर भी ध्यान दें कि प्रतिशोध चाहने वाला तथा सुलह चाहने वाला एक

व्यक्ति से पल भर में बिल्कुल असंभव है। हालांकि यदि पापी की क्षमा हो तो हर दो एक समान चलते है और यह एक उक़्नूम से अदा नहीं हो सकती इस से अनिवार्य होता है कि कम से कम दो उक़्नूम होने चाहिए। समय कम है। हम अतुल्य (बेनज़ीरी) की कुछ परिभाषा करना चाहते हैं। स्वच्छंद अतुल्य होना वह चीज़ है जो संभावना तक सददृश्य को मिटा दे। और यह वही कर सकता है जो सद्द्श्य की संभावना की गुंजायश को समाप्त कर दे। अब ख़ुदा तआला स्वच्छंद अतुल्य है। अत: आवश्यक है कि वह असीमित भी है। और यह स्थान से बिना विरोधाभास के अतुल्य समय और असीमित होने से निकले। एकता में अनेकता के उदाहरण हमारे पास और भी उचित हैं, परन्तु केवल संभावना दिखाने वाली और यह कि उसकी घटना दिखलाना ख़ुदा के कलाम का काम है जिसकी आयतों का हवाला हम पहले दे चुके हैं। अत: एक यह है कि देखो, इन्सान अच्छे और बुरे की पहचान में हम से एक से सद्द्श्य हो गया। पैदायश 3/22

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

पहले मैं अफ़सोस से लिखता हूं कि डिप्टी साहिब ने मेरे बार-बार याद दिलाने के बावजूद कि हर एक बात और हर एक दावा इंजील से ही प्रस्तुत करना चाहिए और बौद्धिक तर्क भी इंजील से ही दिखलाने चाहिए। फिर भी इस शर्त को हर एक स्थान में छोड़ दिया है और उनके बयान ऐसी आज़ादी से चले जाते हैं कि जैसे वह एक नई इंजील बना रहे हैं। अब सोचना चाहिए कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। पहले तो मैंने यह शर्त के तौर पर कहा था कि रहम बिना बदले का शब्द इंजील में कहां है और फिर उसका तर्क शास्त्रीय तौर पर हज़रत मसीह द्वारा व्याख्या और विवरण कहां है, परन्तु आप जान-बूझ

कर इस बात से इन्कार कर गए। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि आप इंजील के एक पाबन्द होने की हैसियत से बहस नहीं करते बल्कि एक अहले राय की तरह अपने विचार **प्रस्तुत कर रहे हैं**। आप मेरे इस बयान को कि रहम (दया) प्रकटन में प्रथम एवं उच्च श्रेणी पर है। इस से पहले कि उस को समझें जिरह (प्रतिप्रश्न) के योग्य ठहराते हैं, यद्यपि इसमें आपत्ति नहीं कि ख़ुदा तआला की समस्त सर्वांगपूर्ण विशेषताएं अजर-अमर हैं परन्तु इस उत्पत्त संसार में प्रकटन के समय जैसा अवसर होता है आवश्यकतानुसार आगे-पीछे हो जाती है। इस बात को कौन सा व्यक्ति समझ नहीं सकता कि प्रकटन की दृष्टि से रहम (दया) प्रथम श्रेणी पर है क्योंकि किसी किताब के निकलने का मुहताज नहीं और इस बात की आवश्यकता नहीं रखता कि सारे लोग बुद्धिमान और बहुत समझदार ही हो जाएँ बल्कि वह रहम जैसा बुद्धिमानों पर अपनी दानशीलता कर रहा है वैसा ही बच्चों एवं पागलों और जानवरों पर भी वही रहम काम कर रहा है। किन्तु न्याय के प्रकटन का समय यद्यपि न्याय की विशेषता हमेशा से है उस समय होता है जब ख़ुदा का कानून निकल कर अल्लाह की सृष्टि पर अपने समझाने के अन्तिम प्रयास को पूर्ण करे और अपना सच्चा कानून होना तथा ख़ुदा की ओर से होना सिद्ध कर दे। फिर इसके बाद जो व्यक्ति उसकी अवज्ञा करे तो वह पकड़ा जाएगा। यही तो मेरा प्रश्न था कि आप का प्रश्न रहम बिना बदले का तब उचित बैठता है कि रहम का प्रकटन तथा न्याय का प्रकटन के दोनों समय एक ही समय में समझे जाएं और उनमें हर जगह पर एक अनिवार्यता रखी जाए। परन्तु स्पष्ट है कि रहम का दायरा तो बहुत विशाल और चौड़ा है तथा वह प्रारंभ से जब से दुनिया प्रकटन में आई अपनी दानशीलता दिखा रहा है। फिर न्याय का दया (रहम) से क्या संबंध हुआ और एक-दूसरे से टकराव कैसे कर सकते हैं। आप के रहम बिना बदले का इसके अतिरिक्त कोई और ख़ुलासा नहीं समझता कि न्याय दण्ड को चाहता है। रहम माफ़ी एवं क्षमा को चाहता है। परन्तु जबकि रहम और न्याय अपने द्योतकों के समान और एक श्रेणी के न ठहरे तथा यह सिद्ध हो गया कि ख़ुदा तआला के रहम ने किसी की सच्चाई की

आवश्यकता नहीं समझी और प्रत्येक सदाचारी और दुराचारी पर उसकी कृपालुता (रहमानियत) से हमेशा से प्रभाव डालती चली आई है तो फिर यह क्योंकर सिद्ध हुआ कि ख़ुदा तआला दुराचारियों को लेशमात्र भी रहम का स्वाद चखाना नहीं चाहता। क्या प्रकृति का नियम जो हमारी दृष्टि के सामने पुकार-पुकार कर गवाही नहीं दे रहा कि **इस रहम के लिए** पाप और लापरवाही तथा कोताही बतौर रोक नहीं हो सकती और यदि हो तो पल भर भी एक मनुष्य का जीवन कठिन है। फिर जबकि रहम का यह सिलसिला इन्सानों की सच्चाई मासूमियत और भलाई के बिना दुनिया में पाया जाता है और प्रकृति का नियम स्पष्ट तौर पर उसकी गवाही दे रहा है। तो फिर उस से इन्कार कैसे कर दिया जाए तथा इस नए एवं प्रकृति के नियम के विरुद्ध आस्था पर क्योंकर ईमान लाया जाता है कि ख़ुदा तआला का रहम इन्सानों की सच्चाई से सम्बद्ध है। महा प्रतापी ख़ुदा ने पवित्र क़ुर्आन के कई स्थानों में उदाहरण के तौर पर वे आयतें प्रस्तुत की हैं, जिन से सिद्ध होता है कि रहम का सिलसिला समस्त सृष्टियों को लाभान्वित कर रहा है। अतः अल्लाह तआला फ़रमाता है-

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا
سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ (सूरः इब्राहीम-33 से 35)

फिर फ़रमाता है-

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٦﴾

(सूरः अन्नहल-6)

पुनः फ़रमाता है-

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا (सूरः अन्नहल-15)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ (सूरः अन्नहल-66)

इन समस्त आयतों से ख़ुदा तआला ने अपने पवित्र कलाम में प्रकृति के नियम का स्पष्ट सबूत दे दिया है कि उसका रहम बिना शर्त है किसी की सच्चाई की शर्त नहीं। हाँ अपराधों का सिलसिला ख़ुदा के कानून के निकलने से आरम्भहोता है जैसा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं और उसी समय न्याय की विशेषता के प्रकटन का समय आता है, यद्यपि न्याय एक ऐसी विशेषता है जो हमेशा से है। परन्तु आप कुछ अधिक विचार करेंगे तो समझ जाएँगे कि विशेषताओं के प्रकटन में दुर्घटनाओं के कारण अवश्य आगे-पीछे होती है। फिर जबकि गुनाह उस समय से आरम्भहुआ कि जब ख़ुदा की किताब दुनिया में उतरी और फिर उसने विलक्षण चमत्कारों एवं निशानों के साथ अपनी सच्चाई भी सिद्ध की तो फिर रहम बिना बदले के कहां रहा। क्योंकि रहम का सिलसिला तो पहले से ही **किसी की सच्चाई की शर्त के** बिना जारी है और जो गुनाह (पाप) ख़ुदा तआला की किताब ने प्रस्तुत किए वे शर्तों से प्रतिबंधित हैं,अर्थात् यह कि जिसको वे आदेश पहुंचाए गए हैं उस पर वे बतौर हुज्जत के डाले जाएँ और वह पागल और दीवाना भी न हो। आप मालिकियत पर यह जिरह करते हैं कि यदि मालिकियत को स्वीकार किया जाए तो सारा कारखाना अस्त-व्यस्त हो जाता है। अत: आप को सोचना चाहिए कि यह कारखाना अपनी मद के नीचे चल रहा है फिर अस्त-व्यस्त होने के क्या मायने हैं। उदाहरणतया जो व्यक्ति ख़ुदा तआला के कानून के विरुद्ध चल कर उसके कानूनी वादे के अनुसार किसी दण्ड का पात्र ठहरता है तो ख़ुदा तआला यद्यपि मालिक है कि उसको माफ़ कर दे, परन्तु अपने वादे की दृष्टि से जब तक वह व्यक्ति उन तरीकों से स्वयं को माफ़ी के यों न ठहरा दे जो ख़ुदा की किताब निर्धारित करती है तब तक वह पकड़ से बच नहीं सकता। क्योंकि वादा हो चूका है। परन्तु यदि ख़ुदा की किताब उदाहरण के तौर पर न उतरे या किसी तक न पहुँचे या उदाहरणतया वह बच्चा और दीवाना हो तो तब उसके साथ जो मामला किया जाएगा वह मालिकियत का मामला होगा। यदि यह नहीं तो फिर सख्त ऐतराज़ आता है कि क्यों छोटे छोटे बच्चे लम्बे समय तक भयानक कष्टों में ग्रस्त रहकर फिर मरते हैं, और क्यों

करोड़ों जानवर मारे जाते हैं। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई और उत्तर भी है कि वह मालिक है जो चाहता है करता है। फिर आप अपने पहले कथन पर हठ करके कहते हैं कि दुनिया में जो किसी की सिफ़ारिश से गुनाह माफ़ किए जाते हैं वह एक व्यवस्था से संबंधित बात है। अफ़सोस कि आप इस समय मुक़न्नन क्यों बन गए और तौरात की आयतों को क्यों निरस्त करने लगे। यदि केवल व्यवस्था से संबधित बात है और वास्तव में गुनाह माफ़ नहीं किए जाते तो तौरात से इस का सबूत देना चाहिए। तौरात स्पष्ट तौर पर कहती है कि हज़रत मूसा की सिफ़ारिश से कई बार गुनाह माफ़ किए गए और बाइबल के लगभग समस्त अध्याय ख़ुदा तआला के दयालु और बहुत अधिक क्षमाशील होने पर हमारे साथ सहमति रखते हैं। देखो यसइया 55/7, यरमिया 3/13, तवारीख ii 7/14, ज़बूर iv 32/5, अम्साल 28/13, इसी प्रकार लूक़ा 17/3,4 तथा लूक़ा 15/4 से 24, लूक़ा 10/25,28, मरकस 16/16 और पैदायश 6/7,9, अय्यूब 1/1, हिज़्क़ील 4/14, दानियाल 6/4, ज़ुबूर 130/3,4,7 ज़ुबूर 78/38, मीका 7/18

निष्कर्ष यह कि कहां तक लिखूं आप इन किताबों को खोल कर पढ़ें और देखें कि सबसे यही सिद्ध होता है कि रहम बिना बदले की कुछ आवश्यकता नहीं और हमेशा से ख़ुदा तआला विभिन्न माध्यमों से रहम करता चला आया है। फिर आप फ़रमाते हैं कि तौबा और ईमान बहर के फाटक हैं अर्थात् तौबा और ईमान के बावजूद फिर भी कफ़्फ़ारे की आवश्यकता है। यह आप का केवल दावा है जो इन समस्त किताबों के विपरीत है जिनके मैंने हवाले दे दिए। हाँ इतना सच है कि जैसे अल्लाह तआला ने इन्सान के ग़लती करने एवं दोषी होने के बावजूद अपने रहम को कम नहीं किया। ऐसा ही वह तौबा के स्वीकार करने के समय भी वही रहम दृष्टिगत रखता है और फ़ज़्ल (कृपा) के मार्ग से इन्सान की थोड़े से प्रयास को पर्याप्त समझ कर स्वीकार कर लेता है। उसकी इस आदत को यदि दूसरे शब्दों में फ़ज़्ल (कृपा) के साथ ताबीर कर दें और यह कह दें कि मुक्ति फ़ज़्ल (कृपा) से है तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि जैसे एक ग़रीब और असहाय इन्सान एक फूल तोहफ़े के तौर पर बादशाह की सेवा

में ले जाए और बादशाह अपनी असीम अनुकम्पाओं से तथा अपनी हैसियत को देखते हुए उसे वह इनाम दे जो फूल की मात्रा से हज़ारहा बल्कि करोड़ों गुना बढ़कर है तो यह कुछ असंभव बात नहीं है। ऐसा ही ख़ुदा तआला का मामला है। वह अपने फ़ज़्ल के साथ अपनी शान-ए-ख़ुदावन्दी के अनुसार एक अधम, तिरस्कृत भिखारी को स्वीकार कर लेता है। जैसा कि देखा जाता है कि दुआओं का स्वीकार होना भी फ़ज़्ल ही पर आधारित है, जिससे बाइबल भरी हुई है। फिर आप फ़रमाते हैं- कि यद्यपि मसीह में और कुछ भी अधिकता नहीं केवल एक इन्सान है जैसे अन्य इन्सान हैं और ख़ुदा तआला उस से वही सामान्य प्रकार का संबंध रखता है जो अन्यों से रखता है। परन्तु कफ़्फ़ारे से और मसीह के आसमान पर जाने से तथा उसके बिना बाप पैदा होने से उसकी विशिष्टता सिद्ध होती है। इस कथन से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या दावों को प्रस्तुत करना आपकी कुछ आदत है। हम लोग इस बात को कब मानते हैं कि मसीह जीवित हो उठा। हाँ हज़रत मसीह का मृत्यु पा जाना पवित्र क़ुर्आन के कई स्थानों में सिद्ध है परन्तु यदि जीवित हो उठने से रूहानी (आध्यात्मिक) जीवन अभिप्राय है तो इस प्रकार से समस्त नबी जीते हैं मुर्दा कौन है, क्या इंजील में नहीं लिखा कि हवारियों ने हज़रत मूसा और इल्यास को देखा और ऐसा कहा कि हे उस्ताद! यदि फरमाएं तो आप के लिए अलग तम्बू और मूसा के लिए अलग तम्बू तथा इल्यास के लिए अलग खड़ा किया जाए। फिर यदि हज़रत मूसा मुर्दा थे तो दिखाई कैसे दे गए। क्या मुर्दे भी उपस्थित हो जाया करते हैं। फिर उसी इंजील में लिखा हुआ है कि लआज़र मरने के बाद हज़रत इब्राहीम की गोद में बिठाया गया अगर हज़रत इब्राहीम मुर्दा थे तो क्या मुर्दे की गोद में बिठाया गया। स्पष्ट रहे कि हम हज़रत मसीह के इस जीवन की विशेषता को हरगिज़ नहीं मानते, बल्कि हमारा यह मत किताब और सुन्नत के अनुसार है जो हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सब से अधिक शक्तिशाली एवं उच्चतम जीवन रखते हैं अन्य किसी नबी का ऐसा उच्च स्तर का जीवन नहीं है जैसा आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का। अत: मैंने कई बार आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इसी जागने

की अवस्था में देखा है, बातें की हैं, मसअले पूछे हैं। यदि हज़रत मसीह जीवित हैं तो क्या कभी किसी ने आप लोगों में से जागने की अवस्था में उनको देखा है। फिर आपका यह फ़रमाना कि आंहज़रत मसीह रूहुल-क़ुदुस के उतरने से पहले ख़ुदा के द्योतक नहीं थे। यह इक़्बाली (स्वीकारिता) डिग्री है। आप ने मान लिया है कि तीस वर्ष तक तो हज़रत मसीह शुद्ध इन्सान थे द्योतक इत्यादि का नाम-व-निशान न था। फिर तीस वर्ष के बाद जब रूहुल-क़ुदुस कबूतर का रूप लेकर उनमें उतरा तो फिर ख़ुदा के द्योतक (मज़्हर) बने। मैं यहां इस समय धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन हमें विजय प्राप्त हुई कि आप ने स्वयं इक़रार कर लिया कि तीस वर्ष तक हज़रत मसीह ख़ुदा के द्योतक होने से वंचित रहे, केवल इन्सान थे। अब इसके बाद यह दावा करना कि फिर कबूतर उतरने के बाद ख़ुदा के द्योतक बन गए। यह दावा दर्शकों के ध्यान योग्य है क्योंकि यदि रूहुल-क़ुदुस का उतरना इन्सान को ख़ुदा और ख़ुदा का द्योतक बना देता है तो हज़रत यह्या, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूसुफ़, हज़रत यूशा बिन नून और कुल हवारी ख़ुदा ठहर जाएँगे। फिर आप फ़रमाते हैं कि क्या साक्षात होने से भार वाला हो सकता है। यह विचित्र प्रश्न है। क्या आप कोई ऐसा शरीर प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसे शरीर तो कहा जाए परन्तु शारीरिक सामानों से बिल्कुल खाली हो। परन्तु शुकरिया, यह तो आप ने स्वीकार कर लिया कि आप के बाप, बेटा और रूहुल-क़ुदुस तीनों साक्षात हैं। फिर आप कहते हैं एकता में अनेकता और एकता में कोई विरोधाभास नहीं एक जगह पाई जाती हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न तरफों की दृष्टि से यह आपका उत्तर ख़ूब है। प्रश्न तो यह था कि इन दोनों में से आप वास्तविक किसको मानते हैं? आप ने इस का कुछ भी उत्तर न दिया। फिर आप दावे के तौर पर फ़रमाते हैं कि आसमान के नीचे दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मुक्ति हो तथा यह भी कहते हैं कि मसीह गुनाह से पवित्र था और दूसरे नबी गुनाह से पवित्र नहीं, परन्तु आश्चर्य कि हज़रत मसीह ने किसी स्थान में नहीं फ़रमाया कि मैं ख़ुदा तआला के सामने हर एक दोष तथा हर एक ग़लती से पवित्र हूं और हज़रत मसीह का यह कहना कि तुम में से कौन मुझ पर इल्ज़ाम

लगा सकता है यह अलग बात है जिस का मतलब यह है कि तुम्हारे मुकाबले पर और तुम्हारे इल्ज़ाम से मैं अपराधी और झूठा नहीं ठहर सकता, परन्तु ख़ुदा तआला के सामने हज़रत मसीह स्पष्ट तौर पर अपने दोषी होने का इक़रार करते हैं। जैसा कि मती अध्याय-19 से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने नेक (अच्छा) होने से इन्कार किया। फिर आप फ़रमाते हैं कि क़ुर्आन और इंजील दोनों ख़ुदा का कलाम हो कर फिर दो भिन्न तरीके मुक्ति के क्यों वर्णन करते हैं। इसका उत्तर यह है कि क़ुर्आन के विपरीत इंजील के हवाले से जो तरीका वर्णन किया जाता है वह केवल आपका निर्मूल (बे बुनियादी) विचार है। आप ने अब तक सिद्ध करके नहीं दिखाया कि इंजील में तो हज़रत मसीह का कहना है न व्यापक न शब्दों में कहीं तस्लीस का शब्द मौजूद है और न रहम बिना बदले का पवित्र क़ुर्आन के सत्यापन के लिए वे हवाले पर्याप्त हैं जो अभी हम ने प्रस्तुत किए हैं जबकि क़ुर्आन और पुराना अहदनामः तथा नया अहदनामः के बहुत से कथन सहमति के साथ आप के कफ़्फ़ारे के विपरीत ठहरे हैं। अत: आपको कम से कम यह कहना चाहिए कि इस आस्था में आप को बोधभ्रम हो गया है। क्योंकि एक इबारत के अर्थ करने में इन्सान कभी धोखा भी खा जाता है, जैसा आप फ़रमाते हैं कि आप के भाइयों रोमन कैथोलिक और युनिटेरियन ने इंजील के समझने में धोखा खाया है और वे दोनों सदस्य आपको धोखा पर समझते हैं। फिर जब घर में ही फूट है तो फिर आप का सहमति वाले मामले को छोड़ देना तथा मत-भेद वाली ख़बर को पकड़ लेना कब वैध है।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

दसवां पर्चा

मुबाहसा 1, जून 1893 ई.

वृत्तान्त

आज फिर जल्सा आयोजित हुआ और डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 6 बजकर 08 मिनट पर प्रश्न लिखाना आरम्भकिया और 7 बजकर 40 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। इसके बाद मिर्ज़ा साहिब ने 8 बजकर 01मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भकिया और 9 बजकर 01 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। इसके बाद डिप्टी साहिब ने 9 बजकर 27 मिनट पर आरम्भकिया और 10 बजकर 06 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। इसके बाद लेखों पर दोनों सभापतियों के हस्ताक्षर होकर जल्सा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब 1 जून 1893 ई.

मैंने दूसरे पक्ष के कल के बयानों में दो अद्भुत एवं विचित्र आवाज़ें सुनी हैं। अर्थात् एक यह कि जैसे मैंने आप की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। दूसरे यह कि जैसे मैंने इक़्बाल (स्वीकार) किया है कि ख़ुदाई के दूसरे उक़्नूम से मसीह की इन्सानियत तीस वर्ष तक खाली रही है। यदि यह बोधभ्रम है तो इन दो बातों का सुधार मैं इस समय करता हूं। पहली ग़लती का मेरा उत्तर यह है कि कल के मुबाहसे के छपने के बाद वह जनता के सामने रखा जाएगा कि न्याय प्रिय लोग स्वयं ही फैसला कर लेंगे कि मैंने उत्तर नहीं दिया या कि दूसरे सदस्य ने उत्तर नहीं दिया। दूसरे बारे में मेरा उत्तर यह था कि मसीहियत में द्योतक होने की

विशिष्टता उस समय प्रकट हुई कि जब वह बपतस्मा पाकर यरदन में से निकला और जिस समय यह आवाज़ आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है, मैं उस से राज़ी हूं तुम उसकी सुनो। उस समय से वह मसीह हुआ। अत: इन दोनों आवाजों को मैं फूटे ढोल या फटे नगाड़े के समान ठहराता हूं।

द्वितीय- दूसरे सदस्य ने निश्चय ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि ख़ुदा के न्याय की मांग कैसे पूरी हुई और न उसके न्याय का कुछ ध्यान रखा। इसलिए मैं इस प्रश्न पर और कुछ न कहता हूं न सुनता हूं। शेष जो मेरे प्रश्न हैं उनको प्रस्तुत करता हूं। उन सब प्रश्नों में से मेरा पहला प्रश्न यह है-

يَقُوۡلُوۡنَ هَلۡ لَّنَا مِنَ الۡاَمۡرِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡاَمۡرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ

(सूर: आले इमरान-155)

कहते हैं कुछ भी काम है हमारे हाथ तू कह कि सब काम हैं अल्लाह के हाथ

इंजील में ऐसा तो लिखा है कि **परी व लज** जिसका अनुवाद क़रीब-करीब शब्द वुसअत (विस्तार) से हो सकता है। ख़ुदा की ओर से प्रदान किए जाते हैं। अत: किसी को सम्मान का पात्र या अंग बनाया गया है और किसी को अपमान का, फिर किसी को सेव्य होना प्रदान किया गया है और किसी को सेवक होना, परन्तु नर्क किसी को नहीं दिया गया और न किसी को तबाह हुआ ठहराया गया है। और फिर यह भी लिखा है कि फ़िरऔन को इसलिए बरपा होने दिया गया। (असल शब्द है बरपा किया गया, अभिप्राय इसका यह है बरपा होने दिया गया) ताकि उसमें ख़ुदा की विशेषताओं का प्रताप अधिक हो, किन्तु यह नहीं लिखा कि मनुष्य को कुछ भी अधिकार नहीं। तथापि उसके कर्मों पर पकड़ है। अत: क़ुर्आन और इंजील की शिक्षा में यह अन्तर है कि क़ुर्आन तो इन्सानी अधिकार के विपरीत शिक्षा देता है और इंजील परीविल्जों में और परमिश्नों में अधिकृत इन्सान का अधिकार का कार्य विपरीत नहीं करती और यद्यपि क़ुर्आन ने जब्र के साथ क़द्र भी है। परन्तु ये दोनों परस्पर सहमत नहीं हो सकते।

तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब क़ुर्आन की सूर: तौबा-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۲۹﴾ (सूर: अत्तौबा-29)

में यों लिखा है कि क़त्ल करो उनको जो अल्लाह और क़यामत के दिन को नहीं मानते और न हराम करते उस चीज़ को अपने ऊपर जिसको अल्लाह और रसूल ने हराम (अवैध) किया उन सबके साथ जो अहले किताब हैं। जब तक देते रहें जिज़्या (टैक्स) अपने हाथों से और ज़लील रहें।

इसमें ईमान बिल जब्र का हमारा इल्ज़ाम है। मूसा के जिहाद अन्य प्रकार के थे उनमें से अमान (सुरक्षा) ईमान पर आधारित कोई न दिखला सकेगा और यहाँ कथित आयत में न प्रतिरक्षा का जिहाद है न प्रतिशोध का जिहाद न प्रबन्धन का जिहाद बल्कि वह जिहाद है कि जो क़ुर्आन के सिद्धांत को न माने वह मारा जाए। इसी का नाम है ईमान बिल जब्र। हमारे आदरणीय सर सय्यद अहमद खान बहादुर ने जिहाद बिल जब्र को नही माना। उनका कहना यह है कि या मानो या मरो या जिज़्या देते रहकर जीवित रहो, परन्तु तीसरी शर्त के बारे में अर्थात् जिज़्या कि हमारा प्रश्न उन यह है कि अहले किताब के बारे में इस शब्द को क्यों लिखा مِنَ الَّذِيْنَ में मिन (مِنْ) का शब्द अधिक है और अहले किताब का शब्द उसके सारी मूल इबारत से अलग है। फिर क्या यह ख़ुश फ़हमी (सुधारणा) नहीं कि इस तीसरी शर्त को भी सार्वजनिक ठहरा दिया जाए और वह साहिब यह भी फ़रमाते हैं कि वाक्य

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (सूर: अलबक़रह-257)

से ईमान बिलजब्र (बल पूर्वक) का सारा इल्ज़ाम असत्य हो जाता है, परन्तु यदि हम दिखला सकें कि क़ुर्आन में यह आदेश भी है कि हे मुसलमानो! जब तुम्हारे सामने कोई सफ़ेदपोश आए और तुम को सलाम अलैक करे तो तुम उसके कपडे उतार लेने के लिए यों मत कहो कि तू मक्कार है वास्तव में मुसलमान

नहीं। ख़ुदा तुमको और तरह से बहुत दौलत दे देगा, तो क्या यह ज़बरदस्ती नहीं कि मक्कारी के इल्ज़ाम से उसके कपडे उतार लें और क्या यह नीति के विरुद्ध नहीं जो धर्म की उन्नति को रोक देता है। इस उपाय पर इसी प्रकार और भी कुछ भाग इस बात के हैं जो विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हो सकते हैं जिनके प्रस्तुत होने पर हम उसका उत्तर देंगे।

तृतीय- क़ुर्आन की शिक्षाओं का नमूना यह है जो ऊपर वर्णन हुआ जिस पर चमत्कारों का हल्का सा पर्दा भी कुछ नहीं जो कुछ धोखा दे सके। अत: **मुहम्मद साहिब** को चमत्कार वाला होने का स्पष्ट इन्कार है। कुछ मुहम्मदी लोग

(सूर: अलबक़रह-24) فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

में सरस और सुबोध होने का एक बड़ा चमत्कार वर्णन करते हैं परन्तु किस बात में उदाहरण मांगा जाता है। इस आयत में उसका कुछ वर्णन नहीं। सरस और सुबोध होने का दावे का क़ुर्आन में कहीं शब्द तक नहीं। संभवत: क़ुर्आन का अभिप्राय इस दावे में यह है कि आज जा कर क़ुर्आन पहले नबियों की किताबों का खुलासा है जिनको ख़ुदा के अतिरिक्त कोई सृष्टि (मख़्लूक) नहीं बना सकता था। इसलिए वह भी अर्थात् क़ुर्आन अद्वितीय है अर्थात् उसमें पवित्र शिक्षाओं का दावा है, सरस और सुबोध होने का नहीं बल्कि सरस एवं सुबोध होने का नहीं बल्कि सरस एवं सुबोध होने के विपरीत क़ुर्आन में यों भी लिखा है कि वह सरल किया गया अरबी भाषा में अहले अरब के लिए। और जो सरसता एवं सुबोधता बिल्कुल नवीन हो तो वह आग्रह की मुहताज हो जाती है और सरलता के विपरीत आसान नहीं रहती। और यह भी स्मरण रहे कि क़ुर्आन के अनुसार **मुहम्मद साहिब** अनपढ़ मात्र न थे बल्कि क़ुर्आन में यों लिखा है कि जो अहले किताब नहीं वह अनपढ़ है और वास्तव में इब्रानी और यूनानी विद्या आंजनाब को प्राप्त मालूम नहीं होती और यह भी स्मरण रहे कि किताब का शब्द क़ुर्आन की परिभाषा में सामान्य तौर पर इल्हामी किताब के अर्थ में है। किताब सांसारिक नहीं।

चतुर्थ- आपने मेरे कल के एक प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया जिसमें मेरा

पूछना था कि मसीह का जन्म चमत्कार ही था या नहीं अर्थात् उसका बाप नहीं था या था। फ़रिश्ता विशेषत: जिब्राईल आप की मां मरयम के पास ख़ुशख़बरी लाए थे या नहीं और वह जो आप अपनी रिवायत की चर्चा करते हैं कि **मुहम्मद साहिब** से वार्तालाप करके आए हैं। हमारे नज़दीक इसका सबूत आप के पेशवा के मे'राज से कुछ अधिक नहीं मालूम होता और यह भी हमारा पूछना है कि आप युनिटेरियों और कैथलिक को हमारे ऊपर हाकिम क्यों बनाते हैं। वे मसीही तो कहलाते हैं परन्तु हम उनको बुरे मायने में मसीही कहते हैं। हमारे आर्च बिशप डिप्टी साहिब ने जब इस प्रकार पर घेरा खींचा कि मसीह का धर्म कहां तक प्रभावी है तो उन्होंने तो अहले इस्लाम को भी मसीहीयों में गिना है और इसके तर्क क़ुर्आन से दिए हैं परन्तु हम उनको सही मसीही नहीं मान सकते। (शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

1, जून 1893 ई.

डिप्टी साहिब पहले यह फ़रमाते हैं कि मैंने इस बात का इक़्बाल नहीं किया कि दूसरा उक़्नूम अर्थात् हज़रत मसीह तीस वर्ष तक ख़ुदा का द्योतक होने से खाली रहे। इसके उत्तर में केवल डिप्टी साहिब महोदय की इबारत 31 मई 1893 ई. की लिखित इबारत को सामने रख देना पर्याप्त है और वह यह है-

षष्टम- आप जो पूछते हैं कि ख़ुदा का द्योतक मसीह रूहुल-क़ुदुस के उतरने के बाद हुए या उसके बाद। यहां पर हमारा उत्तर काल्पनिक है कि रूहुल-क़ुदुस के उतरने के समय हुए। अब सोचने वाले समझ सकते हैं कि इस इबारत के क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी मायने हो सकते हैं कि हज़रत मसीह रूहुल-क़ुदुस के उतरने से पहले जो कबूतर के रूप में उन पर उतरा ख़ुदा के द्योतक नहीं थे, बाद में ख़ुदा के द्योतक बने। फिर जब ख़ुद के द्योतक का डिप्टी

साहिब महोदय ने बिना किसी अपवाद के बिल्कुल इन्कार कर दिया। तो क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी मायने हो सकते हैं कि हज़रत मसीह कबूतर उतरने से पहले केवल इन्सान थे। क्योंकि ख़ुदा के द्योतक का शब्द किसी विभाजन एवं विश्लेषण के योग्य नहीं और उनकी इबारत से यह हरगिज़ नहीं निकलता कि गुप्त तौर पर पहले ख़ुदा के द्योतक थे और फिर ऐलान के तौर पर हो गए। वह तो साफ़ फ़रमा रहे हैं कि रूहुल-क़ुदुस के बाद ख़ुदा के द्योतक हुए। अब यह दूसरा बयान पहले बयान का विवरण नहीं है बल्कि उसके बिल्कुल विरुद्ध है और उसका विपरीत पड़ा हुआ है और इक़रार के बाद इन्कार करना न्याय प्रिय (लोगों) का काम नहीं। निस्सन्देह वह इक़रार कर चुके हैं कि हज़रत मसीह तीस वर्ष तक ख़ुदा के द्योतक होने से बिल्कुल अपरिचित और वंचित थे क्योंकि हमारा प्रश्न था कि रूहुल-क़ुदुस के उतरने से पहले ख़ुदा के द्योतक थे या उसके बाद हुए। तो आप ने निश्चित तौर पर 'बाद' को अपनाया और स्पष्ट तौर पर इक़रार कर लिया कि बाद में ख़ुदा के द्योतक बने। अब इसमें अधिक बहस की आवश्यकता नहीं। जब जनता में यह प्रश्न फैलेगा और पब्लिक के सामने आएगा तो लोग स्वयं समझ लेंगे कि डिप्टी साहिब ने यह इक़रार के बाद इन्कार किया है या कोई और रूप है और अब वह यह भी इक़रार करते हैं कि इस बारे में जो कुछ हमने कहना था वह कह दिया। इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे, परन्तु अफ़सोस कि उन्होंने सत्यनिष्ठों का यह मार्ग नहीं अपनाया। मालूम होता है कि उनको दूसरों की प्रेरणा और आलोचना से बाद में चिन्ता हुई कि हमारे इस कथन से मसीह का इन्सान होना और ख़ुदा के द्योतक से तीस वर्ष तक खाली होना सिद्ध हो गया तो फिर इस मुसीबत के सामने आने के कारण आज उन्होंने यह अधम तावील प्रस्तुत की, परन्तु वास्तव में यह तावील नहीं बल्कि साफ़-साफ़ और खुले-खुले शब्दों में इन्कार है। फिर इसके बाद डिप्टी साहिब फ़रमाते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया अर्थात् न्याय की मांग क्योंकर पूरी हो। मैंने कल के बयान में स्पष्ट लिखा दिया था कि आप का यह दावा कि रहम (दया) और न्याय दोनों साथ-साथ और ख़ुदा तआला के लिए एक ही समय में

अनिवार्य पड़े हैं, यह ग़लत विचार है। फिर पुनः लिखता हूं कि रहम प्रकृति के नियम की गवाही से प्रथम श्रेणी पर है और शाश्वत और सामान्य मालूम होता है। परन्तु न्याय की वास्तविकता ख़ुदा के कानून के उतरने के बाद तथा वादे के बाद निश्चित होती है अर्थात् वादे के पहले न्याय कुछ भी चीज़ नहीं। उस समय तक मालिकियत काम करती है। यदि वादे से पहले न्याय कुछ चीज़ है तो डिप्टी साहिब हमारे कल के प्रश्न का थोड़ा सतर्क होकर उत्तर दें कि हज़ारों इन्सानों के बच्चे पक्षी और चौपाए तथा कीड़े-मकोड़े अकारण मार दिए जाते हैं। वे न्याय की हमेशा रहने वाली विशेषता के बावजूद क्यों किए जाते हैं। और आप के नियम के अनुसार उनके संबंध में न्याय क्यों नहीं किया जाता है असल बात यह है कि ख़ुदा तआला पर किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। इन्सान अपने अधिकार से स्वर्ग को भी नहीं पा सकता, केवल वादे से यह श्रेणी आरम्भहोती है। जब ख़ुदा की किताब उतर चुकी होती है और उसमें वादे भी होते हैं और अज़ाब के वादे भी होते हैं तो अल्लाह तआला अपने अज़ाब के वादे को दृष्टिगत रखते हुए हर एक अच्छे और बुरे से मामला करता है, और जबकि न्याय स्वयं में कुछ भी चीज़ नहीं बल्कि अज़ाब के वादे पर कुल आधार है और ख़ुदावन्द तआला के मुकाबले पर किसी चीज़ का कोई भी अधिकार नहीं तो फिर न्याय क्योंकर रखा जाए। न्याय का अर्थ इस बात को अवश्य चाहता है कि प्रथम दोनों तरफों में अधिकार ठहरा दिए जाएँ। परन्तु सृष्टि का ख़ुदा तआला पर जिसने नास्ति मात्र से उसको पैदा किया कोई अधिकार नहीं अन्यथा एक कुत्ता उदाहरणतया कह सकता है कि मुझे बैल क्यों नहीं बनाया और बैल कह सकता है कि मुझे इन्सान क्यों नहीं बनाया और चूंकि यह जानवर इसी दुनिया में नर्क का नमूना भुगत रहे हैं। यदि न्याय ख़ुदा तआला पर एक अनिवार्य विशेषता थोप दी जाए तो ऐसा कठोर ऐतराज़ होगा कि जिसका उत्तर आप से किसी प्रकार से न बन पड़ेगा। फिर आप ने जब्र क़द्र का ऐतराज़ प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि क़ुर्आन से जब्र सिद्ध होता है। इस के उत्तर में स्पष्ट हो कि कदाचित आप की दृष्टि से ये आयतें नहीं गुज़रीं जो इन्साफ के कमाने और अधिकार को स्पष्ट तौर पर सिद्ध

करती हैं और वे ये हैं-

(सूरः अन्नज्म-40) وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی

कि इन्सान को वही मिलता है जो कोशिश करता है जो उसने कोशिश की हो अर्थात् अमल करना प्रतिफल पाने के लिए आवश्यक है। फिर फ़रमाता है-

وَ لَوۡ یُؤَاخِذُ اللّٰہُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوۡا مَا تَرَکَ عَلٰی ظَہۡرِہَا مِنۡ دَآبَّۃٍ

(सूरः फ़ातिर-46)

अर्थात् ख़ुदा यदि लोगों के कर्मों पर जो अपने अधिकार से करते हैं उनको पकड़ता तो पृथ्वी पर चलने वाला कोई न छोड़ता। और फिर फ़रमाता है-

(सूरः अलबक़रह-287) لَہَا مَا کَسَبَتۡ وَ عَلَیۡہَا مَا اکۡتَسَبَتۡ

उसके लिए जो उसने काम अच्छे किए और उस पर जो उसने बुरे काम किए। फिर फ़रमाता है-

(सूरः हा मीम अस्सज्दह-47) مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفۡسِہٖ

जो व्यक्ति अच्छा काम करे वह उसके लिए और जो व्यक्ति बुरा काम करे वह उसके लिए। फिर फ़रमाता है-

(सूरः अन्निसा-63) فَکَیۡفَ اِذَاۤ اَصَابَتۡہُمۡ مُّصِیۡبَۃٌۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡہِمۡ

अर्थात् किस प्रकार जिस समय पहुँचे उनको मुसीबत उन कर्मों के कारण जो उनके हाथ कर चुके हैं।

अब देखिए इस समस्त आयतों से भी सिद्ध होता है कि इन्सान अपने कामों में अधिकार भी रखता है। यहां डिप्टी साहिब ने जो यह आयत प्रस्तुत की है-

(सूरः आले इमरान-155) یَقُوۡلُوۡنَ ہَلۡ لَّنَا مِنَ الۡاَمۡرِ مِنۡ شَیۡءٍ

और इससे उनका उद्देश्य यह है कि इससे जब्र (ज़बरदस्ती) सिद्ध होता है यह उनका बोधभ्रम है। वास्तव में बात यह है कि امر के अर्थ आदेश और हुकूमत के हैं और यह कुछ उन लोगों का विचार था जिन्होंने कहा कि काश यदि हुकूमत में हमारा अधिकार होता तो हम ऐसी युक्तियाँ करते जिस से यह कष्ट जो उहद के युद्ध में हुआ है वह न होता। इसके उत्तर में अल्लाह

तआला फ़रमाता है -

(सूर: आले इमरान-155) قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

अर्थात् सम्पूर्ण امر अल्लाह तआला के अधिकार में है। तुम्हें अपने रसूले करीम का अधीन रहना चाहिए। अब देखना चाहिए कि इस आयत को क़द्र से क्या संबंध है। प्रश्न तो केवल कुछ लोगों का इतना था कि यदि हमारी सलाह और मशवरा लिया जाता तो हम उसके विपरीत सलाह दें तो अल्लाह तआला ने उनको मना किया कि इस امر की विवेचन पर बुनियाद नहीं, यह तो अल्लाह तआला का आदेश है। फिर इसके बाद स्पष्ट रहे कि तक़्दीर (प्रारब्ध) के अर्थ केवल अनुमान करना है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

(अलफुर्कान-3) وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿۳﴾

अर्थात् हर एक चीज़ को पैदा किया तो फिर उसके लिए एक निश्चित अनुमान ठहरा दिया। इस से कहां सिद्ध होता है कि इन्सान अपने अधिकारों से रोका गया है बल्कि वे अधिकार भी उसी अनुमान में आ गए जब ख़ुदा तआला ने मानवीय प्रकृति तथा मानवीय आदत का अनुमान किया तो उसका नाम तक़्दीर रखा और इसी में यह निर्धारित किया कि अमुक सीमा तक अपने अधिकार को बरत सकता है। यह बहुत बड़ा बोधभ्रम है कि तक़्दीर के शब्द को इस प्रकार से समझा जाए कि जैसे इन्सान अपने ख़ुदा की प्रदान की हुई शक्तियों से वंचित रहने के लिए विवश किया जाता है। इस स्थान पर तो एक घड़ी का उदाहरण ठीक आता है कि घड़ी का बनाने वाला जिस सीमा तक उसका दौरा निर्धारित करता है उस सीमा से अधिक वह नहीं चल सकती। यही इन्सान का उदाहरण है कि जो शक्तियां उसे दी गई हैं उनसे अधिक वह कुछ कर नहीं सकता, और जो उम्र दी गई है उस से अधिक जीवित नहीं रह सकता। और यह प्रश्न कि ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन में जब्र के तौर पर कुछ को नारकी ठहरा दिया है और अकारण उन पर शैतान का अधिकार अनिवार्य तौर पर रखा गया है। यह एक शर्मनाक ग़लती है। अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है-

(सूरः अल हिज्र-43) اِنَّ عِبَادِیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہِمۡ سُلۡطٰنٌ

कि हे शैतान मेरे बन्दों पर तेरा कुछ भी अधिकार नहीं। देखिए किस प्रकार से अल्लाह तआला इन्सान की आज़ादी प्रकट करता है। न्यायवान के लिए यदि दिल में कुछ इन्साफ रखता हो तो यही आयत पर्याप्त है। परन्तु इंजील मती से तो इसके विपरीत सिद्ध होता है, क्योंकि इंजील मती से बात ठोस सबूत पर पहुंचती है कि शैतान हज़रत मसीह को आज़मायश के लिए ले गया। अत: यह एक प्रकार की शैतान की हुकूमत ठहरी कि एक पवित्र नबी पर उसने इतना जब्र किया कि वह कई स्थान पर उसको लिए फिरा, यहां तक कि अपमान करते हुए उसे यह भी कहा कि तू मुझे सज्दा कर, और एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया तथा दुनिया की सारी बादशाहतें और उनके वैभव एवं प्रतिष्ठाएं दिखलाईं। देखो मती 4/18 और फिर ध्यानपूर्वक देखो कि इस स्थान पर शैतान क्या बल्कि ख़ुदाई जल्वा दिखलाया गया है कि प्रथम वह भी अपनी इच्छा से मसीह की इच्छा के विरुद्ध उसे एक पहाड़ पर ले गया और दुनिया की बादशाहतें दिखा देना ख़ुदा तआला के समान उसकी शक्ति में ठहरा। इसके बाद स्पष्ट हो कि यह बात जो आपके विचार में जम गई है कि जैसे पवित्र क़ुर्आन ने अकारण कुछ लोगों को नर्क के लिए पैदा किया है या अकारण दिलों पर मुहरें लगा देता है। यह इस बात पर सबूत है कि आप लोग कभी इन्साफ की पवित्र दृष्टि के साथ पवित्र क़ुर्आन को नहीं देखते। देखो अल्लाह तआला क्या फ़रमाता है-

(सूरः साद-86) لَاَمۡلَـَٔنَّ جَہَنَّمَ مِنۡکَ وَ مِمَّنۡ تَبِعَکَ مِنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۸۶﴾

अर्थात् शैतान को संबोधित करके कहता है कि मैं नरक को तुझ से और उन लोगों से जो तेरा अनुकरण करें भरूँगा।

देखिए इस आयत से साफ़ तौर पर खुल गया। अल्लाह तआला का यह उद्देश्य नहीं है कि अकारण लोगों को जब्र के तौर पर नर्क में डाले, बल्कि जो लोग अपने बुरे कर्मों से नर्क के योग्य ठहरें उनको नर्क में गिराया जाएगा।

और फिर फ़रमाता है-

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ﴿۲۷﴾

(सूरः अलबक़रह-27)

अर्थात् बहुत से लोगों को इस कलाम से गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है। परन्तु गुमारह उनको करता है जो गुमराह होने का काम करते हैं और पापों वाली चालें चलते हैं अर्थात् मनुष्य अपने ही कर्मों का परिणाम ख़ुदा तआला से पा लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति सूर्य के सामने की खिड़की जब खोल देता है तो एक कुदरती और स्वाभाविक बात है कि सूर्य का प्रकाश और उसकी किरणें उसके मुंह पर पड़ती हैं, परन्तु जब वह उस खिड़की को बंद कर देता है तो अपने ही कर्म से अपने लिए अंधकार पैदा कर लेता है। चूंकि ख़ुदा तआला कारणों का कारण (अर्थात् मुख्य कारण) है अपने कारणों के कारण होने कारण उन दोनों कर्मों को अपनी ओर सम्बद्ध करता है, परन्तु अपने पवित्र कलाम में उसने अनेक बार स्पष्ट तौर पर फ़रमा दिया है कि किसी के दिल में जो गुमराही के प्रभाव पड़ते वे उसके दुष्कर्मों का परिणाम होते हैं। अल्लाह तआला उस पर कोई ज़ुल्म नहीं करता जैसा कि फ़रमाता है-

(सूरः अस्सफ़्फ़-6) فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۭ

अतः जब वे टेढ़े हो गए तो अल्लाह तआला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। फिर दूसरे स्थान में फ़रमाता है-

(सूरः अलबक़रह-11) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ

उनके दिलों में रोग था, ख़ुदा तआला ने उस रोग को अधिक किया अर्थात् परीक्षा में डालकर उसकी वास्तविकता प्रकट कर दी।

फिर फ़रमाता है-

(सूरः अन्निसा-156) بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

अर्थात् ख़ुदा तआला ने उनकी बेईमानियों के कारण उनके दिलों पर मुहरें लगा दीं। परन्तु यह जब्र का ऐतराज़ यदि हो सकता है तो आपकी पवित्र किताबों पर होगा। देखो ख़ुरूज 4/21, ख़ुदा ने मूसा को कहा- मैं फ़िरऔन का दिल कठोर करूंगा और जब कठोर हुआ तो उसका परिणाम नर्क है या कुछ

और है। देखो ख़ुरूज 7/3, अम्साल 16/4 फिर ख़ुरूज 10/3, इस्तिस्ना 29/4 ख़ुदा ने तुमको वह दिल जो समझे और वे आंखें जो देखें और वे कान जो सुनें आज तक न दिए। अब देखिए जब्र का कैसा स्पष्ट उदाहरण है। फिर देखो ज़बूर 148/6 उसने एक निश्चित प्रारब्ध (तक़्दीर) का जो टल नहीं सकता। रूमियाँ 9/20 कारीगरी का कारीगर पर ऐतराज़ नहीं कर सकते। अब इन समस्त आयतों से आप का ऐतराज़ उलट कर आप ही पर पड़ा और फिर इसके बाद आपने जिहाद पर ऐतराज़ कर दिया है परन्तु यह ऐतराज़ शास्त्रार्थ (मुनाजरः) की पद्धति का बिल्कुल विरोधी है और आप की शर्तों में भी यही लिखा था कि प्रश्न क्रमानुसार होंगे। इसके अतिरिक्त क्या मतलब था कि पहले प्रश्न का उत्तर हो जाए तो फिर दूसरा प्रस्तुत हो तथा बहस की दीवानगी न हो। आप के पहले प्रश्न का उत्तर जो आप ने न्याय पर किया कुछ परिणाम रह गया था वह यह है कि आप के इस स्वयं निर्मित कानून को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तोड़ते हैं, क्योंकि वह हमारे बयान के अनुसार मुक्ति का आधार वादों पर रखते हैं और ख़ुदा के आदेश जिन का प्रतिफल वादे के तौर पर वर्णन किया गया प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वह फ़रमाते हैं कि- "मुबारक वे जो शोकग्रस्त हैं क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे मुबारक वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया (रहम) की जाएगी मुबारक वे जो पवित्र हृदय हैं क्योंकि वे ख़ुदा को देखेंगे।"

अब आप क्या कहते हैं कि ये वादे जो शोकग्रस्त और दयालुओं और पवित्र हृदयों के लिए वादा किए गए थे ये पूरे होंगे या नहीं। यदि पूरे होंगे तो इस जगह तो किसी कफ़्फ़ारे की चर्चा तक भी नहीं और यदि पूरे नहीं होंगे तो वादा भंग करना हुआ जो ख़ुदा तआला की हिदायतों के बारे में प्रस्तावित करना एक बड़ा पाप है। अतः हमने आपके रहम बिना बदले को पवित्र क़ुर्आन की कामिल शिक्षा और प्रकृति के नियम और आपकी पवित्र किताबों से भली भांति खण्डन कर दिया। अब प्रमाणित बात के विरुद्ध यदि हठ नहीं छोड़ेंगे तो न्यायवान लोग स्वयं देख लेंगे ख़ुदा तआला की समस्त शिक्षाएं प्रकृति के नियमानुसार हैं और डाक्टर मार्टिन क्लार्क के कथानुसार क़ुर्आन की तौहीद (एकेश्वरवाद) ऐसी साफ़, पवित्र

और प्रकृति के नियम के अनुसार है कि बच्चे भी उसको समझ सकते हैं। किन्तु आपकी यह तसलीस की समस्या बच्चे तो क्या आजकल के फ़िलास्फ़र भी बुद्धि के विरुद्ध ठहराते हैं। फिर क्या वह शिक्षा जो मानवीय स्वभाव के अनुसार और प्रकृति के नियम के अनुसार तथा ऐसी चमकती है कि उसको बच्चे भी स्वीकार कर लेते हैं और समस्त धर्मों की अतिरिक्त बातें निकालकर वही तौहीद शेष रह जाती है क्योंकर अस्वीकार करने योग्य ठहरती है और आपके जिहाद के प्रश्न का दूसरे अवसर पर उत्तर दिया जाएगा, किन्तु आप ने मुबाहसे की पद्धति के विरुद्ध किया जो प्रश्न पर प्रश्न कर दिया। इसे दर्शक स्वयं देख लेंगे।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम की ओर से

1, जून 1893 ई.

9 बजकर 27 मिनट

आप का यह कहना कि मसीह तीस वर्ष तक ख़ुदाई से खाली रहे मेरे कहने के अनुसार यह सुधारणा है। मेरा कहना यही था कि मसीहियत के पद पर वह तब तक नहीं आए। और यह सही है शेष जो कुछ आपने कहा वह अतिरिक्त है। असीमित होने से खाली होना तो किसी का भी वैध (जायज़) नहीं फिर यह कि मसीह इस से खाली रहे। दूसरे उक़्नूम का इन्सानियत से जो रिश्ता है वह मसीहियत के लिए है। दूसरा उक़्नूम यद्यपि ख़ुदाई के साथ हो, तथापि वह मसीह नहीं था जब तक कि तीस वर्ष का हुआ।

ख़ुदा के मज़्हर (द्योतक) के अर्थ क्या हैं और किस तात्पर्य से यह वाक्य प्रयोग हुआ है। हमारी दृष्टि में तो ये अर्थ हैं- अल्लाह के प्रकटन का स्थान और मसीहियत के पद के लिए हैं। फिर इस पर आप क्यों विवाद करते हैं। रूहुल-क़ुदुस इस बात की गवाही के लिए आया कि यह बेटा ख़ुदा का है। ख़ुदा ने

कहा मैं इस से राज़ी (प्रसन्न) हूं, न कि इसलिए कि उस समय आ कर बीच में दाख़िल हुआ।

(2)- आपकी दूसरी बात का उत्तर यह है कि आप जो चाहो कहो, परन्तु इस का उत्तर आप ने नहीं दिया कि न्याय की मांग क्योंकर पूरी हो। यदि आप के कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय की मांग कुछ चीज़ नहीं है तो हमारी आप से इस पहली सच्चाई पर सहमति नहीं।

(3)- आप कहते हैं कि जब्र क़ुर्आन से सिद्ध नहीं। मुझे इसमें आश्चर्य है कि आप उस आयत के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते जिसमें यह लिखा है कि कहते हैं कि कुछ भी काम हमारे हाथ में है। इसके उत्तर में कहा जाता है कि कह दे कि सब काम अल्लाह ही के हाथ में है। और बहुत सी आयतें इस मुकद्दमें में मैं क़ुर्आन से दे सकता हूं परन्तु आवश्यकता नहीं। फिर आपकी आस्था जो इसमें लिखी है-

والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی

ख़ैर और शर (अच्छाई और बुराई) अल्लाह तआला की तरफ़ से है। वह परिणाम चुना हुआ **क़ुर्आन से है** जो इंजील की आयतों के ऊपर आप ने अपना हाशिया चढ़ाया है वह सही नहीं। मैंने प्रस्तुत कर दिया है कि बुराई के लिए ख़ुदा की तरफ़ से परमीशन होती है अर्थात् इजाज़त (अनुमति) और प्रीविलेजों के लिए वहाँ तक ही सीमा है कि जिसमें नर्क और स्वर्ग की कुछ चर्चा नहीं। दुनिया के अन्दर कमी और अधिकता और विस्तार की चर्चा है। फिर आप उनको क़ुर्आन का उदाहरण क्यों कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि क़ुर्आन में जब्र और क़द्र दोनों हैं लेकिन यह दोनों मामले एक परस्पर सहमत नहीं हो सकते बल्कि एक दूसरे के विलोम हैं। परन्तु यह सब बात कि हर दो हैं। जैसा कि यह कहना कि अधिकार है भी और नहीं भी स्पष्ट तौर पर विलोम है।

(4)- ख़ुदावन्द मसीह की परीक्षा (आज़माइश) में शैतान ने जो इन्सानियत की परीक्षा ली है। आप का मतलब क्या है कुछ स्पष्ट नहीं। इसमें जब्र-व-क़द्र का संबंध क्या है।

आप का सूर्य का उदाहरण न मालूम क्योंकर यथास्थान है जब आप कहते हैं कि द्वितीय कारण के कार्य भी ख़ुदा तआला अपनी तरफ़ जो प्रथम कारण है सम्बद्ध करता है, न मालूम क्यों करता है, उसकी क्या आवश्यकता थी। द्वितीय कारण के कार्य ऐसी अवस्था में प्रथम कारण से सम्बद्ध हो सकते हैं कि जब कुछ उसमें प्रथम कारण का भी हस्तक्षेप हो।

प्रथम कारण ने एक व्यक्ति को कार्य का मुख़्तार बनाया। जब तक स्वयं उस से वह अधिकृत कार्य कुछ प्रकट न हो पकड़ के योग्य नहीं। इसलिए वह वास्तव में बुरा भी नहीं बल्कि अच्छा है और प्रथम कारण यदि उसमें हस्तक्षेप करे तो अधिकृत कार्य का विपरीत हो जाए। यह स्वयं उसकी योजना अधिकृत कार्य बनाने से दूर है। इसके अर्थ हम ने कर दिए हैं कि फ़िरऔन का दिल क्योंकर कठोर कर दिया। हम ने इसके अर्थ पहले बता दिए अर्थात् यह कि उसको बुराई करने से रोका नहीं और अपनी कृपा का हाथ उस से उठा लिया। इसी प्रकार से उसका दिल कठोर हो गया। फिर इसमें ख़ुदा तआला ने कुछ नहीं किया परन्तु रोकने की अनुमति नहीं दी। इसको हमारे यहां परमीशन कहते हैं, और यह कलाम काल्पनिक (मजाज़ी) है कि उनको आंखें देखने की नहीं दीं या कान सुनने के नहीं दिए जिससे अभिप्राय यह हुआ कि आंख और कान रखते हुए जब वे नहीं देखते और नहीं सुनते कि ख़ुदा तआला ने उनको रोका नहीं। ऐसा ही मजाज़ (काल्पनिक) कलाम यह है कि जिस प्रकार बाप अपने लड़के से नाराज़ होकर कहता है कि तू मर जाए इसके मायने ये नहीं कि वह चाहता है कि वह मर जाए बल्कि ये हैं कि उसके कार्यों से वह नाराज़ है।

(5)- मैंने देखा था कि प्रश्न छोटा है और गुंजायश दो की है तो मैंने दो प्रश्न कर दिए। आप जब चाहें उसका उत्तर दे दें। हम आप को इसमें असमर्थ समझेंगे कि आप ने उसी समय उसका उत्तर नहीं दिया और फिर जब आप उत्तर चाहेंगे तो उसको दोहरा भी देंगे।

(6)- आप जो इन वादों में कफ़्फ़ारे की चर्चा पूछते हैं जो मसीह ने मती अध्याय-5 में दिए। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या सारे विषय एक

ही स्थान पर एकत्र किये जाते हैं। यदि इस स्थान में चर्चा नहीं तो बहुत स्थानों में चर्चा है जिनके हवाले हम बार-बार दे चुके। आप का दायित्व यह था कि दिखा दें कि कफ़्फ़ारे का उनमें इन्कार है। आप अपने सबूत का भार दूसरे पर किस लिए डालते हैं।

(7)- यदि आप रहम बिना बदले का प्रकृति के नियम, क़ुर्आन की आयतों और पवित्र किताबों से खण्डन कर दिया है तो फिर ख़ुशी हुई। जब ये बातें छप जाएंगी तो प्रत्येक स्वयं इन्साफ कर लेगा। हम इसके जो तर्क दे चुके हैं उनकी हर समय बार-बार पुनरावृत्ति तकरार पानी बिलोने की भांति जानते हैं।

(8)- तस्लीस के मामले के बारे में हमने जो तर्क दिए हैं जब तक आप की ओर से उनका खण्डन सिद्ध होकर न आए तब तक हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते। आपने यह आदत अपनाई है कि सबूत की तरफ़ ध्यान न देना और फिर उसी बात को दोहरा देना।

(9)- मुझे अफ़सोस यह है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं और न मेरे उत्तरों की ओर ध्यान देते हैं। आज भी हमारा यह प्रश्न पड़ा है कि इंजील की दृष्टि से मरयम के पास जिब्राईल का आना आप मानते हैं या नहीं और मसीह की पैदायश चमत्कार ही को स्वीकार करती है या नहीं परन्तु आप ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

ग्यारहवां पर्चा

मुबाहसा 2, जून 1893 ई.

जल्से का वृत्तान्त

आज मिर्ज़ा साहिब ने 6 बजकर 09 मिनट पर उत्तर लिखवाना आरम्भ किया और 7 बजकर 09 मिनट पर समाप्त किया तथा ऊँची आवाज़ से सुनाया

गया। डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 7 बजकर 40 मिनट पर उत्तर लिखवाना आरम्भ किया और 8 बजकर 40 मिनट पर समाप्त किया और ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 9 बजकर 01 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भकिया और 10 बजकर 01 मिनट पर समाप्त किया और ऊँची आवाज़ से सुनाया गया। इसके बाद दोनों सदस्यों के लेखों पर मज्लिस के सभापतियों के हस्ताक्षर होकर जल्सा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

2, जून 1893 ई. समय 6 बजकर 10 मिनट

डिप्टी साहिब फिर कहते हैं कि (बेहद्दी) होने से खाली होना तो किसी का भी वैध नहीं कहाँ यह कि मसीह इस से खाली रहे। अर्थात् मसीह रूहुल-क़ुदुस के उतरने से पहले भी अल्लाह का द्योतक ही था। क्योंकि सामान्य अर्थों से तो समस्त सृष्टि ख़ुदा की द्योतक है। उत्तर मैं कहता हूं कि आप का अब भी वही इक़रार है कि विशेष तौर पर मसीह ख़ुदा के द्योतक रूहुल क़ुदुस के उतरने के बाद हुए तथा पहले और लोगों की तरह सामान्य द्योतक थे। और फिर डिप्टी साहिब महोदय तीन उक़्नूम की चर्चा करते हैं और यह नहीं समझते कि आप की यह चर्चा बिना सबूत है। आप ने इस पर कोई बौद्धिक तर्क नहीं दिया और यों तो हर एक नुबुव्वत के सिलसिले में तीन भागों का होना आवश्यक है तथा आप लोगों की यह सुधारणा है कि आपने उनका नाम तीन उक़्नूम रखा। रूहुल क़ुदुस उसी प्रकार हज़रत मसीह पर उतरा जिस प्रकार सदैव से नबियों पर उतरता था, जिस का सबूत हम दे चुके नई बात कौन सी थी।

फिर आप कहते हैं कि पवित्र क़ुर्आन में भी पहले लिखा है कि सब काम अल्लाह के हाथों में हैं। मैं कहता हूं कि मानो यह बात सच है और अल्लाह

तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है-

(हूद-124) وَ اِلَیۡهِ یُرۡجَعُ الۡاَمۡرُ کُلُّهٗ

ख़ुदा तआला की तरफ़ ही हर एक امر मामला लौटता है, परन्तु इस से यह परिणाम निकालना कि इस से इन्सान की मजबूरी अनिवार्य आती है बोधभ्रम है। यों तो ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन में यह भी फ़रमाया है कि मैं मेंह बरसाता हूं और बिजली और कड़कने वाली बिजली को पैदा करता हूं और खेतियाँ उगाता हूं, परन्तु उससे यह परिणाम निकालना कि जो भौतिक कारण मेंह बरसने तथा तड़ित एवं विद्युत के पैदा होने के हैं उन से अल्लाह तआला इन्कार करता है बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि ये श्रेणियां स्वयं वर्णन की गई हैं कि ये समस्त चीज़ें भौतिक कारणों से पैदा होती हैं। अत: असल बात यह है कि ख़ुदा तआला के ऐसे बयानों से कि मेरी आज्ञा से वर्षाएं होती हैं और मेरी आज्ञा से खेतियाँ उगती हैं तथा बिजली और कड़कने वाली बिजली पैदा होती है तथा फल लगते हैं इत्यादि, इत्यादि। और हर एक बात मेरे ही कब्ज़े और अधिकार में है तथा मेरी ही आज्ञा से होती है। यह सिद्ध करना अभीष्ट नहीं कि कायनात का सिलसिला बिल्कुल मजबूर है बल्कि अपनी श्रेष्ठता और अपने कारणों का कारण होना तथा अपना साधनों का पैदा करने वाला होना अभीष्ट है क्योंकि क़ुर्आनी शिक्षा का असल विषय शुद्ध तौहीद (एकेश्वरवाद) को दुनिया में फैलाना और हर प्रकार के शिर्क को जो फैल रहा था मिटाना है। चूंकि पवित्र क़ुर्आन के उतरने के समय अरब के प्रायद्वीप में ऐसे-ऐसे शिर्क वाली आस्थाएं फैल रही थीं कि कुछ वर्षाओं को सितारों से सम्बद्ध करते थे तथा कुछ नास्तिकों की तरह समस्त चीज़ों का होना भौतिक कारणों तक सीमित रखते थे। और कुछ दो ख़ुदा समझ कर अपने कठोर प्रारब्ध को अहरमन की ओर सम्बद्ध करते थे। इसलिए यह ख़ुदा तआला की किताब का कर्तव्य था जिसके लिए वह उतरी कि उन विचारों को मिटा दे और व्यक्त करे कि असल मुख्य कारण और साधनों का पैदा करने वाला वही है। तथा कुछ ऐसे भी थे जो तत्त्व और रूह को अनादि समझ कर ख़ुदा तआला का समस्त कारणों का मुख्य कारण होना बतौर निर्बल और अपूर्ण

समझते थे। अत: पवित्र क़ुर्आन के ये शब्द मेरी ही आज्ञा से सब कुछ पैदा होता है। शुद्ध तौहीद के क़ायम करने के लिए थे। ऐसी आयतों से मनुष्य की मजबूरी का परिणाम निकालना

تَفْسِيْرُ الْقَوْلِ بِمَا لَا يَرْضٰى بِهٖ قَائِلُهٗ

है। और ख़ुदा तआला के प्रकृति के नियम पर दृष्टि डाल कर यह भी सिद्ध होता है कि वह आज़ादी और मजबूरी न होना जिस का डिप्टी साहिब महोदय दावा कर रहे हैं दुनिया में पाई नहीं जाती बल्कि कई प्रकार की मजबूरियाँ देखी और महसूस की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे हैं कि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं। वे अपनी कमज़ोर स्मरण-शक्ति से बढ़कर किसी बात के याद करने में मजबूर हैं, कुछ की विचार शक्ति अच्छी नहीं वे सही परिणाम निकालने से मजबूर हैं, कुछ बहुत छोटे सर वाले, जैसे वे लोग जिन्हें दूलाशाह का चूहा कहते हैं ऐसे हैं कि वे किसी बात के समझने के योग्य नहीं। उन से बढ़कर कुछ पागल भी हैं और स्वयं मनुष्य की शक्तियां एक सीमा तक रखी गई हैं जिस सीमा से आगे वे उन से काम नहीं ले सकते। यह भी एक प्रकार की मजबूरी है।

फिर डिप्टी साहिब कहते हैं कि इस्लाम की यह आस्था है कि अच्छाई और बुराई अल्लाह तआला की तरफ़ से है। अफ़सोस कि डिप्टी साहिब सही अर्थ से कैसे फिर गए। स्पष्ट हो कि उसके ये अर्थ नहीं हैं कि ख़ुदा तआला बुराई को बुराई की हैसियत से पैदा करता है। क्योंकि अल्लाह तआला स्पष्ट फ़रमाता है-

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (सूर: अलहिज्र-43)

अर्थात् हे शैतान नुकसान पहुंचाने वाले मेरे बन्दों पर तेरा आधिपत्य नहीं बल्कि इस वाक्य के ये अर्थ हैं कि हर एक चीज़ के कारण चाहे वह चीज़ अच्छाई (ख़ैर) में दाखिल है या शर (बुराई) में ख़ुदा तआला ने पैदा की है। उदाहरण के तौर पर यदि शराब के भाग जिन से शराब बनती है मौजूद न हों तो फिर शराब कहां से बना सकें और पी सकें। परन्तु यदि ऐतराज़ करना है तो पहले इस आयत पर ऐतराज़ कीजिए कि "सलामती को बनाता और बला

(आफ़त) को पैदा करता है।"यसइया-45/7

फिर आगे डिप्टी साहिब कहते हैं जिसका सार यह है- तौरात में ऐसा कोई आदेश नहीं कि नर्क के लिए ख़ुदा ने किसी को मजबूर किया है। इस का यही उत्तर है कि फ़िरऔन का दिल ख़ुदा ने कठोर किया। आप इसको मानते हैं। फिर फ़िरऔन का अंजाम इस दिल की कठोरता से नर्क हुआ या स्वर्ग प्राप्त हुआ। फिर देखो अम्साल **आप का ख़ुदा क्या फ़रमाता है-** "ख़ुदावन्द हे हर एक चीज़ अपने लिए बनाई हाँ शरीरों (उपद्रवियों) को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया।" 16/4 अब देखिए यह तो जैसे **इक़्बाली डिग्री** की तरह आप पर इल्ज़ाम आ गया कि उपद्रवी नर्क के लिए बनाए गए। क्योंकि वही तो बुरा दिन है। फिर आप कहते हैं कि क़ुर्आन में यद्यपि अधिकार की भी शिक्षा है परन्तु फिर मजबूरी की भी शिक्षा और ये एक-दूसरी की विलोम है। इसके उत्तर में मैं लिख चुका हूं कि आप उद्देश्यों में मिलौनी करते हैं। जहां आपको मजबूरी की शिक्षा मालूम होती है वहां भटक चुके धर्मों का खण्डन अभीष्ट है और हर एक वरदान का ख़ुदा तआला को उद्गम ठहराना दृष्टिगत है।

आप कहते हैं कि शैतान जो हज़रत मसीह को ले गया, उसमें क्या मजबूरी थी। उत्तर यही है कि प्रकाश से अन्धकार का अनुकरण कराया गया। प्रकाश स्वाभाविक तौर पर अंधकार से पृथक रहना चाहता है। फिर आप कहते हैं कि यदि अधिकार को माना जाए तो फिर ख़ुदा तआला को समस्त कारणों का मुख्य कारण ठहराना व्यर्थ है। आपके वर्णन का सार यह है जिससे मालूम होता है कि आप ख़ुदा तआला का पूर्णतया निलंबित करके पूरी-पूरी सत्ता और अधिकार चाहते हैं जबकि हमारी शक्तियां और हमारे अवयवों की शक्तियां तथा हमारे विचारों के ज्ञान के गन्तव्य पर उसकी ख़ुदाई का आधिपत्य है, वह कैसे निलंबित हो सकता है। यदि ऐसा हो तो कारण और कर्मों का सिलसिला अस्त-व्यस्त हो जाएगा और वास्तविक रचयिता को पहचानने में बहुत सी ख़राबी आएगी और दुआ करना भी व्यर्थ होगा। क्योंकि जब हम पूरा अधिकार रखते हैं तो फिर दुआ बेफ़ायदा है। आपको याद है कि ख़ुदा तआला को समस्त कारणों का मुख्य कारण मानना

मजबूरी को अनिवार्य नहीं। यही ईमान है, यही तौहीद है कि उसको समस्त कारणों का मुख्य कारण मान लिया जाए, और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए उस से दुआएं की जाएँ। फिर आप कहते हैं कि यह वाक्य कि उनको आंखें देखने के लिए नहीं दीं, कल्पना है। हज़रत! यदि यह मजाज़ (कल्पना) है तो फिर कहां से मालूम हुआ कि दिलों पर मुहर लगाना और आँखों पर पर्दा डालना वास्तविकता है। क्या इस जगह आपको मुहरें और पर्दे दिखाई दे गए हैं।

फिर आप कहते हैं कि यदि आप ने रहम बिना बदले को रद्द कर दिया है तो फिर ख़ुश हो जाइए। अफ़सोस आप अभी तक मेरी बात को न समझे। यह तो स्पष्ट है कि न्याय का अर्थ दोनों पक्षों के अधिकारों को स्थापित करता है, अर्थात् इस से अनिवार्य होता है कि ख़ुदा तआला का एक बन्दे पर अधिकार हो, जिस अधिकार की वह मांग करे और एक बंदे का ख़ुदा तआला पर अधिकार जिस अधिकार की वह मांग करे। परन्तु ये दोनों बातें ग़लत हैं क्योंकि बन्दे को ख़ुदा तआला ने मात्र नास्ति से पैदा किया है और जिस प्रकार चाह बनाया। उदाहरणत: इन्सान, बैल, गधा या कोई कीड़ा-मकोड़ा फिर अधिकार कैसा? और ख़ुदा तआला का अधिकार यद्यपि असीमित है परन्तु मांग के क्या मायने। यदि ये मायने हैं कि ख़ुदा तआला को बन्दों की आज्ञापालन करने की आवश्यकताएँ हैं और तब ही उसकी ख़ुदाई क़ायम रहती है कि प्रत्येक बन्दा नेक और पवित्र हृदय हो जाए अन्यथा उसकी ख़ुदाई हाथ से जाती है। यह तो बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि यदि समस्त संसार नेक बन जाए तो उसकी ख़ुदाई कुछ बढ़ नहीं सकती और यदि बुरा बन जाए तो कुछ कम नहीं हो सकती। अत: अधिकार को अधिकार की हैसियत ठहरा कर मांग करने के क्या मायने।

अत: असल बात यह है कि ख़ुदा तआला ने जो समृद्धशाली और नि:स्पृह है और इससे श्रेष्ठतर है कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से किसी अधिकार की मांग करे। स्वयं बन्दे के लाभ के लिए तथा अपनी मालिकियत, सृष्टि करने, कृपालुता और दयालुता को प्रकट करने के लिए यह सारा सामान किया है। प्रथम प्रतिपालन अर्थात् सृष्टि करने की इच्छा से दुनिया को पैदा किया। फिर

कृपालुता की मांग से वे सब चीज़ें उनको प्रदान कीं जिन की उन्हें आवश्यकता थी। फिर दयालुता की मांग से उनके व्यवसाय एवं कोशिश में बरकत डाली और फिर मालिक होने की मांग से उनको मामूर किया तथा नेकियों के आदेश तथा घृणित बातों (ऐसी बातें जिनकी शरीअत में निषेध है) से रोकने के लिए कष्ट दिया गया और उस पर दण्ड और सज़ाओं के वादे लगा दिए और साथ ही यह वादा भी किया कि जो व्यक्ति गुनाह के बाद ईमान, तौबा और पापों से क्षमा याचना का मार्ग अपनाए वह क्षमा (माफ़) किया जाएगा। फिर अपने वादों के अनुसार क़यामत के दिन उठाए जाने का पाबंद होगा। इस जगह रहम बिना बदले का ऐतराज़ क्या संबंध रखता है और अधिकारों के स्थापित करने और ख़ुदा तआला से अंहकार करते हुए न्याय का याचक होना क्या संबंध रखता है। इसकी सच्ची फ़िलास्फ़ी यही है जो सूरः फ़ातिहा में वर्णन की गई है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

(सूरः फ़ातिहा-2 से 4)

अब देखिए रहमान (कृपालु) और रहीम (दयालु) के बाद प्रत्यक्ष तौर पर यह समझा जाता था कि 'अलआदिल' का शब्द लाना इन विशेषताओं के यथा योग्य है कि रहम (दया) के बाद अद्ल (न्याय) का वर्णन हो। परन्तु ख़ुदा तआला ने अद्ल (न्याय) से हटकर अपनी विशेषता मालिके यौमिद्दीन ठहराई ताकि मालूम हो कि अधिकारों की मांग उससे वैध नहीं और उससे कोई अपने अधिकार का याचक नहीं हो सकता और न उसे आवश्यकता है कि एक ऐसे हक़दार की हैसियत से जो अधिकार प्राप्ति के बिना मरा जाता है बन्दों से आज्ञाकारिता चाहता है बल्कि बन्दों की इबादतें और उनका आज्ञाकारी होना वास्तव में उन्हीं के फ़ायदे के लिए हैं जैसा कि एक वैद्य किसी रोगी के लिए दवाओं का पर्चा लिखता है तो यह बात नहीं कि उस पर्चे की दवाओं को वैद्य स्वयं पी जाता है या उस से कोई आनन्द उठाता है या यह कि वह रोगी की भलाई के लिए है फिर इसके बाद आपने इस्लाम के जिहाद पर ऐतराज़ किया

है, किन्तु अफ़सोस कि आपने इस्लामी **जिहाद** की फ़िलास्फ़ी को एक कण बराबर भी नहीं समझा तथा आयतों के क्रम का अनदेखा करके व्यर्थ ऐतराज़ कर दिए हैं।

स्पष्ट रहे कि इस्लाम की लड़ाइयां इस प्रकार से नहीं हुईं कि जैसे एक ज़बरदस्त बादशाह कमज़ोर लोगों पर चढ़ाई करके उन्हें मार डालता है बल्कि उन लड़ाइयों का सही नक्शा यह है कि जब एक लम्बे समय तक ख़ुदा तआला का पवित्र नबी और उसके अनुयायी विरोधियों के हाथ से दु:ख उठाते रहे और उनमें से कई क़त्ल किये गए और कई बड़े बुरे अज़ाबों से मारे गए, यहां तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को क़त्ल करने के लिए योजना बनाई गई और ये समस्त सफलताएं उनकी मूर्तियों के सच्चे उपास्य होने पर चरितार्थ की गईं तथा हिजरत की हालत में भी **आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम** को अमन में नहीं छोड़ा गया बल्कि स्वयं आठ पड़ाव तक चढ़ाई करके स्वयं युद्ध करने के लिए आए तो उस समय उनके आक्रमण को रोकने के लिए तथा उन लोगों को अमन में लाने के लिए जो उनके हाथ में कैदियों की भांति थे और इस बात को प्रकट करने के लिए कि उनके उपास्य (मा'बूद) जिनके समर्थन पर ये पिछली सफलताएं चरितार्थ की गईं हैं लडाइयां करने का आदेश हुआ जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَ اِذۡ یَمۡکُرُ بِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لِیُثۡبِتُوۡکَ اَوۡ یَقۡتُلُوۡکَ اَوۡ یُخۡرِجُوۡکَ ؕ
وَ یَمۡکُرُوۡنَ وَ یَمۡکُرُ اللّٰہُ ؕ وَ اللّٰہُ خَیۡرُ الۡمٰکِرِیۡنَ ﴿۳۱﴾ (सूरः अल अन्फ़ाल-31)

फिर फ़रमाता है-

وَ مَا لَکُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِیۡنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ (सूरः अन्निसा-76)

फिर फ़रमाता है-

وَ قَاتِلُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ الَّذِیۡنَ یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ وَ لَا تَعۡتَدُوۡا ؕ

(सूरः अलबक़रह-191)

फिर फ़रमाता है-

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

(सूर: अलबक़रह-218)

फिर फ़रमाता है-

وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

(सूर: अलबक़रह-252)

फिर फ़रमाता है-

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ (सूर: अन्नहल-127)

फिर फ़रमाता है-

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ (सूर: अलअहज़ाब-11)

फिर फ़रमाता है-

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ (सूर: आले इमरान-100)

फिर फ़रमाता है-

وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (सूर: अत्तौबा-13)

अब अनुवाद के बाद आपको मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है और यदि यह प्रश्न हो कि काफ़िरों ने कैसे ही दु:ख दिए थे परन्तु सब्र करना चाहिए था। तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सफलताओं को अपनी 'लात' और 'उज्ज़ा' मूर्तियों के समर्थन पर चरितार्थ करते थे जैसा कि पवित्र क़ुर्आन इस से भरा हुआ है। हालांकि वह केवल एक मोहलत का युग था। इसलिए ख़ुदा तआला ने चाहा कि यह सिद्ध करे कि जैसे उनकी मूर्तियाँ पवित्र क़ुर्आन का सामना करने से असमर्थ हैं ऐसा ही तलवार के साथ सफल करा देने से भी असमर्थ हैं। अत: इस्लाम में उन पर जितने आक्रमण किए गए प्रथम उद्देश्य उन काफ़िरों के बुतों का असमर्थ होना था और यह हरगिज़ नहीं कि उन लड़ाइयों में से किसी प्रकार का यह इरादा था कि क़त्ल की धमकी देकर उन लोगों को मुसलमान कर दिया जाए बल्कि वे तो भांति-भांति के अपराधों एवं

रक्तपात करने के कारण से पहले से ही क़त्ल करने योग्य हो चुके थे और इस्लामी रिआयतों (नर्मी) में से जो उनके साथ दयालु प्रतिपालक ने की एक यह भी नर्मी थी कि यदि किसी को इस्लाम स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह बच सकता है। इसमें जब्र कहां था। अरब पर तो उन्हीं के पिछले अपराधों के कारण क़त्ल का फ़त्वा हो गया था, हाँ इसके बावजूद ये नर्मियां भी थीं कि उनके बच्चे न मारे जाएँ, उनके बूढ़े न मारे जाएँ और इसके साथ यह भी नर्मी कि ईमान लाने की स्थिति में वे भी न मारे जाएँ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब

2 जून 1893 ई. समय 7-40 बजे

प्रथम उत्तर- प्रस्तुत है कि मैंने कहीं नहीं कहा कि ख़ुदा का द्योतक है बल्कि यह कहा कि दूसरा उक़्नूम और मानवता (इन्सानियत) का परस्पर संबंध रहा है। ख़ुदा के द्योतक तो तब ही प्रकट हुए जब मसीह हुए अर्थात् तीस वर्ष की उम्र में

द्वितीय- तस्लीस का पर्याप्त सबूत दिया गया है बुद्धि से, संभावना से, और उसकी घटना का कलाम से। यदि आप नहीं मानते तो छपने के बाद प्रत्येक स्वयं इन्साफ कर लेगा।

तृतीय- किसी के नबी के ऊपर साक्षात कबूतर के समान रूह उतरी। फिर आप कोई निशान नहीं देते कि कौन सा नबी उसके सद्दर्श है और अकारण का विवाद पैदा करते हैं।

चतुर्थ- मैंने प्रमाण की जो आयत प्रस्तुत की है उसमें मुसलमानों की चर्चा यह थी कि क्या कोई भी बात हमारे हाथ में है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि सब امر (मामले) अल्लाह तआला के हाथ में हैं। अम्र के अर्थ आपने जो

'आदेश' के किए हैं उमूर जिसका बहुवचन है वह भी अम्र है अर्थात् काम तो अर्थ ये हुए कि हर काम अल्लाह के हाथ में है। यह इन्सान के अधिकृत कार्य में अवश्य हस्तक्षेप है।

जनाब मिर्ज़ा साहब आप सृष्टि वस्तुओं का जैसे खेती तथा पानी इत्यादि का जो हवाला देते हैं वह अधिकार और अनाधिकार होने का उदाहरण नहीं मैं आप को यह इल्ज़ाम नहीं देता कि आप धोखा देते हैं परन्तु धोखा खाते अवश्य हैं।

पंचम- इस से तौहीद (एकेश्वरवाद) का कुछ सबूत नहीं होता कि प्रथम हो कर ख़ुदा तआला द्वितीय कारण के लिए कुछ गुंजायश शेष न रखे। प्रथम कारण यदि सर्वशक्तिमान है तो दूसरे को अधिकृत कार्य भी पैदा कर सकता है और जब कार्य का मुख़्तार (अधिकृत) बना दिया तो उसके अधिकृत कार्य में हस्तक्षेप करना उसके योजना बनाने कि विपरीत है।

षष्टम- हमने कभी यह नहीं कहा कि इन्सान का अधिकृत कार्य असीमित है परन्तु अपनी सीमाओं में वह स्वच्छंद अधिकृत कार्य है और उसका इन्कार आप बेकार करते हैं।

सप्तम- यसइया का बयान कि वह सलामती और बला (विपत्ति) पैदा करता है अधिकृत कार्य के विरुद्ध कुछ नहीं। न मालूम आप ने क्यों इस आयत का हवाला दिया। फ़िरऔन का दिल कठोर क्योंकर हुआ। हम ने कल उसकी व्याख्या कर दी है अर्थात् उसको जब शरारत (उपद्रव) से न रोका और फ़ज़्ल हाथ हटा लिया तो उस का परिणाम यह है कि वह अकारण कठोर दिल हो गया। क्या आप इस बात को नहीं समझते कि करने और होने देने में बड़ा अन्तर है। अंग्रेज़ी में स्पष्ट अन्तर है कि कमीशन उसको कहते हैं जो स्वयं करे और परमीशन उसको कहते हैं कि होने दे तो क्या होने देने का इल्ज़ाम उसके समान है कि उसने किया और यदि ऐसा ही इल्ज़ाम हो तो सही नहीं हो सकता।

अष्टम- आपके तीसरे उदाहरण में कि उपद्रवियों को अपने लिए बनाया। इसका मतलब साफ़ है जिसके अर्थ ये हैं कि उपद्रवी होने दिया। यह भी वही परमीशन है न कि कमीशन। काल्पनिक कलाम को तथा सामान्य को छोड़कर

आप फ़िलास्फ़ी में किसलिए घुसते हैं। क्या जनता से आप इसी प्रकार कलाम करते हैं कि उसका प्रत्येक शब्द दार्शनिकतापूर्ण हो अर्थात् फ़िलास्फ़ी के अनुसार। तथापि वह आयत जो विवाद की पद्धति के अन्तर्गत है उसमें सिद्धान्त क़ायम किया गया है कि जैसे ख़ुदा फ़रमाता है कि प्रत्येक मामला मेरे अधिकार में है और इस सिद्धांत का वर्णन इस भाग पर है जो कहते थे कुछ भी काम हमारे हाथ में है। यहां यह वाक्य कुब्रा है और लोगों का अनुमान सुग्रा है। इसका जो परिणाम है आप न्याय कर लीजिए।

नवम- मसीह अपनी इन्सानियत की दृष्टि से ख़ुदा के सारे कर्तव्य अदा करने वाला है। अत: वह परीक्षा भी देगा और शैतान से आजमाया भी जाएगा। इसलिए क्या आवश्यक है कि इस मामला को अधिकार और अनाधिकार की बहस में दाख़िल किया जाए।

दशम- न हम ने कहीं ख़ुदा के अधिकार को किसी सीमा में प्रतिबंधित किया परन्तु वे प्रतिबंधन जो हर विशेषता पर उसकी प्रकृति से अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। उसके मायने यह नहीं हो सकते कि वह दो विपरीत बातों को पल भर में एकत्र भी कर सकता है क्योंकि दो विपरीतार्थक बातों का एक साथ मिलना दूसरा नाम खण्डन है और खण्डन कोई विशेषता नहीं चाहता है कि जो उसको बनाए। और जो असंभव है उसके बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं। वह तो केवल झूठ बोलने से हो सकता है। स्पष्ट हो कि जैसा हम ख़ुदा की क़ुदरत को उचित सीमाओं में नहीं बाँध सकते वैसे ही इन्सान को अधिकृत काम अनुचित सीमाओं में नहीं बाँध सकता।

ग्यारह- पूरे अधिकार पर दुआ बेफ़ायदा है। इसके मायने यह हुए कि हम उसके साथ ज्ञान और क़ुदरत भी असीमित रखते हों। परन्तु हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया, किन्तु यह कि उसका ज्ञान और उसकी क़ुदरत और उसका कुल अधिकार सीमित हैं। अत: आप की कल्पनाएँ एवं मान्यताएं मात्र काल्पनिक हैं।

बारह- हमने कभी नहीं कहा कि दिलों और आँखों पर मुहर करना काल्पनिक कलाम नहीं तो हम पर इसका ऐतराज़ क्या है।

तेरह- हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि ख़ुदा तआला की हस्ती स्वयं में बिल्कुल निःस्पृह है, परन्तु वह वहीं तक आज़ाद है कि जहां तक उसकी समस्त विशेषताएं सहमतिपूर्वक आज्ञा दें। अतः यदि वह किसी पर अत्याचार करें, चाहिए कि न्याय उसका अवरोधक होगा, या किसी के अकारण यातना में वह ख़ुश होगा तो भलाई की विशेषता उसकी अवरोधक होगी। इसी प्रकार उसकी बहुत सी मुबारक विशेषताएं हैं जो इन्क्लूसिव होकर चल सकती हैं और एक्सक्लुसिव हो कर नहीं चल सकतीं जैसा कि यदि एक विशेषता कुछ काम करती है तो सभी सहमतिपूर्वक उसकी सहायक हैं, यद्यपि प्रकटन विशेष उस एक का है जो काम कर रही है और यदि कोई विशेषता काम करती है तो नहीं कहा जा सकता कि वह अटंक है तथा उसके साथ कोई विशेषता नहीं और दो विशेषताओं में विरोधी होना ता नऊज़ुबिल्लाह कहीं भी वैध नहीं कि एक विशेषता दूसरे की विरोधी होता।

चौदह- प्रथम तो आप हमेशा इन दो विशेषताओं के अन्तर के बारे में जो एक काम है दूसरी गुडनिस (अच्छाई) अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं और अन्तर इसमें यह है कि रहम (दया) किसी पकड़ और कष्ट पर आता है और गुडनिस केवल अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए आता है। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कष्ट में ग्रस्त हो उसकी आज़ादी के लिए रहम की विशेषता है और कोई अपने जानवरों को भी बहरहाल ख़ुश रखना चाहता है और उन भोजनों से वे जिन के योग्य हैं वह उत्तमतर भोजन उनको देता है यह गुडनिस (भलाई) के कारण है। अतः इस शब्द गुडनिस का दाऊद नबी ने वर्णन किया है। जैसा कि वह लिखता है कि-

अरे आओ, चखो, देखो कि यही भला है। अब अदालत का काम यह है कि जिस समय गुनाह घटित हो उसका निवारण करे और उसका रहम इससे पहले नहीं परन्तु इस निवारण और पकड़ से स्वतंत्र होने के बाद आए। और जब तक कोई गुनाह घटित नहीं हुआ जो भलाई उस से की जाती है वह गुडनिस के अनुसार की जाती है और यह भी याद रहे जो चीज़ नास्ति से आस्ति में आई है उसका अपने स्रष्टा (ख़ालिक) पर यह अधिकार (हक़) है कि उस से कहे कि अमुक दुःख मुझे क्यों हुआ कि यदि तू न्याय करने वाला है तो इस बात का

न्याय कर। बकरी जो ज़िबह की जाती है उसके लिए यह बहाना पर्याप्त नहीं कि तेरा स्रष्टा और मालिक हूं। थोड़ा से कष्ट मैं दूसरों की जीविका के लिए तुझे देता हूं, तू अकारण शिकायत करने वाली न हो- ले- न्याय यह चाहता है कि किसी को कष्ट हो जिसका वह पात्र नहीं या यह कि वह कष्ट उसके लिए कुछ अधिक ख़ूबी पैदा न करे और इसलिए हमने दु:ख के तीन प्रकार वर्णन कर दिए हैं कि जिन्हें आप मिटा नहीं सकते और फिर आप दु:ख को एक ही प्रकार का मानकर आप पैदा करने और मालिक होने के पर्दे में उसे हर योग्य और अयोग्य की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। हमने आप से बार-बार कहा कि अदालत और सच्चाई का प्रकटन अलाभकारी नहीं हो सकता, फिर आप बुद्धि की मांग के ध्यान को किस लिए छोड़ते हैं? क्या आप के छोड़ने से न्याय भी उसको छोड़ देगा। निस्सन्देह जब तक उसकी मांग पूरी न हों रहम नहीं हो सकेगा।

पन्द्रह- आपके कथानुसार अल्लाह तआला ने सूर: फ़ातिहा में अद्ल को 'अदूल' नहीं कहा और न रहम को न्याय पर विजयी किया बल्कि वहां रहम (दया) का आसरा लोगों को दिलाया है और यह उचित है। शेष आप जो सुधारणाएं करें आप को अधिकार है।

सोलह- यह तो अधिकार जो अल्लाह तआला अपनी सृष्टि (मख़्लूक) से चाहता है कि ऐसा या वैसा करे। वह उसके लाभ के लिए भी है किन्तु इससे अल्लाह तआला के अधिकारों का रद्द करना ग़लत है। क्या कुछ ख़ुदा के अधिकार भी ख़ुदा की जनता के ऊपर हैं? यदि नहीं तो पापों में ख़ुदा तआला की क्या हानि है। तो फिर किस लिए वह न्याय की तलवार से उसको डराना चाहता है। जब हानि ही कुछ नहीं तो फिर दण्ड किस लिए हो, बाप की डांट-डपट बेटे की भलाई के लिए तो होती है, परन्तु दण्ड का शब्द बिल्कुल निरर्थक है। डांट-डपट की धातु रहम से है और दण्ड की धातु न्याय से। अत: हम भी अपने बच्चों को डांट-डपट करते हैं, मारते हैं। उसका मतलब यह नहीं होता कि मर ही जाएँ और जब कपूत (ना खल्फ़) करके निकाल दें तो उसका तात्पर्य दण्ड है। यह तेरे कामों का प्रतिकार (बदला) है। अत: इन दो बातों में अन्तर मौजूद

है तो इनको अनदेखा किस लिए किया जाए।

सत्रह- इस्लाम के युद्ध कई प्रकार के थे, हम स्वीकार करते हैं अत: प्रतिरक्षात्मक, प्रतिशोधात्मक, प्रबंधात्मक इत्यादि। परन्तु जो आयत मुनाज़रे की पद्धति में है उसका कारण यह दिया गया है कि मारो उनको जो अल्लाह और क़यामत को न मानें और अवैध एवं वैध का ध्यान न रखें।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम कादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

बयान हज़रत मिर्ज़ा साहिब

2,जून 1893 ई.

डिप्टी साहिब कहते हैं कि द्योतक होता से पहले दूसरे उक़्नूम का संबंध था, परन्तु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते जब तक वह इंजील की स्पष्ट इबारत प्रस्तुत न करें कि द्योतक होना बाद में हुआ।

दूसरे उक़्नूम का पहले से संबंध था और फिर उनका यह कहना कि बुद्धि से हमने तस्लीस की संभावना को सिद्ध कर दिया है और कलाम से घटना सिद्ध हो गयी है, यह दोनों अभी तक दावा ही दावा हैं। दर्शक गण उनके उत्तरों के पन्ने उलट-पुलट कर देख लें कि बुद्धि की दृष्टि से कहां तस्लीस की संभावना को सिद्ध कर दिया है। बुद्धि का फैसला तो हमेशा कुल्ली (व्यापक) होता है। यदि बुद्धि की दृष्टि से हज़रत मसीह के लिए तस्लीस में शामिल होना उचित रखा जाए तो फिर बुद्धि औरों के लिए भी इसकी संभावना अनिवार्य करेगी।

फिर डिप्टी साहिब कहते हैं कि किस नबी पर कबूतर के रूप में साक्षात होकर रूहुल क़ुदुस उतरा। **मैं कहता हूं** कि यदि रूहुल क़ुदुस किसी बड़े भारी जानवर के रूप पर जैसे हाथी या ऊँट हज़रत मसीह पर उतरता तो कुछ गर्व का स्थान था परन्तु एक छोटे पर गर्व करना और उसे अद्वितीय कहना यथास्थान

नहीं। देखो हवारियों पर उनके कथानुसार रूहुल क़ुदुस बतौर आग के शोलों के उतरा और शोला कबूतर पर विजयी है क्योंकि यदि कबूतर शोले में पड़े तो जल जाता है और आप का यह कहना कि कौन सा नबी मसीह के बराबर है केवल अपनी आस्था को अच्छा दिखाना है। मैं कहता हूं कि क्या हज़रत मूसा मसीह से बढ़कर नहीं, जिनके लिए बतौर अधीन और अनुयायी के हज़रत मसीह आए और उनकी शरीअत के अधीन कहलाए। चमत्कारों में कुछ नबी हज़रत मसीह के ऐसे बढ़े कि आपकी किताबों के अनुसार कि हड्डियों के छूने से मुर्दे जीवित हो गए और मसीह के चमत्कार अस्त व्यस्तता में पड़े हैं। क्योंकि वह तालाब जिसका यूहन्ना के अध्याय-5 में वर्णन है। हज़रत मसीह के समस्त चमत्कारों की शोभा को खो देता है और भविष्यवाणियों का तो पहले ही बहुत नर्म और पतला हाल है। फिर किस व्यावहारिक एवं क्रियात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से हज़रत मसीह का श्रेष्ठतम होना सिद्ध हुआ? यदि वह किसी अन्य प्रसंग में श्रेष्ठतम होते तो हज़रत यूहन्ना से इस्तिबाग (बपतस्मा) ही क्यों पाते, उसके सामने अपने गुनाहों का इक़रार ही क्यों करते? यदि ख़ुदाई होती तो शैतान को क्यों यह उत्तर देते कि लिखा है कि ख़ुदा के अतिरिक्त किसी और को सज्दा मत कर। आप ने जो मेरे इस बयान पर जिरह की है कि पवित्र क़ुर्आन में यह आयत दर्ज है कि तुम्हारे अधिकार में कुछ भी नहीं, यह आप का बोधभ्रम तो नहीं किन्तु जान बूझ कर अनजान बनना है। मैं कल के बयान में लिखा चुका हूं कि इसके वे मायने नहीं जो आप करते हैं बल्कि केवल इतना अभीष्ट है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मेरे अम्र और आदेश के अनुसार चलना चाहिए, तुम्हें कुछ भी अधिकार (इख़्तियार) नहीं कि अपनी तरफ़ से कोई हस्तक्षेप करो। अब देखिए कि कहां यह बात कि बंदा विवश मात्र है और कहां यह बात कि एक अवसर पर कुछ लोगों को अनुचित हस्तक्षेप करने से रोका गया। फिर मैं कहता हूं चाहे आप सुनें या न सुनें कि पवित्र क़ुर्आन ने कई बार स्पष्ट रूप से इस अधिकार का वर्णन कर दिया है जिसके कारण मनुष्य मुकल्लफ़ है परन्तु दूसरे स्थानों में कुछ अपनी उचित आस्थाओं से भटके हुए धर्मों के खण्डन करने के लिए जो अरब

में मौजूद थे यह भी कहा गया जैसा कि तुम लोगों का विचार है कि और-और उपास्य भी ख़ुदाई के कारखाने में कुछ हस्तक्षेप रखते हैं। यह बिल्कुल ग़लत है। प्रत्येक अम्र (बात) के लौटने का स्थान एवं उद्गम ख़ुदा है और वही सब का मुख्य कारण है। यही उद्देश्य था जिसके अनुसार कभी-कभी ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन में कुछ दरमियानी माध्यम उठा कर अपने मुख्य कारण होने का वर्णन किया। जैसे कि कहा- कश्ती (नौका) जो दरिया में चलती है यह हमारा ही उपकार है।"

निष्कर्ष यह कि हमने आपको पर्याप्त उत्तर दे दिया है कि पवित्र क़ुर्आन पर जब्र का ऐतराज़ नहीं हो सकता और न हम जब्रिया कहलाते हैं। आप को अब तक मुसलमानों की आस्था की भी कुछ ख़बर नहीं। आप यह भी नहीं जानते कि जिस हालत में अल्लाह तआला चोर के हाथ काटने के लिए और व्यभिचारी (ज़ानी) को संगसार (पथराव करके मारना) करने के लिए पवित्र क़ुर्आन में स्पष्ट आदेश देता है तो फिर यदि जब्र की शिक्षा होती तो कौन संगसार हो सकता था। पवित्र क़ुर्आन में न एक न दो बल्कि इन्सान के इख़्तियार की सैकड़ों आयतें पाई जाती हैं। यदि आप चाहेंगे तो कोई पूर्ण सूची प्रस्तुत कर दी जाएगी। और इतना तो आप स्वयं भी जानते हैं कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वच्छन्द, अधिकृत (मुख़्तार) नहीं और उसकी शक्तियां और अवयव तथा अन्य आन्तरिक एवं बाह्य साधनों पर ख़ुदा तआला के शासन का सिलसिला जारी है और यही मत हमारा है। तो फिर क्यों उलटी बहस से बात को लम्बा करते हैं। देखिए जब इल्ज़ामी तौर पर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया कि तौरात में लिखा है कि ख़ुदा तआला ने फ़िरऔन का दिल कठोर कर दिया और इम्साल मैं लिखा है उपद्रवी नर्क के लिए बनाए गए। तो आप कैसी निकृष्ट तावीलें करते हैं और फिर आश्चर्य कि पवित्र क़ुर्आन की स्पष्ट आयतों पर कठोरता कर रहे हैं जिसने एक न किए द्वेष की सीमा तक आपको पहुंचा दिया है। किसी की यह कहावत उचित है "पर हिफ़्ज़ मरातिब न कुनी" अर्थात यदि प्रतिष्ठता का पालन न करें।

पवित्र क़ुर्आन केवल एक खण्ड का वर्णन करने के लिए नहीं आया बल्कि

ऐसे-ऐसे अवसरों पर दोनों खण्डों का वर्णन करना उसका कर्तव्य है। कभी अपने मुख्य कारण होने की दृष्टि से अपने अधिकारों का हाल वर्णन करता है और कभी मनुष्य के अधिकार के साथ विवश होने की दृष्टि से उसके इख़्तियार का वर्णन करता है। फिर एक बात को दूसरी बात में धंसा देना और अपने-अपने अवसर पर चरितार्थ न रखना यदि द्वेष नहीं तो और क्या है। यदि ऐतराज़ इसी को कहते हैं तो हम इस प्रकार की आयतों का एक भण्डार **आपकी तौरात और इंजील** से एक सूची सम्पादित करके प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु इन व्यर्थ और उलटी बातों से हमें सख़्त नफ़रत है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि इस मामले में तौरात, इंजील और क़ुर्आन में अन्तर के बिना शब्दों एवं अर्थों से पूर्ण सहमति है और विवाद ऐसी खुली-खुली सहमति में एक लज्जाजनक झगड़ा है। देखिए तौरात के ये शब्द मौजूद है- **"मैंने फ़िरऔन का दिल कठोर कर दिया।"** अब आप इन शब्दों को काट कर तथा नए शब्द बनाकर यह कहते हैं कि **"कठोर नहीं किया बल्कि उसे उपद्रवी होने दिया।"**

हालांकि फिर भी अंजाम एक स्थान पर जा ठहरता है। एक व्यक्ति के सामने एक बच्चा कुएँ के निकट बैठा है और गिरने को है तथा वह उसे बचा सकता था पर उसने न बचाया तो क्या उसका दोष नहीं। बहरहाल जब आप शब्दों पर गिरफ़्त करते हैं, तो क्या हमारा अधिकार (हक़) नहीं कि हम भी गिरफ़्त करें यदि क़ुर्आन के शब्दों पर पकड़ हो सकती है तो ऐसे ही शब्द तौरात में मौजूद हैं। विशेष तौर पर 'अम्साल' का हवाला आप के ध्यान योग्य है जिसमें स्पष्ट लिखा है- "मैंने उपद्रवियों को बुरे दिन के लिए बनाया।" अब आप यह लिखाते हैं कि ख़ुदा तआला कहता है कि "मैनें उपद्रवियों को अपने लिए बनाया" देखिए कहां बुरे दिनों के लिए और कहां अपने लिए। यह यदि तहरीफ़✶ (अक्षरांतरण) नहीं तो और क्या है? फिर आपके ख़ुदा तआला की मालिकियत पर अनुचित बहस शुरू करके लोगों को धोखा देना चाहा है। आप को स्पष्ट हो कि ख़ुदा तआला यद्यपि क़ुदुस (पुनीत) है परन्तु अपने कानून को उतारे बिना किसी की

✶**तहरीफ़-** शब्दों में परिवर्तन अर्थात् शब्दों को बदल देना। (अनुवादक)

पकड़ नहीं करता और यह बात भी है कि वह इसके अतिरिक्त कि वह स्वयं यह चाहता है कि कोई व्यक्ति उस से शिर्क (ख़ुदा का भागीदार बनाना) न करे और कोई उसका अवज्ञाकारी न हो तथा कोई उसके अस्तित्व (वुजूद) से इन्कार न करे और गुनाह के प्रकारों का आदेशों के उतारने के बिना वास्तविक गुनाह नहीं ठहरता। देखिए हज़रत आदम के समय में ख़ुदा तआला इस बात पर सहमत हो गया वास्तविक बहनों का उनके भाइयों से निकाह हो जाए और फिर विभिन्न योगों में कभी शराब पीने पर राज़ी हुआ और कभी उसका निषेध किया और कभी तलाक़ देने पर राज़ी हुआ और कभी तलाक़ का निषेध किया और कभी प्रतिशोध (इन्तिक़ाम) पर राज़ी हुआ और कभी प्रतिशोध का निषेध किया, तथा यह तो मनुष्य की क़ौम में है। जानवरों के प्रकार में यदि देखा जाए तो मां और बहन इत्यादि में कुछ भी अन्तर नहीं। बराबर और हर प्रकार से ख़ुदा तआला की दृष्टि के सामने अवैध काम होते हैं और उन्हीं से सन्तान होती है। अत: इस से सिद्ध है कि किताब के उतरने से पहले पकड़ क़ायम नहीं होती। और यह तो आप इक़रार कर चुके हैं कि ये समस्त आदेश बन्दे के लाभ के लिए होते हैं और इस बात का आप ने सही उत्तर नहीं दिया कि जिस हालत में इन समस्त आदेशों में मनुष्य का लाभ ही अभीष्ट है तथा ख़ुदा तआला के वादे एवं अज़ाब के वास्ते से पहले पकड़ भी नहीं होती। तो फिर जबकि बड़े आसान उपाय से यह उपाय इस प्रकार से चल सकता है कि ख़ुदा तआला अपने वादों के अनुसार तौबा करने वालों की तौबा स्वीकार करे तो फिर किसी दूसरे अनुचित उपाय की क्या आवश्यकता है। अब इस का शेष किसी दूसरे समय में वर्णन किया जाएगा। इस समय हम जिहाद के बारे में जो शेष भाग है वर्णन करते हैं। और वह यह है जैसा कि मैं वर्णन कर चुका हूं। जिहाद का आधार केवल शांति स्थापित करने और बुतों का वैभव तोड़ने और विरोधी आक्रमणों को रोकने के लिए है और यह आयत अर्थात्

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ

مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۲۹﴾

(सूर: अत्तौबा-29)

आपको क्या लाभ पहुंचा सकती है और इससे कौन सा जब्र सिद्ध हो सकता है। इसके मायने तो स्पष्ट हैं कि उन बेईमानों से लड़ो जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं लाते अर्थात् व्यावहारिक तौर पर पाप और बुराइयों में ग्रस्त हैं और हराम (अवैध) को हराम नहीं जानते और सच्चाई के मार्गों पर नहीं चलते जो अहले किताब में से हैं जब तक वे जिज़्या (कर) अपने हाथ से दें और वे तिरस्कृत हों। देखो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जो अपने विद्रोहों के कारण सच्चाई से रोकने वाले हैं और अवैध ढंगों से सच्चाई पर प्रहार करने वाले हैं उन से लड़ो और उन से धर्म के अभिलाषियों को मुक्ति दो। इससे यह कहां सिद्ध हो गया कि यह लड़ाई प्रारंभ में उनके आक्रमण के बिना हुई थी। लड़ाइयों के सिलसिले को देखना अति आवश्यक है और जब तक आप सिलसिले को नहीं देखोगे स्वयं जानबूझ कर या भूल से बड़ी ग़लतियों में डालोगे। सिलसिला तो यह है कि प्रथम काफ़िरों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के क़त्ल का इरादा करके अन्ततः अपने आक्रमणों के कारण उन को मक्का से निकाल दिया और फिर पीछा किया और जब कष्ट सीमा से बढ़ा **तो पहला आदेश लड़ाई** के लिए उतरा और वह यह था-

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿۴۰﴾ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ

(सूर: अलहज्ज-40,41)

अर्थात् उन लोगों को मुकाबले की इजाज़त दी गई उनके क़त्ल के लिए विरोधियों ने चढ़ाई की इस कारण से इजाज़त दी गई कि उन पर अत्याचार (ज़ुल्म) हुआ और ख़ुदा अत्याचार पीडित की सहायता करने पर सामर्थ्यवान है। ये वे लोग हैं जो अपने देशों से अकारण निकाले गए तथा उनका गुनाह इसके अतिरिक्त और कोई नहीं था कि हमारा रब्ब अल्लाह है।

देखिए यह पहली आयत है जिससे लड़ाइयों का सिलसिला आरम्भहुआ और फिर इसके बाद ख़ुदा तआला ने इस हालत में कि विरोधी लड़ाई करने से नहीं रुके, यह दूसरी आयत उतारी-

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۱﴾ (सूरः अलबक़रह-191)

अर्थात् जो लोग तुम से लड़ते हैं उनका मुकाबला करो और फिर भी सीमा से न बढ़ो, क्योंकि ख़ुदा तआला सीमा से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता।

फिर फ़रमाया-

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

(सूरः अलबक़रह-192)

अर्थात् क़त्ल करों उन्हें, जहां तुम पाओ और उसी प्रकार निकालो, जिस प्रकार उन्होंने निकाला।

फिर फ़रमाया-

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ (अलबक़रह-194)

अर्थात् उनका मुकाबला उस सीमा तक करो कि उनका विद्रोह (बग़ावत) दूर हो जाए और धर्म की रोकें दूर हो जाएँ और हुकूमत ख़ुदा के धर्म की हो जाए।

और फिर फ़रमाया-

قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ

(अलबक़रह-218)

अर्थात् पवित्र महीने में क़त्ल तो गुनाह है परन्तु ख़ुदा तआला के मार्ग से रोकना और कुफ़्र अपनाना और अल्लाह तआला के नेक लोगों को मस्जिद हराम से बाहर निकालना यह बहुत बड़ा गुनाह है और बग़ावत (विद्रोह) को फैलाना अर्थात् शान्ति भंग करना क़त्ल से बढ़कर है और ये लोग हमेशा क़त्ल के लिए

मुकाबला करेंगे ताकि यदि संभव हो तो तुम्हें सच्चे धर्म से विमुख कर दें।

और फिर फ़रमाया-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰہِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۵۲﴾ (अलबक़रह-252)

अर्थात् यदि अल्लाह तआला कुछ के उपद्रव को कुछ की सहायता के साथ दूर न करता तो पृथ्वी दूषित हो जाती।

फिर फ़रमाया-

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِہٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِّلصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۲۷﴾ (सूरः अन्नहल-127)

अर्थात् यदि तुम उनका **पीछा करो तो उसी सीमा तक करो** जो उन्होंने किया हो

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیْرٌ لِّلصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۲۷﴾ (सूरः अन्नहल-127)

और यदि सब्र करो तो वह सब्र करने वालों के लिए अच्छा है। और फिर अहले किताब का गुनाह बताने के लिए फ़रमाया-

یٰۤاَھْلَ الْکِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَھَا عِوَجًا (सूरः आले इमरान-100)

हे अहले किताब! तुम ईमान लाने वालों को ईमान लाने से क्यों रोकते हो और टेढ़ापन अपनाते हो, अतः यही कारण था कि अहले किताब के साथ लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि वे सच्चाई के निमन्त्रण में बाधक हुए और मुश्रिकों की उन्होंने सहायताएं कीं तथा उनके साथ मिलकर इस्लाम को मिटाना चाहा जैसा उसका विस्तृत विवरण पवित्र क़ुर्आन में मौजूद है। तो फिर लड़ने एवं आक्रमण को रोकने के अतिरिक्त और क्या उपाय था, परन्तु फिर भी उनको क़त्ल करने का आदेश नहीं दिया, अपितु फ़रमाया-

حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَّدٍ وَّ ھُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۲۹﴾ (सूरः अत्तौबा-29)

अर्थात् उस समय तक उन से लड़ो जब तक ये जिज़्या अपमानित हो कर

दे दें और स्पष्ट तौर पर कह दिया अर्थात् जिहाद में (लड़ने में) इस्लाम की तरफ़ से प्रारंभ नहीं हुआ जैसा कि उसका कथन है-

وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (सूर: अत्तौबा-13)

अर्थात् उन्हीं विरोधियों ने लड़ने में पहल की। फिर जबकि उन्होंने स्वयं पहल की, देश से निकाला सैकड़ों निर्दोषों को क़त्ल किया, पीछा किया और अपने बुतों की सफलता को प्रसिद्धि दी तो फिर उनका दमन करने के अतिरिक्त कौन सा सच्चाई का मार्ग बुद्धिमत्ता के यथायोग्य था। इसके मुकाबले पर हज़रत मूसा की लडाइयां देखिए, जिन लोगों के साथ हुईं उन से कौन से कष्ट और यातनाएं पहुँची थीं। और उन लड़ाइयों में कैसी क्रूरता की गई कि कई लाख निर्दोष बच्चे क़त्ल किए गए। देखो गिनती 31/17, इस्तिस्ना 20/1, सैमुअल प्रथम 18/17 फिर सैमुअल प्रथम 25/28, इस्तिस्ना 20/10 और इन आयतों के अनुसार यह भी सिद्ध हो गया कि पहले सुलह सन्देश भी भेजा था, जैसा इस्तिस्ना 20/10 से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त जिज़्या (कर) लेना भी सिद्ध है। जैसे काज़ियों की किताब अध्याय प्रथम, आयत-28,30,33,35,38 और यूशा 16/10

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

बारहवां पर्चा

मुबाहसा 3, जून 1893 ई.

जल्से का वृत्तान्त

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 6 बजकर 02 मिनट पर लिखाना आरम्भकिया और 7 बजकर 04 मिनट पर समाप्त हुआ, और ऊँचे स्वर में सुनाया गया। मिर्ज़ा साहिब ने 7 बजकर 27 मिनट पर लिखाना आरम्भकिया और 8 बजकर 20 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर से सुनाया गया, फिर डिप्टी

साहिब ने 9 बजकर 24 मिनट पर आरम्भकिया और 10 बजकर 20 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया, फिर लेखों पर दोनों अध्यक्षों के हस्ताक्षर होकर जल्सा समाप्त हुआ।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम की ओर से

3, जून 1893 ई.

1, जून का शेष- ईमान बिलजब्र (बलपूर्वक) पर देखो-

सूरः अन्फ़ाल में लिखा है- कि

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ

(सूरः अनफ़ाल-40)

(1)-अर्थात् क़त्ल करो उनको यहाँ तक कि न रहे फ़ित्ना और धर्म हो जाए कुल अल्लाह के लिए (सूरः तौबा रुकू-1) अर्थात् जब गुज़र जाएं शरण के महीने तो मारो मुश्रिकों को और ढूंढो उनको और लगे रहो घात पर उनकी। किन्तु यदि तौबा करें और नमाज़ तथा ज़कात अदा करें तो उनके मार्ग को छोड़ दो। और यदि कोई मुश्रिक शरण मांगे तो ख़ुदा का कलाम सुनने तक शरण दो फिर पहुंचा दो उनको अमन के स्थान पर।

फिर सूरः तौबा के प्रथम रुकू में लिखा है कि कह दे पीछे रहे गंवारों को कि आगे तुम को मुकाबला करना होगा एक बहुत लड़ने वाले गिरोह का, तुम उनको मारोगे और या वे मानेंगे। विवादित आयत के अतिरिक्त ये और आयतें हैं जो स्पष्ट तौर पर ईमान बिल जब्र की तरफ़ संकेत करती हैं। उनके वे अतिरिक्त जो क़ुर्आन में प्रतिरक्षात्मक जिहाद, प्रतिशोधात्मक जिहाद तथा व्यवस्थात्मक जिहाद बहुत से वर्णन हैं उनका हमें कभी इन्कार न था। जिहाद के प्रकारों में से यह विशेष प्रकार है जिस पर हमारा अभीष्ट है और जो ईमान बिल जब्र पर

संकेत करता है। इसके क्या मायने हैं कि यहाँ तक क़त्ल कर कि अल्लाह के धर्म का विरोध शेष न रहे और कुल धर्म अल्लाह ही का हो जाए। फिर इसके क्या मायने हैं कि यदि तौबा करें, नमाज़ तथा ज़कात अदा करें तो उनका मार्ग छोड़ दो अन्यथा हर मार्ग से उनको मारो। फिर उनमें से भी यदि कोई मुश्रिक शरण मांगे तो ख़ुदा के कलाम को सुन लेने तक उनको शरण दे दो तथा इसके बाद अमन के स्थान में पहुँचा दो अर्थात् अमन के ऐसे स्थान में कि अन्य लोग उनको कष्ट न दें और वे इस्लाम से विमुख हो कर मुसलमानों को कष्ट न दें। फिर इसके क्या मायने हैं कि तुम उनको क़त्ल करोगे या वे ईमान लाएंगे स्पष्ट ख़ुलासा यह कि ईमान बिल जब्र की कुल बातों के ऊपर आदेश करते हैं।

पर्चा द्वितीय 2, जून को शेष उत्तर- फिर आप ने कलाम के साक्षात होने पर विवाद किया है। कलाम अर्थात् दूसरा उक़्नूम जब इंजील यूहन्ना के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि कलाम साक्षात हुआ। किन्तु उसके लिए द्योतक होना मसीहियत के पद के तीस वर्ष की उम्र में प्रकट हुआ। जब रूहुल क़ुदुस उतरा और आवाज़ आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है। मैं उससे राज़ी हूं। आप बार-बार जो तौहीद में तस्लीस के मामले पर ऐतराज़ करते हैं आप पर अनिवार्य है कि पहले केवल तौहीद (एकेश्वरवाद) को बहुत सी विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ दिखा दें। स्पष्ट रहे कि सिफ़त (विशेषता) की परिभाषा यह है कि वह एक शक्ति हो जो एक विशेष प्रकार पर हावी (अधिपत्य रखना) हो। अर्थात् जैसे प्रकाश केवल प्रकाश का ही काम करता है इत्यादि वैसी ही हस्ती जो समस्त विशेषताओं की संग्रहीता होने का एक ही काम करती है।

यह न भूलना कि हम विशेषता को उक़्नूम कहते हैं। हमारे उक़्नूम के मायने निश्चित व्यक्ति के हैं कि विशेषताओं का संग्रह हो और हमारा तर्क जो विशेषता के भाग से लिया गया है उससे हमारा संकेत यह है **जो भाग पर चरितार्थ होता है** वह कुल पर भी होता है। तीनों उक़्नूम के बारे में यह स्थिति वर्णन करते हैं कि जैसे एक चीज़ स्वयं में स्थापित होती है और दूसरी उसके समान एक दूसरे के लिए अनिवार्य होती है वैसे ही प्रथम उक़्नूम कि जिसको

आप कहते हैं कि स्वयं में स्थापित है और दूसरे उक़्नूम अर्थात् बेटा और रूहुल क़ुदुस उसमें परस्पर अनिवार्य हैं तथा ऐसी चीज़ें जो एक स्वयं में स्थापित हों और दूसरी परस्पर अनिवार्य पूर्ण वास्तविकता को विभाजित नहीं करती यद्यपि अपनी पृथक-पृथक पहचान रखती है।

(3)- रूहुल क़ुदुस के कबूतर के रूप में उतरने पर आप ने एक उपहास किया है कि कबूतर क्या वस्तु है एक छोटा सा जानवर, क्यों न हाथी ओर ऊँट की शक्ल में उसने अवतरण किया तो उसके उत्तर में आपको स्पष्ट हो कि कबूतर को कष्ट रहित करके लिखा है और नूह के तूफ़ान का समय सुरक्षा की ख़बर देने का। इसलिए इसका संकेत यह कि वह कबूतर के रूप में उतरी और हाथी एवं ऊँट को तौरात में अपवित्र जानवर करके लिखे हैं। उनके रूप में रूहुल क़ुदुस नहीं आ सकता था, किन्तु आप के चुटकुलों पर यदि कोई कहे कि आपके इन्सानी पेशवा अरबी नबी ने किस लिए छोटे से इन्सानी अस्तित्व में प्रकटन किया, क्यों न सीमुर्ग में प्रकटन तो आप इस चुटकुले को क्या कहेंगे।

(4)- मूसा जबकि कहता है कि आने वाले नबी की जो मेरे सदृश दरमियान में होगा, उसकी सुनो तो कौन बड़ा हुआ? वह जिसकी सुनी जाए या वह जिसका सुनना बंद हो जाए? फिर इब्रानियों के पत्र के 3/5 में यह लिखा है कि मूसा घर का सेवक था और यसू अल मसीह मालिक (स्वामी)। और फिर मूसा यसू मसीह को पहाड़ पर मिलने के लिए आया। यसू उसको मिलने के लिए नहीं गया तो बड़ाई किस की अधिक है?

(5)- आपक यह विचार ग़लत है कि कोई चमत्कार छोटा और कोई बड़ा भी होता है। एक ही क़ुदरत (शक्ति) के हाथ की दो कारीगरियाँ होती हैं। मक्खी का बनाना और हाथी का बनाना एक ही क़ुदरत चाहता है परन्तु मुझे यहां बड़ा आश्चर्य यह है कि आपने इस्लाम के नबी का छोटा या बड़ा कोई भी चमत्कार सिद्ध न किया, केवल दूसरों के ही चमत्कार से दिल ख़ुश किया या अपने कश्फ़ और चमत्कारों का कुछ वर्णन किया कि जिस का सबूत ग़ैरों पर कभी कुछ नहीं हुआ।

(6)- **यसू मसीह ने अपने गुनाहों का कभी इक़रार नहीं** किया न शब्दों में न प्रसंग में न उसके ऊपर कभी फ़त्वा लगा।

यह तो सच है कि क़ुर्आन इन्सान को केवल जब्रिया ही नहीं ठहराता बल्कि एक ओर जब्रिया और दूसरी और क़द्रिया अर्थात् अधिकार रखने वाला। किन्तु हमारा कहना यह है कि जब्र इस में प्राथमिकता रखता है और ये दो परस्पर विरोधाभासी भी हैं। अत: जब्र के प्रभुत्व का हवाला हम और आयतों से भी देते हैं।

(1)- सूरः निसा के रुकू 10 में है जिस के अर्थ ये हैं जो कहते हैं कि भलाई अल्लाह की ओर से है और बुराई तेरी ओर से। तू कह उन से कि सब कुछ अल्लाह ही की ओर से है।

(i)-फिर सूरः निसा के रुकू 11 में है कि जिसको अल्लाह ने गुमराह किया, तुम उसको मार्ग पर नहीं ला सकते और उसके लिए कोई मार्ग शेष नहीं।

(ii)-फिर सूरः माइदह के रुकू 7 में है, यदि ख़ुदा चाहता तो एक ही धर्म हर एक को देता, किन्तु उसे तुम्हारी परीक्षा लेना दृष्टिगत था। फिर सूरः अन्आम के रुकू 17 में है कि कहते हैं कि यदि चाहता अल्लाह तो हम भागीदार न ठहरा लेते, ऐसा ही पहले भी काफ़िर कहते रहे।

9- आप ने इन्सान के अधिकृत कार्य पर चरितार्थ का शब्द ग़लत लगाया है बल्कि वह अपनी निश्चित सीमाओं में पूरा कार्य के लिए अधिकृत है। मैंने यह कभी नहीं माना जो आप कहते हैं कि अधिकृत कार्य में दूसरे का भी कुछ हस्तक्षेप है और न मैं कुछ टेढ़ी बहस करता हूं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का विचार उसके साहस के अनुसार होता है। यह अधिकृत एवं अनधिकृत कार्य का उलट मनुष्य में तो केवल क़ुर्आन में ही पाया जाता है।

10- कठोर हृदय (निर्दय) फ़िरऔन के मायने हम बार-बार कर चुके हैं। इसके बाद इसे दोहराना व्यर्थ है।

11- अम्साल के अध्याय-16/4 में यह नहीं लिखा कि उपद्रवी को उपद्रव के लिए बनाया गया परन्तु बुरे दिन के लिए, जिसकी व्याख्या हिज़्क़ील के 18/23,32 और 32/11 और पतरस के दूसरे पत्र 3/9 में और पहला तमताऊस

के 2/4 में यह लिखा है कि उपद्रवियों को मुक्ति की ढील दी जाती है और ख़ुदा की ख़ुशी इस में नहीं जैसा कि क़ुर्आन आप के नबी के बारे में कहता है कि-

وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ (मुहम्मद - 20)

माफ़ी मांग अपने गुनाहों के लिए और मोमिन पुरुषों तथा मोमिन औरतों के लिए।

बपतस्मा पाने में यसू ने अपनी मनोकामना स्वयं व्यक्त कर दी है अर्थात् यह कि कुल सच्चाई पूरी हो। अर्थात् वर्तमान शरीअत का अनुकरण किया जाए। और स्पष्ट रहे कि मूसा की शरीअत और पहले नबियों का अमल ईद पेंटीकोस्ट के दिन तक रहा है। जबकि मसीह जीवित होकर आसमान की तरफ चढ़ा, तब से ईसवी शरीअत जारी हुई अन्यथा इसके पहले (पहले नबियों) की शरीअत थी पीछे की चर्चा तक न थी। अब फिर जो आप यूहन्ना को मसीह बपतस्मा देने के कारण बड़ा ठहराते हैं, यूहन्ना स्वयं यह कहता है कि मैं उसके जूते का तस्मा खोलने के योग्य नहीं और यह कि वह बर्रा है जो सब गुनाहों के लिए ज़िबह होगा, वह जो आप ने पुन: नेक शब्द के ऊपर विवाद किया है उसका उत्तर बार-बार दिया गया है। अब और कुछ कहना आवश्यक नहीं, परन्तु इतना याद कराना पर्याप्त है कि वह बात जो उसने उस व्यक्ति से की कि तू मुझे नेक क्यों कहता है जबकि नेक एक ख़ुदा के अतिरिक्त कोई नहीं। इसी व्यक्ति से अन्त में यह भी कहा था कि यदि तू कामिल (पूर्ण) होना चाहता है तो अपना सारा माल असहायों में बाँट दे और मेरे पीछे हो ले, परन्तु वह दु:खित होकर चला गया। इस से क्या प्रकट होता है कि प्राणों और मालों का वह मालिक था और वह व्यक्ति नहीं मानता था कि यह मालिक है। इसलिए उसे सतर्क किया गया कि इससे तू मुझे ख़ुदा नहीं जानता। यहूदियों के लोगों की आस्थानुसार ख़ुदा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता तो फिर मक्कारी से मुझे तू नेक क्यों कहता है। यह उसकी मक्कारी (छल) का सुधार था न कि ख़ुदाई से इन्कार।

7- इन्सान मसीह का शैतान से परीक्षा लिया जाना उसकी ख़ुदाई की इसमें

क्या हानि है। इन्सान होकर परीक्षा में खड़ा किया गया और जो प्रथम आदम गिर कर खो बैठा था उसने खड़ा रह कर पा लिया। फिर उसमें ऐतराज़ का कौन सा स्थान है और उपद्रवी अपने उपद्रव में मर जाए। अतः यह ग़लत है कि उपद्रवी को उपद्रवी बनाया गया है, जैसे यह सामान्य ग़लती है कि शैतान को शैतान बनाया गया। सही यह है कि शैतान को मुकद्दस (पुनीत) फ़रिश्ता बनाया गया था फिर उसने गुनाह करके स्वयं को शैतान बना लिया, और यह भी ग़लत है कि उपद्रवी बनाने या उपद्रवी होने का अंजाम एक ही है। और वह बच्चे का उदाहरण भी जो आपने दिया सुधार योग्य है कि यदि वह नेक और बाद की वास्तविकता से परिचित नहीं या नेकी करने की शक्ति **तथा बदी** करने की शक्ति नहीं रखता तो न्याय की पकड़ से भी बरी है। उसका मरना नर्क के लिए नहीं।

12- आपने मुझे जो धोखेबाज़ ठहराया है इसके लिए मेरी तरफ़ से आपको सलाम पहुँचे आप के कहे बिना ही मेरी तरफ़ से माफ़ी भी।

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ओर से

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब ने पुनः पवित्र क़ुर्आन की ऐसी आयतें लिखी हैं जिस से वह ईमान बिलजब्र का परिणाम निकालना चाहते हैं। अफ़सोस वह उन आयतों के प्रस्तुत करने में एक कण भर भी इन्साफ से काम नहीं लेते। हमने पहले लेख में स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि पवित्र क़ुर्आन में हरगिज़-हरगिज़ जब्र की शिक्षा नहीं है।

पहले काफ़िरों ने आरम्भकरके सैकड़ों मोमिनों को कष्ट दिए, उनकी मातृभूमि से निकाला और फिर पीछा किया और जब उनका अत्याचार चरम सीमा को पहुँच गया और उनके अपराध ख़ुदा तआला की दृष्टि में दण्डनीय ठहर गए,

तब अल्लाह तआला ने यह वह्यी उतारी।

اُذِنَ لِلَّذِیۡنَ یُقٰتَلُوۡنَ بِاَنَّهُمۡ ظُلِمُوۡا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیۡرُ ۙ

(अलहज्ज-40)

अर्थात् जिन लोगों पर अर्थात् मुसलमानों पर अत्याचार हुआ और उन्हें क़त्ल करने के लिए अग्रसर हुए, अब अल्लाह तआला भी उन्हें मुकाबला करने की अनुमति देता है। फिर चूंकि अरब के लोग व्यर्थ के रक्त्पातों के कारण जो वे पहले कर चुके थे और बुरे-बुरे आरंभों से मुसलमानों को क़त्ल कर चुके थे। इसलिए वे एक व्यक्तिगत खून के बदले में खून के पात्र हो गए थे और इस योग्य थे कि जिस प्रकार उन्होंने अकारण निर्दोषों को बुरे-बुरे अज़ाब पहुँचा कर क़त्ल किया, उसी प्रकार उनका भी क़त्ल किया जाए। और जैसा कि उन्होंने मुसलमानों को अपनी **मातृभूमि से** निकाल कर तबाही में डाला तथा उनके मालों एवं संपत्तियों और घरों पर कब्ज़ा कर लिया ऐसा ही उनके साथ किया जाए। परन्तु ख़ुदा तआला ने दया के तौर पर जैसी और नर्मी की है कि उनके बच्चे न मारे जाएँ उनकी स्त्रियां क़त्ल न हों ऐसी ही यह भी नर्मी कर दी कि यदि उनमें से कोई क़त्ल होने से पहले स्वयं ईमान ले आए तो वह उस दण्ड से बचाया जाए। जो उसके पहले अपराधों और रक्त्पातों के कारण उस पर अनिवार्य होता था। इस वर्णन से सम्पूर्ण क़ुर्आन भरा हुआ है। जैसा कि यही आयत जो प्रस्तुत कर चुका हूं स्पष्ट तौर पर वर्णन कर रही है और उसकी साथ की दूसरी आयत भी-

الَّذِیۡنَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِیَارِهِمۡ بِغَیۡرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنۡ یَّقُوۡلُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ

(अलहज्ज-41)

अर्थात् वे अत्याचार पीड़ित (मज़्लूम) जो अपनी मातृभूमि से बिना किसी गुनाह के निकाले गए, केवल इस बात पर कि वे कहते थे हमारा रब्ब अल्लाह है। फिर इसके बाद यह आयत प्रस्तुत करता हूं अर्थात्-

وَ قَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّ یَکُوۡنَ الدِّیۡنُ کُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ

(अल अनफ़ाल-40)

अर्थात् अरब के उन मुश्रिकों को क़त्ल करो यहां तक कि विद्रोह (बग़ावत) शेष न रह जाए और दीन अर्थात् हुकूमत अल्लाह तआला की हो जाए। इससे तो केवल इतना पाया जाता है कि उस सीमा तक लड़ो कि उनका ज़ोर टूट जाए और उपद्रव एवं फसाद समाप्त हो जाए। कुछ लोग जैसे गुप्त तौर पर इस्लाम लाए हुए हैं प्रत्यक्ष में भी इस्लामी आदेशों को अदा कर सकें। यदि अल्लाह तआला का उद्देश्य ईमान बिलजब्र होता जैसा कि डिप्टी साहिब समझ रहे हैं तो फिर जिज़्या और सुलह तथा समझौते क्यों वैध रखे जाते? और क्या कारण था कि यहूदियों तथा ईसाइयों के लिए यह अनुमति दी जाती कि वे जिज़्या देकर अमन में आ जाएँ और मुसलमानों की छत्र-छाया में अमन के साथ जीवन व्यतीत करें। डिप्टी साहिब महोदय ने मामनः शब्द की जो व्याख्या की है वह व्याख्या ग़लत है। अर्थात् उस आयत की जिसका मतलब यह है कि यदि कोई मुश्रिक पवित्र क़ुर्आन को सुनना चाहे तो उसे अपनी शरण में ले आओ।

जब तक वह ख़ुदा के कलाम को सुने फिर उसे उसी के मामन (शरण स्थली) में पहुँचा दो और इस आयत के आगे यह आयत है-

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ (अत्तौबा-6)

अर्थात् यह नर्मी इसलिए है कि यह क़ौम **अपरिचित है**। अब डिप्टी साहिब ये अर्थ करते हैं कि जैसे उसको ख़ुदा का कलाम सुनने के पश्चात ऐसी जगह पहुँचा दो जहां से भाग न सके। जबकि इन्साफ और समझ का यह हाल है तो बहस का परिणाम मालूम। आप नहीं समझते कि ख़ुदा के कलाम के तो शब्द ये हैं-

ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ط (अत्तौबा-6)

अर्थात् फिर उस मुश्रिक को उसकी अमन की जगह में पहुँचा दो। अब ऐसे साफ़, सीधे और खुले-खुले शब्द में परिवर्तन करना और यह कहना कि ऐसी जगह पहुँचा दो कि वह भाग न सके और मुसलमानों के कब्ज़े में रहे। एक व्यापक सच्चाई का कितना खून करना है। फिर डिप्टी साहिब इस आयत को

प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें चार महीने के गुजरने पर क़त्ल का आदेश है और नहीं समझते कि वह तो उन अपराधियों के बारे में है जो समझौतों को तोड़ते थे। जैसा कि महा प्रतापी ख़ुदा फ़रमाता है-

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ (अत्तौबा-7)

जिसका मतलब यही है कि समझौतों के तोड़ने के बाद उनके कथन और इक़रार का क्या विश्वास रहा? और फिर फ़रमाता है-

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾ (अत्तौबा-10)

ये मुश्रिक न किसी समझौते का ध्यान रखते हैं न किसी निकट संबंध का और सीमा से बाहर निकल जाने वाले हैं।

फिर फ़रमाता है-

وَ اِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿۱۲﴾ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ (अत्तौबा-12,13)

अर्थात् यदि ये मुश्रिक तोड़ें अपनी क़समें समझौता करने के बाद और तुम्हारे धर्म पर व्यंग्य करें तो तुम कुफ़्र के सरदारों से लड़ो क्योंकि वे अपनी क़समों पर क़ायम नहीं रहे ताकि वे रुक जाएँ। क्या तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी क़समों को तोड़ दिया। और रसूल को निकाल देने का फैसला किया और उन्होंने ही यातना देने तथा क़त्ल करने के लिए पहल की। अब इन समस्त आयतों पर गहरी दृष्टि डाल कर एक बुद्धिमान समझ सकता है कि इस स्थान से जब्र का कुछ भी संबंध नहीं बल्कि अरब के मुश्रिकों ने अपनी यातना एवं रक्तपात को यहां तक पहुंचा कर स्वयं को इस योग्य कर दिया था कि जैसा कि उन्होंने मुसलमानों के पुरुषों को क़त्ल किया और उनकी स्त्रियों को **बड़ी निर्दयता से मारा** और उनके बच्चों को क़त्ल किया। वे इस योग्य ठहर गए थे कि हज़रत मूसा के जिहाद के कानून के अनुसार उनकी स्त्रियां भी क़त्ल की

जाएँ, उनके बच्चे भी क़त्ल किए जाएँ, उनेक युवा और बूढ़े सब तलवार से क़त्ल किए जाएं और उनको उनके देशों से निकाल कर उनके शहरों एवं देहात को जला दिया जाए। किन्तु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया बल्कि उनसे हर प्रकार से नर्मी की, यहां तक कि उनके क़त्ल योग्य होने के बावजूद जो अपने रक्त्पातों के कारण वे इसके योग्य हो गए थे। उनके साथ यह भी नर्मी की गई कि यदि उनमें को कोई अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाए तो अमन में आ जाए।

अब इस नर्म और दया से भरे आचरण पर ऐतराज़ किया जाता है और हज़रत मूसा की लड़ाइयों को पवित्र समझा जाता है। अफ़सोस, हज़ार अफ़सोस यदि उस समय इन्साफ हो तो इस अन्तर को समझना कुछ कठिन न था। आश्चर्य कि वह ख़ुदा कि जिसने हज़रत मूसा को आदेश दे दिया कि तुम मिस्र से अकारण निर्दोष लोगों के बर्तन और आभूषण अस्थायी तौर पर लेकर और झूठ बोलकर उन वस्तुओं को अपने कब्ज़े में करके फिर अपना माल समझ लो और दुश्मनों के मुकाबले पर ऐसी निर्दयता (बेरहमी) करो कि उनके कई लाख बच्चे क़त्ल कर दो और लूट का माल ले लो और उसमें से एक भाग ख़ुदा का निकालो और हज़रत मूसा जिस स्त्री को चाहें अपने लिए पसन्द करें तथा कुछ स्थितियों में जिज़्या (टैक्स) भी लिया जाए तथा विरोधियों के शहर और देहात जला दिए जाएँ। वही ख़ुदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में अपनी ऐसी नर्मियों के बावजूद फ़रमाता है- बच्चों को क़त्ल न करो, औरतों को क़त्ल न करो, ईसाई सन्यासियों से कुछ न कहो, खेतों को मत जलाओ, गिरजों को ध्वस्त न करो और उन्हीं का मुकाबला करो जो तुम्हारे क़त्ल करने के लिए पहले आगे आए हैं और फिर यदि वे जिज़्या (टैक्स) दे दें या यदि अरब के गिरोह में से हैं जो अपने पिछले रक्त्पातों के कारण क़त्ल करने योग्य हैं, तो ईमान लाने पर उनको छोड़ दो यदि कोई व्यक्ति ख़ुदा का कलाम सुनना चाहता है तो उसे अपनी शरण में ले आओ और वह सब सुन चुके तो उसको उसकी अमन की जगह में पहुँचा दो। अफ़सोस कि अब वही ख़ुदा ऐतराज़ का लक्ष्य

बनाया गया है। अफ़सोस कि ऐसी उत्तम और उच्च शिक्षा पर वे लोग ऐतराज़ कर रहे हैं जो तौरात के उन रक्तपातों को जिनसे बच्चे भी बाहर नहीं रहे ख़ुदा तआला की ओर से समझते हैं। फिर डिप्टी साहिब ने अपने बिना बदले के रहम के वर्णन के समर्थन में कहा था कि यह बात ग़लत है कि न्याय से पहले रहम (दया) होता है बल्कि न्याय से पहले जो व्यवहार किया जाता है उसका नाम गुडनिस है जो न्याय के बाद आरम्भहोता है। अफ़सोस कि डिप्टी साहिब महोदय ग़लती पर ग़लती करते जाते हैं मैं उनकी किस-किस ग़लती का सुधार करूँ। स्पष्ट हो कि गुडनिस नेकी या उपकार विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है बल्कि एक हालत के परिणाम एवं प्रतिफलों में से है। वह चीज़ जिस का नाम विशेषता रखा जाए वह इस स्थान पर दया के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से नामित नहीं हो सकती। और दया (रहम) उस स्थिति का नाम है कि जब इन्सान या अल्लाह तआला किसी कमज़ोर, निर्बल, शक्तिहीन या कष्टग्रस्त और मुहताज सहायता पाकर उसकी सहायता के लिए ध्यान देता है फिर वह सहायता चाहे किसी प्रकार से प्रकट हो उसका नाम गुडनिस रख लो या उसको नेकी या उपकार कह दो। हो सकता है उपकार कोई विशेषता नहीं है और दिल में अटल किसी स्थिति का नाम नहीं है बल्कि वह उस अटल स्थिति अर्थात् दया का अनिवार्य परिणाम है। उदाहरणतया जब एक असहाय, मुहताज भूखा हमारी दृष्टि के सामने आएगा तो उसकी शक्तिहीनता और निर्बलता की पहली हालत देखकर हमारे दिल में उसके लिए दया की एक स्थिति पैदा होगी तब उस दया के जोश से हम नेकी करने की सामर्थ्य पाएँगे और आप का वह गुडनिस प्रकटन में आएगा। तो अब देखो वह गुडनिस दया की विशेषता का एक फल और अनिवार्य परिणाम हुआ या स्वयं दया की बजाए एक विशेषता है। न्याय करने वाले इसको स्वयं देख लेंगे।

फिर आप कहते हैं कि दया न्याय के बाद पैदा होती है। इस बयान से आपका मतलब यह है ताकि पवित्र क़ुर्आन अर्थात् सूरः फ़ातिहा में जो आयत

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ۝۱ (अलफ़ातिहा-1)

है उस पर रद्द करें। परन्तु अल्लाह तआला की क़ुदरत है इससे तो स्वयं आप के ज्ञान की हालत की क़लई खुल जाती है। इस बात को कौन नहीं जानता कि रहम (दया) जैसा कि मैं अभी वर्णन कर चुका हूं कि कमज़ोर या शक्तिहीन या कष्टग्रस्त को देख कर पैदा होता है, यह नहीं कि **न्याय के बाद** प्रकटन में आए। ऐसा ही तौरात में है अज़्रा 3/11, नहमियाह 9/3, 9/19, ज़बूर 86/5,106/1 और आप का यह कथन जो बार-बार प्रस्तुत कर रहे हैं जो दया और न्याय की मानो परस्पर लड़ाई है और उस लड़ाई को कम करने के लिए कफ़्फ़ारः प्रस्तावित हुआ। आपका यह बयान सर्वथा ग़लत है कि गुनाह उस समय पैदा होता है कि जब प्रथम आज्ञाकारी होने का कानून जारी हो जाए, क्योंकि अवज्ञा, आज्ञाकारिता के बाद हुआ करती है। फिर जबकि स्थिति यह है तो स्पष्ट है कि जब कानून उतरेगा और ख़ुदा तआला की किताब अपने वादों के अनुसार कार्रवाई करेगी अर्थात् इस प्रकार के आदेश होंगे कि अमुक व्यक्ति अमुक नेक काम करे तो उसका प्रतिफल यह होगा या बुरा काम करे तो उसका दण्ड यह होगा। अत: इस स्थिति में कफ़्फ़ारे का अधिकार किसी प्रकार से वैध नहीं जबकि अज़ाब के वादे के अनुसार फैसला होता है तो एक बेटा नहीं यदि हज़ार बेटे भी सलीब पर मारे जाएँ तब भी वादा भंग नहीं हो सकता और किसी किताब में नहीं लिखा कि ख़ुदा तआला अपने वादों को तोड़ता है जबकि सारा आधार वादों पर है किसी हक़ पर नहीं है। अत: वादों के अनुसार फैसला होना चाहिए। आपका यह बार-बार कहना कि अधिकारों के अनुसार फैसला होता है मुझे आश्चर्य चकित करता है। आप नहीं सोचते कि ख़ुदा तआला के सामने किसी का अधिकार नहीं है। यदि अधिकार होता तो फिर ख़ुदा तआला पर हर ओर से सैकड़ों ऐतराज़ क़ायम होते जैसा कि मैं लिख चुका हूं कि कीड़े-मकोड़े और हर प्रकार के प्राणी जो ख़ुदा तआला ने पैदा किए क्या यह पकड़ कर सकते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया। इसी प्रकार ख़ुदा तआला भी किताब के उतरने से पहले अर्थात् किताब भेजने से पहले किसी की पकड़ नहीं करता। और यों तो ख़ुदा तआला के अधिकार

उसके बन्दों पर इतने हैं कि जितनी उसकी नेमतें हैं अर्थात् गिनती में नहीं आ सकते। किन्तु गुनाह केवल वही कहलाएंगे जो किताब उतरने के बाद अवज्ञाओं की श्रेणी में आ जाएँगे। और जबकि यह स्थिति है तो इस से सिद्ध हुआ कि ख़ुदा तआला वास्तव में सामान्य तौर पर अपने अधिकारों की मांग नहीं करता क्योंकि वे असंख्य और बेशुमार हैं बल्कि अवज्ञाओं की पकड़ करता है और अवज्ञाओं जैसा कि मैं वर्णन कर चुका हूं वादा और अज़ाब के वादे से सम्बद्ध हैं अर्थात् यदि नेकी करे तो उसे अवश्य नेक प्रतिफल मिलेगा और यदि बुराई करे तो उसे बुरा प्रतिफल मिलेगा और इसके साथ यह भी वादा है कि ईमान और तौबा पर मुक्ति मिलेगी। अत: फिर इस स्थिति में कफ़्फ़ारे का क्या संबंध रहा? क्या किसी के सलीब पर मरने से अल्लाह तआला अपने वादों से अलग हो सकता है? साहिब यह तो कानूनी दण्ड हैं जो मनुष्य को मिलेंगे। अधिकारों के दण्ड नहीं जैसा कि आप का भी यही मत है। फिर जबकि यह स्थिति है तो ये प्रतिफल और दण्ड केवल वादा और अज़ाब के वादे की दृष्टि से हो सकते हैं अन्य कोई उपाय नहीं है जो इसके विरुद्ध हो। यह बात सच है कि अल्लाह तआला बुराई पर प्रसन्न नहीं कुफ्र पर प्रसन्न नहीं। इससे कौन इन्कार करता है। किन्तु अपराध उसी समय अपराध कहलाते हैं जब कानून उन को अपराध ठहराए अन्यथा संसार में सैकड़ों प्रकार की अवैध बातें हुईं और हो रही हैं वे यदि ख़ुदा की किताब से बाहर हो तो अपराध क्योंकर हो सकते हैं। उदाहरणतया जैसे मनुष्य क़त्ल एवं रक्तपात करता है, एक दरिन्दा भी जैसे शेर हमेशा रक्तपात करके अपना पेट भरता है और जैसे मनुष्य को निकाह के मामलों से संबंधित मां-बहन और रिश्तों से बचाव होता है, जानवरों में यह भी नहीं पाया जाता तथा यह भी है कि मनुष्यों में शरीअत के माध्यम से भी ऐसे आदेश बदलते रहे हैं कि हज़रत मूसा को अनुमति हुई कि लड़ाई में जो स्त्रियां पकड़ी जाएँ उनमें से जिसको पसन्द कर लें अपने लिए रख लें, बच्चों को क़त्ल कर दें, दूसरों का माल लूट के तौर पर लेकर अपने कब्ज़े में करें और बहुत दूर के पडावों तक उस पर खान-पान का गुज़ारा हो, लोगों के शहरों को

जला दें। परन्तु यह अनुमति दूसरी शरीअतों में कहां हुई?

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

बयान डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब

आज का पिछला शेष बयान

14- मूसा की लड़ाइयों में अमान की शर्त पर शरण आप नहीं दिखा सकेंगे और विपत्तियों में जैसा कि नूह का तूफ़ान था और मरयान में आप नहीं कह सकते कि ख़ुदा के आदेश से नहीं या मासूम (निर्दोष) उनमें मारे जाने से दोषी ठहर जाते हैं। या तो इन्कार कीजिए कि तौरात ख़ुदा का कलाम नहीं या ऐतराज़ो को बंद कीजिए। हमारे ऐतराज़ क़ुर्आन के ऊपर ख़ुदा की विशेषताओं के विपरीत होने के कारण हैं और इससे हमारा परिणाम यह है कि वह ख़ुदा का कलाम नहीं हो सकता और नबी-ए-इस्लाम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ख़ुदा के रसूल नहीं हो सकते। इन आरोपों के विपरीत हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह इल्हामी कलाम है और यह वास्तविक रसूल। अत: ये वैसे ऐतराज़ नहीं कि जैसे आप तौरात पर करते हैं कि जिसको आप क़ुर्आन के अनुसार ख़ुदा का कलाम भी जानते हैं और मूसा को ख़ुदा का रसूल भी और फिर ऐतराज़ करते हैं। जैसे हम ने ख़ुदा की विशेषताओं के विपरीत क़ुर्आनी शिक्षाओं को थोडा सा व्यक्त किया है। हम कुछ क़ुर्आनी शिक्षाएं और भी वर्णन करते हैं। उदाहरणतया एक यह कि क़ुर्आन सच्चाई को मानने की बजाए झूठ के भय को मानना वैध करता है जैसा कि सूर: नहल में लिखा है कि जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान के बाद ख़ुदा के नाम पर कुफ्र करे बशर्ते कि वह मजबूर न हो और अपने दिल में संतुष्ट हो ऐसे पर अल्लाह का प्रकोप है अर्थात् मजबूरी की हालत में और दिल के इत्मीनान में अल्लाह के सच्चा होने के बारे में अल्लाह के इन्कार से

ख़ुदा के प्रकोप का पात्र नहीं, और यह स्पष्ट तौर पर झूठ के भय को मानना है। सच्चाई को मानने की बजाए जो सच कि सर्वशक्ति सम्पन्न है। फिर सूर: कहफ़ में लिखा है कि ज़ुलक़रनैन जब पश्चिम में पहुँचा तो उसने देखा कि सूर्य दलदल की नदी में अस्त होता है, यद्यपि यहां पाना ज़ुलकरनैन का लिखा है परन्तु क़ुर्आन के कलाम के सत्यापन उसके साथ और यह वास्तविकता नहीं फिर उसे सच के साथ क्योंकर अनुकूल किया जाए।

(3)- क़ुर्आन में रोज़े के रखने की सीमाएं ये वर्णन हुई हैं कि दिन की सफ़ेद धारी के निकलने से पहले शुरू किया जाए और सायंकाल की काली धारी के आने तक उसको रखा जाए। इसमें प्रश्न यह है कि यदि क़ुर्आन समस्त मनुष्यों के लिए है तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड का हाल क्या होगा? जहां छ: महीने तक सूर्य उदय नहीं होता। यदि कहो कि वहाँ समय का अनुमान लगा लेना चाहिए तो इसका उत्तर यह है कि क़ुर्आन समय का अनुमान स्वयं करता है, किसी अन्य को इसका अनुमान लगाने की अनुमति नहीं देता। ये कुछ नमूने के लिए क़ुर्आन की शिक्षाएं हैं जो व्यापक तौर पर सच्चाई के विपरीत हैं।

(4)- इसके अतिरिक्त स्पष्ट है कि छोटा बड़े की क़सम खा सकता है और क़सम के मायने ये हैं कि यदि उसका बयान झूठा हो तो इस बड़े को उस पर मार पड़े। परन्तु जबकि क़ुर्आन में ऊँची छत, उबलते पानी, ज़ैतून और क़लम इत्यादि की कसमें लिखी हैं तो ये चीज़ें ख़ुदा को क्या हानि पहुँचा सकती हैं और ऐसी क़समें केवल हंसी जैसी मालूम नहीं होतीं तो और क्या है।

आज का उत्तर

(1)- आदरणीय कहते हैं कि ईमान बिलजब्र (बलपूर्वक) की शिक्षा क़ुर्आन में नहीं है। इस पर और कुछ कहना आवश्यक नहीं। फैसला करने वाले दोनों सदस्यों के बयानों को देख लेंगे, स्वयं ही इन्साफ कर लेंगे। ख़ुदा के प्रकोप की तामील (निष्पादन) और बात है और पालिसी के प्रस्ताव का तात्पर्य और बात है। मूसा को ख़ुदा का आदेश था कि उन सात क़ौमों को बिल्कुल मिटा दो, जैसा कि तूफ़ान का आदेश हो या विशेष विपत्ति का आदेश हो कि जिसमें पापी मारे

जाते हैं और निर्दोषों की परीक्षा समाप्त हो जाती है उनको पापी (गुनाहगार) नहीं बनाया जाता, किन्तु आप के आदेश पालिसी के हैं जिसमें लिखा है कि बच्चे और स्त्रियां इत्यादि सुरक्षित रखे जाएँ और जो व्यक्ति इस्लाम पर आ जाए उसे शरण दी जाए। अत: यही तो अमान (सुरक्षा या शरण) ईमान पर निर्भर है जिस पर ऐतराज़ क़ायम होता है और ख़ुदा की विपत्तियों के ऊपर चाहे किसी कारण से हों कोई ऐतराज़ क़ायम नहीं होता।

मामन: के मायने ये नहीं कि उसी व्यक्ति का देश और घर अमन का ठहराया जाए बल्कि सूर: अन्फ़ाल में एक आयत है जिस का हवाला मैं अभी ढूँढ कर दूँगा जिसमें लिखा है कि जो घर छोड़ कर हमारे बीच में आकर न रहे हमारे युद्ध से सुरक्षित नहीं। यहां से यह सिद्ध है कि मामन: (अमन का स्थान) वही स्थान है कि जहां उन को ग़ैर लोग कष्ट न पहुँचा सकें और उनको धर्म से विमुख होने का फिर अवसर प्राप्त न हो।

हमने आपके बहुत प्रकार के जिहाद स्वीकार कर लिए हैं। हमारा ऐतराज़ ईमान बिलजब्र (बलपूर्वक मनवाना) पर है। इसके अतिरिक्त जो आप ने फ़रमाया वह अतिरिक्त ही है। हमारी प्रमाणित आयतों का आपने अच्छी तरह से उत्तर नहीं दिया। और वह जो आप ने कहा है कि मूसा ने अच्छी-अच्छी स्त्रियां जो लूट से बचा ली गईं स्वयं रख लें, तौरात से ऐसा प्रकट होता है कि जो उसने एक शादी रग़वाईल यातीरू की लड़की से की थी उसके अतिरिक्त और कोई शादी नहीं की और न दासी रखी। हाँ उसने कुछ स्त्रियों को जो लूट में बनी इस्राईल लाए रख छोड़ने की अनुमति दी, परन्तु पीछे उनका रोने वाला भी कोई न था, क्योंकि सब को क़त्ले आम का आदेश था और ऐसा ही हर विपत्ति में होता है कि ख़ुदा की इच्छा से कुछ बच भी जाते हैं। किन्तु क़ुर्आन में जो लूट की स्त्रियां और ख़रीद की स्त्रियां वैध रखी गई हैं उनको आप किस प्रकार से छुपा सकते हैं कि जिनके पीछे उनके रोने वाले भी मौजूद थे। देखो सूर: अहज़ाब में, जिसमें यह लिखा है-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا

(सूर: अलअहज़ाब-51) مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

इसमें स्वामित्व होना क्रय (ख़रीद) के द्वारा है और फ़ै लूट के द्वारा है। और जो सर सय्यद अहमद खां साहिब ने इस आयत की तफ़्सीर की है उसका अवसर अभी नहीं परन्तु बाद में उनकी ग़लती हम दिखाएंगे।

मूसा की लड़ाइयों में हमने अन्तर दिखा दिया कि वे ख़ुदा के आदेश से थीं और निशान के साथ। और क़ुर्आन की लडाइयां स्पष्ट है कि पालिसी की थीं जिसके लिए कभी चमत्कार का सत्यापन नहीं हुआ और उसके सम्मान ख़ुदाई विशेषताओं के विरुद्ध हैं। इसलिए हम उसे इल्हामी नहीं कह सकते।

(2)- यह तो सच है कि बनी इस्राईल ने मिस्रियों से सोने-चांदी के बर्तन अस्थायी तौर पर लिए थे परन्तु वह सोना-चांदी जिस वास्तविक मालिक का स्वामित्व (मिल्क) हैं अर्थात् ख़ुदा का। उसी ख़ुदा ने उनको अनुमति दी कि अपने पास रहने दो। फिर इसमें अन्याय (ज़ुल्म) कौन सा है। अहले किताब के लिए जिज़्या देना और अपमान क़ुर्आन ने निश्चित किया है वह निस्सन्देह क़त्ले आम से अलग किए गए है परन्तु आप नहीं कह सकते कि जिज़्या देना और अपमान एवं बदनामी से गुज़रना कोई चुटकी नहीं बिल्कुल कष्ट के बिना है। अकारण कुछ तो कष्ट है। आगे हम इतिहास का हवाला आप को कुछ न देंगे कि क्या कुछ गुज़ारना है। हम ने केवल क़ुर्आन को लिया है, उसी के ऊपर ऐतराज़ करते हैं और नहीं करते हैं।

(3)- आप गुडनिस को शोबः मर्सी अर्थात् दया का विभाग ठहराते हैं, परन्तु मुझे माफ़ रखिए कि यह एक ऐसी ग़लती है कि सामान्य विचार करने वाला समझ सकता है कि गुडनिस वह है जो अधिकार से अधिक उपकार दिखाती है और दया वह है जो न्याय की पकड़ से छुड़ाती है परन्तु आप के दृष्टिगत यह है कि कहीं कफ़्फ़ारे की शिक्षा सिद्ध न हो जाए। इसलिए आप इन बातों को समझने को पसन्द नहीं करते।

आप यह विचित्र बात कहते हैं कि दया को न्याय पर प्राथमिकता है और विचित्र इसमें यह है कि दया पकड़ करने पर आती है अर्थात् न्याय की

पकड़ पर तो उसे प्राथमिकता कैसे हुई। सही कहना तो यह है कि प्रत्येक विशेषता अपने-अपने अवसर पर प्रकट होती है और वे जो कुछ बातें आप दया (रहम) के बारे में समझते हैं वास्तव में Goodness (गुडनिस) के संबंध में हैं, दया से उन का कुछ संबंध नहीं। थोड़ी सी व्याख्या के लिए गुडनिस की परिभाषा हम और भी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने जानवरों को अच्छी तरह से नहलाता, खिलाता-पिलाता है। इससे अधिक कि यदि उसे छोड़ दिया जाए तो कभी उपलब्ध न हो तो यह गुडनिस है और यदि कोई व्यक्ति अपने जानवरों को जो उसकी रक्षा में हैं कष्ट दे और उस कष्ट में वह प्रसन्न हो, यह वह बात है जो गुडनिस के विरुद्ध है। प्रत्येक सृष्टि (मख्लूक) जो नास्ति से आस्ति में आई है उसके कुछ अधिकार अपने स्रष्टा पर हैं। अत: एक यह कि वह उनको हर आवश्यकता में दु:ख देने वाले से बरी रखे यहां तक न्याय है परन्तु जो इस से बढ़कर उनको सुख में बढ़ाए यह गुडनिस है और जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों **से** जो इसने जान-बूझ कर तथा अपने अधिकार से किया हो न्याय की पकड़ में हो इस से छुडाने को रहम (दया) कहते हैं।

(4)- जानवरों के बारे में जो पेट भरने और अपनी जीविका के बारे में कहा है यदि उनके लिए जिन के लिए कर्म किया गया हो कि कुछ दु:ख है तो आपको सिद्ध करना चाहिए कि उन तीन दुखों के अतिरिक्त जो हमने पहले वर्णन किया है और न्याय की पकड़ के योग्य है अन्यथा उन पर आरोप ही क्या है और जो अन्याय की वास्तविकता से भी अवगत नहीं या आप की सहमति उसकी पकड़ ही क्योंकर हो सकती है अत: इस फ़िलास्फ़ी की गहराई में आप एक चीज़ के चारों ओर नहीं फिरे और अन्दर-बाहर नहीं देखा। जब उसकी सम्पूर्ण वास्तविकता मालूम करेंगे तब ऐसे तर्कों को प्रस्तुत भी नहीं करेंगे।

(5)- हमने एक प्रश्न किया था फ़रिश्तों और मसीह की पैदायश के बारे में। इस पर हमारा बहुत कुछ कहना है। इसका उत्तर अब तक आपने नहीं दिया। इस की हम प्रतीक्षा करते हैं।

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में — हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में

ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट) — हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)

मुसलमानों की ओर से — ईसाइयों की ओर से

तेरहवां पर्चा

मुबाहसा 5, जून 1893 ई.

(जल्से का वृत्तान्त)

मिर्ज़ा साहिब ने 6 बजकर 10 मिनट पर उत्तर लिखाना आरम्भकिया और 7 बजकर 10 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया और परस्पर सहमति से तय हुआ कि आज बहस समाप्त हो और आज का दिन बहस का अन्तिम दिन समझा जाए।

मिस्टर अब्दुल्लाह आथम साहिब ने 7 बजकर 55 मिनट पर आरम्भकिया और 8 बजकर 55 मिनट पर समाप्त किया और ऊँचे स्वर में सुनाया गया।

मिर्ज़ा साहिब ने 9 बजकर 23 मिनट पर आरम्भकिया और 10 बजकर 33 मिनट पर समाप्त किया।

जनाब ख़्वाजा यूसुफ़ शाह साहिब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अमृतसर ने खड़े होकर एक संक्षिप्त भाषण दिया और जल्से में उपस्थित लोगों की ओर से दोनों अध्यक्षों का विशेष तौर पर डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब का आभार व्यक्त किया कि उनकी सुशीलता (ख़ुश अख़्लाकी) और उत्तम व्यवस्था के कारण यह जल्सा 15 दिन तक बड़े अच्छे व्यवहार और ख़ूबी के साथ सम्पन्न हुआ और यदि किसी विषय पर मतभेद पैदा हुआ तो जल्से के दोनों अध्यक्षों ने एक बात पर सहमत होकर दोनों सदस्यों को राज़ी किया और हर प्रकार से इन्साफ को दृष्टिगत रखकर अमन की स्थित क़ायम रखी और इसके पश्चात लेखों पर दोनों अध्यक्षों के हस्ताक्षर होकर जल्सा समाप्त हुआ। 5 जून 1893 ई.

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में — हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में

ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट) — हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)

मुसलमानों की ओर से — ईसाइयोंकीओरसे

हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ओर से

डिप्टी साहिब और मेरे प्रश्नोत्तर बतौर अक्षर ऐन और गेन से हैं अर्थात् डिप्टी साहिब से अभिप्राय ع (अ) और मुझ से अभिप्राय غ (ग़) है।

(अ)- क़ुर्आन में लिखा है कि-

(सूरः अलअनफ़ाल-40) وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

अर्थात् यहां तक क़त्ल करो कि कुल धर्म अल्लाह ही का हो जाए और पृथ्वी पर कुफ्र शेष न रहे।

(ग़)- यदि वास्तव में कुल धर्मों से क़ुर्आन ने यही मामला किया है कि या ईमान या क़त्ल तो आप ऐसे अर्थों के करने में सच्चे हैं अन्यथा जो हाल है समझ लीजिए।

(अ)- यदि ईमान बिलजब्र (बल पूर्वक मनाना) न था तो अरबों के लिए यह शर्त क्यों लगाईं गई कि या ईमान या क़त्ल।

(ग़)- क़त्ल का आदेश अरबों के लिए उनके रक्त्पातों के कारण था जो इस्लामी लड़ाइयों से पहले उन्होंने इस्लाम के ग़रीब और सब से अलग रहने वाले लोगों को क़त्ल करना आरम्भकिया और ईमान पर आज़ाद करना उनके लिए एक नर्मी थी जो ख़ुदा की विशेषताओं के विरुद्ध नहीं। देखो कितनी बार तौबा के समय ख़ुदा तआला ने यहूदियों को अपने प्रकोप से मुक्ति दी और सिफ़ारिश से भी।

(अ)- मूसा की लड़ाइयों में सुरक्षा ईमान की शर्त पर आप दिखा न सके।

(ग़)- सुरक्षा जिज़्या की शर्त पर आप देख चुके। देखो काज़ियों की किताब अध्याय 1/28 से 35, फिर सुलह का सन्देश भी सुन चुके। यदि प्रकोप था तो फिर सुलह कैसी। देखो इस्तिस्ना 20/10 सुलह करने वाला ईमान से निकट हो जाता है और फिर ईमान लाने से कौन रोकता है।

(अ)- मासूम बच्चों को क़त्ल करना विपत्तियों की मौत की भांति है।

(ग़)- नन्हें-नन्हें दूध पीते बच्चों को उनकी मांओं के सामने तलवारों और बरछियों से क़त्ल करना एक न दो बल्कि लाखों बच्चों को यदि यह ख़ुदा तआला

के आदेश से है तो क़ुर्आनी जिहाद क्यों ऐतराज़ के स्थान समझे जाते हैं? क्या ख़ुदा तआला की ये विशेषताएं हैं वे नहीं।

(अ)- मूसा को आदेश था कि उन सात क़ौमों को बिल्कुल मिटा दे।

(ग़)- वे क़ौमें कहां मिटाई गईं, सुलह की गई जिज़्या (कर) पर छोड़े गए। स्त्रियां शेष रखी गईं।

(अ)- इस्लाम लाने के लिए जब्र किया गया है।

(ग़)- जिस ने-

(सूरः अल बक़रह-257) لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

फ़रमाया, सुलह को स्वीकार किया, जिज़्या देने पर सुरक्षा दे दी इसको कौन वैध कह सकता है?

(अ)- क़ुर्आन की यह शिक्षा है कि यह इल्ज़ाम मक्कारी के कपड़े उतार लें। मैंने डिप्टी साहिब के कथन से ऐसा समझा है।

(ग़)- यदि यही शिक्षा है तो पवित्र क़ुर्आन की आयत प्रस्तुत कीजिए बल्कि जिन्होंने तलवारों से क़त्ल किया वे तलवारों से भी मारे गए। जिन्होंने अकारण ग़रीबों को लूटा और लूटे गए जैसा किया वैसा पाया बल्कि उनके साथ बहुत नर्मी का व्यवहार हुआ, जिस पर आज ऐतराज़ किया जाता है कि क्यों ऐसा व्यवहार हुआ, सब को क़त्ल किया होता।

(अ)- क़ुर्आन ने वैध (जायज़) रखा कि भयभीत होने वाला ईमान को व्यक्त न करे।

(ग़)- यदि क़ुर्आन की यही शिक्षा है तो फिर उसी क़ुर्आन में यह आदेश क्यों है-

(सूरः अत्तौबा-20) وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ

और

(सूरः अस्सफ़्फ़-5) كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

और यह कि-

وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ (सूर: अल अहज़ाब-40)

असल बात यह है कि ईमानदारों की श्रेणियां होती हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है-

مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ

(सूर: फ़ातिर-33)

अर्थात् कुछ मुसलमानों में से ऐसे हैं जिन पर सांसारिक इच्छाएं विजयी हैं और कुछ मध्यम स्थिति के हैं और कुछ वे हैं जो ईमानी विशेषताओं के चरमोत्कर्ष तक पहुँच गए हैं। फिर यदि अल्लाह तआला ने मुसलमानों के उस वर्ग का ध्यान रखते हुए जो निर्बल, कायर और ईमान में अधूरे हैं यह कह दिया कि किसी प्राण के ख़तरे की स्थिति में यदि वे दिल में अपने ईमान पर क़ायम रहें और जीभ से यद्यपि उस ईमान का इक़रार न करें तो ऐसे आदमी विवश समझे जाएँगे, परन्तु इसके साथ यह भी तो कह दिया कि वे ईमानदार भी हैं कि बहादुरी से धर्म के मार्ग में अपने प्राण देते हैं और किसी से नहीं डरते और फिर हज़रत पोलूस का हाल आप पर गुप्त नहीं जो कहते हैं कि मैं यहूदियों में यहूदी और ग़ैर क़ौमों में ग़ैर क़ौम हूं। और हज़रत पतरस साहिब ने भी विरोधियों से डर कर तीन बार इन्कार कर दिया बल्कि एक बार कुफ्र का नक़ल करना कुफ्र नहीं होता, हज़रत मसीह पर लानत भेजी और अब भी मैंने छान-बीन में सुना है कि कुछ अंग्रेज़ लोग इस्लामी देशों में जाकर कुछ हितों के लिए अपना मुसलमान होना व्यक्त करते हैं।

(अ)- क़ुर्आन में लिखा है कि ज़ुलक़रनैन ने सूर्य को दलदल में अस्त होते पाया।

(ग़)- यह केवल ज़ुलक़रनैन की प्रतिभा का वर्णन है। आप भी यदि जहाज़ में सवार हों तो आप को भी मालूम हो कि समुद्र से ही सूर्य का उदय हुआ और समुद्र में ही अस्त होता है। क़ुर्आन ने यह प्रकट नहीं किया कि अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार वर्णन किया जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों रूपक (इस्तिआरे) बोले जाते हैं। उदाहरणतया यदि आप यह कहें कि आज मैं एक रकाबी (प्लेट) पुलाव की खा

कर आया हूं तो क्या हम यह समझ लें कि आप प्लेट को खा गए। यदि आप यह कहें कि अमुक व्यक्ति शेर है, क्या हम यह समझ लें कि उसके पंजे शेर की भांति और एक पूँछ भी अवश्य होगी। इंजील में लिखा है कि वह ज़मीन के किनारे से सुलेमान की बुद्धिमत्ता सुनने आए। हालांकि ज़मीन गोल है किनारे के क्या मायने? फिर यसइयाह अध्याय-14/7 में यह आयत है- सारी ज़मीन आराम से और स्थिर है परन्तु ज़मीन की तो गति सिद्ध हो चुकी है।

(अ)- जहां छः माह तक सूर्य नहीं चढ़ता रोज़ा क्योंकर रखें।

(ग़)- यदि हमने लोगों की शक्तियों पर उनकी शक्तियों का अनुमान करना है तो इन्सानी शक्तियों की जड़ जो गर्भ का समय है अनुकूल करके दिखाना चाहिए। अत: यदि हमारे हिसाब की पाबन्दी अनिवार्य है तो उन देशों में केवल डेढ़ दिन में गर्भ (पूरा) होना चाहिए। और यदि उनके हिसाब की तो दो सौ छियासठ वर्ष तक बच्चा पेट में रहना चाहिए और यह सबूत आप के ज़िम्मे है। गर्भ केवल डेढ़ दिन तक रहता है परन्तु दो सौ छियासठ वर्ष की हालत में तो यह मानना कुछ अनुमान से दूर की बात नहीं कि वे छः माह तक रोज़ा भी रख सकते हैं क्योंकि उनके दिन की यही मात्रा है और उसके अनुसार उनकी शक्तियां भी हैं।

(अ)- रहम (दया) न्याय के बाद होता है और गुडनिस अर्थात् उपकार पहले।

(ग़)- उपकार कोई विशेषता नहीं बल्कि दया (रहम) की विशेषता का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर यह कहेंगे कि अमुक व्यक्ति पर मुझ को दया आई यह नहीं कहेंगे कि अमुक व्यक्ति पर मुझ को उपकार आया। दया रोगियों पर आती है, दया बच्चों पर आती है। और यदि किसी बदमाश दण्डनीय पर भी आए तो ऐसी हालत में आती है कि जब वह निर्बलों और शक्तिहीनों की भांति लौटे फिर दया का वास्तविक पात्र निर्बलता और शक्तिहीनता हुई या कुछ और हुआ?

(अ)- इन्सान काम का अधिकार रखता है।

(ग़)- यदि इसके ये अर्थ हैं कि जिस सीमा तक उसको शक्तियां प्रदान की

गई हैं उस सीमा तक वह उस शक्ति के प्रयोग का अधिकार रखता है तो यह क़ुर्आनी शिक्षा के विरुद्ध नहीं। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

اَعۡطٰی کُلَّ شَیۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰی ﴿۵۱﴾ (ताहा-51)

अर्थात् वह ख़ुदा जिसने हर चीज़ को उसकी स्थिति के अनुसार शक्तियां और अवयव प्रदान किए फिर उनको इस्तेमाल में लाने की सामर्थ्य दी। ऐसा ही फ़रमाता है-

قُلۡ کُلٌّ یَّعۡمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِهٖ ؕ (सूरः बनी इस्राईल-85)

अर्थात् प्रत्येक अपनी शक्तियों एवं आकृतियों के अनुसार काम करने की सामर्थ्य दिया जाता है और यदि कुछ अन्य अर्थ हैं तो आप को अच्छे रहें।

(अ)- क्या ख़ुदा तआला मालिकियत के पर्दे में अवैध कार्यों की अनुमति दे सकता है?

(ग़)- नालायक (अयोग्य) मत कहिए। जो कुछ उसने किया और कर रहा है वह सब लायक (योग्य) है। प्रकृति के ग्रन्थ को देखिए कि वह करोड़ों पक्षी और जीव तथा अन्य जानवरों के बारे में क्या कर रहा है और उसकी आदत प्राणियों के संबंध में क्या सिद्ध होती है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इक़रार करेंगे कि इस संसार की बनावट इसी प्रकार पाई जाती है कि ख़ुदा तआला ने प्रत्येक प्राणी को मनुष्य पर कुर्बान कर रखा है और उसके लाभ के लिए बनाया है।

(अ)- कलाम साक्षात हुआ।

(ग़)- इस से सिद्ध हुआ कि हज़रत मसीह का शरीर भी ख़ुदा था। लीजिए हज़रत एक नहीं दो।

(अ)- उक़्नूम के मायने निश्चित व्यक्ति है। अत: ये तीन पृथक-पृथक व्यक्ति और वास्तविकता एक है। अब स्वयं में क़ायम और बेटा तथा रूहुल क़ुदुस उसमें एक की दूसरे के साथ अनिवार्यता है।

(ग़)- जब कि ये तीनों व्यक्ति और तीनों कामिल (पूर्ण) और तीनों में इरादा करने की विशेषता मौजूद है। अब इरादा करने वाला बेटा इरादा करने

वाला रूहुल क़ुदुस, इरादा करने वला। तो फिर हमें समझाओ कि इस वास्तविक पृथकता के बावजूद वास्तविकता में एकता क्योंकर और उदाहरण असीमितता और अद्वितीय का इस स्थान से कुछ संबंध नहीं रखता क्योंकि वहाँ वास्तविक पृथकता नहीं ठहराई गई।

(अ)- इस्लाम के नबी का छोटा या बड़ा चमत्कार सिद्ध नहीं हुआ।

(ग़)- क़ुर्आन चमत्कारों से भरा है और स्वयं वह चमत्कार है। ध्यानपूर्वक देखें और भविष्यवाणियां तो उसमें दरिया के समान बह रही हैं। साहिब-ए-इस्लाम ने इस्लाम की निर्बलता के समय इस्लाम के विजयी होने की ख़बर दी। रूमी शासन पर विजय की उनके परास्त होने से पहले ख़बर दी। चन्द्रमा के फटने का चमत्कार भी मौजूद है। यदि व्यवस्था के विरुद्ध भ्रम गुज़रे तो यूशा बिन नून और यसइया नबी का उदाहरण देख लीजिए। किन्तु हज़रत मसीह के चमत्कारों का हमें कुछ पता नहीं लगता। बैत हसदा के हौज़ ने उनकी शोभा खो दी, भविष्यवानियाँ बिल्कुल अटकल मालूम होती हैं तथा अधिक अफ़सोस यह है कि कुछ पूरी भी नहीं हुई। उदाहरणतया यह भविष्यवाणी कब और किस समय पूरी हुई कि तुम में से कुछ अभी नहीं मरेंगे कि मैं आसमान पर से उतर आऊंगा। बादशाहत कहां मिली, जिसके लिए तलवारें खरीदी गई थीं, बारह हवारियों को स्वर्ग के तख़्तों का वादा हुआ था। यहूदा इस्क्रियूती को तख़्त कहां मिला?

(अ)- क़ुर्आन ने सरस और सुबोध (फ़साहत-बलाग़त) का दावा नहीं किया।

(ग़)- अगले पर्चे में दिखा दूँगा कि किया है।

(अ)- क्या खंभे में ख़ुदा नहीं हो सकता?

(ग़)- क्यों नहीं बल्कि खंभे में बोलकर भी वह खंभे से असंबंधित रहेगा और खंभा ख़ुदा का बेटा नहीं कहलाएगा बल्कि जैसा पहले था वैसा ही रहेगा तथा एक खंभे में एक ही समय में बोलना दूसरे खंभे में बोलने से मना नहीं करेगा बल्कि एक ही सेकण्ड में करोड़ों खंभों में बोल सकता है, परन्तु आपका सिद्धान्त इसके अनुसार नहीं।

(अ)- किस नबी के बारे में लिखा है कि मेरा सददृश

(ग़)- जनाब जब कुछ नबियों को ख़ुदा कहा गया तो क्या सददृश पीछे रह गया बल्कि ख़ुदा कहने से तो सर्वशक्तिमान सब गुण आ गए।

(अ)- मसीह के ख़ुदा का द्योतक (मज़हर) होने में बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं।

(ग़)- मसीह के अस्तित्व से पूर्व चौदह सौ वर्ष तक जो यहूदी उलेमा की उन किताबों को पढ़ते हैं और लगभग करोड़ों उलेमा की नज़र से वे किताबें गुज़रीं। क्या किसी का मस्तिष्क इस तरफ़ नहीं गया कि कोई ख़ुदा भी आने वाला है?

क्या यहूदी लोग शब्दकोश नहीं जानते थे, किताबें नहीं रखते थे, नबियों के शिष्य नहीं थे। फिर घर की फूट और ईसाई उलेमा का यहूदियों से सहमत होना उसका और भी समर्थन करता है।

(अ)- मूस्वी शरीअत के चित्रित निशान कैसे थे फिर क़ुर्आन क्या लाया?

(ग़)- क़ुर्आन ने मुर्दों को जीवित किया, मिथ्या और मिथ्या विचारों को मिटाया।

(अ)- ईस्वी धर्म में तक्दीरी (प्रारब्ध से संबंधित) जब्र की शिक्षा नहीं।

(ग़)- इंजील से पाया जाता है कि शैतान गुमराही पर विवश हैं और अपवित्र रूहें हैं। यदि यह बात सही नहीं तो सिद्ध करो कि हज़रत मैश के द्वारा किस शैतान ने मुक्ति प्राप्त होने की ख़ुशख़बरी पाई बल्कि वे तो कहते हैं कि वह प्रारंभ से क़ातिल था और शैतानों में सच्चाई नहीं। हज़रत मसीह शैतानों के लिए भी कफ़्फ़ार: थे या नहीं? इसका क्या सबूत है परन्तु क़ुर्आन आपकी हिदायत का वर्णन करता है।

(अ)- मसीह पृथ्वी-आकाश का स्त्रष्टा है।

(ग़)- प्रश्न यह था कि मसीह ने संसार में आकर ख़ुदा का द्योतक होने की कौन सी चीज़ बनाई? उत्तर यह मिलता है कि सब कुछ मसीह ही का बनाया हुआ है।

(अ)- नेक होने से इन्कार इसलिए किया था कि वह मसीह को ख़ुदा नहीं जानता था।

(ग़)- इंजील से इसका सबूत दीजिए। मरकस में तो साफ़ लिखा है कि उसने घुटने टेके और मसीह ने ख़ुदाई की कुछ चर्चा नहीं की बल्कि कहा कि यदि तू कामिल (पूर्ण) होना चाहता है तो अपना सारा माल ग़रीबों को बाँट दे।

(अ)- मसीह का बिन बाप पैदा होना मानते हैं या नहीं?

(ग़)- मसीह का बिन बाप पैदा होना मेरी दृष्टि में कुछ अद्भुत बात नहीं। हज़रत आदम मां और बाप दोनों नहीं रखते थे। अब बरसात निकट आती है। बाहर जाकर अवश्य देखें कि कितने कीड़े-मकोड़े बिना मां-बाप के पैदा हो जाते हैं। अत: इस से मसीह की ख़ुदाई का सबूत निकालना मात्र ग़लती है।

(अ)- केवल तौबा से हानि की पूर्ति किए बिना गुनाह क्योंकर माफ़ किए जा सकते हैं?

(ग़)- किसी के गुनाह से ख़ुदा तआला की कोई हानि नहीं होती और गुनाह क़ानून उतरने से पहले कुछ अस्तित्व नहीं रखता। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۶﴾ (सूर: बनी इस्राईल-16)

अर्थात् हम गुनाहों पर अज़ाब नहीं दिया करते जब तक रसूल नहीं भेजते। और जब रसूल आया और भलाई-बुराई का मार्ग बताया तो इस कानून के वादों और दण्ड के वादों के अनुसार कार्रवाई होगी। कफ़्फ़ारे की खोज में लगना हंसी की बात है। क्या कफ़्फ़ार: वादों को तोड़ सकता है बल्कि वादे से वादा बदलता है और न किसी अन्य उपाय से। जैसे कि अल्लाह तआला फ़रमाता है-

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۵﴾

(सूर: अलअनआम-55)

और यह कहना कि शुभ कर्म कर्जे की अदायगी के रूप में हैं बोधभ्रम है। कर्ज़ा तो इस स्थिति में होता कि जब अधिकारों की मांग होती। अब जबकि

गुनाह केवल कानून को छोड़ने से पैदा हुआ न कि अधिकारों के छोड़ने से और इबादत (उपासना) केवल पुस्तकीय आदेशों पर चलने का नाम है, तो मुक्ति, मुक्ति न होने का केवल कानूनी अज़ाब के वादे पर निर्भर रही।

(अ)- क़ुर्आन की क़समें केवल हंसी की तरह हैं।

(ग़)- इसकी वास्तविकता का आपको ज्ञान नहीं, यह एक विशेष परिभाषा है जो क़समों के रूप में अल्लाह तआला एक व्यापक बात को काल्पनिक के सबूत के लिए प्रस्तुत करता है या एक मान्य बात को अमान्य के स्वीकार करने के लिए वर्णन करता है और जिस चीज़ की क़सम खाई जाती है वह वास्तव में गवाह के क़ायम मक़ाम (स्थानापन्न) होती है। जैसा कि मैं आयत-

فَلَآ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِ ۝ (सूर: अल वाकिया-76)

में सविस्तार वर्णन कर चुका हूं, यदि विवरण के अनुसार देखना हो तो 'आइना कमालात-ए-इस्लाम' को देखिए।

(अ)- **दुःख तीन** प्रकार के होते हैं।

(ग़)- आप पर तो यह सिद्ध करना है कि जो करोड़ों जानवर किसी गुनाह के आरोप के बिना ज़िबह किए जाते हैं वे यदि मालिकियत के कारण नहीं तो क्यों ज़िबह होते हैं और मरने के बाद किस स्वर्ग में रखा जाएगा?

(शेष फिर)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)	हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)
मुसलमानों की ओर से	ईसाइयों की ओर से

डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब की ओर से

जनाब जो यह फ़रमाते हैं कि वह क़त्ल का आदेश उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने ज़ुल्म किया था मुसलमानों पर। मेरा उत्तर यह है कि सूर: तौबा के रुकू 4 में यह कारण नहीं ठहराया गया बल्कि यह कहा गया है कि जो ईमान न लाए अल्लाह और क़यामत के दिन पर और जो ख़ुदा-रसूल ने हराम (अवैध) किया है उसे हराम न माने तो वह क़त्ल किया जाए और इसमें अपवाद (इस्तिस्ना)

केवल अहले किताब के लिए है कि यदि वे ईमान लाना न चाहें और न तलवार से मारे जाए तो जिज़्या देकर तथा अपमानित होकर जीवित रहें। ऐसी ही और भी आयतें जिनका मैंने हवाला दिया उनमें यही आशय (मंशा) पाया जाता है, और ईमान पर ईमान का निर्भर करना यद्यपि नर्मी है परन्तु ईमान बिलजब्र को और भी क़ायम करता है कि वे सिफ़ारिशें और माफियाँ जो समय की ढील के लिए दी गईं आपके ईमान बिलजब्र (बलात ईमान लाना) का उदाहरण नहीं क्योंकि वह फैसला आख़िरत (परलोक) तक करते हैं।

2- जिहाद निशान के साथ सात क़ौमों से था। अत: उनके नाम भी दर्ज हैं अर्थात् हीती, पबूसी इत्यादि। इनके अतिरिक्त जो वादा दिया गया मौऊद के देश या इब्राहीम के मध्य और भी बहुत सी क़ौमें थीं जिनके क़त्ल का आदेश नहीं हुआ, परन्तु यह कि वे आज्ञाकारी होना स्वीकार करें तो पर्याप्त है और इस से हमारा वह तर्क और भी **क़ायम होता है** कि वे सात क़ौमें ऐसी ख़ुदा के प्रकोप के नीचे थीं कि जैसे नूह के युग में और लूत के युग में बलाए आसमानी आई और सब को बर्बाद कर गयी। ऐसा ही उनके लिए भी बनी इस्राईल की तलवार से बर्बादी का आदेश हुआ। निर्दोष बच्चों का जो आप ऐतराज़ करते हैं कि मूसा के युद्धों में हुआ ऐसे ही तो हर विपत्ति में होता है। आपको मानना पड़ेगा कि या तो मूसा का बयान ख़ुदा का आदेश मानें और या उससे अलग होकर कहें कि तौरात ख़ुदा का कलाम नहीं। आप अधर में नहीं लटक सकते।

आपके धर्म पर यह ऐतराज़ इसलिए है कि सुरक्षा की शर्त ईमान पर निर्भर करती है। उन सात क़ौमों से सुलह नहीं की गई यह आप का बयान ग़लत है और उनकी सब औरतें नहीं रखी गईं, परन्तु कुछ थोड़ी बचा देने के लिए बनी इस्राईल को अनुमति दी गई और ऐसी औरतों के लिए अनुमति दी गई जिनका पीछे रोने वाला कोई न था और यदि उनके रखने के लिए अनुमति न दी जाती तो उनके मार डालने से यह बुरा न होता।

4- आप स्वीकार करते हैं कि जिसको सुलह की अनुमति दी गई। अत: यदि ईमान के लिए ऐसा किया जाए तो किसी हद तक जब्र वैध माना जाएगा

परन्तु फ़िलिस्तीनियों की उन सात क़ौमों के लिए सुलह की अनुमति कभी नहीं दी गई और उनसे जिज़्या देना कभी स्वीकार नहीं हुआ और वह महामारी के समान तलवार से ही क़त्ल किए गए। फिर आप क़ुर्आन की शिक्षा को उनका उदाहरण और उनको एक जैसा नहीं कह सकते।

5- वह जो आप फ़रमाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि क़ुर्आन की यह शिक्षा है कि छल के बहाने से सज्जन लोगों के कपडे उतार लें। इसके उत्तर में कहना है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपने ग़लत समझा है। मैंने यह अवश्य कहा-

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (सूरः अलबक़रह-257)

में इक़राह (जब्र) वह भी तो समझा जा सकता है जो कुछ मुसलमान किसी सज्जन को देखकर और उससे सलाम अलैक सुन कर कह देते थे कि तू मुसलमान नहीं, तू मक्कारी से सलाम अलैक करता है और उसे मार डालते थे तथा कपड़े उतार लेते थे। ऐसे लोगों के बारे में यह आयत हो सकती है कि ऐसा इक़राह (जब्र) धर्म के मामले में मत करो न वह इक़राह जो ईमान लाने के लिए हो, जिसके लिए हमने बहुत सी आयतें ठोस क़ुर्आन से ही प्रस्तुत की हैं।

6- **क़ुर्आन की यह शिक्षा है** कि यदि कोई मनुष्य मजबूरी में ख़ुदा का इन्कार करे परन्तु उसका दिल उस इक़राह (जब्र) और सन्तोष के कारण सच पर संतुष्ट रहे वह ख़ुदा के प्रकोप से सुरक्षित रहेगा। इस पर हमारा ऐतराज़ यह था कि अकारण भय परस्ती है कि जो पवित्र सर्वशक्तिमान सिखाता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इस शिक्षा को सूरः नहल की इस आयत में देख लेंगे कि जिसमें लिखा है कि-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ (अन्नहल-107)

7- पोलूस का यह कहना कि मैं यहूदियों में यहूदियों जैसा हूं और ग़ैर क़ौमों में ग़ैर क़ौम जैसा। इसके ये मायने नहीं हो सकते कि वह बेईमान दो रंगा था बल्कि इसके साफ़ मायने ये हैं कि जहां तक मैं किसी से सहमत हो सकता हूं दो रंगापन न करूंगा। अत: इस अवसर को ध्यानपूर्वक देख लें। यह प्रथम क्रान्ति

9/20,21,22 और पतरस का इन्कार साफ़ गुनाह का है और उसने मसीह पर लानत नहीं की थी बल्कि अपने ऊपर। मालूम नहीं कि आप को किस घबराहट ने पकड़ा है कि कलाम की सही इबारत भी नहीं कहते आप बेईमान अंग्रेजों का क्या हवाला देते हैं, क्या वे इंजील हैं। आपत्ति तो बाइबल और क़ुर्आन के ऊपर है न कि दुष्कर्मी लोगों के ऊपर।

8- मैं जहाज़ पर सवार हो आया हूं। मैंने सूर्य को किसी दलदल की नदी में अस्त होते नहीं देखा, न किसी और ने देखा। और वह जो उस आयत में वर्णन है कि उसने पाया कि सूर्य दलदल की नदी में अस्त हो जाता है तो उसके साथ क़ुर्आन के ख़ुदा का भी सत्यापन है जो यह कहता है-

(सूर: अलकहफ़-84) يَسْـَٔلُوْنَكَ

अर्थात् तुझ से प्रश्न करते हैं ज़ुलक़रनैन के बारे में और उन से वादा होता है जो हम अभी वर्णन करेंगे। अत: इसमें उसी ख़ुदा द्वारा सत्यापन है न केवल पाना ज़ुलकरनैन का। इससे स्पष्ट हो कि आप इस ऐतराज़ को दूर नहीं कर सकते। यह मुहावरे की बात नहीं बल्कि मुहावरे के विपरीत है कि सूर्य दलदल की नदी में अस्त हो गया, क्योंकि अतिरिक्त नज़र से और किसी भाषा या स्थान का मुहावरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य किसी दलदल की नदी में अस्त होता है। हाँ यद्यपि यह तो आम मुहावरा और कल्पना है कि लोग कहते हैं कि सूर्य निकला और सूर्य अस्त हुआ और न वह मुहावरा जो आप कहते हैं और जो बातें दो नज़र में कुछ प्रकट होने की स्थिति दिखाते हैं उन का कलाम उस स्थिति **की कल्पना में होता है।** जैसे रकाबी पुलाव का खाना प्रत्येक समझता है कि भरी हुई रकाबी (प्लेट) में से कुछ न छोड़ना या जैसे कहते हैं परनाले चल रहे हैं या यह कुआं मीठा या खारा है। ये भी ऐसे मुहावरे हैं जो सार्वजनिक हैं। और सबा की महारानी जो पृथ्वी के किनारे से आई उसके मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि दूसरे देश के किनारे से आई है जो फ़िलिस्तीन के दूसरी ओर था। इसमें खगोल विद्या और ज्यामिति का क्या संबंध है। ये उदाहरण आप दलदल की नदी सूर्यास्त के लिए पैदा नहीं कर सकेंगे। पृथ्वी का स्थिर होना भी इसके अतिरिक्त है और

पब्लिक इसे नहीं बोलती और ख़ुदा का कलाम पब्लिक के लिए है।

9- आपने आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दिनों का क्या अच्छा परिणाम निकाला है और वह उदाहरण इसमें जो गर्भ का दिया है इस से भी बढ़कर है। मुझे आश्चर्य है कि आप स्पष्ट आदेश के कलाम को छोड़कर कहां जा पड़े हैं। क़ुर्आन के स्पष्ट आदेश में यह लिखा है कि दिन की सफेदी की धारी से पहले आरम्भकरके सायंकाल की काली धारी के पीछे (बाद) रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए कि जिन दोनों धारियों का उन देशों में निशान तक कुछ नहीं और गर्भ के बारे में आप ने जो उदाहरण दिया है वह निर्धारित युग हमारा है न कि किसी ख़ुदाई कलाम का।

10- आप फ़रमाते हैं कि गुडनिस कोई विशेषता नहीं तब जब एक व्यक्ति जो किसी गिरफ़्त में गिरफ़्तार नहीं, वह किसी सद्व्यवहार के योग्य भी नहीं है। दया की परिभाषा स्पष्ट तौर पर यह व्यक्त करती है कि किसी पकड़ में गिरफ़्तार है जिसको दया से छुड़ाया जाता है। आपका अधिकार है जितना चाहें हठ करें परन्तु ये बातें स्पष्ट हैं।

11- यह एक अद्भुत रोक है कि एक बात स्पष्ट है कि जो अयोग्य हो उसको अयोग्य न कहा जाए। क्या यदि हम मान लें कि ख़ुदा ने कोई अन्याय (ज़ुल्म) किया या झूठ बोला तो उसी दृष्टि से यह कर्तव्य ख़ुदा के बारे में है कि हम उसकी अयोग्यता की चर्चा न करेंगे। हम तो उन कार्यों को अयोग्य कहेंगे और काल्पनिक ख़ुदा को झूठा ख़ुदा कहेंगे। यह तो हम एक वास्तविक बात देखते हैं कि जानवरों का मांस ख़ुदा तआला ने मनुष्यों के लिए ख़ुदा के कलाम में वैध (जायज़) कर दिया है तथा कुछ-कुछ जानवरों को भी जैसा कि शेर या बाज़ है प्रकृति (फ़ितरत) ने वैध कर दिया है। परन्तु एक देखी घटना से उसका देखा जाने वाला न्याय मिट नहीं सकता। उसके सच्चा ठहरने का कोई कारण होगा जो हमें मालूम न हो, तो इस मालूम न होने से उसका इन्कार नहीं हो सकता।

12- साक्षात होने से शरीर को भी ख़ुदाई ठहराना आप की परिभाषा होगी हमारे तो ये मायने हैं कि साक्षात होने से द्योतक होने पर संकेत है।

13- क्यों जनाब आप हमारे अद्वितीय और असीमित होने के उदाहरण को

झूठा किस प्रकार ठहरा सकते हैं जो एक घटना मिस्र की है। और क्या इन दोनों विशेषताओं की एक ही वास्तविकता नहीं। क्योंकि अद्वितीयता असीमित होने से अलग नहीं हो सकती। इन दोनों का समय और स्थान एक ही रहता है। आप विचार करके उत्तर दें।

14- जब सबूत दिखा देंगे कि क़ुर्आन में चमत्कार हैं और क़ुर्आन स्वयं ही एक चमत्कार है तो हम मान लेंगे। परन्तु किसी व्यक्ति ने एक बादशाह के सामने एक चुटकुला सुनाया था कि सात रुमाल लिपटे हुए खोलकर रख दिए और कहा कि जनाब इसमें नूर ज़हूर (प्रकाश के प्रकटन) की पगड़ी है परन्तु वह हराम के को दिखाई नहीं देती परन्तु हलाल (वैध) के को दिखाई देती है। ऐसा ही आप का कहना है कि यदि हम को वे चमत्कार दिखाई न दें तो हमारी दृष्टि का दोष है। अत: हमें एक गाली खा लेना स्वीकार है परन्तु झूठ स्वीकार कर लेना मंज़ूर नहीं। शक़्क़ुल क़मर चमत्कार के बारे में आपको मालूम नहीं कि शक़्क़ुल क़मर (चन्द्रमा का दो टुकड़े होना) क़यामत के निकट होने के साथ अनिवार्य है और उसके आगे اِنْ یَّرَوْا मुज़ारेअ* का सीग: है और इस चमत्कार से पहले किसी के ललकारने या किसी को आपत्ति नहीं हुई। अत: आप ऐसे उदाहरण देकर किसे सन्तोष प्रदान करेंगे यह तो मालूम यद्यपि क़ुर्आन में भविष्यवाणियां तो बहुत सी हैं परन्तु भविष्यवाणियां दो प्रकार की हैं। एक वे भविष्यवाणियां जो ख़ुदा के ज्ञान से होती हैं और दूसरी वे जो सार्वजनिक बुद्धि से होती है जो ख़ुदा के ज्ञान पर निर्भर करे उसका उदाहरण यदि आप प्रस्तुत करेंगे, हम उस पर विचार करेंगे और रोम के फ़ारस से पराजित होने की भविष्यवाणी सार्वजनिक बुद्धि की दूरदर्शिता की है। (आगे बोलने न दिया कि समय पूरा हो गया)

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

* **मुज़ारेअ -** जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों के अर्थ पाए जाएँ।

अन्तिम लेख हज़रत मिर्ज़ा साहिब

5, जून 1893 ई.

आज यह मेरा अन्तिम पर्चा है जो मैं डिप्टी साहिब के उत्तर में लिखता हूं। किन्तु मुझे बहुत अफ़सोस है कि जिन शर्तों के साथ बहस आरम्भकी गई थी उन शर्तों का डिप्टी साहिब ने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। शर्त यह थी कि जैसे मैं अपना प्रत्येक दावा और प्रत्येक शर्त पवित्र क़ुर्आन के तर्कशास्त्रीय सबूतों से प्रस्तुत करता गया हूं **डिप्टी साहिब** भी ऐसा प्रस्तुत करें। परन्तु वह किसी अवसर पर इस शर्त को पूरा नहीं कर सके। ठीक है दर्शक अब स्वयं देख लेंगे। इस उत्तर के उत्तरोत्तर में मुझे केवल इतना कहना पर्याप्त है कि डिप्टी साहिब ने यह जो तौबा की सूर: को प्रस्तुत किया है और यह सोचते हैं कि ईमान न लाने पर क़त्ल का आदेश है यह उनका बोधभ्रम है बल्कि इस आयत का मूल उद्देश्य वही सिद्ध होता है जो हम वर्णन कर चुके हैं अर्थात् जो व्यक्ति अपनी इच्छा से क़त्ल योग्य होने के बावजूद ईमान ले आए वह आज़ाद हो जाएगा। अत: अल्लाह तआला यहां फ़रमाता है कि जो लोग छूट (नर्मी) से लाभ प्राप्त करें और अपनी इच्छा से ईमान न लाएं उनको अपने आचरण के बदले में मृत्यु-दण्ड दिया जाएगा। इस स्थान पर यह कहां सिद्ध हुआ कि ईमान लाने पर जब्र है बल्कि एक नर्मी है जो उनकी इच्छा पर छोड़ी गयी है। और आप सात क़ौमों का जो वर्णन करते हैं उनको क़त्ल किया गया और कोई नर्मी नहीं की गई। यह तो आयत की व्याख्या के विरुद्ध है। देखो काज़ियों 1/28,30 कि किनआनियों से जो उन सातों क़ौमों में से एक क़ौम है ख़राज (टैक्स) लेना सिद्ध है। फिर देखो यशूक 16/10 और काज़ियों 1/35 जो क़ौम उमूरियों से ज़िज्या (टैक्स) लिया गया।

फिर आप इस बात को दोहराते हैं कि क़ुर्आन ने यह शिक्षा दी है कि भयभीत होने की अवस्था में ईमान को छुपाए। मैं लिख चुका हूं कि क़ुर्आन की यह शिक्षा नहीं है। क़ुर्आन ने कुछ ऐसे लोगों को जिन पर यह घटना घटित हो गई थी निम्न स्तर के मुसलमान समझकर उनको मोमिनों में दाखिल रखा है।

आप इसे समझ सकते हैं कि एक स्तर के ईमानदार नहीं हुआ करते और आप इस से भी इन्कार नहीं करेंगे कि कुछ बार हज़रत मसीह यहूदियों के पथराव से डर कर उन से किनारा कर गए और कुछ बार तौरियः के तौर पर असल बात को छुपा दिया, और मती 16/20 में लिखा है- "तब उसने अपने शागिर्दों को आदेश दिया कि कसूने न कहना कि मैं यसू मसीह हूं।"

अब इन्साफ़पूर्वक कहें कि क्या यह सच्चे ईमानदारों का काम है और उनका काम है जो रसूल और मुबल्लिग़ होकर दुनिया में आते हैं कि स्वयं को छुपाएं। आपको इससे अधिक दोषी करने वाला और कौन सा उदाहरण होगा बशर्ते कि आप विचार करें। फिर आप लिखते हैं कि दलदल में सूर्य का अस्त होना काल्पनिक सिलसिले में सम्मिलित नहीं परन्तु

(अल कहफ़ - 87) عَيۡنٍ حَمِئَةٍ

से तो काला पानी अभिप्राय है और इस में अब भी लोग यही दृश्य अपनी आँखों से देखते हैं और मजाज़ात (कल्पनाओं) की बुनियाद आँखों देखी बातों पर है। जैसे हम सितारों को कभी बिन्दु के समान कह देते हैं और आसमान को नीले रंग का कह देते हैं और पृथ्वी को स्थिर कह देते हैं। अतः जबकि इन्हीं प्रकारों में से यह भी है तो इस से इन्कार क्यों किया जाए। आप कहते हैं कि साक्षात कलाम भी एक रूपक है। परन्तु कोई व्यक्ति सबूत दे कि दुनिया में यह कहां बोला जाता है कि अमुक व्यक्ति साक्षात कलाम होकर आया है और गुडनिस की तावील आप तकल्लुफ (कष्ट उठाना) से करते हैं। मैं कह चुका हूं कि गुडनिस (Goodness) अर्थात् इहसान (उपकार) कोई व्यक्तिगत विशेषताओं में से विशेषता नहीं है। यह कह सकते हैं कि मुझे दया (रहम) आती है, यह नहीं कह सकते कि मुझे इहसान (उपकार) आता है। परन्तु आप पूछते हैं कि यदि यों ही किसी का कष्ट देखे बिना उस से अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसको क्या कहेंगे। अतः आपको याद रहे कि वह भी दया के विशाल अर्थ में सम्मिलित है। कोई इन्सान किसी से अच्छा व्यवहार ऐसी हालत में करेगा जब पहले कोई शक्ति उसके दिल में अच्छे व्यवहार के लिए कारण प्रस्तुत करे और उसे अच्छा

व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे तो फिर दया की शक्ति जो मानव क़ौम की हर प्रकार की सहानुभूति के लिए जोश मारती है और जब तक कोई व्यक्ति अच्छे व्यवहार के योग्य न ठहरे तथा अन्य किसी पहलू से दया योग्य दिखाई दे तो उससे कौन अच्छा व्यवहार करता है। फिर आप कहते हैं कि जानवरों को क़त्ल होते देखकर क्या हम मान लें कि ख़ुदा ने ज़ुल्म (अत्याचार) किया। मैं कहता हूं कि मैंने कब इस का नाम ज़ुल्म रखा है। मैं तो कहता हूं कि यह कार्रवाई मालिकियत के आधार पर है। जब आप इस बात को स्वीकार कर चुके कि सृष्टियों की श्रेणियों में अन्तर अर्थात् इन्सान और जानवरों का मालिकियत के कारण है उसका कारण आवागमन नहीं। अत: फिर इस बात को मानते हुए कौन सी बाधा है जो दूसरी अनिवार्यताएं जो जानवर बनने से सामने आ गईं वे भी मालिकियत के कारण हैं और अन्तत: पवित्र क़ुर्आन के बारे में आप पर व्यक्त करता हूं कि पवित्र क़ुर्आन ने अपने ख़ुदा का कलाम होने के बारे में जो सबूत दिए हैं, यद्यपि मैं इस समय उन सबूतों को विवरण का क्रम से नहीं लिख सकता, परन्तु इतना कहता हूं कि उन सब सबूतों के बाह्य तर्क जैसे समय से पूर्व नबियों का ख़बर देना जिसे आप इंजील में भी लिखा हुआ पाओगे। दूसरे वास्तविक आवश्यकता के समय पवित्र क़ुर्आन का आना अर्थात् ऐसे समय पर जबकि समस्त संसार की व्यावहारिक स्थिति बिगड़ गई और आस्थागत स्थिति में भी बहुत मतभेद आ गए थे तथा नैतिक स्थिति में भी विकार आ गया था। तीसरे उसकी सच्चाई का सबूत उसकी सर्वांगपूर्ण (कामिल) शिक्षा है कि उसने प्राय: सिद्ध कर दिखाया कि मूसा की शिक्षा भी अपूर्ण थी जो एक दण्ड देने के खंड पर बल दे रहे थे और मसीह की शिक्षा भी अपूर्ण थी जो **एक खंड क्षमा और माफ़ी पर** बल दे रही थी और जैसे उन किताबों ने इन्सानी (मानवीय) वृक्ष की समस्त शाखाओं के प्रशिक्षण का इरादा ही नहीं किया था, केवल एक-एक शाखा को पर्याप्त समझा गया था, किन्तु पवित्र क़ुर्आन मनुष्य रूपी वृक्ष की समस्त शाखाओं अर्थात् समस्त शक्तियों को बहस के अन्तर्गत लाया और सब के प्रशिक्षण के लिए अपने-अपने स्थान और अवसर पर आदेश दिया, जिसका

विवरण हम इस थोड़े से समय में वर्णन नहीं कर सकते।

इंजील की क्या शिक्षा थी जिस पर निर्भर रहने से संसार का ही सिलसिला बिगड़ता है और फिर अगर यही क्षमा और माफ़ी उत्तम शिक्षा कहलाती है तो जैन मत वाले कई गुना इस से आगे बढ़े हुए हैं,जो कीड़े-मकोड़ों, जुओं और सांपों तक को कष्ट देना नहीं चाहते। क़ुर्आन की शिक्षा की दूसरी विशेषता तफ़्हीम है अर्थात् उसने उन समस्त मार्गों को समझाने के लिए अपनाया है जो कल्पना में आ सकते हैं। यदि एक सामान्य व्यक्ति है तो अपनी मोटी समझ के अनुसार लाभ उठाता और यदि एक दार्शनिक है तो अपने बारीक विचार के अनुसार उससे सच्चाईयां प्राप्त करता है तथा उसने समस्त ईमान से सिद्धान्तों को बौद्धिक तर्कों द्वारा सिद्ध करके दिखाया है और आयत

(सूरः आले इमरान-65) تَعَالَوۡا اِلٰی کَلِمَۃٍ

में अहले किताब पर यह समझाने का अन्तिम प्रयास पूर्ण करता है कि इस्लाम वह पूर्ण धर्म है कि जो फ़ालतू मतभेद वाली बातें तुम्हारे हाथ में हैं या समस्त संसार के हाथ में हैं उन फ़ालतू बातों को निकालकर शेष इस्लाम ही रह जाता है और फिर पवित्र क़ुर्आन की ख़ूबियों में तीसरा भाग उसके प्रभाव हैं। यदि हज़रत मसीह के हवारियों और हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक शुद्ध दृष्टि से तुलना की जाए तो हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। इस तुलना से स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि किस शिक्षा ने ईमान की शक्ति को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। यहां तक कि लोगों ने इस शिक्षा के प्रेम से और रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इश्क से अपने देशों को बड़ी ख़ुशी से छोड़ दिया, अपने आरामों को बड़ी आसानी के साथ त्याग दिया, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। इस मार्ग में अपने खूनों को बहा दिया अन्य किस शिक्षा का यह हाल है? उस रसूल को अर्थात् हज़रत मसीह को जब यहूदियों ने पकड़ा तो हवारी एक मिनट के लिए भी न ठहर सके, अपना-अपना मार्ग पकड़ा और कुछ ने तीस रूपए लेकर अपने मान्य नबी को बेच दिया तथा कुछ ने तीन बार इन्कार किया। इंजील खोलकर देख लो कि उसने लानत भेजकर और

क़सम खाकर कहा कि इस व्यक्ति को नहीं जानता। फिर जब प्रारंभ से युग का यह हाल था, यहां तक कि यथा नियम नहला कर और कफ़न में लपेटने में भी सम्मिलित नहीं हुए तो फिर उस युग का क्या हाल होगा जबकि उनमें हज़रत मसीह मौजूद न रहे। मुझे अधिक लिखाने की आवश्यकता नहीं। इस बारे में ईसाइयों के बड़े-बड़े उलेमा ने इसी युग में गवाही दी है कि हवारियों की हालत सहाबा की हालत से जिस समय हम तुलना करते हैं तो हमें शर्मिन्दगी के साथ इक़रार करना पड़ता है कि हवारियों की हालत उनकी तुलना में एक लज्जाजनक कार्य था। फिर आप क़ुर्आन के चमत्कारों का इन्कार करते हैं। आपको मालूम नहीं कि वे चमत्कार जिस निरन्तरता एवं निश्चित रूप से सिद्ध हो गए उनकी तुलना में किसी दूसरे के चमत्कारों का वर्णन करना केवल क़िस्सा है इस से अधिक नहीं। उदाहरणतया हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उस युग में अपनी सफलता के बारे में भविष्यवाणी करना जो पवित्र क़ुर्आन में दर्ज है अर्थात् ऐसे युग में कि जब सफलता के कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते थे, बल्कि काफ़िरों की गवाहियां पवित्र क़ुर्आन में मौजूद हैं कि वे बड़े दावे से कहते हैं कि अब यह धर्म शीघ्र तबाह हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ऐसे समयों में उनको सुनाया गया कि-

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾ (सूर: अत्तौबा-32)

अर्थात् ये लोग अपने मुंह की बकवास से बकते हैं कि इस धर्म को कभी सफलता नहीं होगी यह धर्म हमारे हाथ से तबाह हो जाएगा। परन्तु ख़ुदा कभी इस धर्म को नष्ट नहीं करेगा और नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको पूरा न करे। फिर एक आयत में फ़रमाया है-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ

شَـيْئًا ۭ وَ مَـنْ كَفَـرَ بَعْـدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُـمُ الْفٰسِـقُوْنَ ﴿۵۶﴾ (सूरः अन्नूर-56)

अर्थात् ख़ुदा वादा दे चुका है कि इस धर्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद ख़लीफे पैदा करेगा और क़यामत तक उसको क़ायम करेगा, अर्थात् जिस प्रकार मूसा के धर्म में लम्बे समय तक ख़लीफे और बादशाह भेजता रहा ऐसा ही यहां भी करेगा और उसे मिटने नहीं देगा। अब पवित्र क़ुर्आन मौजूद है, हाफ़िज़ भी बैठे हैं। देख लीजिए कि काफ़िरों ने किस दावे के साथ अपनी राय व्यक्त की कि यह धर्म अवश्य मिट जाएगा और हम इसे न होने जैसा कर देंगे। इनके मुकाबले पर यह भविष्यवाणी की गई जो पवित्र क़ुर्आन में मौजूद है कि हरगिज़ **तबाह नहीं होगा**। यह एक बड़े वृक्ष के समान हो जाएगा और फैल जाएगा तथा इसमें बादशाह होंगे और जैसा कि-

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ (सूरः अलफतह-30)

में संकेत है। और फिर सरसता एवं सुबोधता के बारे में फ़रमाया-

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿۱۹۶﴾ (सूरः अश्शुअरा-196)

और फिर उसका उदाहरण मांगा और कहा कि यदि तुम कुछ कर सकते हो तो इसका उदाहरण दो। अतः عَـرَبِيٍّ مُبِـيْنٍ के शब्द से सरसता और सुबोध होने के अतिरिक्त और क्या मायने हो सकते हैं? विशेष तौर पर जब एक व्यक्ति कहे कि मैं यह भाषण ऐसी भाषा में करता हूं कि तुम उसका उदाहरण प्रस्तुत करो तो इसके अतिरिक्त क्या समझा जाएगा कि सरसता की विशेषता का दावेदार है और मुबीन (مبـين) का शब्द भी इसी को चाहता है और अन्ततः चूंकि डिप्टी अब्दुल्लाह आथम साहिब पवित्र क़ुर्आन के चमत्कारों से जानबूझ कर इन्कारी हैं और उसकी भविष्यवाणी से भी इन्कारी हैं। और मुझ से भी इसी सभा में तीन रोगियों को प्रस्तुत करके ठट्ठा किया गया कि यदि इस्लाम धर्म सच्चा है और तुम वास्तव में मुल्हम हो तो इन तीनों को अच्छा करके दिखाओ। हालांकि मेरा यह दावा न था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। न पवित्र क़ुर्आन के अनुसार गिरफ़्त थी अपितु यह तो ईसाई लोगों के ईमान की निशानी इंजील में ठहराई गई थी कि यदि वे सच्चे ईमानदार हों तो वे अवश्य लंगड़ों और अंधों तथा बहरों को अच्छा

करेंगे परन्तु फिर भी मैं उसके लिए दुआ करता रहा और

आज रात जो मुझ पर खुला वह यह है कि जब मैंने बहुत विनय और गिड़गिड़ा कर ख़ुदा के दरबार में दुआ की कि तू इस बात में फैसला कर और हम असहाय बन्दे हैं तेरे फैसले के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मुझे यह निशान ख़ुशख़बरी के तौर पर दिया है कि इस बहस में दोनों सदस्यों में से जो सदस्य जानबूझ कर झूठ को ग्रहण कर रहा है और सच्चे ख़ुदा को छोड़ रहा है और असहाय इन्सान को ख़ुदा बना रहा है वह इन्हीं दिनों मुबाहसः की दृष्टि से अर्थात् प्रतिदिन को एक महीना लेकर पन्द्रह माह तक हाविय: में गिराया जाएगा और उसे बहुत अपमान पहुंचेगा बशर्ते कि सच की ओर रुजू न करे और जो व्यक्ति सच पर है और सच्चे ख़ुदा को मानता है उसका इससे सम्मान प्रकट होगा और उस समय जब यह भविष्यवाणी प्रकटन में आएगी और कुछ अंधे सुजाखे किए जाएंगे और कुछ लंगड़े चलने लगेंगे और कुछ बहरे सुनने लगेंगे।

इसी प्रकार जिस प्रकार अल्लाह तआला ने इरादा किया है। अत: अल्हम्दुलिल्लाह वलमन्न: कि यदि यह भविष्यवाणी अल्लाह तआला की ओर से प्रकट न होती तो हमारे यह पन्द्रह दिन व्यर्थ गए थे। ज़ालिम इन्सान की आदत होती है कि देखने के बावजूद नहीं देखता और सुनने के बावजूद नहीं सुनता और समझने के बावजूद नहीं समझता और साहस करता है और गुस्ताखी करता है और नहीं जानता कि ख़ुदा है परन्तु अब मैं जानता हूं कि फैसले का समय आ गया है। मैं हैरान था कि इस बहस में क्यों मुझे आने का संयोग हुआ। मामूली बहसें तो और लोग भी करते हैं। अब यह वास्तविकता खुली कि इस निशान के लिए था। मैं इस समय इक़रार करता हूं कि यदि यह भविष्यवाणी झूठी निकली। अर्थात् वह सदस्य जो ख़ुदा तआला के नज़दीक झूठ पर है वह पन्द्रह माह की अवधि में आज की तिथि से मृत्यु-दण्ड में हाविय: में न पड़े तो मैं प्रत्येक दण्ड

को उठाने के लिए तैयार हूं। मुझे अपमानित किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, मुंह काला किया जाए, मुझे फांसी दी जाए। हर एक बात के लिए तैयार हूं और मैं महा प्रतापी ख़ुदा की क़सम खा कर कहता हूं कि वह अवश्य ऐसा ही करेगा,अवश्य करेगा अवश्य करेगा,पृथ्वी और आकाश टल जाएं परन्तु उनकी बातें न टलेंगी।

अब डिप्टी साहिब से पूछता हूं कि यदि यह निशान पूरा हो गया तो क्या यह सब आप की इच्छा के अनुसार कामिल भविष्यवाणी और ख़ुदा की भविष्यवाणी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने के बारे में जिन को अन्दरूना बाइबल में आप दज्जाल के शब्द से मनोनीत करते हैं ठोस तर्क हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इससे अधिक मैं क्या लिख सकता हूं जबकि अल्लाह तआला ने स्वयं ही फैसला कर दिया है। अब अकारण हंसी का स्थान नहीं। यदि मैं झूठा हूं तो मेरे लिए सूली तैयार रखो और समस्त शैतानों, दुष्कर्मियों तथा लानतियों से अधिक मुझे लानती ठहराओ। परन्तु यदि मैं सच्चा हूं तो इन्सान को ख़ुदा मत बनाओ तौरात को पढ़ो कि उसकी पहली और खुली-खुली शिक्षा क्या है और सब नबी क्या शिक्षा देते आए और समस्त संसार किस ओर झुक गया। अब मैं आप से रुख़सत होता हूं। इस से अधिक न कहूँगा।

والسلام علیٰ من اتبع الهدیٰ

हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में	हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में
हेनरी मार्टिन क्लार्क (प्रेज़ीडेंट)	ग़ुलाम क़ादिर फ़सीह (प्रेज़ीडेंट)
ईसाइयों की ओर से	मुसलमानों की ओर से

★ ★ ★